Drishti IAS

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

दिसंबर भाग-1

2022

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

शासन व्यवस्था 4

- न्यायपालिका में महिलाएँ 4
- विश्व एड्स दिवस 5
- अद्यतन भूमि अभिलेख 6
- पर्सनैलिटी राईट 8
- पराली दहन 9
- विझिंजम बंदरगाह परियोजना 11
- धारावी पुनर्विकास परियोजना 12
- भारतीय राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा: ई-संजीवनी 12
- कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन 13
- पीएम स्वनिधि योजना की अवधि बढ़ाई गई 15
- 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक 17
- राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 18
- विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10ए 19
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला 20
- इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 21
- राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 23
- सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थिति 25
- ग्लास (GLAAS) रिपोर्ट 2022 26

भारतीय राजनीति 28

- राज्यसभा के सभापति 28
- राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल 30
- राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, 2022 30
- चुनाव आयोग के संदर्भ में निजी सदस्य विधेयक 33

भारतीय अर्थव्यवस्था 36

- RBI और खुदरा डिजिटल रुपया 36
- GDP और GVA 37
- वैश्विक छँटनी का प्रभाव 38
- भारत विकास रिपोर्ट: विश्व बैंक 39
- सोने का आयात और तस्करी 40
- RBI की मौद्रिक नीति समीक्षा 41

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 44

- UNSC में भारत की अध्यक्षता 44
- वासेनार अरेंजमेंट 46
- भारत-जर्मनी संबंध 48
- भारत एवं ग्लोबल साउथ 51
- चीन पर भारत की आयात निर्भरता 54

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 57

- ChatGPT चैटबॉट 57
- एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन 58
- फ्यूजन एनर्जी ब्रेकथ्रू 59

जैव विविधता और पर्यावरण 62

- वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021: WMO 62
- भारत में वर्ष 2040 तक नवोन्मेषी कूलिंग प्रौद्योगिकी 63
- स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट 64
- जैव विविधता ढाँचा और आदिवासी समुदाय 65

नोट :

- वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 67
- फार्मास्युटिकल प्रदूषण 68
- NMCG और नमामि गंगे कार्यक्रम 70

भूगोल 72

- तटीय लाल रेत के टीले 72
- मैंडस चक्रवात 73
- पश्चिमी विक्षोभ 75

कृषि 79

- बागवानी कलस्टुर विकास कार्यक्रम 79
- पुनर्योजी कृषि 80
- राष्ट्रीय बाँस मिशन 80
- काली मृदा की वैश्विक स्थिति: FAO 81
- उर्वरक सब्सिडी 83

सामाजिक न्याय 85

- जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022 85
- UNDP: पलायन रिपोर्ट 85
- द फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर: FAO 87
- मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश 91
- विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 92
- विचाराधीन कैदियों की दयनीय स्थिति 95
- हाथ से मैला ढोने की प्रथा (मैनुअल स्कैवेंजिंग) 96

भारतीय इतिहास 99

- 66वाँ महापरिनिर्वाण दिवस 99
- श्री अरबिंदो: भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर 101

आंतरिक सुरक्षा 102

- ग्रेटर टिपरालैंड की मांग: त्रिपुरा 102

एथिक्स 104

- गैसलाइटिंग 104

प्रिलिम्स फैक्ट्स 106

- ज़ॉम्बी वायरस 106
- भारत का पहला निजी अंतरिक्ष यान लॉन्चपैड 106
- बिंटूरोंग 107
- राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 107
- नगालैंड राज्य दिवस 108
- अग्नि योद्धा अभ्यास का 12वाँ संस्करण 111
- डिजियात्रा 112
- स्वर धरोहर महोत्सव 113
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद 113
- काज़ीरंगा परियोजना पर भारत- फ्राँस साझेदारी 114
- जे. सी. बोस: एक सत्याग्रही वैज्ञानिक 115
- इंडोनेशिया का सेमेरु ज्वालामुखी 116
- अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 117
- किलोनोवा के साथ गामा रे बर्स्ट का बाइनरी मर्जर 117
- स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क: इसरो 118
- राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना 119
- सार्क मुद्रा विनिमय ढाँचा 119
- वायु श्वास प्रणोदन 121
- HAKUTO-R मून मिशन: जापान 122
- डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता 123
- प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 124
- पृथ्वी के निकट क्षुद्रग्रह रयुगु 124
- विश्व बंदर दिवस 125

रैपिड फायर 126

नोट :

शासन व्यवस्था

न्यायपालिका में महिलाएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने इतिहास में तीसरी बार महिला पीठ की नियुक्ति की गई है।

- सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार वर्ष 2013 में तथा दूसरी बार वर्ष 2018 में महिला पीठ का निर्माण किया गया था।

न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति:

- पिछले 70 वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं के लिये पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये कोई महत्त्वपूर्ण प्रयास नहीं किया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय से अब तक केवल 11 महिला न्यायाधीश रही हैं तथा कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी हैं।
- उच्च न्यायालयों में 680 न्यायाधीशों में से मात्र 83 महिलाएँ हैं।
- अधीनस्थ न्यायाधीशों में केवल 30% महिलाएँ हैं।

कम महिला प्रतिनिधित्व के कारण:

- समाज में पितृसत्ता: न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व का प्राथमिक कारण समाज में पितृसत्ता है।
  - महिलाओं को अक्सर न्यायालयों के भीतर अपमानजनक माहौल का सामना करना पड़ता है। उत्पीड़न, बार और बेंच के सदस्यों से सम्मान की कमी, उनकी राय को अनसुना किया जाना तथा कुछ अन्य दर्दनाक अनुभव हैं जो कई महिला वकीलों द्वारा बताए जाते हैं।
- अपारदर्शी कॉलेजियम कार्यप्रणाली: प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भर्ती की विधि के कारण प्रवेश स्तर पर अधिक महिलाएँ निचली न्यायपालिका में प्रवेश करती हैं।
  - हालाँकि, उच्च न्यायपालिका में एक कॉलेजियम प्रणाली है, जो अधिक अपारदर्शी है और इसमें पूर्वाग्रह को प्रतिबिंबित करने की अधिक संभावना है।
  - महिला आरक्षण नहीं होना: कई राज्यों में निचली न्यायपालिका में महिलाओं के लिये आरक्षण नीति है, जो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में नहीं है।
    - असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्यों को इस तरह के आरक्षण का लाभ मिला है क्योंकि उनके पास अब 40-50% महिला न्यायिक अधिकारी हैं।
  - पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ उम्र और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के कारक भी अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं से उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की पदोन्नति को प्रभावित करते हैं।
  - मुकदमेबाजी में पर्याप्त महिलाएँ नहीं होना: चूँकि बार से बेंच तक पदोन्नत वकील उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का एक महत्त्वपूर्ण अनुपात बनाते हैं, इसलिये यह ध्यान देने योग्य है कि महिला अधिवक्ताओं की संख्या अभी भी कम है, जिससे महिला न्यायाधीशों का चयन किया जा सकता है।
  - न्यायिक बुनियादी ढाँचा: न्यायिक बुनियादी ढाँचा या इसकी कमी, पेशे में महिलाओं के लिये एक और बाधा है।
    - छोटे, भीड़ भरे कोर्ट रूम, टॉयलेट की कमी और चाइल्डकैअर सुविधाओं का आभाव जैसी बाधाएँ शामिल हैं।

उच्च महिला प्रतिनिधित्व का महत्त्व:

- न्यायाधीशों और वकीलों के रूप में महिलाओं की उपस्थिति से न्याय वितरण प्रणाली में काफी सुधार होगा।
- महिलाएँ कानून के समक्ष अलग दृष्टिकोण प्रदर्शित करती हैं, जो उनके अनुभव पर आधारित होता है
- उनके पास पुरुषों और महिलाओं पर कुछ कानूनों के अलग-अलग प्रभावों की अधिक बारीक समझ है।
- महिला न्यायाधीश न्यायालयों की वैधता को बढ़ाती हैं, जिससे एक शक्तिशाली संदेश जाता है कि वे उन लोगों के लिये खुले और सुलभ हैं जिन्हें न्याय की आवश्यकता है।
- यौन हिंसा से जुड़े मामलों में संतुलित और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिये न्यायपालिका में महिलाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

आगे की राह:

- उच्च न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों के रूप में महिला सदस्यों के एक निश्चित प्रतिशत के साथ लैंगिक विविधता को बनाए रखने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यह भारत की लिंग-तटस्थ न्यायिक प्रणाली के विकास का नेतृत्त्व करेगी।
- समावेशिता पर बल देकर और संवेदनशील बनाकर भारत की आबादी के बीच संस्थागत, सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

नोट :

- यह कानूनी पेशा, समानता के गेट कीपर के रूप में और अधिकारों के संरक्षण के लिये प्रतिबद्ध एक संस्था के रूप में लैंगिक समानता का प्रतीक होना चाहिये।
- न्यायालय एक नए परिप्रेक्ष्य के अनुसार खुद पर विचार कर सकती है और इसके लंबे समय से चली आ रही जनसांख्यिकी में बदलाव होने पर आधुनिकीकरण और सुधार की संभावना में वृद्धि हो सकती है।

विश्व एड्स दिवस

चर्चा में क्यों ?

विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 01 दिसंबर को पूरी दुनिया में इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन सभी लोगों को याद करने के लिये मनाया जाता है जिन्होंने इससे अपनी जान गँवाई है।

विश्व एड्स दिवस

- **परिचय:**
  - इसकी शुरुआत वर्ष 1988 में 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (WHO) द्वारा की गई थी और यह 'एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम' (एड्स) के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से घोषित पहला 'वैश्विक स्वास्थ्य दिवस' था।
- **थीम 2022:**
  - 'इक्विलाइज़ (Equalize)/ समानता
    - यह HIV परीक्षण, रोकथाम और HIV देखभाल तक पहुँच में बाधाएँ पैदा करने वाली असमानताओं को खत्म करने के लिये लोगों को विश्व स्तर पर एकजुट होने हेतु प्रोत्साहित करता है।
- **महत्त्व:**
  - विश्व एड्स दिवस अंतर्राष्ट्रीय समुदायों तथा सरकारों को याद दिलाता है कि HIV का अभी पूरी तरह से उन्मूलन किया जाना बाकी है। इस दिशा में अधिक धन जुटाने, जागरूकता बढ़ाने, पूर्वाग्रह को समाप्त करने और साथ ही लोगों को इस बारे में शिक्षित किया जाना महत्त्वपूर्ण है।
  - यह दिवस दुनिया भर में एचआईवी ग्रसित लाखों लोगों के साथ एकजुटता दिखाने का अवसर प्रदान करता है।

एड्स (AIDS) रोग:

- **परिचय:**
  - एड्स (अक्वायर्ड इम्युनो डेफिशिएंसी सिन्ड्रोम) एक गंभीर बीमारी है जो ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस (एचआईवी) के कारण होती है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा को गंभीर नुकसान पहुँचता है तथा इसके कारण किसी व्यक्ति की संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है।
  - HIV का वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में सीडी4 (CD4) नामक श्वेत रक्त कोशिका (टी-सेल्स) पर हमला करता है।
  - टी कोशिकाएँ वे कोशिकाएँ होती हैं जो शरीर की अन्य कोशिकाओं में विसंगतियों और संक्रमण का पता लगाती हैं।
  - शरीर में प्रवेश करने के बाद HIV की संख्या बढ़ती जाती है और कुछ ही समय में वह CD4 कोशिकाओं को नष्ट कर देता है एवं मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाता है। विदित हो कि एक बार जब यह वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो इसे पूर्णत: समाप्त करना काफी मुश्किल है।
  - HIV से संक्रमित व्यक्ति की CD4 कोशिकाओं में काफी कमी आ जाती है। ज्ञातव्य है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इन कोशिकाओं की संख्या 500-1600 के बीच होती है, परंतु HIV से संक्रमित लोगों में CD4 कोशिकाओं की संख्या 200 से भी नीचे जा सकती है।
- **प्रसार:**
  - एचआईवी कई स्रोतों के माध्यम से फैल सकता है एचआईवी रक्त, वीर्य (Semen) योनि स्राव (Vaginal Fluid), गुदा तरल पदार्थ (Anal Fluid) और स्तन के दूध सहित शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।
- **लक्षण:**
  - एक बार जब एचआईवी एड्स में परिवर्तित हो जाता है तो प्रारंभिक लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, जोड़ों में दर्द, माँसपेशियों में दर्द, गले में खराश, रात में पसीना आना, ग्रंथियों का बढ़ जाना, शरीर पर लाल चकत्ते, जननांगों या गर्दन के आसपास घाव, निमोनिया, थकान, कमज़ोरी, वजन का अचानक गिरना और छाले (thrush) शामिल हैं।
- **रोकथाम:**
  - सुरक्षात्मक तकनीकों का उपयोग करना।
  - दूषित सुइयों के उपयोग से बचना।
  - माँ से बच्चे में संचरण को रोकना।
  - अगर किसी को अपने शरीर में संक्रमण के बारे में पता है तो सही उपचार सुनिश्चित करना।
  - शादी से पहले प्री-मैरिटल टेस्ट के सेट का विकल्प चुनना जिसमें एचआईवी टेस्ट शामिल हो, यह साथ ही अन्य यौन संचारित रोगों से सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है।

AIDS की वैश्विक और राष्ट्रीय स्थिति:

- **वैश्विक:**
  - HIV/AIDS पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (UNAIDS) के अनुसार, 2021 तक, 38.4 मिलियन लोग HIV के साथ रह रहे थे, जिनमें से 1.7 मिलियन बच्चे थे।

नोट :

- HIV के साथ रहने वाले सभी लोगों में से 54% महिलाएँ और लड़कियां थीं।
- HIV के साथ रहने वाले सभी लोगों में से 85% 2021 में अपनी HIV स्थिति जानते थे।

- 2021 में AIDS से संबंधित बीमारियों से 6,50,000 लोगों की मौत हुई।

- **राष्ट्रीय:**
  - UNAIDS के अनुसार, 2021 में भारत में अनुमानित 2.4 मिलियन लोग HIV के साथ रह रहे थे जिसमें 70,000 बच्चे हैं।
  - महाराष्ट्र में सबसे अधिक संख्या थी, इसके बाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक थे।

AIDS रोग को रोकने के लिए भारत की विभिन्न पहलें:

- एचआईवी और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017: इस अधिनियम के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें एचआईवी या एड्स के प्रसार को रोकने के लिये उपाय करेंगी।
- **ART तक पहुँच:**
  - भारत ने एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART) को दुनिया में एचआईवी के साथ रहने वाले 90 प्रतिशत से अधिक लोगों के लिये सस्ती और सुलभ बना दिया है।
- **समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding- MoU):**
  - HIV/AIDS संबंधी जागरूकता में सुधार लाने और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के पीड़ितों, बच्चों और HIV/AIDS संक्रमण वालों के साथ रहने वाले लोगों के खिलाफ सामाजिक दुर्व्यवहार तथा भेदभाव को कम करने के लिये, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2019 एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।
- **प्रोजेक्ट सनराइज:**
  - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में उत्तर-पूर्वी राज्यों में बढ़ते HIV के प्रसार से निपटने हेतु, विशेष रूप से ड्रग्स इंजेक्शन का प्रयोग करने वाले लोगों में इसके प्रयोग को रोकने हेतु 'प्रोजेक्ट सनराइज़' (Project Sunrise) को शुरू किया गया था।

अद्यतन भूमि अभिलेख

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को तीन महीने के भीतर राजस्व और वन अभिलेखों में बंदोबस्त अधिकार दर्ज़ करने का निर्देश दिया है।

- पत्र में कहा गया है कि राजस्व और वन विभागों को वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत समुदायों को दी गई वन भूमि का अंतिम नक्शा तैयार करना चाहिये।

अधिसूचना के मुख्य बिंदु:

- **परिचय:**
  - अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 या वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत अधिकारों के रिकॉर्ड पर डिजिटल जानकारी (RoR) को (एक कानूनी दस्तावेज जो भूमि और उसके मालिक के बारे में विवरण देता है) परिवेश (PARIVESH) पोर्टल और केंद्रीय तथा राज्य सरकार के विभागों के अन्य वेब भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) प्लेटफार्मों में एकीकृत किया जाएगा।
    - यह अधिकारों के निपटान और मालिकाना हक जारी करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा। मानचित्र को संबंधित राज्य कानूनों के तहत भूमि अभिलेखों में शामिल किया जाना चाहिये।
  - मंत्रालय ने राज्यों को प्रत्येक भूमि पैच का भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) सर्वेक्षण करने और बहुभुजों की भू-संदर्भित डिजिटल वेक्टर सीमाओं को बनाए रखने का भी निर्देश दिया है।
- **लाभ:**
  - FRA के डेटा के अनुसार भूमि रिकॉर्ड आदिवासियों और अधिकारियों के बीच संघर्ष को समाप्त करता है।
    - कभी-कभी FRA के तहत आवंटित भूमि का टुकड़ा वनीकरण के लिये उपयोग किया जाता है जिससे दोनों पक्षों के लिये बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
  - FRA के तहत RoR का भू-संदर्भ राज्यों के लोगों के लिये फायदेमंद होगा क्योंकि वन और आदिवासी कल्याण विभाग FRA शीर्षक धारकों की आजीविका में सुधार के लिये विशिष्ट परियोजनाओं और योजनाओं को शुरू करने में सक्षम होंगे।

वन अधिकार अधिनियम, 2006:

- यह अधिनियम पीढ़ियों से वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों (FDST) और अन्य पारंपरिक वनवासियों (OTFD) को वन भूमि पर उनके वन अधिकारों को मान्यता देता है।
- किसी भी ऐसे सदस्य या समुदाय द्वारा वन अधिकारों का दावा किया जा सकता है, जो दिसंबर 2005 के 13वें दिन से पहले कम-से-कम तीन पीढ़ियों अथवा 75 वर्ष से वन भूमि में वास्तविक आजीविका की ज़रूरतों हेतु निवास करता है।

नोट :

- यह FDST और OTFD की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वनों के संरक्षण की व्यवस्था को मज़बूती प्रदान करता है।
- ग्राम सभा को व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) या सामुदायिक वन अधिकार (CFR) या दोनों जो कि FDST और OTFD को दिये जा सकते हैं, की प्रकृति एवं सीमा निर्धारित करने हेतु प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है।
- इस अधिनियम के तहत चार प्रकार के अधिकार हैं:
  - स्वामित्व अधिकार: यह FDST और OTFD को अधिकतम 4 हेक्टेयर भू-क्षेत्र पर आदिवासियों या वनवासियों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देता है। यह स्वामित्व केवल उस भूमि के लिये है जिस पर वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा खेती की जा रही है, इसके अलावा कोई और नई भूमि प्रदान नहीं की जाएगी।
  - उपयोग करने का अधिकार: वन निवासियों के अधिकारों का विस्तार लघु वनोत्पाद, चराई क्षेत्रों आदि तक है।
  - राहत और विकास से संबंधित अधिकार: वन संरक्षण के लिये प्रतिबंधों के अधीन अवैध बेदखली या जबरन विस्थापन और बुनियादी सुविधाओं के मामले में पुनर्वास का अधिकार शामिल है।
  - वन प्रबंधन अधिकार: इसमें किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुन: उत्थान या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार शामिल है, जिसे वन निवासियों द्वारा स्थायी उपयोग के लिये पारंपरिक रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित किया जाता है।

डिजिटल भूमि रिकॉर्ड हेतु भारत की पहलें:

- **स्वामित्व (SVAMITVA):**
  - स्वामित्व ड्रोन तकनीक और कंटीन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन (CORS) का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि मानचित्रण की एक योजना है।
  - वर्ष 2020 से 2024 तक चार वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से देश भर में मानचित्रण किया जाएगा।
- **परिवेश (PARIVESH) पोर्टल:**
  - परिवेश एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है जिसे केंद्र, राज्य और ज़िला स्तर के अधिकारियों से पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zones- CRZ) की मंज़ूरी प्राप्त करने के लिये प्रस्तावकों द्वारा दिये गए प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुति और निगरानी हेतु विकसित किया गया है।
- **भूमि संवाद:**
  - भूमि संवाद डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (National Workshop on Digital India Land Record Modernisation Programme- DILRMP) पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला है।
  - यह देश भर में एक उपयुक्त एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (Integrated Land Information Management System- ILIMS) विकसित करने के लिये विभिन्न राज्यों में भूमि अभिलेखों के क्षेत्र में मौजूद समानताओं को स्थापित करने का प्रयास करता है, जिस पर विभिन्न राज्य राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं को भी जोड़ सकते हैं जैसा कि वे प्रासंगिक और उपयुक्त समझ सकते हैं।
- **राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली:**
  - यह मौजूदा मैनुअल पंजीकरण प्रणाली से बिक्री-खरीद और भूमि के हस्तांतरण में सभी लेन-देन के ऑनलाइन पंजीकरण की ओर एक बड़ा बदलाव है।
  - यह राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक बड़ा कदम है और 'वन नेशन वन सॉफ्टवेयर' को भी बढ़ावा देगा।
- **विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या:**
  - ULPIN को 'भूमि की आधार संख्या' के रूप में वर्णित किया जाता है। यह एक ऐसी संख्या है जो भूमि के उस प्रत्येक खंड की पहचान करेगी जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, जहाँ सामान्यत: भूमि-अभिलेख काफी पुराने एवं विवादित होते हैं। इससे भूमि संबंधी धोखाधड़ी पर रोक लगेगी।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS):

- वेब आधारित भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS) में वेब तथा अन्य परिसंचालनों का उपयोग कर स्थानिक जानकारी का अनुप्रयोग, सूचनाओं को संसाधित एवं प्रसारित किया जाता है।
- यह उपयोगकर्त्ताओं के आँकड़ों के एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं परिणामों को अधिक-से-अधिक व्यक्तियों तक प्रसारित करने में मदद करता है तथा नीति निर्माताओं के लिये उपयुक्त आँकड़ों को उपलब्ध कराने में मदद करता है।
  - GIS ऐसी किसी भी जानकारी का उपयोग कर सकता है जिसमें स्थान शामिल है। स्थान को कई अलग-अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे- अक्षांश और देशांतर, पता या ज़िप कोड।
- GIS में लोगों से संबंधित आँकड़े जैसे- जनसंख्या, आय या शिक्षा का स्तर आदि डेटाशामिल हो सकता है।
  - इसमें कारखानों, खेतों, स्कूलों, तूफानों, सड़कों और विद्युत लाइनों आदि के संबंध में जानकारी भी शामिल हो सकती है।

नोट :

पर्सनैलिटी राईट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने किसी भी बॉलीवुड स्टार के नाम, छवि और आवाज़ के अवैध उपयोग को रोकने के लिये एक अंतरिम आदेश पारित किया।

- न्यायालय ने अपने आदेश के माध्यम से बड़े पैमाने पर व्यक्तियों को अभिनेता के पर्सनैलिटी राईट का उल्लंघन करने से रोक दिया है।

पर्सनैलिटी राईट (Personality Rights)

- व्यक्तित्त्व अधिकार एक व्यक्ति के निजता या संपत्ति के अधिकार के तहत उसके व्यक्तित्त्व की रक्षा करने के अधिकार को संदर्भित करता है।
- ये अधिकार मशहूर हस्तियों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि कंपनियाँ अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न विज्ञापनों में उनके नाम, फोटो/छवि या यहाँ तक कि आवाज़ का आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है।
- इसलिये अपने पर्सनैलिटी राईट की रक्षा के लिये प्रसिद्ध व्यक्तित्त्वों / मशहूर हस्तियों के लिये अपना नाम पंजीकृत करना आवश्यक है।
- अद्वितीय व्यक्तिगत विशेषताओं की एक बड़ी सूची एक सेलिब्रिटी के निर्माण में योगदान करती है। इन सभी विशेषताओं को संरक्षित करने की आवश्यकता है, जैसे नाम, उपनाम, मंच का नाम, चित्र, समानता, छवि और कोई पहचान योग्य व्यक्तिगत संपत्ति, जैसे कि एक विशिष्ट रेस कार।

प्रचार अधिकार और व्यक्तित्त्व अधिकार के बीच अंतर:

- **पर्सनैलिटी राईट में दो प्रकार के अधिकार शामिल हैं:**
  - पहला: प्रचार का अधिकार या बिना किसी अनुमति या बिना संविदात्मक मुआवज़े के छवि और व्यक्तित्त्व को व्यावसायिक रूप से शोषण से बचाने का अधिकार, यह वास्तव में ट्रेडमार्क के उपयोग के जैसा (लेकिन समान नहीं) है।
  - दूसरा: निजता का अधिकार या किसी के व्यक्तित्त्व को बिना अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का अधिकार।
- हालाँकि सामान्य कानून न्यायालयों के तहत, प्रचार अधिकार 'पासिंग ऑफ' के दायरे में आते हैं।
  - पासिंग ऑफ तब होता है जब कोई जानबूझकर या अनजाने में अपने सामान या सेवाओं को किसी अन्य पार्टी से संबंधित लोगों को पास किया जाता है।
  - अक्सर, इस प्रकार की गलत बयानी किसी व्यक्ति या व्यवसाय की सद्भावना को नुकसान पहुँचाती है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय प्रतिष्ठा को नुकसान होता है।

भारत में पर्सनैलिटी राईट:

- पर्सनैलिटी राईट की रक्षा के लिये भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 है जो गोपनीयता और निजता के अधिकार से संबंधित है।
- पर्सनैलिटी राईट की रक्षा करने वाले अन्य वैधानिक प्रावधानों में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 शामिल है।
- अधिनियम के अनुसार, नैतिक अधिकार केवल लेखकों और कलाकारों को दिये जाते हैं, जिनमें अभिनेता, गायक, संगीतकार और नर्तक शामिल हैं।
  - अधिनियम के प्रावधानों में कहा गया है कि लेखकों या कलाकारों को अपने काम का श्रेय देने या लेखकत्व का दावा करने का अधिकार है और दूसरों को अपने काम को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाने से रोकने का भी अधिकार है।
- भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 भी धारा 14 के तहत व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है, जो व्यक्तिगत नामों और अभ्यावेदनों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
- इसके अलावा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड केस (2011) में अपने फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या प्रसिद्धि वास्तविकता की तुलना में इंटरनेट पर अलग नहीं होगी।
  - अदालत ने यह भी कहा था कि यह नाम उस श्रेणी में भी आता है जिसमें एक व्यक्तिगत नाम होने के अलावा इसने अपनी खुद की विशिष्ट विशिष्टता भी प्राप्त की है।

उपभोक्ता अधिकारों के विषय में:

- यह बताया गया है कि मशहूर हस्तियों या उनके नाम को व्यावसायिक दुरुपयोग से संरक्षण प्राप्त हैं,परंतु मशहूर हस्तियों द्वारा झूठे विज्ञापन और उत्पाद अथवा सेवाओं के समर्थन उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं।
- ऐसे मामलों के कारण, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने वर्ष 2022 में भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता उत्पादों के समर्थन पर रोक लगाने के लिये प्रचारक पर जुर्माना संबंधी एक अधिसूचना जारी की है।

दिव्यांगजनों के लिये स्वास्थ्य समानता पर WHO की वैश्विक रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस (3 दिसंबर) से पहले, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने दिव्यांगजनों के लिये स्वास्थ्य समानता पर वैश्विक रिपोर्ट नामक एक रिपोर्ट जारी की है।

नोट :

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं ?

- **दिव्यांगता से संबंधित आँकड़े:**
  - वर्तमान में, दुनिया भर में लगभग 1.3 बिलियन लोग या छह में से एक व्यक्ति दिव्यांगता से पीड़ित हैं।
  - प्रणालीगत और लगातार स्वास्थ्य असमानताओं के कारण, कई दिव्यांग व्यक्तियों को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में बहुत पहले मरने का खतरा होता है - यहाँ तक कि यह अवधि 20 वर्ष पहले तक भी हो सकती है।
  - अनुमानित 80% दिव्यांग लोग सीमित संसाधनों के साथ कम और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, जिससे इन असमानताओं को संबोधित करना मुश्किल हो जाता है।
- **दिव्यांगता का खतरा:**
  - उन्हें अस्थमा, अवसाद, मधुमेह, मोटापा, दंत विकार और स्ट्रोक जैसी दीर्घकालिक बीमारियों के अनुबंध का दो गुना खतरा होता है।
  - स्वास्थ्य परिणामों में कई विसंगतियों हेतु अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, बल्कि रोकथाम योग्य, अनुचित और अन्यायपूर्ण परिस्थितियों को इसके लिये जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- **स्वास्थ्य देखभाल में असमानता संबंधी कुछ कारक:**
  - स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का प्रतिकूल दृष्टिकोण
  - गैर-बोधगम्य स्वास्थ्य जानकारी प्रारूप
  - शारीरिक बाधाएँ, परिवहन की कमी या वित्तीय बाधाएँ जो स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँच को बाधित करती हैं।

प्रमुख सिफारिशें:

- यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि दिव्यांग व्यक्ति समाज के सभी पहलुओं में पूरी तरह से और प्रभावी ढंग से भाग लें तथा चिकित्सा क्षेत्र में समावेश, पहुँच और गैर-भेदभाव सुनिश्चित किया जाए।
- स्वास्थ्य प्रणालियों को उन चुनौतियों को कम करना चाहिये जो दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सामना की जाती हैं।
  - सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में सभी के लिये स्वास्थ्य संबंधी समानता महत्त्वपूर्ण है;
    - समावेशी सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप जो विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से प्रशासित किये जाते हैं, स्वस्थ आबादी में योगदान कर सकते हैं; तथा
    - दिव्यांग व्यक्तियों के लिये स्वास्थ्य संबंधी समानता को आगे बढ़ाना स्वास्थ्य आपात स्थितियों में सभी की सुरक्षा के सभी प्रयासों का एक केंद्रीय घटक है।
  - सरकारों, स्वास्थ्य सह-भागीदारों और नागरिक समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी कार्यों में दिव्यांगजनों को प्रतिभागी बनाया किया जाए ताकि वे स्वास्थ्य के उच्चतम मानक के अपने अधिकार का लाभ उठा सकें।

दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिये हाल की कुछ प्रमुख पहलें

- **भारत में:**
  - विशिष्ट नि:शक्तता पहचान पोर्टल (Unique Disability Identification Portal)
  - दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (Rights of Persons with Disabilities Act) 2016
  - सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign)
  - दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DeenDayal Disabled Rehabilitation Scheme)
  - दिव्यांगजनों के लिये सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग में सहायता की योजना (Assistance to Disabled Persons for Purchase/fitting of Aids and Appliances)
  - दिव्यांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप (National Fellowship for Students with Disabilities)
- **विश्व स्तर पर:**
  - एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिये 'अधिकारों को साकार करने' हेतु इंचियोन कार्यनीति (Incheon Strategy to "Make the Right Real" for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific)।
  - दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय(United Nations Convention on Rights of Persons with Disability)।
  - अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस (International Day of Persons with Disabilities)
  - दिव्यांगजनों के लिये संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत (UN Principles for People with Disabilities)

पराली दहन

चर्चा में क्यों ?

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management- CAQM) के अनुसार राष्ट्रीय

नोट :

राजधानी क्षेत्र में पराली जलाने की घटना में वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में 31.5% की कमी आई है।

- वर्ष 2021 की तुलना में, वर्ष 2022 में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने में क्रमश: 30%, 47.60% और 21.435% की कमी आई है। यह आकलन नासा (National Aeronautics and Space Administration-NASA) के उपग्रहों से मिली जानकारी पर आधारित है।

पराली दहन में कमी के कारण:

- राज्य सरकारों ने स्व-स्थाने और बाह्य-स्थाने पराली प्रबंधन को अपनाने के साथ-साथ पराली नहीं जलाने वाले किसानों को सम्मानित करने के लिये एक विशेष अभियान चलाया।
- पराली का स्व-स्थाने प्रबंधन: उदाहरण के लिए, ज़ीरो-टिलर मशीन द्वारा फसल अवशेषों का प्रबंधन और बायो-डीकंपोज़र (जैसे, पूसा बायो-डीकंपोज़र) का उपयोग।
- बाह्य-स्थाने (ऑफ-साइट) प्रबंधन: उदाहरण के लिए, मवेशियों के चारे के रूप में चावल के भूसे का उपयोग।
- लगभग 10 मिलियन टन पराली का निपटान स्व-स्थाने प्रबंधन के माध्यम से किया गया था, जो पंजाब में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25% अधिक है।
  - इसी तरह 1.8 मिलियन टन पराली का प्रबंधन बाह्य-स्थाने प्रबंधन के माध्यम से किया गया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33% अधिक है।
- पंजाब ने तीन वर्ष के लिये कार्ययोजना बनाई थी, जिसे केंद्र सरकार के साथ साझा किया गया है।

पराली दहन (Stubble Burning):

- **परिचय:**
- पराली दहन, अगली फसल बोने के लिये फसल के अवशेषों को खेत में जलाने की क्रिया है।
- इसी क्रम में सर्दियों की फसल (रबी की फसल) की बुवाई हरियाणा और पंजाब के किसानों द्वारा कम अंतराल पर की जाती है तथा अगर सर्दी की छोटी अवधि के कारण फसल बुवाई में देरी होती है तो उन्हें काफी नुकसान हो सकता है, इसलिये पराली दहन पराली की समस्या का सबसे सस्ता और तीव्र तरीका है।
- पराली दहन की यह प्रक्रिया अक्तूबर के आसपास शुरू होती है और नवंबर में अपने चरम पर होती है, जो दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी का समय भी है।
- **पराली दहन का प्रभाव:**
  - **प्रदूषण:**
    - खुले में पराली दहन से वातावरण में बड़ी मात्रा में ज़हरीले प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं जिनमें मीथेन (CH_4), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC) और कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन जैसी हानिकारक गैसें होती हैं।
    - वातावरण में छोड़े जाने के बाद ये प्रदूषक वातावरण में फैल जाते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से गुज़र सकते हैं तथा अंतत: स्मॉग (धूम्र कोहरा) की मोटी चादर बनाकर मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
  - **मृदा की उर्वरता:**
    - भूसी को ज़मीन पर दहन से मृदा के पोषक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे इसकी उर्वरकता कम हो जाती है।
  - **गर्मी उत्पन्न होना:**
    - पराली दहन से उत्पन्न गर्मी मृदा में प्रवेश करती है, जिससे नमी और उपयोगी रोगाणुओं को नुकसान होता है।
- **पराली दहन के विकल्प:**
  - पराली का स्व-स्थाने (In-Situ) प्रबंधन: ज़ीरो-टिलर मशीनों और जैव-अपघटकों के उपयोग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन।
  - इसी प्रकार बाह्य-स्थाने (Ex-Situ) प्रबंधन: जैसे मवेशियों के चारे के रूप में चावल के भूसे का उपयोग करना।
  - प्रौद्योगिकी का उपयोग: उदाहरण के लिये टर्बो हैप्पी सीडर (Turbo Happy Seeder-THS) मशीन, जो पराली को जड़ समेत उखाड़ फेंकती है और साफ किये गए क्षेत्र में बीज बोवाई सकती है। इसके बाद पराली को खेत के लिये गीली घास के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
  - फसल पैटर्न बदलना: यह अधिक मौलिक समाधान है।
  - बायो एंज़ाइम-पूसा: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (Indian Agriculture Research Institute) ने बायो एंज़ाइम-पूसा (bio enzyme-PUSA) के रूप में एक परिवर्तनकारी समाधान पेश किया है।
    - यह अगले फसल चक्र के लिये उर्वरक के खर्च को कम करते हुए जैविक कार्बन और मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि करता है।
- **अन्य कार्ययोजना:**
  - पंजाब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) ने कृषि पराली दहन की समस्या से निपटने हेतु वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दी गई रूपरेखा के आधार पर निगरानी के लिये विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है।

नोट :

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Air Quality Management Commission- CAQM):

- CAQM राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
  - इससे पहले आयोग का गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश, 2021 की घोषणा के माध्यम से किया गया था।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 ने वर्ष 1998 में NCR में स्थापित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) को भी भंग कर दिया।
- यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिये वायु गुणवत्ता सूचकांक के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान एवं इससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों हेतु स्थापित किया गया है।

आगे की राह:

- जैसा कि हम जानते हैं, पराली दहन से उपयोगी कच्चा माल नष्ट हो जाता है, वायु प्रदूषित हो जाती है, श्वसन संबंधी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ जाता है। इसलिये समय की मांग है कि पराली का पशु आहार के रूप में रचनात्मक उपयोग किया जाए तथा टर्बो-हैप्पी सीडर मशीन एवं बायो-डीकंपोज़र आदि जैसे विभिन्न विकल्पों को सक्षम करके प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए।
- कागज और कार्डबोर्ड सहित उत्पाद बनाने के लिये पराली को पुनर्चक्रीकरण किया जा सकता है।
- साथ ही इसे खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, दिल्ली के बाहर पल्ला गाँव में नंदी फाउंडेशन ने किसानों से 800 मीट्रिक टन धान के अवशेषों को खाद में बदलने के लिये खरीदा।
- फसल अवशेषों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे चारकोल गैसीकरण, विद्युत उत्पादन, जैव-इथेनॉल के उत्पादन के लिये औद्योगिक कच्चे माल के रूप में भी किया जा सकता है।

विझिंजम बंदरगाह परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अडानी समूह ने केरल उच्च न्यायालय में विझिंजम में बंदरगाह निर्माण स्थल पर सुरक्षा बलों को भेजने के लिये याचिका दायर की, जो हिंसक मछुआरों के विरोध से बाधित हो रहा है।

विझिंजम बंदरगाह परियोजना

- **परिचय:**
  - यह 7,525 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजना है, जिसे केरल के तिरुवनंतपुरम के पास विझिंजम में अडानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership- PPP) मॉडल के तहत बनाया जा रहा है।
  - इसके निर्माण की समय सीमा दिसंबर 2015 निर्धारित की गई थी और तब से इसके पूरा होने की समय सीमा से समाप्त हो गई है।
  - बंदरगाह में 30 बर्थ हैं, जो विशाल "मेगामैक्स" कंटेनर जहाज़ों को संभालने में सक्षम होंगे।
- **महत्त्व:**
  - ऐसा माना जाता है कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के करीब स्थित अल्ट्रामॉडर्न पोर्ट, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ इस स्थान का सामरिक महत्त्व भी है।
  - ट्रांस-शिपमेंट ट्रैफिक के संदर्भ में यह बंदरगाह कोलंबो, सिंगापुर और दुबई के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम है।
  - बंदरगाह के लाभों में तट के एक समुद्री मील के भीतर 20-मीटर समोच्च होना, तट के किनारे कोई बहाव नहीं होना, रखरखाव के लिये कम आवश्यकता, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रेल तथा सड़क नेटवर्क से कनेक्शन एवं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन से निकटता शामिल है।

मछुआरों के विरोध का कारण:

- मछुआरे पिछले चार महीनों से इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, उनका आरोप है कि इसके निर्माण से बड़े पैमाने पर समुद्री कटाव हो रहा है, जिससे उनकी आजीविका और आवास का ह्रास हो रहा है।
- उनकी मांग हैं कि एक प्रभावी अध्ययन किया जाए और अध्ययन रिपोर्ट आने तक परियोजना को निलंबित रखा जाए।
- मछुआरा समुदाय ने छह अन्य मांगें भी रखी हैं:
  - तटीय क्षरण में अपना घर गँवाने वाले परिवारों का पुनर्वास
  - तटीय क्षरण को कम करने के लिये प्रभावी कदम
  - मौसम की चेतावनी जारी किये जाने वाले दिनों में मछुआरों को वित्तीय सहायता
  - मत्स्यन की दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवज़ा
  - सब्सिडी युक्त केरोसिन
  - तिरुवनंतपुरम ज़िले के अंचुथेंगु में मुथलप्पोझी बंदरगाह को साफ करने हेतु एक तंत्र की स्थापना।

नोट :

- केरोसिन सब्सिडी की मांग यह कहकर की गई है कि इस परियोजना के कारण मछुआरों को मत्स्यन के लिये गहरे समुद्र में जाना पड़ता है, जिससे ईंधन लागत का बोझ बढ़ जाता है।

धारावी पुनर्विकास परियोजना

चर्चा में क्यों ?

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने धारावी पुनर्विकास परियोजना के कारण माहिम राष्ट्रीय उद्यान के हटाये जाने के संबंध में दाखिल जनहित याचिका पर धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राधिकरण से जवाब मांगा है।

- माहिम राष्ट्रीय उद्यान भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत एक संरक्षित वन है।

धारावी पुनर्विकास परियोजना:

- धारावी पुनर्विकास परियोजना मुंबई के स्लम (झुग्गी-झोपड़ी) इलाके का नवीनीकरण है।
- इस परियोजना पर पहली बार वर्ष 2004 में विचार किया गया था परंतु विभिन्न कारणों से इस पर कभी काम नहीं हुआ।
  - हाल ही में अदानी ग्रुप को इस परियोजना का कार्यभार मिला।
- 68,000 व्यक्तियों, जिनमें झुग्गियों में रहने वाले और व्यवसाय करने वाले लोग शामिल हैं, को स्थानांतरित किया जाना आपेक्षित है।
- पुनर्वास निर्माण में 23,000 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है।
  - इसके क्रियान्वयन हेतु SPV में अडानी की 80% इक्विटी होगी, जबकि राज्य सरकार की 20% हिस्सेदारी होगी।
- एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) का गठन किया जाना है, जिसमें अडानी प्रमुख भागीदार होंगे।
- SPV के माध्यम से पात्र झुग्गी निवासियों के लिये मुफ्त आवास का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पानी और बिजली की आपूर्ति, सीवेज निपटान, पाइप गैस आदि जैसी सुविधाएँ और बुनियादी ढाँचे शामिल होंगे।

धारावी

- धारावी एशिया में झुग्गी बस्तियों का सबसे बड़ा समूह है। यह मुंबई के ठीक मध्य में स्थित है।
- यह 300 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें से 240 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार ने परियोजना हेतु अधिसूचित किया है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1882 में ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी।
  - 18वीं शताब्दी के दौरान, जब मुंबई के शहरीकरण की प्रक्रिया चल रही उस समय में वहाँ गैर-नियोजित क्षेत्रों में वृद्धि होने लगी थी।
- धारावी में लगभग .50 मिलियन लोग रहते हैं।
  - वर्तमान में अनुमानत: 56,000 परिवारों के अलावा, यहाँ मिट्टी के बर्तनों से लेकर चमड़े के काम तक हज़ारों छोटे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान विद्यमान हैं।
  - लेकिन यहाँ के जनसंख्या घनत्त्व और विभिन्न मूलभूत सुविधाओं की कमी को देखते हुए लोगों के जीवन-यापन की स्थिति बहुत अधिक खराब है।

शहरी विकास से संबंधित हाल की पहल

- शहरी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (AMRUT/अमृत)
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)
- जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन ढाँचा 2.0
- ट्यूलिप/ TULIP -द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम
- आत्मनिर्भर भारत अभियान (आत्मनिर्भर भारत)

भारतीय राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा: ई-संजीवनी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी द्वारा 8 करोड़ टेली-परामर्श प्रदान किये गए।

- पिछले 1 करोड़ परामर्श लगभग 5 सप्ताह की उल्लेखनीय समय सीमा में उपलब्ध कराए गए।

ई-संजीवनी:

- **परिचय:**
  - ई-संजीवनी देश के डॉक्टरों के मध्य टेलीमेडिसिन सेवा है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक प्रत्यक्षत: परामर्श का विकल्प प्रदान करती है।
  - ई-संजीवनी आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का महत्त्वपूर्ण अंग है और ई-संजीवनी एप्लिकेशन के माध्यम से 45,000 से अधिक आभा संख्या जारी की गई हैं।
  - इसका उपयोग करने वाले दस अग्रणी राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, तेलंगाना और गुजरात।
- **दो कार्यक्षेत्र:**
  - आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र:
    - यह टेली-परामर्श के माध्यम से ग्रामीण और शहरी डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा के अंतर को कम करने प्रयास करता है।
    - यह आयुष्मान भारत योजना के तहत ई-लाभार्थियों का समुचित लाभ सुनिश्चित करता है ।

नोट :

- यह कार्यक्षेत्र हब-एंड-स्पोक मॉडल पर काम करता है, जिसमें राज्य स्तर पर स्थापित HWCs स्पोक के रूप में कार्य करते हैं और आंचलिक स्तर पर हब (MBBS/ स्पेशलिटी/सुपर-स्पेशलिटी डॉक्टरों को शामिल करते हुए) के साथ समन्वित किये जाते हैं।
- इस मॉडल को 1,09,748 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों तथा 14,188 हब में सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इस प्रकार कुल 7,11,58,968 टेली-परामर्श प्रदान किये गए हैं।

ई-संजीवनी OPD:

- यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नागरिकों को शामिल करता है।
- यह स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप के माध्यम से प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, जिससे डॉक्टर के परामर्श को रोगी के निवास स्थान की परवाह किये बिना कहीं भी सुलभ बनाया जा सकता है।
- ई-संजीवनी OPD ने 2,22,026 विशेषज्ञों, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया है और उन्हें इसमें शामिल किया है।
- इस प्लेटफॉर्म का एक दिन में 4.34 लाख से अधिक मरीजों की सेवा करने का प्रभावशाली रिकॉर्ड है।
- ई-संजीवनी OPD- स्टे होम OPD को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) मोहाली द्वारा विकसित किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology- MeitY) का एक प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है।

महत्त्व:

- ये प्लेटफॉर्म ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों के लिये गेमचेंजर हो सकते हैं, जिनकी शहरों में स्थित चिकित्सा विशेषज्ञों तक आसान पहुँच नहीं है।
- टेलीमेडिसिन समय और लागत बचाता है। इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म सरकार के 'डिजिटल इंडिया' के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं और कोविड-19 जैसी स्थितियों से निपटने के लिये आवश्यक हैं।

कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) ने दूरसंचार नेटवर्क में "कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (Calling Name Presentation- CNAP) का परिचय" पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन:

- यह सुविधा कॉल किये गए व्यक्ति को कॉलिंग पार्टी ('ट्रूकॉलर'/ Truecaller और 'भारत कॉलर आईडी और एंटी-स्पैम' के समान) के बारे में जानकारी प्रदान करेगी।
- इसके पीछे विचार यह सुनिश्चित करना है कि टेलीफोन ग्राहक को आने वाली कॉलों के बारे सही में जानकारी उपलब्ध हो ताकि वे अज्ञात या स्पैम कॉलर्स द्वारा उत्पीड़न को रोकने में सक्षम हो सके।

उद्देश्य:

- मौजूदा प्रौद्योगिकियाँ कॉल प्राप्तकर्त्ता के हैंडसेट पर कॉल करने वाले का नंबर रूप में जानकारी प्रस्तुत करती हैं।
- चूँकि ग्राहकों को कॉल करने वाले का नाम और पहचान नहीं स्पष्ट हो पाती है, यह मानते हुए कि यह अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स द्वारा अवांछित और व्यावसाय संबंधी कॉल हो सकता है, ग्राहक कभी-कभी उनका जवाब नहीं देने का विकल्प चुनते हैं। इससे वास्तविक/ जरुरी कॉल भी अनुत्तरित हो सकती हैं।
- ट्रूकॉलर/Truecaller की 'ग्लोबल स्पैम और स्कैम रिपोर्ट, 2021' से पता चला है कि भारत में हर महीने प्रति उपयोगकर्ता स्पैम कॉल की औसत संख्या 16.8 थी, जबकि अकेले अक्तूबर 2022 में इसके उपयोगकर्त्ताओं द्वारा प्राप्त कुल स्पैम कॉल्स की संख्या 3.8 बिलियन से अधिक थी।

चुनौतियाँ:

- **विलंबता:**
  - ऐसे में कॉल करने में लगने वाले समय में वृद्धि होने की संभावना रहती है।
  - तेज़ वायरलेस नेटवर्क (4G या 5G) से तुलनात्मक रूप से धीमे (2G या 3G) नेटवर्क पर स्विच करने पर कॉल आने या जाने संबधी लगने वाला समय प्रभावित हो सकता है।
- **गोपनीयता:**
  - यह विशेष रूप से स्पष्ट नहीं है कि CNAP तंत्र कॉलर के गोपनीयता के अधिकार को कैसे संतुलित करेगा, जो निजता के अधिकार का एक अनिवार्य घटक है।
  - इसे परिप्रेक्ष्य में एक व्यक्ति कई कारणों से गुमनाम रहने का विकल्प चुन सकता है, उदाहरण के लिये व्हिसल-ब्लोअर या कर्मचारियों को परेशान किया जाना।

नोट :

- यह आदर्श होगा कि डेटा को होस्ट और साझा करने के लिये किसी तीसरे पक्ष द्वारा संचालित केंद्रीकृत डेटाबेस को पूछने के बजाय एक ढाँचा विकसित किया जाए।

आगे की राह:

- एक बार तंत्र (स्पैमर्स की पहचान करने और चिह्नित करने के लिये) बन जाने के बाद सैकड़ों लोग इसका उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं तभी तंत्र का सार्थक प्रभाव होगा। सिर्फ पहचान जाहिर करने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा।
- एक प्रभावी तंत्र के साथ इंटरफेस उपयोगकर्त्ता के अनुकूल होना चाहिये। ग्राहकों की सक्रिय भागीदारी से यह सुनिश्चित होगा कि स्पैमर्स की सही पहचान हो गई है और वे आगे कॉल करने में असमर्थ हैं।
- सरकार को डिजिटल साक्षरता में भी निवेश करना चाहिये, नागरिकों को नेविगेट करने और तकनीक का बेहतर उपयोग करने के लिये कुशल बनाना चाहिये, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वे अपने डेटा को अंधाधुंध रूप से साझा न करें और वित्तीय धोखाधड़ी एवं स्पूफिंग जैसे खतरों के बारे में भी उन्हें सूचित किया जाए।

एक ज़िला एक उत्पाद और डिस्ट्रिक्ट ऐज़ एक्सपोर्ट हब पहल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक ज़िला एक उत्पाद (One District One Product -ODOP) और 'डिस्ट्रिक्ट ऐज़ एक्सपोर्ट हब (DEH)' पहल का विलय कर दिया गया है।

एक ज़िला एक उत्पाद:

- **परिचय:**
  - ODOP, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (PMFME) योजना के औपचारिकरण के अंतर्गत अपनाया गया एक दृष्टिकोण है।
  - यह PMFME योजना के बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने और मूल्य शृंखला हेतु रूपरेखा के संरेखण के लिये रूप-रेखा प्रदान करेगा। एक ज़िले में ODOP उत्पादों के एक से अधिक समूह हो सकते हैं।
  - एक राज्य में एक से अधिक निकटवर्ती ज़िलों को मिलाकर ODOP उत्पादों का एक समूह बनाया जा सकता है।
  - राज्य मौजूदा समूहों और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ज़िलों के लिये खाद्य उत्पादों की पहचान करेंगे।
  - ODOP जल्द खराब होने वाली उपज आधारित या अनाज आधारित या एक क्षेत्र में व्यापक रूप से उत्पादित खाद्य पदार्थ जैसे, आम, आलू, अचार, बाजरा आधारित उत्पाद, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि हो सकता है।
  - इस योजना के तहत अपशिष्ट से धन उत्पादों सहित कुछ अन्य पारंपरिक और नवीन उत्पादों को सहायता प्रदान की जा सकती है।
    - उदाहरण के लिये आदिवासी क्षेत्रों में शहद, लघु वन उत्पाद, पारंपरिक भारतीय हर्बल खाद्य पदार्थ जैसे हल्दी, आँवला, आदि।
- **महत्त्व:**
  - क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाने से तुलनात्मक लाभ वाले ज़िलों में विशिष्ट कृषि उत्पादों के विकास में मदद मिलेगी।
  - इससे सामान्य सुविधाएँ और अन्य सहायता सेवाएँ प्रदान करने में आसानी होगी।

ODOP की उपलब्धियाँ:

- ODOP गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस बाज़ार (GEM) अगस्त 2022 में देश भर में ODOP उत्पादों की बिक्री और खरीद को बढ़ावा देने के लिये 200 से अधिक उत्पाद श्रेणियों के साथ लॉन्च किया गया था।
- ODOP उत्पादों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे विश्व आर्थिक मंच के दावोस शिखर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IYD) आदि में प्रदर्शित किया गया।
- समग्र विकास में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिये ODOP पहल की पहचान की गई थी।
- **DEH से संबंधित होना:**
  - राज्य निर्यात संवर्द्धन समिति (SEPC) और ज़िला निर्यात संवर्द्धन समिति (DEPC) का गठन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (UT) में किया गया है।
  - देश भर के 734 ज़िलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों/सेवाओं की पहचान की गई है।
  - 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य निर्यात रणनीति तैयार की गई है
  - 570 ज़िलों के लिये ज़िला निर्यात कार्य योजना (DEAP) का मसौदा तैयार किया गया है
  - विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा सभी ज़िलों में DEAP की प्रगति की निगरानी के लिये एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है।

नोट :

'निर्यात हब के रूप में ज़िले' पहल क्या है ?

- DEH का उद्देश्य प्रत्येक ज़िले को निर्यात केंद्र में बदलना है जिसके लिये वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, DGFT के माध्यम से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ काम कर रहा है।
- इस पहल के हिस्से के रूप में, DEPC के रूप में प्रत्येक ज़िले में एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जा रहा है जिसकी अध्यक्षता ज़िला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/ज़िला विकास अधिकारी और विभिन्न अन्य हितधारक इसके सदस्य के रूप में कर सकते हैं।
- DEPC का प्राथमिक कार्य केंद्र, राज्य और ज़िला स्तर के सभी संबंधित हितधारकों के सहयोग से DEAP तैयार करना और उस पर कार्रवाई करना होगा।
- DEAP में ज़िले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों (वस्तुओं और सेवाओं) की स्पष्ट पहचान शामिल होगी। इसमें शामिल हो सकते हैं:
  - संस्थागत / अन्य ज़िम्मेदारियाँ
  - नीति, विनियामक और परिचालन सुधार एवं बुनियादी ढाँचे/उपयोगिताओं/रसद हस्तक्षेपों की विशिष्टताएँ
  - आयात निर्यात औपचारिकताएँ
  - भौगोलिक संकेतक (Geographical Identification- GI) उत्पादन, पंजीकरण, विपणन और इसके निर्यात में बाधाओं/मुद्दों की पहचान।

पीएम स्वनिधि योजना की अवधि बढ़ाई गई

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की अवधि को मार्च, 2022 से आगे बढ़ाया गया है।

विस्तारित योजना के लिये प्रावधान:

- दिसंबर 2024 तक ऋण अवधि का विस्तार।
- क्रमश: ₹10,000 और ₹20,000 के पहले और दूसरे ऋण के अलावा ₹50,000 तक के तीसरे ऋण की शुरुआत।
- देश भर में पीएम स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिये 'स्वनिधि से समृद्धि' घटक का विस्तार।
  - स्वनिधि से समृद्धि' को जनवरी, 2021 में 'पीएम स्वनिधि' लाभार्थियों और उनके परिवारों के सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल को चिह्नित करने हेतु लॉन्च किया गया था।

पीएम स्वनिधि योजना:

- **परिचय:**
  - प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन-II के एक हिस्से के रूप में घोषित किया गया था।
  - इसे 1 जून, 2020 से लागू किया गया था, ताकि उन स्ट्रीट वेंडरों को उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिये किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जा सके, जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।
    - अब तक कुल 13,403 वेंडिंग ज़ोन की पहचान की जा चुकी है।
    - दिसंबर, 2024 तक 42 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाना है।
- **वित्तपोषण:**
  - यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है अर्थात यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित योजना है, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :
    - कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना
    - नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना तथा
    - डिजिटल लेनदेन हेतु पुरस्कृत करना
- **महत्त्व:**
  - यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिये आर्थिक विकास के नए अवसर प्रदान करेगी।
- **पात्रता:**
  - **राज्य और केंद्र शासित प्रदेश:**
    - यह योजना केवल उन्हीं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिये उपलब्ध है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजना अधिसूचित की है।
    - हालाँकि मेघालय के लाभार्थी जिसका अपना स्टेट स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, भाग ले सकता है।
- **स्ट्रीट वेंडर्स:**
  - यह योजना शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स (पथ में वस्तु और सेवा के विक्रेताओं) के लिये उपलब्ध है।
    - इससे पहले यह योजना 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिये उपलब्ध थी।

ज़िला कलेक्टर की भूमिका के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी (दिल्ली स्थित स्वतंत्र थिंक-टैंक) ने अपनी पुस्तक "फ्रॉम रूल बाई लॉ टू द रूल ऑफ लॉ" में ज़िला कलेक्टर/ज़िला मजिस्ट्रेट की भूमिका में सुधार संबंधी सुझाव दिया।

नोट :

ज़िला कलेक्टर/ज़िला मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार:

- भूमि और राजस्व प्रशासन का प्रमुख।
- ज़िला स्तर पर कार्यकारी प्रमुख के रूप में कानून और व्यवस्था, सुरक्षा और पुलिस संबंधी मामले लाइसेंसिंग और नियामक प्राधिकरण (जैसे शस्त्र अधिनियम), चुनाव के संचालन, आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक सेवा वितरण का समग्र पर्यवेक्षण करने के साथ और मुख्य सूचना एवं शिकायत निवारण अधिकारी।
- जिलाधिकारी आपातकाल के समय में ज़िले में सशस्त्र बलों को तैनात व मार्गदर्शन करते हैं।
- इसके अंतर्गत ज़िले में शस्त्र, विस्फोटक, सिनेमैटोग्राफी अधिनियम आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार के लाइसेंस जारी करता है।
- कई राज्यों में, कलेक्टर ही ज़िले में जेलों और किशोर गृहों के उचित प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार समग्र पर्यवेक्षी प्राधिकरण है।
- उन्हें विशेष सुरक्षा/अपराध विरोधी कानूनों के तहत हिरासत आदेश/हिरासत वारंट जारी करने का अधिकार भी है।

ज़िला कलेक्टर की भूमिका के पुनर्गठन की आवश्यकता:

- आधुनिक संविधान होने के बावजूद भारतीय कानूनी प्रणाली में अभी भी औपनिवेशिक सत्ता के अवशेष हैं।
- ज़िला कलेक्टर के पदों का नाम देश में अलग-अलग स्थानों पर भिन्न होता है जो इसकी भूमिका और ज़िम्मेदारियों से संबंधित भ्रम पैदा करता है।
  - ज़िला कलेक्टर का पद अखिल भारतीय सेवाओं के दायरे में आता है इसलिये नाम पूरे भारत में एक समान होना चाहिये।
- विभिन्न नामकरण ब्रिटिश-प्रशासित भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विविध प्रशासनिक विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- स्थानीय शासी निकायों को शक्तियों और ज़िम्मेदारियों के हस्तांतरण की कमी शासन को अस्थिर करने में निहित हित का संकेत है।
- संविधान के अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि "राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिये राज्य कदम उठाएगा।"

निष्कर्ष:

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (Second Administrative Reforms Commission- ARC) की 15वीं रिपोर्ट में ज़िला प्रशासन को शामिल किया गया था।
- पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की संवैधानिक रूप से अनिवार्य स्थापना के बाद ज़िला प्रशासन के कार्य का पुनर्मूल्यांकन और पुन: परिभाषित करना अब महत्त्वपूर्ण हो गया है।
  - हालाँकि इस बात पर बल दिया गया है कि कई राज्यों में पंचायती राज संस्थानों (जिन्हें "पीआरआई" के रूप में भी जाना जाता है) की शुरुआत ने ज़िला कलेक्टरों की भूमिका को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने तक सीमित कर दिया है।
  - स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने के हस्तांतरण के रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिये 15वीं ARC रिपोर्ट द्वारा इस व्यवस्था पर ज़ोर दिया गया है। इन सबके लिये ज़िला स्तर पर प्रशासनिक तंत्र के संपूर्ण पुनर्गठन की आवश्यकता है।

अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में संशोधन हेतु विधेयक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 4 राज्यों - तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति (ST) सूची को संशोधित करने की मांग करने वाले चार विधेयकों को संविधान (ST) आदेश, 1950 में प्रस्तावित संशोधनों के माध्यम से लोकसभा में पेश किया गया था।

प्रस्तावित परिवर्तन:

- **विधेयक का उद्देश्य:**
  - तमिलनाडु की ST सूची में नारीकोरवन और कुरुविक्करन पहाड़ी जनजातियों को शामिल करना।
    - लोकुर समिति (1965) ने भी अपनी रिपोर्ट में उन्हें सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी।
  - कर्नाटक की ST सूची में पहले से ही वर्गीकृत काडू कुरुबा के पर्याय के रूप में बेट्टा-कुरुबा को शामिल करना।
  - छत्तीसगढ़ की ST सूची में पहले से वर्गीकृत भारिया भूमिया जनजाति के लिये देवनागरी लिपि में अन्य समानार्थक शब्द जोड़ना।
    - जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार, वे सभी एक ही जनजाति का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें सूची से बाहर रखा गया था क्योंकि उनके नाम अलग-अलग हैं।
  - सिरमौर ज़िले में ट्रांस-गिरि क्षेत्र के हट्टी समुदाय को हिमाचल प्रदेश की ST सूची में शामिल करना (लगभग पाँच दशकों के बाद)।

ST सूची में शामिल करने की प्रक्रिया:

- **राज्य द्वारा सिफारिश:**
  - जनजातियों को ST की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिश से शुरू होती है, जिसे बाद में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है, जो समीक्षा करता है और अनुमोदन के लिये भारत के महापंजीयक को इसे प्रेषित करता है।

नोट :

- NCST से मंज़ूरी: इसके बाद सूची को अंतिम निर्णय के लिये कैबिनेट को भेजे जाने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes- NCST) द्वारा मंज़ूरी दी जाती है।
- राष्ट्रपति की सहमति: अंतिम निर्णय करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है (अनुच्छेद 342 के तहत)।
  - अनुसूचित जनजाति में किसी भी समुदाय को शामिल करने की प्रक्रिया संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद ही प्रभावी होती है।

भारत में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान

- **परिभाषा:**
  - भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को परिभाषित नहीं करता है। वर्ष 1931 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों को "बहिष्कृत" और "आंशिक रूप से बहिष्कृत" क्षेत्रों में रहने वाली "पिछड़ी जनजातियों" के रूप में मान्यता जाना जाता है।
  - भारत सरकार अधिनियम 1935 ने पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं में "पिछड़ी जनजातियों" के प्रतिनिधियों को शामिल किये जाने की मांग की।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - अनुच्छेद 366 (25): इसमें अनुसूचित जनजातियों को "ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी जातियों और आदिवासी समुदायों के भाग या उनके समूह के रूप में, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिये अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियाँ माना गया है" परिभाषित किया है।
  - अनुच्छेद 342(1): राष्ट्रपति किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में (राज्य के मामले में राज्यपाल के परामर्श के बाद) उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जनजातियों/जनजातीय समुदायों/जनजातियों/जनजातीय समुदायों के कुछ भागों या समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है।
  - पाँचवीं अनुसूची: यह 6वीं अनुसूची में शामिल राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु प्रावधान निर्धारित करती है।
  - छठी अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
- **वैधानिक प्रावधान:**
  - अस्पृश्यता के विरुद्ध नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
  - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
  - पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996
  - अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006।

17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक (APRM) आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु:

- यह एशिया, प्रशांत और अरब देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को एकजुट करता है।
- 17वें APRM के चार प्रमुख विषयगत क्षेत्र हैं:
  - समावेशी, टिकाऊ और लचीले मानव-केंद्रित रिकवरी हेतु एकीकृत नीति एजेंडा
  - औपचारिक और सम्मानजनक कार्य की ओर प्रस्थान की सुविधा के लिये संस्थागत ढाँचा
  - सामाजिक और रोज़गार संरक्षण के लिये मज़बूत नींव
  - अधिक और बेहतर नौकरियों के लिये उत्पादकता में वृद्धि और कौशल को विकसित करना
- यह बैठक 'सिंगापुर स्टेटमेंट' के लॉन्च के साथ संपन्न हुई।
  - यह स्टेटमेंट आने वाले वर्षों में ILO के समर्थन के साथ राष्ट्रीय कार्रवाई के लिये संबद्ध क्षेत्र के लक्ष्यों के ILO घटकों के बीच एक साझा दृष्टि प्रदान करता है।
  - यह स्टेटमेंट ILO मौलिक सम्मेलनों की पुष्टि करने और प्रभावी सामाजिक संवाद करने हेतु सरकार, नियोक्ता और कार्यकर्त्ता प्रतिनिधियों की क्षमताओं को और मज़बूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
  - यह ILO सदस्य देशों से आग्रह करता है कि वे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की पुष्टि करने और प्रभावी ढंग से लागू करने पर विचार करें, अनौपचारिक से औपचारिक क्षेत्र में परिवर्तन में तेज़ी लाने का प्रयास करें और प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये शासन संबंधी संरचनाओं को और मज़बूत बनाएँ।
  - यह स्टेटमेंट वैश्विक सामाजिक न्याय गठबंधन के विकास की दिशा में सहयोग में संलग्न होने के लिये संबद्ध क्षेत्रों में सरकारों और सामाजिक भागीदारों की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करता है।

नोट :

- यह न्यायोचित संक्रमण(ट्रांजीशन) का भी आह्वान करता है जो जलवायु परिवर्तन की स्थिति में पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के निर्माण में मदद करता है।

भारत की आलोचना के बिंदु

- **श्रम नीति का पुनर्मूल्यांकन:**
  - भारत की नई श्रम संहिता श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौतों का उल्लंघन करती हैं एवं नियोक्ताओं को खुली छूट देती है क्योंकि नई संहिता के माध्यम से निरीक्षण की शक्ति नियोक्ताओं को प्रदान की गई है।
- **अन्य चिंताएँ:**
  - उत्पादकता वृद्धि में गिरावट का श्रमिकों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (MSMEs) की स्थिरता, अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
  - भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और देश भर में स्टार्ट-अप एवं छोटे व्यवसायों के साथ तकनीकी तथा उद्यमशीलता में तेज़ी देख रहा है। हालाँकि 90% कार्यबल असंगठित क्षेत्र से संबंधित है जो कम वेतन वाली नौकरियों एवं खराब कार्यस्थल संबंधी चुनौतियो का सामना करते हैं।

भारत के संदर्भ में सुझाव:

- **नया सामाजिक अनुबंध:**
  - सरकारों और नियोक्ताओं के साथ, विशेष रूप से राष्ट्रीय स्तर पर एक अनुबंध।
  - यह सभी के लिये अच्छी नौकरियों की उपलब्धता; सभी के अधिकारों का सम्मान; न्यूनतम मज़दूरी सहित उचित मज़दूरी; पर्याप्त और आसानी से उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा; समानता, सम्मान; समावेशिता को
- **उत्पादकता में वृद्धि:**
  - उत्पादकता वृद्धि से आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोज़गार तथा उचित काम के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।
  - निरंतर कौशल चुनौतियों को पहचानना और प्रभावी एवं मांग-संचालित कौशल विकास से सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को रोज़गार, सतत् विकास, उत्पादकता वृद्धि और आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाने से लाभ होता है।
    - डिजिटल स्किल्स, कोर स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स का बेहतर इस्तेमाल किया जाना चाहिये।
- **असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की पहचान:**
  - सभी के विकास को सुनिश्चित करने के लिये, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की पहचान करने और ई-श्रम पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से उनकी ज़रूरतों को प्राथमिकता देने और कर्मचारी राज्य बीमा योजना (Employees' State Insurance Scheme- ESIC) के माध्यम से स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने जैसे उपाय सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने के उपाय हैं जो असमानता में कमी ला रहे हैं।
    - देश में अब तक लगभग 29 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

- वर्ष 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई।
- यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है जिसमें सरकारें, नियोक्ता और श्रमिक शामिल हैं।
- यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियाँ को विकसित करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिये सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाने का कार्य करता है।
- **मुख्यालय:** जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड
- रिपोर्ट्स:
  - वैश्विक वेतन रिपोर्ट (Global Wage Report)
  - विश्व रोज़गार एवं सामाजिक दृष्टिकोण (World Employment and Social Outlook)
  - विश्व सामजिक संरक्षण रिपोर्ट (World Social Protection Report)
  - सोशल डायलॉग रिपोर्ट

राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, एक राज्यसभा सांसद (सांसद) ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति (NPRD) पर चिंता जताई क्योंकि इसकी शुरुआत के कई महीनों बाद भी दुर्लभ रोगों वाले किसी भी रोगी को इस नीति से संबद्ध सुविधा का लाभ नहीं मिला।

राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति (NPRD):

- **परिचय:**
  - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दुर्लभ रोग के रोगियों के इलाज हेतु वर्ष 2021 में NPRD की शुरुआत की।
- **लक्ष्य:**
  - दवाओं के स्वदेशी अनुसंधान और स्थानीय उत्पादन पर ध्यान बढ़ाना।

नोट :

- दुर्लभ रोगों के उपचार की लागत को कम करना।
- शुरुआती चरणों में दुर्लभ रोगों की स्क्रीनिंग और पता लगाना।

- **नीति के प्रमुख प्रावधान:**
  - वर्गीकरण:
    - इस नीति ने दुर्लभ रोगों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया है:

समूह 1: एक बार उपचार की आवश्यकता वाले विकार।

समूह 2: दीर्घकालिक या आजीवन उपचार की आवश्यकता वाले विकार।

समूह 3: ऐसे रोग जिनके लिये निश्चित उपचार उपलब्ध है, लेकिन इनके उपचार की लागत बहुत अधिक है।

  - **वित्तीय सहायता:**
    - जो लोग समूह 1 के तहत सूचीबद्ध दुर्लभ रोगों से पीड़ित हैं, उन्हें राष्ट्रीय आरोग्य निधि (Rashtriya Arogya Nidhi) योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
    - राष्ट्रीय आरोग्य निधि: इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले ऐसे रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, ताकि वे सरकारी अस्पतालों में उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकें। इसके अंतर्गत गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों/संस्थानों और सरकारी अस्पतालों में उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
    - ऐसी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये लाभार्थी बीपीएल परिवारों तक ही सीमित नहीं होंगे, बल्कि इसे लगभग 40% ऐसी आबादी तक बढ़ाया जाएगा जो केवल सरकारी तृतीयक अस्पतालों में इलाज के लिये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) के मानदंडों के अनुसार पात्र हैं।
  - **वैकल्पिक वित्तपोषण:**
    - इसके अंतर्गत स्वैच्छिक व्यक्तिगत योगदान के लिये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित कर स्वैच्छिक क्राउडफंडिंग उपचार और दुर्लभ रोग के रोगियों के उपचार लागत में स्वेच्छा से योगदान करने वाले कॉर्पोरेट दाता शामिल हैं।
  - **उत्कृष्टता केंद्र:**
    - इस नीति का उद्देश्य आठ स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को 'उत्कृष्टता केंद्र' के रूप में नामित करके दुर्लभ बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिये तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को सुदृढ़ करना है और इनके डायग्नोस्टिक सुविधाओं के उन्नयन के लिये 5 करोड़ रुपए तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।
  - **राष्ट्रीय रजिस्ट्री:**
    - अनुसंधान और विकास में रुचि रखने वालों के लिये पर्याप्त डेटा और ऐसी बीमारियों की व्यापक जानकारी उपलब्ध कराने के लिये दुर्लभ बीमारियों की एक राष्ट्रीय अस्पताल-आधारित रजिस्ट्री बनाई जाएगी।

दुर्लभ रोग:

- दुर्लभ रोग एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति होती है जिसका प्रचलन लोगों में प्राय: कम पाया जाता है या सामान्य बीमारियों की तुलना में बहुत कम लोग इन बीमारियों से प्रभावित होते हैं।
- वर्गीकृत दुर्लभ बीमारियों की संख्या लगभग 6,000-8,000 है, लेकिन सिर्फ 5% से भी कम का उपचार उपलब्ध है।
  - उदाहरण: लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर (Lysosomal Storage Disorder), पोम्पे डिज़ीज़, सिस्टिक फाइब्रोसिस (सिस्टिक फाइब्रोसिस एक विकार है जो फेफड़ों, पाचन तंत्र और शरीर के अन्य अंगों को गंभीर नुकसान पहुँचाता है।) हीमोफिलिया आदि।
- लगभग 95% दुर्लभ बीमारियों का कोई प्रमाणित उपचार उपलब्ध नहीं है और इनसे प्रभावित सिर्फ 10 में से 1 रोगी का ही रोग-विशिष्ट उपचार हो पाता है।
- 80 प्रतिशत दुर्लभ बीमारियाँ मूल रूप से आनुवंशिक होती हैं।
- इन बीमारियों को विभिन्न देशों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है और ये प्रति 10,000 आबादी में 1 से 6 लोगों में पाई जाती हैं।
- हालाँकि सामान्य बीमारियों की तुलना में इनसे बहुत कम लोग प्रभावित होते हैं। फिर भी इनके कई मामले गंभीर, पुराने और जानलेवा हो सकते हैं।
- भारत में दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित करीब 50-100 मिलियन लोग हैं। इस नीति रिपोर्ट में कहा गया है कि इन रोगियों में से लगभग 80% बच्चे हैं, जिनमें से अधिकांश उच्च रुग्णता और मृत्यु दर के कारण वयस्कता तक नहीं पहुँच पाते हैं।

विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10ए

चर्चा में क्यों ?

विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10ए के तहत आपसी सहमति से तलाक की याचिका दायर करने के लिये एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि की शर्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और केरल उच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक बताया है।

- केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि विवाह संबंधी विवादों में पति-पत्नी के सामान्य कल्याण और भलाई को बढ़ावा देने के लिये भारत में एक समान विवाह संहिता होनी चाहिये।

नोट :

न्यायलय ने विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10ए को क्यों रद्द किया ?

- समान परिस्थितियों में अलग-अलग समुदायों के साथ अलग-अलग व्यवहार के रूप में धारा 10ए भेदभावपूर्ण है।
- भले ही विधायिका का उद्देश्य अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, यह उन व्यक्तियों के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा किये बिना उनकी स्वतंत्रता नहीं छीन सकती है जिनके न्याय मांगने संबंधी अधिकार खतरे में हैं।
- वैधानिक प्रावधानों द्वारा प्रभावित किये गए न्यायिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हैं।
  - न्यायिक उपचार जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है।

विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10ए का स्रोत:

- एक वर्ष की अवधि के निर्धारण संबंधी जानकारी विशेष विवाह अधिनियम की धारा 28(1), हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13बी (1) और पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम की धारा 32बी (1) में मिलती है।
- पहले भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम की धारा 10ए में तलाक के आवेदन के लिये 2 वर्ष की प्रतीक्षा अवधि अनिवार्य थी।
- सौम्या एन थॉमस बनाम द यूनियन ऑफ इंडिया (2010) व अन्य मामले में केरल उच्च न्यायालय ने ही कहा कि धारा 10ए के तहत 2 वर्ष की न्यूनतम अनिवार्य अवधि एकपक्षीय और दमनकारी है अत: इसे एक वर्ष की अवधि के रूप में ही माना जाना चाहिये।
- मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 8 में यह घोषणा की गई है कि संविधान अथवा कानून द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कृत्यों के लिये सक्षम राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों द्वारा सभी के लिये प्रभावी उपचार का अधिकार है।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा:

- मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights- UDHR) मानव अधिकारों के इतिहास में एक मील का पत्थर है।
- दिसंबर 1948 में पेरिस में मानवाधिकार दिवस के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा की गई।
- प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।
- यह पहली बार मौलिक मानवाधिकारों को सार्वभौमिक रूप से संरक्षित करने के लिये निर्धारित करता है।
- प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा में निर्धारित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का बिना किसी प्रकार के भेदभाव (जैसे जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति) के हकदार है।
- सभी मनुष्य गरिमा और अधिकारों के संदर्भ में स्वतंत्र एवं समान पैदा होते हैं। वे तर्क और विवेक से संपन्न हैं तथा उन्हें भाईचारे की भावना से एक दूसरे के प्रति कार्य करना चाहिये।

निष्कर्ष:

- तलाक के संदर्भ में आवेदन करने के लिये अनिवार्य एक वर्ष की अवधि के पीछे मूल उद्देश्य मूल रूप से जोड़ों को एक-दूसरे और विभिन्न पारिवारिक संस्कृति को समझने के लिये उचित समय प्रदान करना है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक वैवाहिक मामले में यह दृष्टिकोण एक ही परिणाम के साथ काम करता है इसलिये विषाक्त वैवाहिक संबंधों से छुटकारा पाने के लिये कुछ अन्य उपचारात्मक उपाय होने चाहिये।
- केरल उच्च न्यायालय मूल रूप से उन जोड़ों के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है जो अपने विवाहित जीवन में गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship- MSDE) ने स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला (Pradhan Mantri National Apprenticeship Mela- PMNAM) आयोजित किया है।

- इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न कंपनियों की भागीदारी देखी गई और एक ही मंच पर संभावित प्रशिक्षुओं से मिलने और आवेदकों को मौके पर चुनने तथा उन्हें अपने संगठन का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान करने का मौका मिला।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला (PMNAM):

- राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (National Skill Development Mission- NSDM) के तहत प्रत्येक महीने प्रशिक्षुता मेलों (Apprenticeship Mela) का आयोजन किया जाता है, जिसमें चयनित व्यक्तियों को नए कौशल हासिल करने के लिये सरकारी मानदंडों के अनुसार मासिक छात्रवृत्ति मिलती है।
- PMNAM का उपयोग प्रतिष्ठानों और छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिये एक मंच के रूप में किया जा रहा है। यह भाग लेने वाली कंपनियों में मौजूद विभिन्न अवसरों पर युवाओं को जागरूक भी कर रहा है।
- इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य कंपनियों को अधिक प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिये प्रोत्साहित करना है, साथ ही नियोक्ताओं को

नोट :

सही प्रतिभा की खोज करने और प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से उनकी क्षमता विकसित करने में सहायता करना है।

- इसका लक्ष्य 2022 के अंत तक भारत में शिक्षुता के अवसरों को 10 लाख तक और 2026 तक 60 लाख तक बढ़ाना है।
- सरकार अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के माध्यम से प्रति वर्ष 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने और इस मिशन को पूरा करने का प्रयास कर रही है।

स्किल इंडिया मिशन:

- स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई, 2015 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
- पहल में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल विकास और उद्यमिता के लिये राष्ट्रीय नीति, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) और कौशल ऋण योजना शामिल हैं।
  - PMKVY स्वीकृत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को वित्तीय पुरस्कार प्रदान करके कौशल प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करता है।
  - कौशल ऋण योजना के तहत कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के इच्छुक युवाओं को 5,000 से 1.5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- इसे देश भर में कौशल विकास प्रयासों को लागू करने और बढ़ाने के लिये एक मज़बूत संस्थागत ढाँचा प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था।

कौशल विकास के लिये की गई प्रमुख पहलें:

- 'संकल्प' और 'स्ट्राइव': संकल्प कार्यक्रम (SANKALP programme)—जो ज़िला-स्तरीय स्किलिंग पारितंत्र पर केंद्रित है और 'स्ट्राइव योजना' (STRIVE project)—जिसका उद्देश्य ITIs के प्रदर्शन में सुधार करना है, अन्य महत्त्वपूर्ण कौशल निर्माण हस्तक्षेप हैं।
- विभिन्न मंत्रालयों की पहल: 20 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा लगभग 40 कौशल विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं। कुल कौशल निर्माण में 'कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय' का योगदान लगभग 55% है।
  - इन सभी मंत्रालयों की पहल के परिणामस्वरूप वर्ष 2015 से लगभग चार करोड़ लोगों को विभिन्न औपचारिक कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।
- कौशल निर्माण में अनिवार्य CSR व्यय: कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनिवार्य CSR व्यय के कार्यान्वयन के बाद से भारत में निगमों ने विविध सामाजिक परियोजनाओं में 100,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है।
  - इनमें से लगभग 6,877 करोड़ रुपये कौशल निर्माण और आजीविका उन्नयन परियोजनाओं पर खर्च किये गए हैं। इस क्रम में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक और गुजरात शीर्ष पाँच प्राप्तकर्ता राज्य रहे।
- 'तेजस' कौशल प्रशिक्षण परियोजना: दुबई एक्सपो, 2020 में विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिये 'तेजस' अर्थात् अमीरात में नौकरियों और कौशल के लिये प्रशिक्षण(Training for Emirates Jobs and Skills- TEJAS) की शुरुआत की गई।
  - यह परियोजना भारतीयों के कौशल निर्माण, प्रमाणन और विदेश में नियोजन पर केंद्रित है तथा भारतीय कार्यबल को यूएई में कौशल और बाज़ार आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम बनाने के लिये प्रयासरत है।

इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री ने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (India Internet Governance Forum- IIGF) 2022 को संबोधित किया।

- वर्ष 2022 के लिये थीम: 'भारत के सशक्तिकरण के लिये प्रौद्योगिकी के दशक का उपयोग' (Leveraging Techade for Empowering Bharat)
- इस आयोजन का लक्ष्य डिजिटलीकरण के रोडमैप पर चर्चा करना और इंटरनेट गवर्नेंस पर अंतर्राष्ट्रीय नीति विकास में भारत की भूमिका एवं महत्त्व पर ज़ोर देकर वैश्विक मंच पर इसकी पुष्टि करना था।

IIGF के बारे में:

- इंडिया इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम (IIGF) वास्तव में संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (UN-IGF) से जुड़ी पहल है।
- यह एक बहु-हितधारक मंच है जो इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिये विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एकजुट करता है।
- **भारत की इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्थिति:**
  - भारत 800 मिलियन भारतीय उपयोगकर्त्ताओं के साथ विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला देश है।
  - 5जी और भारतनेट की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नेटवर्क परियोजना में भारतीय उपयोगकर्त्ताओं की संख्या 1.2 बिलियन होगी जो वैश्विक स्तर पर इंटरनेट की सबसे बड़ी उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करेंगे।

नोट :

- भारत ने वैश्विक दक्षिण के देशों के लिये इंटरनेट तक पहुँच में भी सुधार किया है, ये वो देश हैं जो अपनी अर्थव्यवस्थाओं के विकास में इन्टरनेट की सहायता और डिजिटलीकरण की कमी से अर्थव्यवस्था को आवश्यक गति प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं।

- इंटरनेट के लाभ:
  - इन लाभों में उत्पादकता, वित्तीय स्वतंत्रता और सूचना तक अधिक पहुँच शामिल हैं।

इंटरनेट गवर्नेंस

- परिचय:
  - इंटरनेट गवर्नेंस को मुख्यत: सरकारों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज द्वारा साझा सिद्धांतों, मानदंडों, नियमों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों की अपनी-अपनी भूमिकाओं में विकास और अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया गया है, जो इंटरनेट के विकास और उपयोग को बढ़ावा देते हैं।
  - इसमें तकनीकी मानकों के विकास और समन्वय, महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के संचालन एवं सार्वजनिक नीति के मुद्दों जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है।
  - इंटरनेट गवर्नेंस में इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग (IP Addressing), डोमेन नेम सिस्टम (DNS), रूटिंग, तकनीकी नवाचार, मानकीकरण, सुरक्षा, सार्वजनिक नीति, गोपनीयता, कानूनी मुद्दे, साइबर मानदंड, बौद्धिक संपदा और कराधान शामिल हैं।
- इंटरनेट गवर्नेंस के आयाम:
  - भौतिक अवसंरचना
  - कोड या तार्किक आयाम
  - विषय वस्तु
  - सुरक्षा
- भारत का दृष्टिकोण:
  - भारत इंटरनेट गवर्नेंस के मामलों में बहु-हितधारक दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर सरकार का सर्वोच्च अधिकार और नियंत्रण बना रहेगा।
  - इस क्षेत्र में भारत की ताकत इसका उद्योग और मानव संसाधन है जिसका बहु-हितधारक दृष्टिकोण में लाभ उठाया जा सकता है।
- चुनौतियाँ:
  - इंटरनेट की निरंतर विकसित होती प्रकृति, कुछ कंपनियों और देशों में डिजिटल शक्ति का संकेंद्रण, मांग पक्ष के बजाय आपूर्ति पक्ष द्वारा निर्णय लेना आदि।

जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिये परिवार पहचान पत्र

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के निवासियों के लिये एक परिवार पहचान पत्र लाने का फैसला किया है।

परिवार पहचान पत्र:

- परिचय:
  - FPP अद्वितीय 8-अंकीय अक्षरांकीय नंबर (पैन कार्ड की तरह) वाला एक पहचान पत्र होगा, जिसमें परिवार के मुखिया के माध्यम से प्रत्येक परिवार और उसके सदस्यों की पहचान की जाएगी।
  - यह केंद्रशासित प्रदेशों में प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के लिये एकल पहचान-पत्र होगा, आधार कार्ड के विपरीत इसमें केवल एक व्यक्ति के बारे में जानकारी होती है।
- विवरण और लिंकिंग:
  - इस कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का विवरण होगा, जिसमें उनके नाम, आयु, योग्यता, रोज़गार की स्थिति आदि शामिल हैं और इसे परिवार के प्रमुख के आधार(AADHAR) और बैंक खाता संख्या से जोड़ा जाएगा।
- महत्त्व:
  - कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर वितरण: FPP का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में परिवारों का एक प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटाबेस बनाना है ताकि पात्र लाभार्थियों की कल्याणकारी योजनाओं तक त्वरित और पारदर्शी पहुँच सुनिश्चित की जा सके।
  - सहज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण: इस तरह की प्रणाली न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ उनके बैंक खातों में लाभों के सीधे अंतरण की सुविधा प्रदान करेगी।
  - डुप्लिकेसी को समाप्त करना: डेटाबेस डुप्लीकेट राशन कार्ड और आधार की पहचान करने और इन्हें हटाने में भी मदद करेगा एवं सरकार को उन परिवारों की पहचान करने में मदद करेगा जिनके पास कई शिक्षित युवा हैं, लेकिन नौकरी नहीं है।
  - डेटा का स्वत: अद्यतन: डेटाबेस में जानकारी (जन्म, मृत्यु और विवाह) लगातार और स्वचालित रूप से अद्यतन की जाएगी एवं लोगों को ऐसे उद्देश्यों के लिये स्थानीय अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ेगा।
    - यह प्रामाणिक, अद्यतन जनसंख्या डेटा के आधार पर सरकार की योजना नीति में भी मदद करेगा।

नोट :

- FPP के संबंध में असहमति:
  - सरकार के अनुसार परिवार की सहमति से ही डेटाबेस बनाया जाएगा। हालाँकि परिवार कार्ड रखने के लिये सहमति नहीं देने वाले परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
  - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System- PDS) के माध्यम से सब्सिडी वाले राशन, मुफ्त चिकित्सा उपचार, वृद्धावस्था/विधवा/पारिवारिक पेंशन, उग्रवाद के पीड़ितों को सहायता, छात्रवृत्ति आदि सभी को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा।
- FPP के खिलाफ तर्क:
  - विपक्षी दलों ने FPP के विचार की आलोचना करते हुए इसे कश्मीरियों पर नज़र रखने के लिये 'निगरानी उपकरण' के रूप में वर्णित किया है।
    - यह जम्मू-कश्मीर के लोगों पर विश्वास की कमी के प्रतीक के रूप में "अद्वितीय परिवार आईडी" का दावा करता हैं।
  - प्रस्तावित यूनिक आईडी की समय और संसाधनों की बर्बादी के रूप में आलोचना की गई थी अर्थात् एक समान प्रणाली के रूप में इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि आधार पहले से मौजूद है।
  - चीनी संस्थाओं द्वारा हाल ही में साइबर और रैंसमवेयर हमलों के मद्देनज़र निवासियों के व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करने में सरकार की क्षमता के बारे में भी चिंताएँ हैं।

अन्य राज्यों में समान परिवार डेटाबेस:

- कई अन्य राज्यों ने समान डेटाबेस प्रस्तावित किये या बनाए हैं; परिवार पहचान पत्र की अवधारणा को लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य था।
- पंजाब ने वर्ष 2021 में उन परिवारों को लाभ के प्रत्यक्ष हस्तांतरण हेतु ऐसी प्रणाली शुरू की जो सरकार की विभिन्न सामाजिक सेवा योजनाओं के लिये पात्र हैं।
- नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी तरह के उद्देश्यों के लिये यूपी परिवार कल्याण कार्ड लॉन्च करने का निर्णय लिया।
- राजस्थान राज्य ने भी "जन आधार योजना" शुरू की है, जिसका उद्देश्य एक परिवार से एक व्यक्ति की पहचान करना है और यह राज्य में संचालित अपनी तरह की एकमात्र योजना है, जिस पर सभी प्रकार की नकदी के साथ-साथ गैर-नकदी लाभ की प्राप्ति होती है।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है।

ऊर्जा संरक्षण दिवस:

- पृष्ठभूमि:
  - भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 1991 में पुरस्कारों के माध्यम से अपने उत्पादन को बनाए रखते हुए ऊर्जा की खपत को कम करने में उद्योगों और प्रतिष्ठानों के योगदान को मान्यता देने हेतु राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत की।
    - ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) प्रत्येक वर्ष समारोह का नेतृत्त्व करता है।
  - पहली बार पुरस्कार 14 दिसंबर, 1991 को प्रदान किये गए थे।
    - जब से इस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष उसी दिन आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों को प्रदान किये जाते हैं।
- उद्देश्य:
  - यह दिन लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूक करने पर केंद्रित है तथा ऊर्जा संसाधनों को बचाने के प्रयासों को बढ़ावा देता है। यह ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालता है।
- भारत के उत्सव के मुख्य आकर्षण:
  - राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार (NEEIA), 2022:
    - ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में असाधारण कार्य तथा नवाचारी विचार को मान्यता देने के लिये वर्ष 2021 में NEEIA पुरस्कार प्रारंभ किये गए थे।
    - पुरस्कारों का मूल्यांकन प्रतिकृति, सामर्थ्य, विश्वसनीयता, ऊर्जा बचत पर प्रभाव और पर्यावरण एवं स्थिरता पर प्रभाव के आधार पर किया जाता है।
  - 'ईवी-यात्रा पोर्टल' और मोबाइल ऐप का शुभारंभ:
    - ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने निकटतम सार्वजनिक ईवी चार्जर के लिये 'इन व्हेकिल नेवीगेशन' सुविधा हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है, देश में ई-गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय पहलों पर सूचना का प्रसार करने हेतु एक वेबसाइट और सीपीयू को अपने चार्जिंग विवरण को सुरक्षित रूप से राष्ट्रीय ऑनलाइन डाटा बेस में पंजीकृत करने में सक्षम बनाने के लिये वेब पोर्टल है।

नोट :

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)?

- यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- यह भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊर्जा आधिक्य को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ विकासशील नीतियों और रणनीतियों में सहायता करता है।
- यह अपने कार्यों को करने में मौजूदा संसाधनों एवं बुनियादी ढाँचे की पहचान तथा उपयोग करने के लिये नामित उपभोक्ताओं, एजेंसियों व अन्य संगठनों के साथ समन्वय करता है।

ऊर्जा संरक्षण:

- इसके तहत ऐसा कोई भी व्यवहार शामिल होता है जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा खपत में कमी की जाती है - जैसे उपयोग नहीं होने पर रोशनी और पंखे बंद करना या ऊर्जा का उपयोग करने वाली किसी विशेष सेवा के उपयोग को कम करना, जैसे की व्यक्तिगत वाहन के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर रहे हैं।
- ऊर्जा संरक्षण एक वृहद स्तर पर सचेत व व्यक्तिगत प्रयास है, यह ऊर्जा दक्षता की ओर ले जाता है।
- ऊर्जा संरक्षण का अंतिम लक्ष्य स्थायी ऊर्जा तक पहुँचना है।
- यह 'ऊर्जा दक्षता' शब्द से अलग है, ऊर्जा दक्षता का अर्थ है किसी कार्य को करने के लिये कम ऊर्जा का उपयोग करना अर्थात् ऊर्जा की बर्बादी को समाप्त करना।

भारत का विद्युत क्षेत्र

- कुल क्षमता: अक्टूबर 2022 तक 408.71 GW की स्थापित बिजली क्षमता के साथ भारत विश्व में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है।
  - थर्मल, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियाँ भारत की बिजली पैदा करने के प्रमुख स्रोत हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र: भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र विश्व स्तर पर चौथा सबसे आकर्षक नवीकरणीय ऊर्जा बाज़ार है।
  - पवन ऊर्जा स्थापना क्षमता के मामले में, भारत चौथे स्थान पर था, जबकि सौर ऊर्जा स्थापना क्षमता में यह पाँचवें स्थान पर था।
    - भारत ने वर्ष 2022 तक 175GW के लक्ष्य के मुकाबले अक्तूबर, 2022 तक 165.94GW अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है।
    - COP26 में प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 GW स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है।

ऊर्जा संरक्षण से संबंधित पहल:

- राष्ट्रीय:
  - प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना (PET): यह ऊर्जा बचत के प्रमाणीकरण के माध्यम से ऊर्जा गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिये लागत प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु एक बाज़ार आधारित तंत्र है जिसका व्यापार किया जा सकता है।
  - मानक और लेबलिंग: यह योजना 2006 में शुरू की गई थी और वर्तमान में उपकरण/उपकरणों के लिये लागू की गई है।
  - ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC): इसे 2007 में नए वाणिज्यिक भवनों के लिये विकसित किया गया था।
  - मांग पक्ष प्रबंधन: यह विद्युत मीटर की मांग या ग्राहक-पक्ष पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से उपायों का चयन, योजना और कार्यान्वयन है।
- वैश्विक प्रयास:
  - अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी: यह सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य के लिये ऊर्जा नीतियों को आकार देने हेतु दुनिया भर के देशों के साथ कार्य करती है।
    - भारत IEA का एक सदस्य देश नहीं बल्कि एक सहयोगी सदस्य (Association Country) है। हालाँकि IEA ने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिये आमंत्रित किया है।
    - IEA और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL - Ministry of Power) ने ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था के कई लाभों को प्रदर्शित करने के लिये भारत सरकार के घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम - 'उजाला' (UJALA) पर मिलकर केस स्टडी की।
  - सस्टेनेबल एनर्जी फॉर आल (SEforALL)
    - यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो जलवायु पर पेरिस समझौते के अनुरूप सतत् विकास लक्ष्य-7 (वर्ष 2030 तक सभी के सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा की पहुँच) की उपलब्धि की दिशा में तेज़ी से कार्रवाई करने के लिये संयुक्त राष्ट्र और सरकार के नेताओं, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों तथा नागरिक समाज के साथ साझेदारी में काम करता है।
  - पेरिस समझौता:
    - यह जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका लक्ष्य पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम, अधिमानत: 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है।

नोट :

- पेरिस समझौते के तहत भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा तीव्रता (प्रति यूनिट जीडीपी के लिये खर्च ऊर्जा इकाई) को वर्ष 2005 की तुलना में 33-35% कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- मिशन इनोवेशन (MI):
  - यह स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेज़ी लाने के लिये 24 देशों और यूरोपीय आयोग (यूरोपीय संघ की ओर से) की एक वैश्विक पहल है।
  - भारत इसके सदस्य देशों में से एक है।

सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थिति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने अब तक लगभग 39,000 मेगावाट की क्षमता वाली सौर परियोजनाओं के विकास को मंज़ूरी दी है, लेकिन वास्तव में अभी तक केवल 25% ही अधिकृत हो सकी है।

- इन सौर परियोजनाओं को 'सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु योजना' के तहत मंज़ूरी दी गई थी।

सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु योजना:

- परिचय:
  - यह योजना वर्ष 2014 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी।
  - इस योजना के तहत वर्ष 2014-15 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि के भीतर 20,000 मेगावाट क्षमता से अधिक सौर ऊर्जा की स्थापना को लक्षित करते हुए कम से कम 25 सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने का प्रस्ताव था।
    - योजना की क्षमता 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर 40,000 मेगावाट कर दी गई। इन पार्कों को वर्ष 2021-22 तक स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- क्रियान्वयन एजेंसी:
  - इसकी कार्यान्वयन एजेंसी सोलर पावर पार्क डेवलपर (Solar Power Park Developer- SPPD) है।
- विशेषताएँ:
  - योजना में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार करने की दृष्टि से देश में विभिन्न स्थानों पर सौर पार्क स्थापित करने में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता करने की परिकल्पना की गई है।
  - सौर पार्क राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी उद्यमियों के सहयोग से विकसित किये गए हैं।

सौर परियोजनाओं को अधिकृत करने में चुनौतियाँ:

- स्पष्ट स्वामित्व वाली भूमि के अधिग्रहण में बाधाएँ।
- परियोजना और बुनियादी ढाँचे को स्थापित करने तथा ग्रिड में उत्पादित विद्युत को वितरित करने में लगने वाले समय में "बेमेल" है।
- कोविड-19 के कारण पर्यावरणीय मुद्दे और आर्थिक गतिविधियों में रुकावट।
  - हाल के वर्षों में राजस्थान में 200 से कम संख्या वाली गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आवास पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा विशेष रूप से ट्रांसमिशन लाइनों द्वारा अतिक्रमण किया गया है जो पक्षी को खतरे में डालती हैं।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2022 में बिजली कंपनियों को राजस्थान में सौर उद्यानों में भूमिगत केबल बिछाने का निर्देश दिया था, हालाँकि कुछ कंपनियों ने इसका पालन किया है। सरकार ने भूमिगत केबल बिछाने से सौर ऊर्जा की लागत में संभावित वृद्धि के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को जानकारी दी थी।

भारत में सौर ऊर्जा की समग्र स्थिति:

- संसद में पेश किये गए आँकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2022 तक अब तक 61GW सौर ऊर्जा स्थापित की जा चुकी है।
- इसके अलावा भारत ने वर्ष 2022 के अंत तक 175 गीगावाट (GW) अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अक्षय ऊर्जा के लिये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है।
- भारत सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में एशिया में दूसरा और विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार है। यह पहली बार जर्मनी (59.2 GW) को पछाड़ते हुए कुल स्थापित क्षमता (60.4 GW) के क्षेत्र में चौथे स्थान पर है।
- जून 2022 तक राजस्थान और गुजरात बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले शीर्ष राज्य थे, जिनकी स्थापित क्षमता क्रमश: 53% एवं 14% थी, इसके बाद महाराष्ट्र (9%) का स्थान है।

संबंधित पहलें:

- सौर पार्क योजना:
  - सौर पार्क योजना कई राज्यों में लगभग 500 मेगावाट (MW) क्षमता वाले कई सोलर पार्क बनाने की योजना है।

नोट :

- रूफटॉप सौर योजना:
  - रूफटॉप सौर योजना का उद्देश्य घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का दोहन करना है।
- अटल ज्योति योजना (AJY):
  - अटल ज्योति योजना सितंबर 2016 में उन राज्यों में सौर स्ट्रीट लाइटिंग (SSL) प्रणाली की स्थापना के लिये शुरू की गई थी, जहाँ 50% से कम घरों में ग्रिड आधारित बिजली का उपयोग शामिल है (2011 की जनगणना के अनुसार)।
- राष्ट्रीय सौर मिशन:
  - यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौती को संबोधित करते हुए पारिस्थितिक रूप से सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार और राज्य सरकारों की एक प्रमुख पहल है।
- सृष्टि योजना:
  - भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिये सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया (सृष्टि) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA):
  - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) भारत और फ्राँस द्वारा सह-स्थापित सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के वितरण में वृद्धि के लिये एक सक्रिय तथा सदस्य-संचालित एवं सहयोगी मंच है।

ग्लास (GLAAS) रिपोर्ट 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और UN-Water द्वारा स्वच्छता एवं पेयजल का वैश्विक विश्लेषण तथा आकलन (GLAAS) रिपोर्ट जारी की गई।

यूएन- वाटर (UN-Water):

- यूएन-वाटर, जल और स्वच्छता पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यों का समन्वय करता है। यूएन-वाटर एक 'समन्वय तंत्र' है।
- यह संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं (सदस्यों) और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (भागीदारों) से निर्मित है जो जल और स्वच्छता के मुद्दों पर काम कर रहे हैं।
- यूएन-वाटर की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य और भागीदार जल संबंधित चुनौतियों के समाधान हेतु एक साथ काम करें।

GLAAS रिपोर्ट

- यूएन-वाटर ग्लोबल एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ सेनिटेशन एंड ड्रिंकिंग-वाटर (GLAAS) 2022 रिपोर्ट में 121 देशों और क्षेत्रों तथा 23 बाह्य सहायता एजेंसियों (External Support Agencies- ESAs) से पेयजल, सफाई और स्वच्छता (WASH) पर नए डेटा संकलित किये गए हैं।
- यह सतत् विकास के लिये एजेंडा 2030 की दूसरी छमाही के दौरान प्रतिबद्धताओं, प्राथमिकता-निर्धारण और कार्यों को सूचित करने एवं जल तथा स्वच्छता पर कार्रवाई के लिये संयुक्त राष्ट्र दशक (2018-2028) (संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन) के कार्यान्वयन की मध्यावधि पर व्यापक समीक्षा हेतु सम्मेलन 2023 के लिये एक वैश्विक संदर्भ के रूप में कार्य करता है।
- रिपोर्ट प्रमुख WASH क्षेत्रों में प्रगति में तेज़ी लाने के अवसरों पर भी प्रकाश डालती है जो WASH सेवाओं की गुणवत्ता और स्थिरता एवं वितरण, महामारी की तैयारी तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- मानव संसाधन:
  - एक तिहाई से भी कम देशों ने आवश्यक जल और स्वच्छता (वॉश) से संबंधित कार्यों के प्रबंधन के लिये पर्याप्त मानव संसाधन बनाए रखने की सूचना दी है।
- राष्ट्रीय लक्ष्य:
  - 45% देश अपने पेयजल लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर हैं, लेकिन अभी तक केवल 25% ही अपने स्वच्छता लक्ष्यों को पूरा कर पा रहें हैं।
  - राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये और अधिक शीघ्रता की आवश्यकता है।
- वित्त:
  - हालाँकि कुछ देशों के WASH बजट में वृद्धि हुई है - लेकिन उनमें से 75% से अधिक देशों ने WASH से संबंधित योजनाओं व उद्देश्यों को पूरा करने के लिये अपर्याप्त संसाधन होने की सूचना दी है।
- WASH सिस्टम का जलवायु लचीलापन:
  - अधिकांश WASH नीतियों और योजनाओं को बनाते समय जलवायु परिवर्तन के खतरों पर विचार नहीं किया जाता है, न ही वे WASH प्रौद्योगिकी और प्रबंधन प्रणालियों के जलवायु लचीलेपन को ध्यान में रखते हैं।
  - जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम संबंधित घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता, WASH सेवाओं के वितरण में बाधा बन रही है, जिससे उपयोगकर्ताओं का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।

नोट :

- बाह्य सहायता:
  - वर्ष 2017 और 2020 के बीच जल और स्वच्छता के लिये अनुदान में 5.6% की कमी आई है और अनुदान के भौगोलिक मानदंड में परिवर्तन देखा गया।
  - उप-सहारा अफ्रीका में, WASH अनुदान का अनुपात 32% से गिरकर 23% हो गया, जबकि मध्य और दक्षिणी एशिया में 12% से बढ़कर 20% होने के रूप में वृद्धि देखी गई, और पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में यह 11% से बढ़कर 20% हो गया।

वॉश (WASH):

WASH, जल,स्वच्छता और साफ़-सफाई- 'Water, Sanitation and Hygiene का संक्षिप्त रूप है। ये क्षेत्र परस्पर संबंधित हैं।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की वॉश रणनीति को सदस्य राज्य संकल्प (WHA 64.4) तथा सतत् विकास लक्ष्य-3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) सतत् विकास लक्ष्य-6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) की अनुक्रिया के रूप में विकसित किया गया है।
- यह WHO के 13वें जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क 2019-2023 का एक घटक है जिसका उद्देश्य बेहतर आपातकालीन तैयारियों और प्रतिक्रिया जैसे बहुक्षेत्रीय कार्रवाइयों के माध्यम से तीन बिलियन लोगों तथा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (UHC) के माध्यम से एक बिलियन लोगों की स्वास्थ्य सुविधा में योगदान करना है।
- यह जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता जैसे मानवाधिकारों की प्रगतिशीलता पर भी ज़ोर देता है।

आगे की राह:

- समावेशी विकास:
  - लोगों की सुरक्षित, स्थायी WASH सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना, साथ ही अल्प सुविधा वाली आबादी और स्थानों पर ध्यान देना चाहिये, जैसे कि गरीबी में रहने वाले या ग्रामीण या दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति।
  - स्थानीय भागीदारी यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि कोई भी वंचित न रहे।
    - SDG 6 समाधानों को स्थानीय सामुदायिक संदर्भों में अपनाने और बनाए रखने के लिए सामुदायिक भागीदारी को मज़बूत करना आवश्यक है।
- लैंगिक:
  - WASH के निर्णयों और सेवाओं में महिलाओं पर विचार सुनिश्चित करने के लिये अधिक समावेशन, वित्तीय सहायता और निगरानी की आवश्यकता है
  - WASH मासिक धर्म के स्वास्थ्य और स्वच्छता से लेकर स्थानीय भागीदारी और WASH में काम करने वाली महिलाओं तक कई तरह से जुड़ा हुआ है।
- निवेश में बढ़ोतरी:
  - सरकारों और विकास भागीदारों को सबसे कमज़ोर लोगों से शुरुआत करते हुए वर्ष 2030 तक सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल और स्वच्छता सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिये WASH सिस्टम को मजबूत करने और निवेश में नाटकीय रूप से वृद्धि करने की आवश्यकता है।

नोट :

भारतीय राजनीति

राज्यसभा के सभापति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जगदीप धनखड़ को राज्यसभा के सभापति के रूप में चुना गया।

राज्यसभा के सभापति

- परिचय:
  - उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है।
  - राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति सदन की प्रतिष्ठा और सम्मान का निर्विरोध संरक्षक होता है।
- संवैधानिक प्रावधान:
  - अनुच्छेद 64: उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा।
  - संविधान के अनुच्छेद 89 में सभापति (भारत के उप-राष्ट्रपति) और राज्यसभा के उपसभापति का प्रावधान है।
- शक्तियाँ और कार्य:
  - राज्यसभा के सभापति को कोरम (गणपूर्ति) न होने की स्थिति में सदन को स्थगित करने या उसकी बैठक स्थगित करने का अधिकार है।
  - संविधान की 10वीं अनुसूची सभापति को दल-बदल के आधार पर राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निर्धारण करने का अधिकार देती है।
  - सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाने के लिये सभापति की सहमति आवश्यक है।
  - संसदीय समितियाँ, चाहे वह सभापति द्वारा गठित हों या सदन द्वारा, सभापति के निर्देशन में काम करती हैं।
  - वह सदस्यों को विभिन्न स्थायी समितियों और विभाग-संबंधित संसदीय समितियों में नामित करता है। वह कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष हैं।
  - जहाँ तक सदन में या उससे संबंधित मामलों का संबंध है, संविधान और नियमों की व्याख्या करना सभापति का कर्तव्य है और कोई भी ऐसी व्याख्या पर सभापति के साथ शामिल नहीं हो सकता है।
- सभापति को पद से हटाना:
  - राज्यसभा के सभापति को पद से तभी हटाया जा सकता है जब उसे भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए।
  - जब उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, वह सभापति के रूप में सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता हालाँकि वह सदन में उपस्थित हो सकता है।

उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान:

- उपराष्ट्रपति:
  - उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। वह पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिये कार्य करता है, लेकिन वह कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण नहीं कर लिया जाता है।
  - उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है।
  - उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद (राज्यसभा) के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जो उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होता है, साथ ही लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। इस प्रयोजन के लिये कम-से-कम 14 दिनों का नोटिस दिये जाने के बाद ही इस आशय का कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।
  - उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद (राज्यसभा) का पदेन अध्यक्ष होता है और उसके पास कोई अन्य लाभ का पद नहीं होता है।
- योग्यता:
  - भारत का नागरिक होना चाहिये।
  - 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिये।
  - राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिये योग्य होना चाहिये।
  - केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिये।
- निर्वाचक मंडल:
  - भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
  - निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य।
    - राज्यसभा के मनोनीत सदस्य।
    - लोकसभा के निर्वाचित सदस्य।
- चुनाव प्रक्रिया:
  - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार, कार्यालय की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिये चुनाव, निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है।

नोट :

- राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 तथा राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के साथ संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है।
  - चुनाव के लिये अधिसूचना निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के साठ दिन पूर्व या उसके बाद जारी की जाएगी।
- चूँकि निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इसलिये प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य समान होगा अर्थात् 1 (एक)।
- चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी-बारी से निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) के रूप में नियुक्त करता है।
  - तद्नुसार महासचिव, लोकसभा को भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के वर्तमान चुनाव के लिये निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- आयोग ने निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिये संसद भवन (लोकसभा) में सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है।
- राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसार, चुनाव के लिये मतदान संसद भवन में होगा।

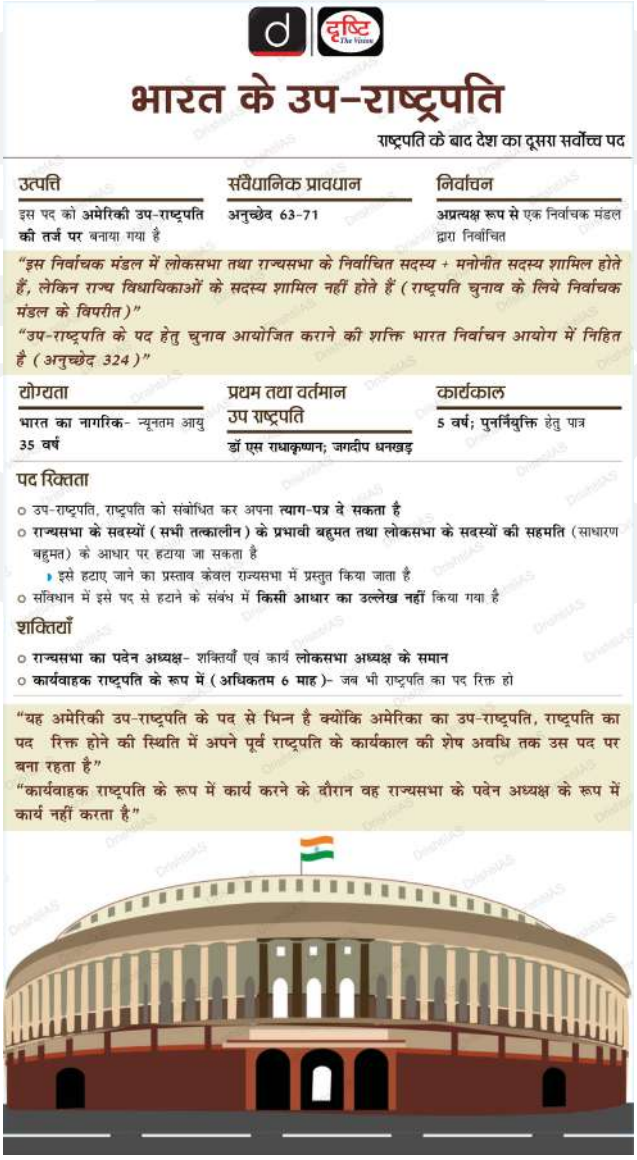

नोट :

राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गुजरात चुनाव के परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई, जहाँ उसे कुल वोट का लगभग 13% प्राप्त हुआ।

- पहले आम चुनाव (1952) के समय भारत में 14 राष्ट्रीय दल थे।

नोट:

- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है।
- अन्य दलों को केवल पंजीकृत-गैर-मान्यता प्राप्त दलों के रूप में घोषित किया जाता है।
  - जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार पंजीकृत राजनीतिक दल समय के साथ 'राज्य दल' या 'राष्ट्रीय दल' के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय दल (National Party):

- परिचय: जैसा कि नाम से पता चलता है, इसकी एक क्षेत्रीय दल के विपरीत राष्ट्रव्यापी उपस्थिति होती है, जो केवल एक विशेष राज्य या क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है।
  - एक निश्चित कद राष्ट्रीय दल के साथ जुड़ा होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका बहुत अधिक राष्ट्रीय राजनीतिक प्रभाव हो।
- किसी पार्टी को 'राष्ट्रीय' घोषित करने की शर्तें:
  - ECI की राजनीतिक दल और चुनाव चिह्न, 2019 पुस्तिका के अनुसार, एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल माना जाएगा यदि:
    - यह चार या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में 'मान्यता प्राप्त' हो; या
    - लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनावों में 4 अलग-अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6 प्रतिशत मत प्राप्त करे तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे। या
    - यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती हो।

किसी दल को राज्य स्तरीय दल कैसे घोषित किया जाता है ?

- किसी दल को किसी राज्य में राज्यस्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि निम्न में से कोई भी शर्त पूरी होती है:
  - यदि यह संबंधित राज्य विधान सभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है और साथ ही यह उसी राज्य विधान सभा में 2 सीटें जीतता है।
  - यदि यह लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और साथ ही यह उसी राज्य से लोकसभा में 1 सीट जीतता है।
  - यदि यह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में विधान सभा में 3% सीटें जीतता है या विधानसभा में 3 सीटें (जो भी अधिक हो) जीतता है।
  - यदि वह संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उसके किसी खंड के लिये लोकसभा में 1 सीट जीतती है।
  - यदि यह राज्य या राज्य विधान सभा के लिये लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त करता है।

राष्ट्रीय/राज्य घोषित किये जाने के महत्त्व

- आयोग द्वारा दलों को प्रदान की गई मान्यता उनके लिये कुछ विशेषाधिकारों के अधिकार का निर्धारण करती है, जैसे चुनाव चिह्न का आवंटन, राज्य नियंत्रण, टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण हेतु समय का उपबंध एवं निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा।
- इन दलों को चुनाव के समय 40 "स्टार प्रचारक" (पंजीकृत-गैर-मान्यता प्राप्त दलों को 20 "स्टार प्रचारक" रखने की अनुमति है) रखने की अनुमति है।
- प्रत्येक राष्ट्रीय दल को एक चुनाव चिह्न प्रदान किया जाता है जो पूरे देश में विशिष्टत: उसी के लिये आरक्षित होता है। यहाँ तक कि उन राज्यों में भी जहाँ वह चुनाव नहीं लड़ रही है।
- एक राज्य दल के लिये आवंटित चुनाव चिह्न विशेष रूप से उस राज्य/राज्यों में इसके उपयोग के लिये आरक्षित है जिसमें इसे मान्यता प्राप्त है।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, 2022 को संसद में प्रस्तुत किया गया।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

- नियुक्ति की प्रक्रिया को विनियमित करता है:
  - विधेयक का उद्देश्य भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य

नोट :

न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति हेतु लोगों की सिफारिश करने के लिये राष्ट्रीय न्यायिक आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करना है।

- स्थानान्तरण को विनियमित करना:
  - इसका उद्देश्य उनके स्थानांतरण को विनियमित करना और न्यायिक मानकों को निर्धारित करना तथा न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता के लिये व्यक्तिगत शिकायतों की जाँच हेतु विश्वसनीय और समीचीन तंत्र स्थापित करना और विनियमित करना है।
- एक न्यायाधीश को हटाना:
  - यह एक न्यायाधीश को हटाने के लिये कार्यवाही के संबंध में और उससे जुड़े मामलों या प्रासंगिक मामलों के संबंध में राष्ट्रपति को संसद द्वारा एक अभिभाषण प्रस्तुत करने का भी प्रस्ताव करता है।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) क्या था?

- NJAC:
  - अगस्त 2014 में, संसद ने NJAC अधिनियम, 2014 के साथ संविधान (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014 पारित किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक स्वतंत्र आयोग के गठन का प्रावधान है।
- NJAC की संरचना:
  - पदेन अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश
  - पदेन सदस्य के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश
  - पदेन सदस्य के रूप में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री
  - नागरिक समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति (एक समिति द्वारा नामित किये जाएँगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल होंगे; प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नामित किये जाने वाले व्यक्तियों में एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक या महिला)

नोट :

- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (National Judicial Appointments Commission- NJAC) और कॉलेजियम प्रणाली में अंतर:
  - NJAC:
    - भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश NJAC द्वारा वरिष्ठता के आधार पर की जानी थी जबकि SC और HC के न्यायाधीशों की सिफारिश क्षमता, योग्यता और "नियमों में निर्दिष्ट अन्य मानदंडों" के आधार पर की जानी थी।
    - यह अधिनियम NJAC के किसी भी दो सदस्य को सिफारिश संबंधी निर्णय पर वीटो करने का अधिकार प्रदान करता था।
  - कॉलेजियम प्रणाली:
    - कॉलेजियम प्रणाली में, वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियाँ करता है और यह प्रणाली लगभग तीन दशकों से चालू है।

कॉलेजियम प्रणाली:

- सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम एक पाँच सदस्यीय निकाय है, जिसका नेतृत्व निवर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) करते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं।
  - उच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्त्व उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं।
- कॉलेजियम की पसंद या चयन के बारे में सरकार आपत्ति कर सकती है और स्पष्टीकरण भी मांग सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम पुन: उन्हीं नामों की अनुशंसा करे तो सरकार उन्हें ही न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के लिये बाध्य है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी संवैधानिक प्रावधान

- संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 क्रमश: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उपबंध करते हैं।
  - ये नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं जिसके लिये वह ''उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिये परामर्श करना आवश्यक समझे'' की शर्त का पालन करता है।
- लेकिन संविधान इन नियुक्तियों के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है।

NJAC को अदालत में चुनौती देने का कारण:

- वर्ष 2015 की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने एक याचिका दायर की थी जिसमें मौजूदा कानूनों के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी।
- SCAORA का तर्क था कि दोनों अधिनियम "असंवैधानिक" और "अमान्य" थे।
  - यह तर्क दिया गया कि NJAC के निर्माण के लिये प्रदान किये गए 99वें संशोधन ने "भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सामूहिक राय की प्रधानता" को अप्रभावी कर दिया क्योंकि उनकी सामूहिक सिफारिश पर वीटो लगाया जा सकता है अथवा "तीन गैर-न्यायाधीश सदस्यों के बहुमत से निलंबित" किया जा सकता है।
  - इसमें कहा गया है कि संशोधन ने "गंभीर रूप से" संविधान की बुनियादी संरचना को नुकसान पहुँचाया है, जिसमें उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक अभिन्न अंग थी।।
- इसने यह भी तर्क दिया कि NJAC अधिनियम स्वयं "अमान्य" और "संविधान के दायरे से बाहर" था क्योंकि यह संसद के दोनों सदनों में तब पारित किया गया था जब मूल रूप से अधिनियमित अनुच्छेद 124(2) और 217(1) लागू थे और 99वाँ संशोधन राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली थी।।

आगे की राह:

- स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन: वास्तविक मुद्दा यह नहीं है कि कौन (न्यायपालिका या कार्यपालिका) न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, बल्कि किस प्रकार से उन्हें नियुक्त किया जाता है।
  - इसके लिये न्यायिक नियुक्ति आयोग (JAC) की संरचना चाहे जो भी हो, न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेही के बीच संतुलन बनाना महत्त्वपूर्ण है।
    - नियुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका होनी चाहिये लेकिन JAC की संरचना ऐसी होनी चाहिये कि इससे न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता न हो।
- न्यायपालिका के अंदर न्याय: यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि न्याय प्रदान करने के लिये न्यायालय की संस्थागत अनिवार्यता न्यायपालिका के भीतर अवसर की समानता और न्यायाधीशों के चयन के लिये निश्चित मानदंडों के साथ बनी रहे।
- NJAC की स्थापना पर पुनर्विचार: NJAC के अधिनियम में उन सुरक्षा उपायों को शामिल करने के लिये संशोधन किया जा सकता है जो इसे संवैधानिक रूप से वैध बनाएँगे साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिये पुनर्गठित किया जाएगा कि बहुमत नियंत्रण न्यायपालिका के पास बना रहे।

नोट :

चुनाव आयोग के संदर्भ में निजी सदस्य विधेयक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में देश में राजनीतिक दलों के आंतरिक संचालन को विनियमित करने और निगरानी के लिये भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission- ECI) को ज़िम्मेदार बनाने के लिये लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया गया।

- यह विधेयक ऐसे समय में प्रस्तुत किया गयाा है जब सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सुधार की आवश्यकता पर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
- यह तर्क दिया गया था कि बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों की आंतरिक कार्यप्रणाली और संरचनाएँ बहुत "अपारदर्शी एवं जटिल" हो गई हैं तथा और उनके कामकाज़ को पारदर्शी, जवाबदेह और नियम आधारित बनाने की आवश्यकता है।

निजी सदस्य विधेयक

- संसद के ऐसे सदस्य जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं हैं, को एक निजी सदस्य के रूप में जाना जाता है।
- निजी सदस्य विधेयक का उद्देश्य सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना है, जो कि सांसदों (मंत्रियों के अतिरिक्त) के मुताबिक, एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है और जिसे विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
  - इस प्रकार यह सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी पार्टी के रुख को दर्शाता है।
- सदन में इसे पेश करने के लिये एक महीने के नोटिस की आवश्यकता होती है और इसे प्रस्तुत करने तथा इस पर चर्चा करने का कार्य केवल शुक्रवार को ही किया जा सकता है।
  - सदन द्वारा इसे अस्वीकृत किये जाने से सरकार में संसदीय विश्वास या उसके त्याग-पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- पिछली बार दोनों सदनों द्वारा एक निजी सदस्य विधेयक 1970 में पारित किया गया था।
  - यह 'सर्वोच्च न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) विधेयक, 1968' था।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:

- CEC की नियुक्ति:
  - यह प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, विपक्ष के नेता या लोकसभा में सदन के नेता, विपक्ष के नेता या राज्यसभा में सदन के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, से मिलकर बने एक पैनल द्वारा नियुक्त किये जाने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त सहित चुनाव आयोग के सदस्यों की भी मांग करता है।
- CEC के लिये कार्यकाल:
  - विधेयक में CEC और EC के लिये छह साल के निश्चित कार्यकाल और क्षेत्रीय आयुक्तों के लिये नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष के कार्यकाल की परिकल्पना की गई है।
- CEC को हटाने की प्रक्रिया:
  - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अलावा उन्हें पद से हटाया नहीं जा सकता।
  - साथ ही, सेवानिवृत्ति के बाद, वे भारत सरकार, राज्य सरकारों और संविधान के तहत किसी भी कार्यालय में किसी भी पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होने चाहिये।
- गैर-अनुपालन की स्थिति में प्रक्रिया:
  - यदि कोई पंजीकृत राजनीतिक दल अपने आंतरिक कार्यों के संबंध में ECI द्वारा जारी सलाह, व निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 की धारा 16A के तहत ऐसे राजनीतिक दल की राज्य या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता चुनाव आयोग द्वारा वापस ली जा सकती है।

ECI की संरचना:

- मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त था लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम, 1989 के बाद इसे एक बहु-सदस्यीय निकाय बना दिया गया है।
- आयोग में एक CEC और दो EC होते हैं।
  - भारत के राष्ट्रपति CEC और EC की नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।
  - वे भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं।

ECI की शक्तियाँ और कार्य:

- संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर देश भर में चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना।
- मतदाता सूची तैयार करना और समय-समय पर संशोधित करना तथा सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना।
- राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित करना।
- आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के मौजूदा सदस्यों को चुनाव के बाद अयोग्य ठहराने के मामले में सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी है।
- यह चुनावों के संचालन हेतु चुनाव कार्यक्रम तय करता है, चाहे आम चुनाव हों या उपचुनाव।

नोट :

- चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की आम सहमति से विकसित आदर्श आचार संहिता के सख्त पालन के माध्यम से राजनीतिक दलों के लिये चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करता है।

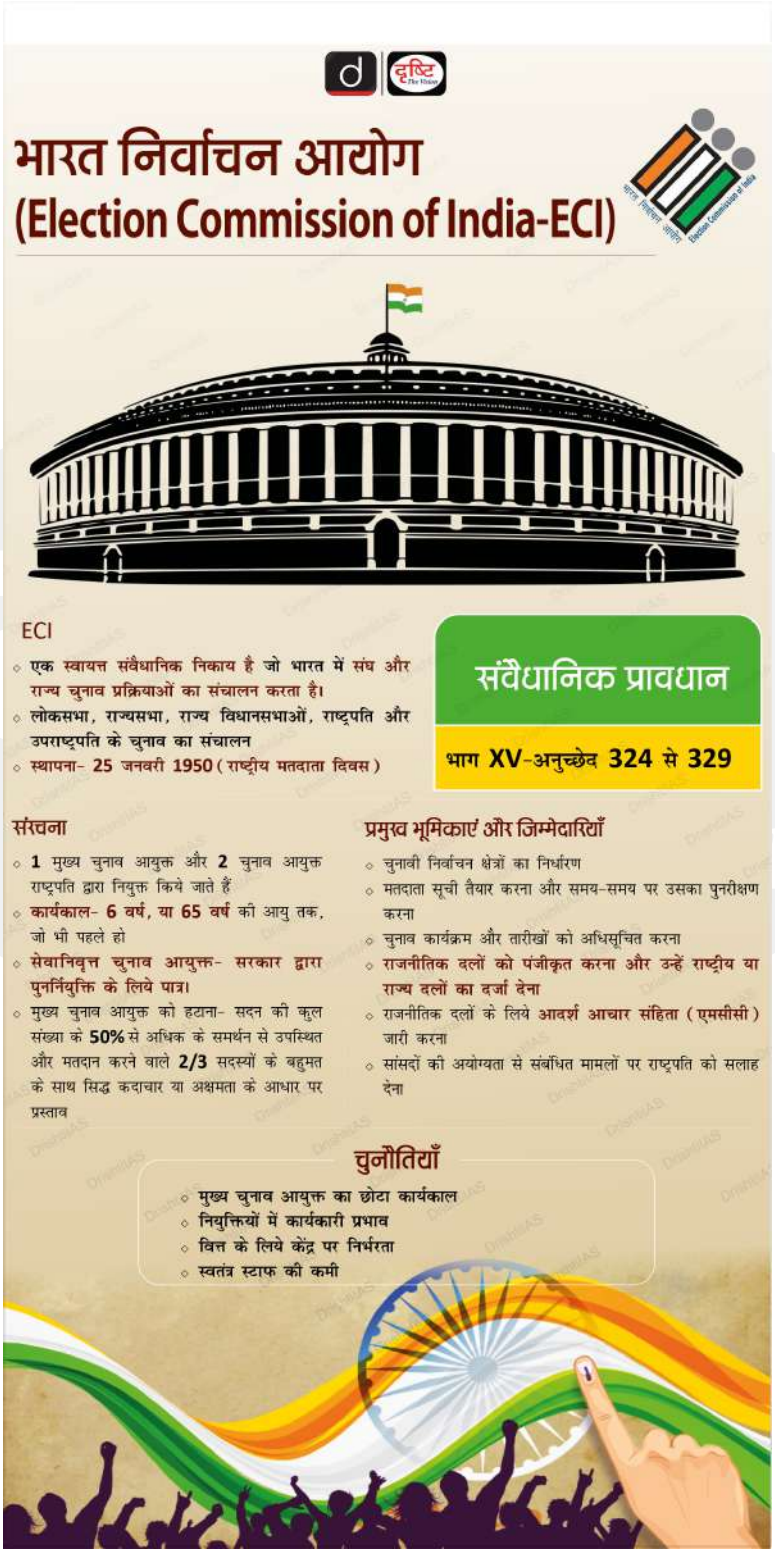

नोट :

चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे:

- CEC का संक्षिप्त कार्यकाल: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की कि ''वर्ष 2004 से किसी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने छह साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है'' और इस संक्षिप्त कार्यकाल के कारण CEC कोई विशेष भूमिका निभाने में असमर्थ रहा है।
  - संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान तो करता है, लेकिन इस संबंध में वह केवल इस आशय के एक कानून के अधिनियमन की परिकल्पना करता है और इन नियुक्तियों के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है।
- नियुक्ति पर कार्यपालिका का प्रभाव: निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति वर्तमान सरकार द्वारा की जाती है और इसलिये वे संभावित रूप से सरकार के प्रति कृतज्ञ होते हैं या उन्हें ऐसा लग सकता कि उन्हें सरकार के प्रति एक विशिष्ट स्तर की निष्ठा का प्रदर्शन करना है।
- वित्त के लिये केंद्र पर निर्भरता: ECI को एक स्वतंत्र निकाय बनाने के लिये अभिकल्पित विभिन्न प्रावधानों के बावजूद अभी भी इसके वित्त का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है। निर्वाचन आयोग का व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं रखा गया है।
- स्वतंत्र कर्मचारियों की कमी: चूँकि ECI के पास स्वयं के कर्मचारी नहीं होते, इसलिये जब भी चुनाव आयोजित होते हैं तो उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है।
- आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के लिये सांविधिक समर्थन का अभाव: आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के लिये और निर्वाचन संबंधी अन्य निर्णयों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध शक्तियों के दायरे एवं प्रकृति के बारे में स्पष्टता नहीं है।
- आंतरिक-पार्टी लोकतंत्र को विनियमित करने की सीमित शक्ति: राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनावों के संबंध में ECI की शक्ति एवं भूमिका सलाह देने तक सीमित है और उसके पास राजनीतिक दल के अंदर लोकतंत्र को लागू करने या उनके वित्त को विनियमित करने का कोई अधिकार नहीं है।

आगे की राह:

- जस्टिस तारकुंडे समिति (1975), दिनेश गोस्वामी समिति (1990), विधि आयोग (2015) जैसी विभिन्न समितियों ने सिफारिश की है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और CJI की सदस्यता वाली समिति की सलाह पर की जाए।
- कार्यालय से हटाने के मामलों में ECI के सभी सदस्यों को समान संवैधानिक संरक्षण दिया जाना चाहिये। एक समर्पित चुनाव प्रबंधन संवर्ग और कार्मिक प्रणाली लाना समय की मांग है।

The Vision

नोट :

भारतीय अर्थव्यवस्था

RBI और खुदरा डिजिटल रुपया

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पहले पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में खुदरा डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा की है जिसे केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा भी कहा जाता है।

- सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में द्वितीयक बाज़ार लेनदेन के लिये, RBI ने 01 नवंबर, 2022 को थोक बाज़ार हेतु डिजिटल रुपए की शुरुआत की थी।

इस पायलट प्रोजेक्ट के प्रमुख बिंदु:

- इस पायलट प्रोजेक्ट का प्रारंभिक चरण कुछ विशिष्ट स्थानों और बैंकों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो भाग लेने वाले ग्राहकों और व्यापार मालिकों से बने एक सीमित उपयोगकर्त्ता समूह (closed user group - CUG) में होंगे।
- यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू में मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर जैसे शहरों को कवर करेगा, जहाँ ग्राहक और व्यापारी डिजिटल रुपए (ई-आर) या ई-रुपए का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
- केंद्रीय बैंक के मुताबिक, यह पायलट प्रोजेक्ट वास्तविक समय (रियलटाइम) में डिजिटल रुपए के निर्माण, वितरण और खुदरा उपयोग की पूरी प्रक्रिया की मज़बूती का परीक्षण करेगा।

ई-रुपया (e-rupee):

- परिभाषा:
  - RBI, CBDC को केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किये गए मुद्रा के डिजिटल संस्करण के रूप में परिभाषित करता है। देश की मौद्रिक नीति के अनुसार यह केंद्रीय बैंक (इस मामले में, RBI) द्वारा जारी एक संप्रभु या पूरी तरह से स्वतंत्र मुद्रा है।
- लीगल टेंडर:
  - एक बार आधिकारिक रूप से जारी होने के बाद CBDC को तीनों पक्षों - नागरिक, सरकारी निकायों और उद्यमों द्वारा भुगतान का माध्यम एवं लीगल टेंडर माना जाएगा। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने के कारण इसे किसी भी वाणिज्यिक बैंक की मुद्रा या नोटों में स्वतंत्र रूप से परिवर्तित किया जा सकता है।
  - RBI ई-रुपए पर ब्याज के पक्ष में नहीं है क्योंकि लोग बैंकों से पैसे निकालकर इसे डिजिटल रुपए में बदल सकते हैं, जिससे बैंक विफल हो सकते हैं।
- क्रिप्टोकरेंसी से भिन्नता:
  - क्रिप्टोकरेंसी (डिस्ट्रिब्यूटेड लेज़र) की अंतर्निहित तकनीक डिजिटल रुपया प्रणाली के कुछ आयामों को कम कर सकती है, लेकिन RBI ने अभी तक इस पर फैसला नहीं किया है। हालाँकि बिटकॉइन या एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी प्रकृति में 'निजी' हैं। दूसरी ओर डिजिटल रुपए को RBI द्वारा जारी और नियंत्रित किया जाएगा।
- वैश्विक परिदृश्य:
  - जुलाई 2022 तक करीब 105 देश CBDC पर विचार कर रहे थे। दस देशों ने CBDC की शुरुआत कर दी है जिनमें सबसे पहला है वर्ष 2020 में बहामियन सैंड डॉलर तथा सबसे नवीनतम है जमैका का JAM-DEX।

ई-रुपया के प्रकार:

- डिजिटल रुपए द्वारा किये गए उपयोग और कार्यों के आधार पर तथा पहुँच के विभिन्न स्तरों पर विचार करते हुए, RBI ने डिजिटल रुपए को दो व्यापक श्रेणियों - खुदरा और थोक में सीमांकित किया है।
  - खुदरा ई-रुपया नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है जो मुख्य रूप से खुदरा लेनदेन के लिये है। यह संभावित रूप से सभी - निजी क्षेत्र, गैर-वित्तीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों द्वारा उपयोग के लिये उपलब्ध होगा और भुगतान तथा निपटान के लिये सुरक्षित धन तक पहुँच प्रदान कर सकता है क्योंकि यह केंद्रीय बैंक की प्रत्यक्ष देयता है
- थोक CBDC को चुनिंदा वित्तीय संस्थानों तक सीमित पहुँच के लिये डिज़ाइन किया गया है। इसमें सरकारी प्रतिभूतियों (G-sec) और पूँजी बाजार में बैंकों द्वारा किये गए वित्तीय लेनदेन के लिये निपटान प्रणालियों को परिचालन लागत, संपार्श्विक तथा तरलता प्रबंधन के उपयोग के मामले में अधिक कुशल एवं सुरक्षित बनाने की क्षमता है।

खुदरा डिजिटल रुपया:

- e₹-R एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा जो कानूनी निविदा का प्रतिनिधित्व करता है। यह कागज़ी मुद्रा और सिक्कों के समान मूल्यवर्ग में ज़ारी किया जाएगा और मध्यस्थों यानी बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
- RBI के अनुसार, उपयोगकर्त्ता भाग लेने वाले बैंकों द्वारा पेश किये गए डिजिटल वॉलेट के माध्यम से e₹-R के साथ लेनदेन करने में सक्षम होंगे और मोबाइल फोन तथा उपकरणों पर संग्रहीत होंगे।

नोट :

- लेनदेन व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति से व्यापारी (P2M) दोनों हो सकते हैं।
  - व्यापारियों को भुगतान स्थानों पर प्रदर्शित क्यूआर कोड का उपयोग करके किया जा सकता है।
  - e₹-R में ट्रस्ट, सुरक्षा और निपटान को अंतिम रूप देने जैसी भौतिक नकदी की सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।
  - नकदी के मामले में, यह कोई ब्याज अर्जित नहीं करेगा और इसे बैंकों के साथ धन के अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है।

ई-रुपए के फायदे:

- भौतिक नकद प्रबंधन में शामिल परिचालन लागत में कमी, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, भुगतान प्रणाली में लचीलापन, दक्षता और नवीनता लाना।
- जनता को ऐसी सुविधा प्रदान करता है जो कोई भी निजी आभासी मुद्राएँ जोखिमों के बिना प्रदान कर सकती हैं।

भारत में CBDC से संबंधित मुद्दे:

- साइबर सुरक्षा:
  - CBDC पारिस्थितिकी तंत्र को साइबर हमलों जैसे जोखिम हो सकते हैं जो वर्तमान भुगतान प्रणाली में पहले से मौजूद हैं।
- गोपनीयता का मुद्दा:
  - CBDC से वास्तविक समय में डेटा के विशाल मात्रा के उत्पन्न होने की उम्मीद है। डेटा की गोपनीयता, इसके अज्ञात से संबंधित चिंताएँ और इसका प्रभावी उपयोग एक चुनौती होगी।
- डिजिटल अंतराल और वित्तीय निरक्षरता:
  - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey-NFHS)-5 ग्रामीण-शहरी विभाजन के आधार पर डेटा पृथक्करण की सुविधा भी प्रदान करता है। केवल 48.7% ग्रामीण पुरुषों और 24.6% ग्रामीण महिलाएँ इंटरनेट का उपयोग करती हैं। इसलिये CBDC डिजिटल डिवाइड के साथ-साथ वित्तीय समावेशन में लिंग आधारित बाधाओं को बढ़ा सकता है।

आगे की राह:

- उन अंतर्निहित तकनीकों पर निर्णय लेने के लिये तकनीकी स्पष्टता सुनिश्चित की जानी चाहिये जिन पर सुरक्षा और स्थिरता के लिये भरोसा किया जा सकता है।
- CBDC को एक सफल पहल और आंदोलन बनाने के लिये RBI को व्यापक आधार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी स्वीकृति बढ़ाने के लिये मांग पक्ष के बुनियादी ढाँचे तथा ज्ञान के अंतराल को दूर करना चाहिये।
- RBI को विभिन्न मुद्दों, डिज़ाइन के विचारों और डिजिटल मुद्रा की शुरुआत के निकट प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से आगे बढ़ना चाहिये।

GDP और GVA

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (2022-23 या वित्त वर्ष 2023) के लिये भारत के आर्थिक विकास के आँकड़े जारी किये।

- भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) दूसरी तिमाही में 6.3% बढ़ा और इसी दौरान सकल मूल्यवर्द्धन (GVA) में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 5.6% वृद्धि हुई।
- विशेष रूप से भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा क्योंकि चीन ने जुलाई-सितंबर, 2022 में 3.9% की ही आर्थिक वृद्धि दर्ज की।
- GDP और GVA देश के आर्थिक प्रदर्शन का पता लगाने के दो मुख्य तरीके हैं।

GDP और GVA:

- GDP:
  - सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product-GDP) किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि, आम तौर पर 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। यह एक राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधि का एक व्यापक माप है।
  - चार प्रमुख "GDP विकास के इंजन":
    - भारतीयों द्वारा अपने निजी उपभोग (अर्थात् निजी अंतिम उपभोग व्यय या PFCE) के लिये खर्च किया गया सारा पैसा।
    - सरकार द्वारा अपने वर्तमान उपभोग पर खर्च किया गया सारा पैसा, जैसे कि वेतन [सरकारी अंतिम उपभोग व्यय या GFCE]
    - अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ावा देने के लिये निवेश किया गया सारा पैसा। इसमें फैक्टरियों में निवेश करने वाली व्यावसायिक फर्म या सड़कों और पुलों का निर्माण करने वाली सरकारें शामिल हैं [सकल स्थायी पूंजीगत व्यय]।
    - निर्यात का शुद्ध प्रभाव (विदेशियों ने हमारी वस्तुओं पर जो खर्च किया) और आयात (भारतीयों ने विदेशी वस्तुओं पर जो खर्च किया) [शुद्ध निर्यात या NX]।

नोट :

- GDP की गणना:
  - GDP = निजी खपत + कुल निवेश + सरकार द्वारा निवेश + सरकार द्वारा खर्च + (आयात-निर्यात)
- सकल मूल्य वर्द्धन (Gross Value Added- GVA):
  - GVA आपूर्ति पक्ष के संदर्भ में राष्ट्रीय आय की गणना करता है।
  - यह विभिन्न क्षेत्रों के सभी मूल्य वर्द्धन का योग करता है।
    - भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, किसी क्षेत्र के GVA को आउटपुट के मूल्य में से मध्यवर्ती इनपुट के मूल्य को घटा कर प्राप्त मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह "मूल्य वर्द्धन " उत्पादन, श्रम और पूंजी के प्राथमिक कारकों के बीच साझा किया जाता है।
    - GVA वृद्धि को देखकर यह समझना आसान है कि अर्थव्यवस्था के कौन- से क्षेत्र मज़बूत है और कौन- क्षेत्र संघर्षशील है।

GDP और GVA में संबंध:

- GDP का मुख्य आधार GVA डेटा होता है।
- GDP और GVA निम्नलिखित समीकरण द्वारा संबंधित हैं: GDP = (GVA) + (सरकार द्वारा अर्जित कर)-(सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी) ।
- जैसे, अगर सरकार द्वारा अर्जित कर उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी से अधिक है, तो सकल घरेलू उत्पाद GVA से अधिक होगा।
- सकल घरेलू उत्पाद डेटा वार्षिक आर्थिक विकास का आकलन करने और देश के आर्थिक विकास की तुलना बीते समय अथवा किसी अन्य देश की आर्थिक विकास से करने काफी सहायक होता है।

वैश्विक छँटनी का प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कई अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बड़े पैमाने पर छँटनी की घोषणा की है, जो पहले ही सितंबर और अक्तूबर 2022 में 60,000 को पार कर चुकी है।

- छँटनी, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के प्रदर्शन से असंबंधित कारणों से रोज़गार की अस्थायी या स्थायी समाप्ति है।

छँटनी के कारण:

- लागत में कटौती:
  - वैश्विक मंदी की चर्चा के साथ तकनीकी कंपनियाँ, जिन्हें आमतौर पर बड़े खर्च करने वाली के रूप में देखा जाता है, अब लागत में कटौती का सहारा ले रही हैं।
  - लागत में कटौती छँटनी के मुख्य कारणों में से एक है क्योंकि कंपनियाँ अपने खर्चों को कवर करने के लिये पर्याप्त लाभ नहीं कमा रही हैं या उन्हें ऋण चुकाने के लिये पर्याप्त अतिरिक्त नकदी की आवश्यकता है।
    - भारतीय स्टार्टअप्स को भी इस परेशानी का सामना मीडिया रिपोर्ट्स से करना पड़ा है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2022 में मुख्य रूप से एडटेक और ई-कॉमर्स क्षेत्रों में स्टार्टअप्स द्वारा दस हज़ार से अधिक कर्मचारियों की छँटनी की गई है।
- आर्थिक मंदी का डर:
  - ये कंपनियाँ संभावित आर्थिक मंदी से आशंकित हैं, दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मुद्रास्फीति बढ़ रही है।
  - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF) ने महामारी और चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष को देखते हुए वर्ष 2022 तथा 2023 दोनों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product-GDP) वृद्धि के पूर्वानुमान को निराशाजनक बताया है।
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निर्भरता का कम होना:
- महामारी के दौरान, मांग में वृद्धि आई क्योंकि लोग लॉकडाउन में थे और वे इंटरनेट पर बहुत समय बिता रहे थे। समग्र खपत में वृद्धि देखी गई जिसके बाद कंपनियों ने बाज़ार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपने उत्पादन में वृद्धि की।
- मांगों को पूरा करने के लिये कई तकनीकी कंपनियों ने महामारी के बाद भी उछाल जारी रहने की उम्मीद में कंपनी में भर्ती की होड़ शुरू कर दी।
- हालाँकि जैसे-जैसे प्रतिबंधों में ढील दी गई और लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना शुरू किया, खपत में कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप इन बड़ी टेक कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। मांग में अचानक उछाल के कारण इनमें से कुछ संसाधनों को उच्च लागत पर काम पर रखा गया था।

भारतीय व्यवसायों का भविष्य:

- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनियाँ संगठित क्षेत्र में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से हैं और किसी भी वैश्विक आर्थिक प्रवृत्ति का उनके विकास संबंधी अनुमानों पर प्रभाव पड़ना तय है।
  - क्योंकि वे निवेशकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, प्रबंधन खर्च को कम करने और लाभ मार्जिन बनाए रखने की कोशिश करते समय कर्मचारियों के स्तर पर सावधानीपूर्वक विचार करता है।
- हालाँकि अभी तक इससे संबंधित कोई स्पष्ट रुझान नहीं है, फिर भी कुछ संकेत हैं जो बता सकते हैं कि अगले कुछ महीनों में क्या होने की आशा है ?

नोट :

- विप्रो को छोड़कर, सभी प्रमुख व्यवसायों के राजस्व और शुद्ध लाभ में वृद्धि हुई। सितंबर तिमाही के लिये, विप्रो का शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9% कम रहा।

- शीर्ष दो फर्मों, TCS और इन्फोसिस प्रति 100 कर्मचारियों की संख्या, यह दर्शाती है कि ये दरें अभी भी उच्च हैं, जिसका अर्थ है कि प्रतिस्पर्धियों के कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिये इस क्षेत्र के लिये पर्याप्त व्यवसाय है।
- भारतीय स्टार्ट-अप फ्रंट में छँटनी की खबरें मुख्य रूप से एडटेक या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फ्रंट में हैं।

छँटनी का प्रभाव

- श्रमिकों के लिये नुकसान:
  - छँटनी मनोवैज्ञानिक रूप से और साथ ही वित्तीय रूप से प्रभावित श्रमिकों के साथ-साथ उनके परिवारों, समुदायों, सहयोगियों और अन्य व्यवसायों के लिये हानिकारक हो सकती है।
- संभावनाओं का नुकसान:
  - जिन भारतीय श्रमिकों को नौकरी से निकाला गया है, उनकी चिंता बहुत बड़ी है। यदि वे 60 दिनों के भीतर एक नया नियोक्ता खोजने में असमर्थ हैं, तो उन्हें अमेरिका छोड़ने और बाद में फिर से प्रवेश करने की संभावना का सामना करना पड़ता है।
  - मामलों को बदतर बनाने के लिये, इन भारतीय श्रमिकों की घर वापसी की संभावनाएँ भी कमज़ोर हैं।
  - अधिकांश भारतीय आईटी कंपनियों ने नियुक्तियों को फ्रीज या धीमा कर दिया है क्योंकि अमेरिका में मंदी की आशंका और यूरोप में उच्च मुद्रास्फीति ने मांग को कम रखा है।
- ग्राहकों की संभाव्यता में कमी:
  - जब कोई कंपनी अपने कर्मचारियों छँटनी करती है तो इससे ग्राहकों में यह संदेश जाता है कि वह किसी प्रकार से संकटग्रस्त है।
- भावनात्मक संकट:
  - यद्यपि जिस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जाता है,वह सबसे अधिक संकट में होता है लेकिन शेष कर्मचारी भी भावनात्मक रूप से भी पीड़ित होते हैं। भय के साथ काम करने वाले कर्मचारियों का उत्पादकता स्तर कम होने की संभावना होती है।

पूर्ववर्ती वैश्विक मंदी के दौरान भारत की स्थिति:

- पूर्ववर्ती वैश्विक मंदी के दौरान यद्यपि कंपनियों ने शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से छँटनी की घोषणा की थी लेकिन वे सभी उन कर्मचारियों को निकालना चाहते थे जिनका प्रदर्शन स्तर काफी नीचे था।
- जो कंपनियाँ विशेष रूप से खराब दौर से गुज़र रही थीं उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ (समूह के प्रतिभाशाली लोगों की संख्या) में कटौती की। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति समूह में केवल एक महीने पुराना था (यानी, उनके पास कोई परियोजना नहीं थी), तो उसे कुछ प्रशिक्षण कार्यों आदि के लिये साइन अप करने के लिये कहा जा सकता था।
- यदि किसी पेशेवर ने बेंच/समूह में तीन महीने से अधिक समय लगाया और एक भी परियोजना पूरी नहीं की थी, तो सिस्टम स्वयं उसे बाहर निकाल देता था।।
- 2008 की मंदी का परिणाम यह हुआ कि कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि को धीमा करना शुरू कर दिया।
- कैंपस से किये जाने वाले नियोजित परिवर्द्धन में कमी की गई अथवा नियोजन का प्रस्ताव तो दिया जाता था लेकिन चयनित व्यक्ति को कंपनी के साथ जुड़ने में 9-12 महीने का समय लगता था।

आगे की राह:

- भारतीय स्टार्टअप अपने पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में तेज़ गति से आगे बढ़े हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि एक स्टार्टअप ने विकास के क्रम में आसमान छू लिया है तो उसके कर्मचारियों की नौकरियाँ भी सुरक्षित होंगी।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कार्यक्रम व्यक्तियों को सुचारू रूप से सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ने में सक्षम बना सकते हैं।

भारत विकास रिपोर्ट: विश्व बैंक

चर्चा में क्यों ?

विश्व बैंक ने 'नेविगेटिंग द स्टॉर्म' शीर्षक से प्रकाशित भारत विकास रिपोर्ट में, यह अनुमान लगाया है कि 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था में 6.9% तक वृद्धि होगी।

- अक्तूबर 2022 में, विश्व बैंक ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 7.5% से घटाकर 6.5% कर दिया था।

मुख्य विशेषताएँ:

- विकास प्रक्षेपण:
  - चुनौतीपूर्ण बाह्य परिस्थितियों में भी आर्थिक गतिविधियों में भारत का लचीलापन।
    - चुनौतीपूर्ण बाह्य परिस्थितियों के प्रति भारत की अर्थव्यवस्था उल्लेखनीय रूप से लचीली रही है और मज़बूत समष्टि आधार ने इसे अन्य उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अच्छी स्थिति में रखा है।
  - अधिक निजी खपत और निवेश।
  - पूंजीगत व्यय को बढ़ाने पर सरकार के लक्ष्य ने भी 2022-23 की पहली छमाही में घरेलू मांग को समर्थन दिया।

नोट :

- भारत का एक बड़ा घरेलू बाज़ार है और अपेक्षाकृत कम अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह के संपर्क में है।
- 3 (अक्तूबर से दिसंबर तिमाही), 2022-23 की शुरुआत में घरेलू मांग में लगातार तीव्र वृद्धि हुई है।
- वैश्विक अव्यवस्था के लिए एक सुनियोजित और विवेकपूर्ण नीति के तहत प्रतिक्रिया, भारत को वैश्विक और घरेलू चुनौतियों से निपटने में मदद कर रही है।

- चुनौतियाँ:
  - वैश्विक मौद्रिक नीति चक्र में लचीलापन, वैश्विक वृद्धि में सुस्ती और जिंसों की ऊँची कीमतों (मुद्रास्फीति) तथा बढ़ती ऋण लागत का असर वित्त वर्ष 2023-24 में घरेलू मांग, विशेष रूप से निजी खपत पर पड़ेगा, जबकि वैश्विक वृद्धि में कमी से भारत के निर्यात की मांग में वृद्धि बाधित होगी। इन कारकों का अर्थ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022 की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में कम वृद्धि का अनुभव करेगी।
- सुझाव:
  - नवीकरणीय ऊर्जा और हरित अर्थव्यवस्था क्षेत्र रोज़गार के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं।
  - यह विकास और उपलब्ध नीति विल्प परनकारात्मक वैश्विक प्रभाव को रोकने हेतु ट्रेड ऑफ के संदर्भ में चेतावनी जारी करता है।

विश्व बैंक:

- परिचय:
  - अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी।
  - विश्व बैंक समूह विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिये काम कर रहे पाँच संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है।
- सदस्य:
  - 189 देश इसके सदस्य हैं।
  - भारत भी इसका सदस्य है।
- प्रमुख रिपोर्ट:
  - ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (प्रकाशन बंद)।
  - मानव पूंजी सूचकांक।
  - विश्व विकास रिपोर्ट।
- इसके पाँच विकास संस्थान:
  - अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD)
  - अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)
  - अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)
  - बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी (MIGA)
  - निवेश विवादों के निपटान के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID)
    - भारत इसका सदस्य नहीं है।

सोने का आयात और तस्करी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के वित्त मंत्री ने कहा है कि अधिकारियों को यह पता लगाना चाहिये कि क्या उच्च सोने के आयात और तस्करी के बीच कोई संबंध है साथ ही तस्करी का पता लगाने हेतु क्या तरीका है।

- यह ज्ञात है कि जब भी सोने के आयात में वृद्धि होती है, सोने की तस्करी भी आमतौर पर बढ़ जाती है।

भारत में सोने की तस्करी:

- परिचय:
  - डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 833 किलोग्राम तस्करी का सोना ज़ब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रूपए थी।
    - वर्ष 2020-21 में खाड़ी क्षेत्र से तस्करी में गिरावट देखी गई थी क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण हवाई उड़ानें रद्द कर दी गई थीं।
  - अगस्त 2020 तक पाँच वर्षों में भारत भर के हवाई अड्डों पर तस्करी के 16,555 मामलों में 11 टन से अधिक सोना ज़ब्त किया गया है।
  - उपर्युक्त रिपोर्ट किये गए आँकड़े ज़ब्त किये गए सोने के थे, हालाँकि जो तस्करी सफल रही हैं वह एजेंसियों द्वारा ज़ब्त की गई राशि से कहीं अधिक हो सकती है।
  - विश्व स्वर्ण परिषद (World Gold Council-WGC) के अनुसार, सोने पर आयात शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 12.5% करने के कारण तस्करी पूर्व कोविड अवधि की तुलना में वर्ष 2022 में 33% बढ़कर 160 टन तक पहुँच सकती है।
  - पिछले 10 वर्षों में महाराष्ट्र में भारत में अधिकांश सोने की तस्करी हुई है उसके बाद तमिलनाडु और केरल का स्थान है।

नोट :

- पूर्वोत्तर तस्करी मार्ग:
  - DRI की रिपोर्ट के अनुसार, ज़ब्त किये गए सोने का 73 फीसदी म्याँमार और बांग्लादेश के जरिये लाया गया था।
    - वित्त वर्ष 2012 में ज़ब्त किये गए सोने का 37% म्याँमार से था। इसका 20% हिस्सा पश्चिम एशिया से ज़ब्त किया गया है।
  - कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों से पता चलता है कि तस्करी का सोना चीन से म्याँमार में क्रमश: रुइली और म्यूज़ के शहरों के माध्यम से लाया जाता है।
    - म्यूज़ पूर्वोत्तर म्याँमार में शान राज्य में स्थित है और रुइली युन्नान प्रांत, चीन के देहोंग दाई प्रांत में स्थित है।

भारत द्वारा आयातित सोने की मात्रा:

- विदेशी मुद्रा के अधिक बहिर्वाह के साथ, आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सोने के आयात में वृद्धि देखी जा रही है।
  - वर्ष 2020-21 में 2.54 लाख करोड़ रूपए के सोने के आयात की तुलना में वर्ष 2021-22 में 3.44 लाख करोड़ रूपए का आयात दर्ज किया गया।
- वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता भारत, एक साल में लगभग 900 टन सोने का आयात करता है। वर्ष 2021 में भारत में इसकी खपत 797.3 टन थी (विगत 5 वर्षों में सबसे अधिक)।
- भारत गोल्ड डोर बार(gold dore bar) के साथ-साथ परिष्कृत सोने(refined gold) का आयात करता है।
  - विगत पाँच वर्षों में, सोने की डोर बार का आयात, भारत में पीली धातु के कुल आधिकारिक आयात का 30% रहा।

राजस्व आसूचना निदेशालय:

- राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) भारत की शीर्ष तस्करी-रोधी खुफिया, जाँच और संचालन एजेंसी है।
- यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत कार्यरत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के तहत काम करता है।
- इसका नेतृत्त्व भारत सरकार के विशेष सचिव स्तर के महानिदेशक द्वारा किया जाता है।
- राजस्व आसूचना निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence - DRI) आग्नेयास्त्रों, सोना, नशीले पदार्थों, नकली भारतीय मुद्रा नोटों, प्राचीन वस्तुओं, वन्य जीवन और पर्यावरण उत्पादों की तस्करी की रोकथाम करके भारत की राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
  - इसके अलावा, यह काले धन, वाणिज्यिक धोखाधड़ी और व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग के प्रसार को रोकने में भी मदद करता है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

RBI की मौद्रिक नीति समीक्षा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने मौद्रिक नीति की अपनी नवीनतम समीक्षा की घोषणा की।

- RBI ने कहा, "दुनिया भर में विकास की संभावनाएँ कम हो रही हैं। वित्तीय बाज़ार में व्यवधान उत्पन्न हुआ है तथा उच्च अस्थिरता एवं कीमतों में उतार-चढ़ाव की विशेषता विद्यमान है।""

समीक्षा के मुख्य बिंदु:

- GDP विकास पूर्वानुमान:
  - MPC ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिये अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के विकास अनुमान को 7% से घटाकर 6.8% कर दिया।
    - इससे एक दिन पूर्व विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिये वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया था।
  - वास्तविक जीडीपी वृद्धि वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिये 7.1% और दूसरी तिमाही के लिये 5.9% अनुमानित है।
  - जैसा कि सितंबर 2022 के आँकड़ों से पता चलता है कि इसने पूरे वर्ष के लिये GDP के अनुमान में कटौती की लेकिन तिमाही GDP के अनुमान को बढ़ा दिया।
- मुद्रास्फीति और ब्याज दरें:
  - MPC ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में हेडलाइन मुद्रास्फीति (एक अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रास्फीति) के पूर्वानुमान को 7% पर बनाए रखा है।
  - आरबीआई को उम्मीद है कि लगातार 15 महीनों के लिये हेडलाइन मुद्रास्फीति 6% से ऊपर रहेगी। उसके बाद भी, 4% के स्तर तक पहुँचने में समय लग सकता है।
- रेपो दर:
  - MPC ने रेपो दर को 35 आधार अंकों (bps) से बढ़ाकर 6.25% कर दिया और स्थायी जमा सुविधा को बढ़ाकर 6% कर दिया।

मौद्रिक नीति ढाँचा:

- उद्गम:
  - मई 2016 में RBI अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि देश की मौद्रिक नीतिगत ढाँचे को संचालित करने के लिये केंद्रीय बैंक को विधायी अधिदेश प्रदान किया जा सके।
- उद्देश्य:
  - ढाँचे का उद्देश्य वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति

नोट :

के आकलन के आधार पर नीतिगत (रेपो) दर निर्धारित करना तथा रेपो दर पर या उसके आस-पास मुद्रा बाज़ार दरों को स्थिर करने के लिये तरलता में सुधार करना है।

- नीतिगत दर के रूप में रेपो दर:
  - रेपो दर में परिवर्तन मुद्रा बाजार के माध्यम से समग्र वित्तीय प्रणाली में संचारित होता है जो बदले में कुल मांग को प्रभावित करता है।
  - इस प्रकार यह मुद्रास्फीति और विकास का एक प्रमुख निर्धारक है।

नोट :

मौद्रिक नीति समिति:

- गठन:
  - संशोधित (2016 में) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन करने का अधिकार है।
- उद्देश्य:
  - धारा 45ZB में कहा गया है कि "मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक नीति दर निर्धारित करेगी"।
- मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंको के लिये बाध्यकारी होगा।
- रचना:
  - धारा 45ZB के अनुसार एमपीसी में 6 सदस्य होंगे:
    - RBI गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में।
    - मौद्रिक नीति का प्रभारी डिप्टी गवर्नर।
    - केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी।
    - केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन व्यक्ति।
    - इस प्रक्रिया के तहत "अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले सक्षम व निष्पक्ष व्यक्तियों" की नियुक्ति की जाएगी।

मौद्रिक नीति के उपकरण:

- रेपो दर
- स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर
- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF)
- LAF कॉरिडोर
- मुख्य चलनिधि प्रबंधन उपकरण
- फाइन ट्यूनिंग संचालन
- रिवर्स रेपो रेट
- बैंक दर
- नकद आरक्षित अनुपात (CRR)
- वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)
- ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO)

The Vision

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

UNSC में भारत की अध्यक्षता

चर्चा में क्यों ?

1 दिसंबर को, भारत ने वर्ष 2021-22 में परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने दो वर्ष के कार्यकाल में दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अध्यक्षता संभाली है।

- भारत ने इससे पहले अगस्त 2021 में UNSC की अध्यक्षता संभाली थी।

भारत की अध्यक्षता में आगे की राह:

- बहुपक्षवाद में सुधार:
  - भारत सुरक्षा परिषद में "अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु: सुधारवादी बहुपक्षवाद (NORMS) हेतु नवीन अभिविन्यास (New Orientation for Reformed Multilateralism- NORMS)" पर "उच्च स्तरीय खुली चर्चा" आयोजित करेगा।
    - मानदंडों में वर्तमान बहुपक्षीय संरचना में सुधारों की परिकल्पना की गई है, जिसके केंद्र में संयुक्त राष्ट्र है, ताकि इसे अधिक प्रतिनिधिक और उद्देश्य के लिये उपयुक्त बनाया जा सके।
- आतंकवाद को रोकना:
  - 'आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिये खतरा: आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये वैश्विक दृष्टिकोण- चुनौतियाँ और आगे की राह विषय पर उच्च स्तरीय ब्रीफिंग की योजना बनाई गई है।
    - यह ब्रीफिंग आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिये सामूहिक और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करने का इरादा रखती है। अंतर

UNSC:

- परिचय:
  - सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
    - संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंग हैं - महासभा (UNGA), ट्रस्टीशिप काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय।
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के जनादेश के साथ, वैश्विक बहुपक्षवाद का केंद्र बिंदु है।
  - महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है।
  - UNSC और UNGA संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करते हैं।
- संरचना:
  - UNSC का गठन 15 सदस्यों (5 स्थायी और 10 गैर-स्थायी) द्वारा किया गया है।
  - सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, रूस और चीन हैं।
  - गौरतलब है कि इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को दो वर्ष की अवधि के लिये अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है।
    - पाँच सदस्य एशियाई या अफ्रीकी देशों से,
    - दो दक्षिण अमेरिकी देशों से,
    - एक पूर्वी यूरोप से और
    - दो पश्चिमी यूरोप या अन्य
- भारत की सदस्यता:
  - भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में सात बार सेवा की है और जनवरी 2021 में भारत ने आठवीं बार UNSC की अस्थायी सदस्यता ग्रहण की है।
  - भारत UNSC में एक स्थायी सीट की वकालत करता रहा है।
- मतदान की शक्तियाँ:
  - सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय स्थायी सदस्यों सहित नौ सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा लिये जाते हैं, जिसमें सदस्यों की सहमति अनिवार्य है।
  - पाँच स्थायी सदस्यों में से यदि कोई एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है।
- कार्य:
  - UNSC मध्यस्थता के माध्यम से पक्षकारों को एक समझौते तक पहुँचने, विशेष दूत नियुक्त करने, संयुक्त राष्ट्र मिशन भेजने या विवाद को सुलझाने के लिये संयुक्त राष्ट्र महासचिव से अनुरोध करने में मदद करके शांति प्रदान करता है।
  - यह जनादेश के विस्तार, संशोधन या समाप्ति के लिये भी मतदान कर सकता है।
  - सुरक्षा परिषद महासचिव और परिषद सत्रों की आवधिक रिपोर्ट के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के कार्य की देखरेख

नोट :

करती है। यह अकेले इन कार्यों के संबंध में निर्णय ले सकती है, जिसे लागू करने के लिये सदस्य राज्य बाध्य हैं।

UNSC से संबद्ध चुनौतियाँ:

- प्रासंगिकता में कमी:
  - प्रासंगिकता और विश्वसनीयता खोने के लिये परिषद की आलोचना की जाती है।
    - भारत के विदेश मंत्री के अनुसार, UNSC में संकीर्ण नेतृत्त्व है और एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है, इसलिये "रिफ्रेश बटन" के लिये दबाव डालने का आह्वान किया गया है।
- बहुपक्षवाद की कमी:
  - सीरियाई युद्ध संकट और कोविड -19 महामारी के मद्देनजर परिषद के बहुपक्षवाद की कमी की भी आलोचना की गई है।
- प्रतिनिधित्त्व में कमी:
  - 54 देशों वाले महत्त्वपूर्ण महाद्वीप- अफ्रीका की अनुपस्थिति के कारण कई वक्ताओं का दावा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कम प्रभावी है क्योंकि इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्त्व में कमी है।
- वीटो शक्ति का दुरुपयोग:
  - कई विशेषज्ञों और अधिकांश राज्यों ने वीटो शक्ति की लगातार आलोचना की है, इसे "विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का स्वयं-चुना हुआ क्लब" और अलोकतांत्रिक बताया गया है तथा कोई निर्णय P-5 में से किसी एक सदस्य देश के हित में न होने पर यह परिषद महत्त्वपूर्ण निर्णयों पर भी रोक लगाती है।
    - P5 सदस्य देशों के रूप में वर्तमान वैश्विक व्यवस्था को देखे तो इनमे से तीन देश- संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन ऐसे देश हैं जो कुछ वैश्विक भू-राजनीतिक मुद्दों के केंद्र बिंदु हैं जैसे- ताइवान मुद्दा और रूस-यूक्रेन युद्ध का मुद्दा।

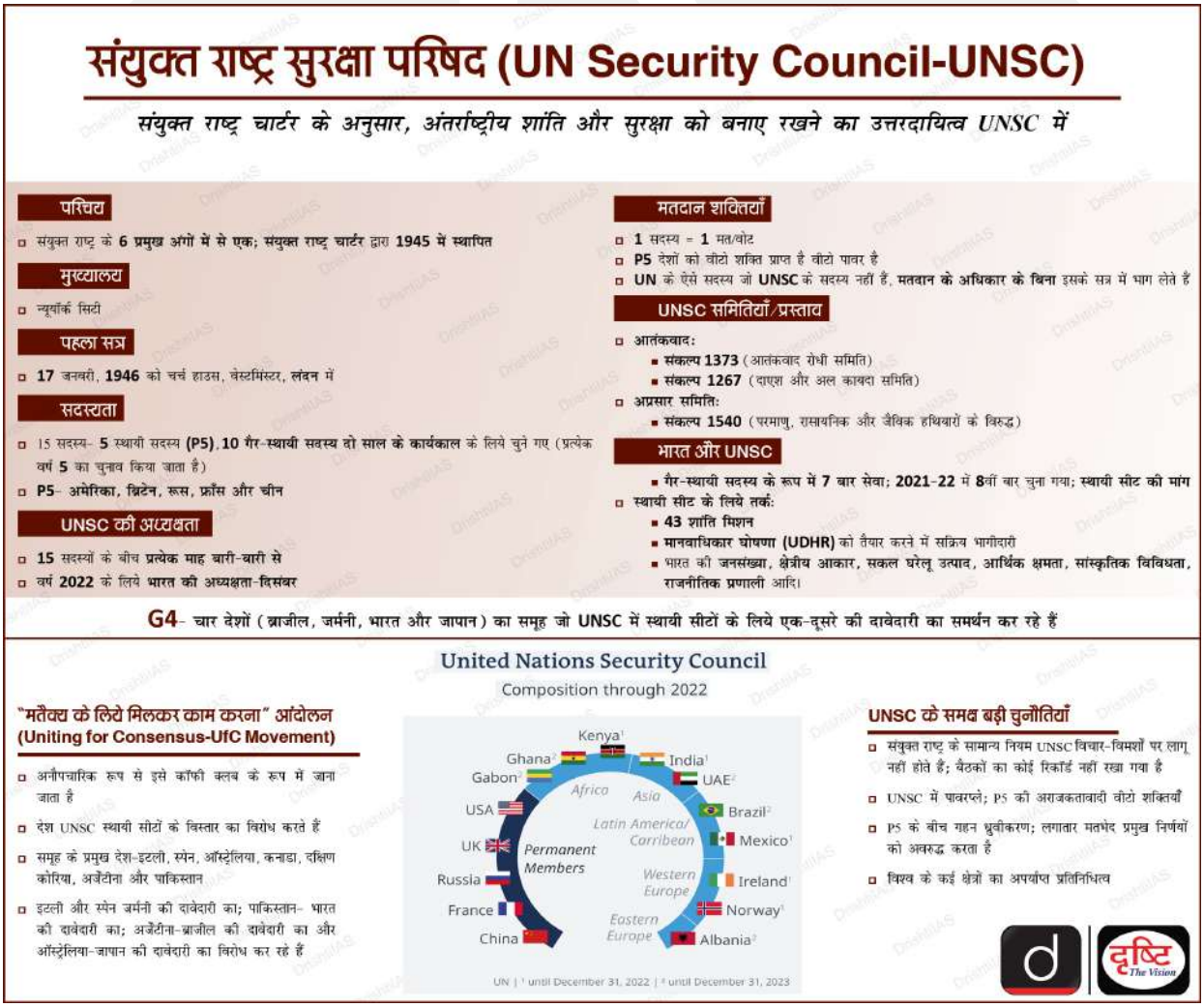

नोट :

आगे की राह:

- केवल P5 देशों के विशेषाधिकारों को संरक्षित करने की अपेक्षा वैश्विक स्तर के अनेक मुद्दे हैं जिन पर UNSC को ध्यान देना चाहिये।
  - P5 देशों और शेष विश्व के बीच शक्ति असंतुलन संबंधी सुधार की आवश्यकता है।
- संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों में, इसके चार्टर में और वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में सुधारित बहुपक्षवाद में विश्वास बनाए रखने के लिये UNSC में मूलभूत चुनौतियों का सख्ती से विश्लेषण किया जाना चाहिये तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से निपटान किया जाना चाहिये।

वासेनार अरेंजमेंट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वियना, आयरलैंड में वासेनार अरेंजमेंट की 26वीं वार्षिक पूर्ण बैठक में भारत को अध्यक्षता सौंपी गई और भारत आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी, 2023 से इसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा।

वासेनार अरेंजमेंट:

- परिचय:
  - वासेनार अरेंजमेंट एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। जुलाई, 1996 में औपचारिक रूप से स्थापित इस व्यवस्था में 42 सदस्य हैं जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों एवं प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर जानकारी का आदान-प्रदान करते हैं।
    - दोहरे उपयोग से तात्पर्य एक वस्तु या प्रौद्योगिकी की क्षमता से है जिसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिये किया जाता है - आमतौर पर शांतिपूर्ण और सैन्य।
  - वासेनार अरेंजमेंट का सचिवालय वियना, ऑस्ट्रिया में है।
- सदस्य:
  - इसमें 42 सदस्य राज्य हैं जिनमें अधिकतर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) और यूरोपीय संघ के राज्य शामिल हैं।
    - भाग लेने वाले राज्यों को प्रत्येक छह माह पर व्यवस्था के बाहर के गंतव्यों के लिये अपने हथियारों के हस्तांतरण और कुछ दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण/अस्वीकृति की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।
  - भारत वर्ष 2017 में इस व्यवस्था का सदस्य बना था।
- उद्देश्य:
  - समूह पारंपरिक और परमाणु-सक्षम दोनों प्रकार की प्रौद्योगिकी के संबंध में सूचनाओं का नियमित रूप से आदान-प्रदान करता है, जिसे समूह के बाहर के देशों को हस्तांतरण या अस्वीकार किया जाता है।
  - यह उन रसायनों, प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं और उत्पादों की विस्तृत सूचियों के रखरखाव और अद्यतनीकरण के माध्यम से किया जाता है जिन्हें सैन्य रूप से महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
  - इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को कमज़ोर करने वाले देशों या संस्थाओं के लिये प्रौद्योगिकी, सामग्री या घटकों की आवाजाही को नियंत्रित करना है।
- वासेनार अरेंजमेंट प्लेनरी: इसके निर्णय संबंधी अधिकार होते हैं।
  - इसमें प्रतिभागी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और आम तौर पर वर्ष में एक बार, दिसंबर में इनकी बैठक होती है।
  - भाग लेने वाले राज्य बारी-बारी से प्लेनरी चेयर का पद धारण करते हैं।
  - वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में प्लेनरी पद क्रमश: यूनाइटेड किंगडम और ग्रीस के पास था।
  - सभी प्लेनरी निर्णय सर्वसम्मति से लिये जाते हैं।

भारत के लिये अध्यक्षता का महत्त्व:

- आतंकवाद विरोधी प्रयासों को बढ़ावा:
  - वासेनार अरेंजमेंट अध्यक्ष के रूप में भारत की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में आतंकवाद के खिलाफ देश की स्थिति में हाल ही में सुधार हुआ है।
  - भारत आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिये वैश्विक हितधारकों को भी सक्रिय रूप से शामिल कर रहा है।
    - भारतीय गृह मंत्री वर्तमान में नो मनी फॉर टेररिज़्म (NMFT) मंत्रिस्तरीय पहल के अध्यक्ष हैं।
- आतंकवादियों को हथियारों के इस्तेमाल से रोकना:
  - प्लेनेरी के अध्यक्ष के रूप में, भारत आतंकवादियों या आतंकवाद का समर्थन करने वाले संप्रभु राष्ट्रों को हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिये निर्यात नियंत्रण को और अधिक मज़बूत करने हेतु समूह की चर्चाओं को संचालित करने की स्थिति में होगा।
- मज़बूत प्रसार-विरोधी ढाँचा:
  - भारत के पश्चिमी पड़ोसी देशों में बिगड़ते आर्थिक संकट के साथ-साथ देश के समुदायों में ऐतिहासिक रूप से उदारवादी संप्रदायों के कट्टरपंथीकरण के कारण भारत के सामने कई तरह की चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं।

नोट :

- वासेनार अरेंजमेंट के तहत लाइसेंसिंग और प्रवर्तन संबंधी प्रक्रियों को मज़बूत करने तथा विमान प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल जाँच संबंधी उपकरण जैसे क्षेत्रों में नए निर्यात नियंत्रणों को अपनाने से दक्षिण एशिया के लिये एक मज़बूत प्रसार-विरोधी ढाँचे के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।

- अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकियों का लोकतंत्रीकरण:
  - भारत उन तकनीकों और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं तक पहुँच के लोकतंत्रीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जो भारत में नए उभरते रक्षा एवं अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्रों के लिये महत्त्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य कर सकते हैं।
  - भारत धीरे-धीरे डब्ल्यूए की नियंत्रण सूची में कम लागत वाली विविध वस्तुओं के उत्पादक के रूप में उभर रहा है।

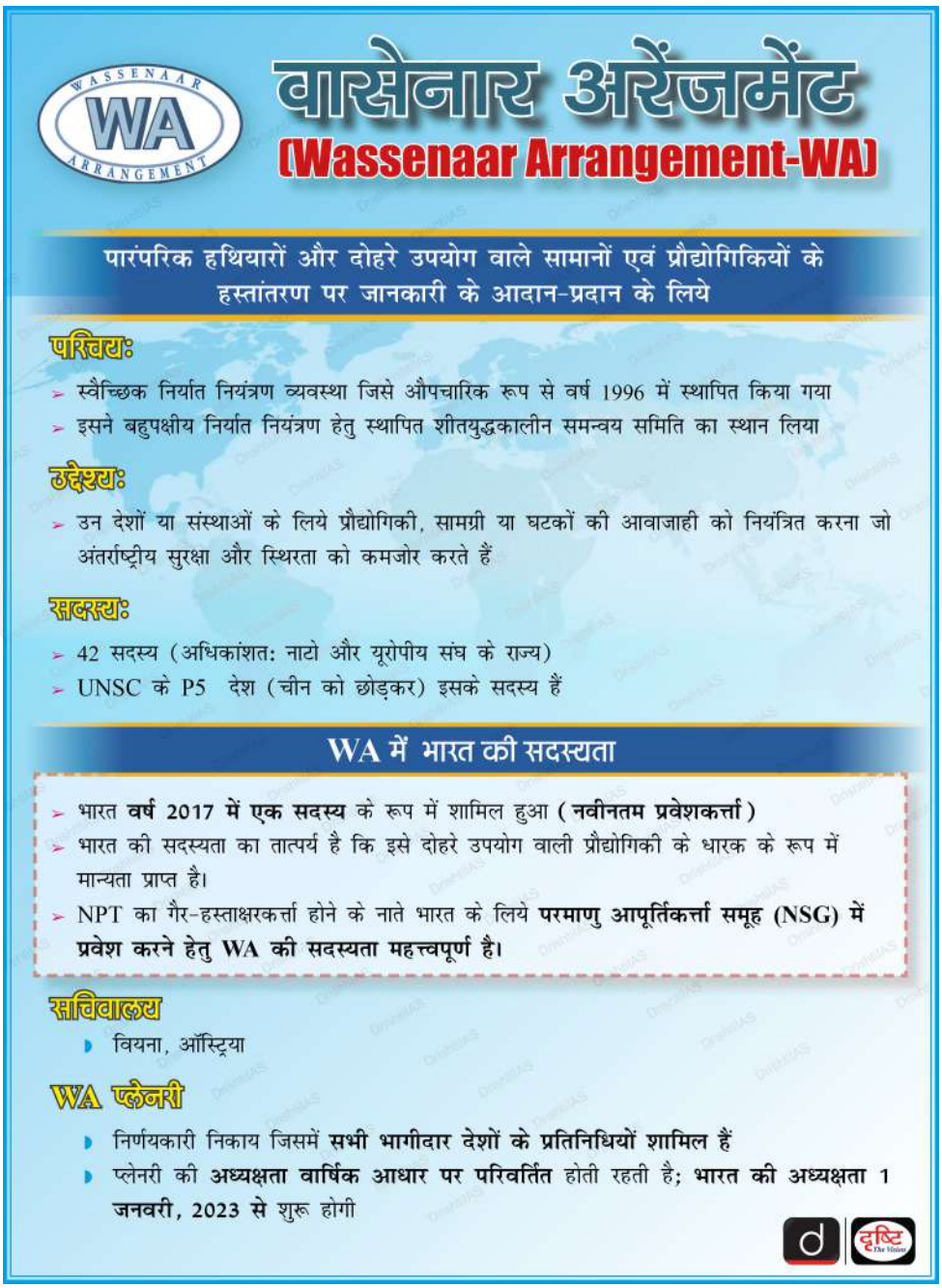

नोट :

अन्य निर्यात नियंत्रण संबंधी व्यवस्थाएँ

- परमाणु संबंधित प्रौद्योगिकी के नियंत्रण के लिये परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG)।
- रासायनिक और जैविक प्रौद्योगिकी, जिससे हथियार बनाया जा सकता है, के नियंत्रण के लिये ऑस्ट्रेलिया समूह (AG)।
- बड़े पैमाने पर विनाशक हथियारों को वितरित करने में सक्षम रॉकेट और अन्य हवाई वाहनों के के लिये मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR)।

आगे की राह:

- इनकी सदस्यता न केवल अधिक प्रौद्योगिकी और उन तक भौतिक रूप से पहुँच की अनुमति प्रदान करती है बल्कि विश्व व्यवस्था के एक ज़िम्मेदार सदस्य के रूप में एक राष्ट्र की विश्वसनीयता को बढ़ाती है।
- भारत विश्व में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये तैयार है और एक उभरती हुई शक्ति होने के प्रयास का समर्थन करना चाहिये।

भारत-जर्मनी संबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के विदेशमंत्री ने नई दिल्ली में जर्मनी के विदेश मंत्री से मुलाकात की।

- जर्मनी के विदेश मंत्री की यात्रा G-7 और यूरोपीय संघ (European Union- EU) के देशों द्वारा रूस से 60 डॉलर प्रति बैरल की कीमत सेअधिक मूल्य पर तेल खरीदने वाले देशों से शिपिंग एवं बीमा सेवाओं को वापस लेने के लिये "ऑयल प्राइस कैप" यानी तेल की कीमतों की सीमा निर्धारित करने संबंधी योजना की शुरुआत के साथ हुई।

दोनों देशों के बीच वार्ता के प्रमुख बिंदु:

- भारत और जर्मनी ने व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों में लोगों के लिये अनुसंधान, अध्ययन और काम के लिये यात्रा को आसान बनाना है।
  - यह समझौते दोनों देशों के बीच सबंधों के संदर्भ में "अधिक समकालीन साझेदारी का आधार" होगा।
- दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा संक्रमण पर भारत को जर्मनी की सहायता के साथ-साथ दोनों देशों की हिंद-प्रशांत रणनीति जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे शामिल थे इसके अलावा चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर वार्ता हुई।

G-7 और तेल मूल्य सीमा

- परिचय:
  - यह यूरोपीय संघ की G-7 और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर रूस से कच्चे तेल की खेप/शिपमेंट की कीमत सीमा तय करने की योजना है, जो अभी के लिये 60 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल आंकी गई है।
  - इस मूल्य सीमा का मुख्य उद्देश्य हस्ताक्षरकर्त्ता देशों में कंपनियों को रूसी कच्चे तेल के कार्गो जहाज़ों को शिपिंग, बीमा, मध्यस्थता और अन्य संबद्ध सेवाओं को विस्तारित करने से प्रतिबंधित करना है जहाँ कच्चा तेल पूर्व निर्धारित प्रति बैरल 60 अमेरिकी डॉलर से अधिक किसी भी मूल्य पर बेचा गया हो।
    - चूँकि यह 5 दिसंबर, 2022 को प्रभावी हुआ था, इसलिये यह सीमा केवल उन शिपमेंट पर लागू होगी जो प्रभावी होनेके बाद जहाज़ों पर "लोड" हुए हैं और पारगमन में शिपमेंट पर लागू नहीं होगा।
- भारत का पक्ष:
  - यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस पर संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों के बावजूद, भारत ने न केवल जारी रखने का फैसला किया है, बल्कि "निकट भविष्य" में रूस के साथ अपने व्यापार को भी दोगुना कर दिया है।
    - यूक्रेन में युद्ध के बाद से रूसी तेल की खपत बढ़ाने के सरकार के फैसले के बचाव में यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि भारत की रूसी तेल की खपत यूरोपीय खपत का केवल छठा हिस्सा थी। इसकी तुलना प्रतिकूल रूप से नहीं की जानी चाहिये।

भारत-जर्मनी संबंध

- भारत-जर्मनी संबंध:
  - भारत और जर्मनी के बीच के द्विपक्षीय संबंध साझा लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। भारत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी संघीय गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था।

नोट :

- जर्मनी, भारत को विकास परियोजनाओं में प्रति वर्ष 3 बिलियन यूरो का सहयोग देता है, जिसमें से 90% जलवायु परिवर्तन से मुकाबले और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ-साथ स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य में काम आता है।
- जर्मनी महाराष्ट्र में 125 मेगावाट क्षमता के एक विशाल सौर संयंत्र के निर्माण में भी सहयोग कर रहा है, जो 155,000 टन वार्षिक CO_2 उत्सर्जन की बचत करेगा।
- दिसंबर 2021 में जर्मनी के नए चांसलर की नियुक्ति के बाद भारत और जर्मनी ने सहमति व्यक्त की है कि दुनिया के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों तथा रणनीतिक भागीदारों के रूप में दोनों देश साझा चुनौतियों से निपटने के लिये आपसी सहयोग की वृद्धि करेंगे, जहाँ जलवायु परिवर्तन उनके एजेंडे में शीर्ष विषय के रूप में शामिल होगा।

- आर्थिक सहयोग की चुनौती:
  - वर्तमान में दोनों देशों के बीच एक पृथक द्विपक्षीय निवेश संधि का अभाव है। जर्मनी का भारत के साथ यूरोपीय संघ के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश समझौता (Bilateral Trade and Investment Agreement-BTIA) कार्यान्वित है जहाँ उसके पास अलग से वार्ता कर सकने का अवसर नहीं है।
    - इसके अलावा जर्मनी विशेष रूप से भारत के व्यापार उदारीकरण उपायों को लेकर संदेह रखता है और अधिक उदार श्रम नियमों की अपेक्षा रखता है।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र का महत्त्व:
  - हिंद-प्रशांत (जिसका केंद्र बिंदु भारत है) जर्मनी और यूरोपीय संघ की विदेश नीति में अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है।
    - हिंद-प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक आबादी के लगभग 65% का निवास है और विश्व के 33 मेगासिटीज़ में से 20 इसी क्षेत्र में हैं।
    - यह क्षेत्र वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 62% और वैश्विक पण्य व्यापार में 46% की हिस्सेदारी रखता है।
    - यह क्षेत्र कुल वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के आधे से अधिक भाग का उद्गम क्षेत्र भी है जो इस क्षेत्र के देशों को स्वाभाविक रूप से जलवायु परिवर्तन और संवहनीय ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में प्रमुख भागीदार बनाता है।
- जर्मनी और हिंद-प्रशांत:
  - जर्मनी नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सशक्त करने में अपने योगदान के लिये प्रतिबद्ध है।
    - जर्मनी के हिंद-प्रशांत दिशा-निर्देशों के अंतर्गत संलग्नता की वृद्धि और उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भारत का उल्लेख किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा में भारत अब एक महत्त्वपूर्ण संधि या नोड बन सकता है।
    - चूँकि भारत एक समुद्री महाशक्ति है और मुक्त एवं समावेशी व्यापार का मुखर समर्थक है, वह इस मिशन में जर्मनी (अंतत: यूरोपीय संघ) का एक प्राथमिक भागीदार है।

आगे की राह:

- भारत-जर्मनी संबंधों को मज़बूत करना:
  - जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिये जर्मनी, भारत को एक महत्त्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है।
    - इसके साथ ही जर्मनी में सत्ता में आई नई गठबंधन सरकार भारत के लिये दोनों देशों के बीच की रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने का अवसर प्रदान कर रही है।
    - जर्मनी चीन का मुकाबला करने के लिये यूरोपीय संघ के माध्यम से कनेक्टिविटी परियोजनाओं को लागू करने का इच्छुक है। यह गठबंधन 'भारत-यूरोपीय संघ BTIA' के संपन्न होने की इच्छा रखता है और इसे संबंधों के विकास के लिये एक महत्त्वपूर्ण पहलू के रूप में देखता है।
- आर्थिक सहयोग का दायरा:
  - भारत और जर्मनी को बौद्धिक संपदा दिशा-निर्देशों के सहकारी लक्ष्यों को साकार करना चाहिये और व्यवसायों को भी संलग्न करना चाहिये।
    - जर्मन कंपनियों को भारत में विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिये उदारीकृत उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
    - जर्मनी ने एक वैक्सीन उत्पादन प्रतिष्ठान के लिये अफ्रीका को 250 मिलियन यूरो का ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत के सहयोग से सुविधाहीन पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र में ऐसा प्रतिष्ठान स्थापित किया जा सकता है।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उत्तरदायित्वों की साझेदारी:
  - भारत की ही तरह जर्मनी भी एक व्यापारिक राष्ट्र है। जर्मन व्यापार का 20% से अधिक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संपन्न होता है।
    - यही कारण है कि जर्मनी और भारत विश्व के इस हिस्से में स्थिरता, समृद्धि और स्वतंत्रता को बनाए रखने तथा उसका समर्थन करने का उत्तरदायित्व साझा करते हैं। एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के समर्थन में भारत और यूरोप दोनों के महत्त्वपूर्ण हित निहित हैं।

नोट :

भारत-मध्यम एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक

चर्चा में क्यों ?

6 दिसंबर, 2022 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Advisor- NSA) ने पहली बार मध्य एशियाई देशों- कज़ाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के अपने समकक्षों के साथ एक विशेष बैठक की मेजबानी की।

- इससे पहले जनवरी 2022 में, भारत के प्रधानमंत्री ने वर्चुअल प्रारूप में प्रथम भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन (India-Central Asia Summit) की मेज़बानी की थी।

NSAs की बैठक के प्रमुख बिंदु:

- 30वीं वर्षगाँठ: यह पहली बार हुआ है जब कज़ाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSAs) किसी उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक के लिये दिल्ली में उपस्थित हुए।
  - यह बैठक भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगाँठ के अवसर पर आयोजित की गई।
- अफगानिस्तान वार्ता का केंद्र: इस बैठक में मुख्य रूप से अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति और तालिबान शासन के तहत उस देश से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के खतरे पर चर्चा की गई।
- चाबहार पर विचार-विमर्श: बैठक में शामिल NSAs ने मध्य एशिया के माध्यम से ईरान को रूस से जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (International North-South Transport Corridor- INSTC) के ढाँचे के भीतर चाबहार बंदरगाह को शामिल करने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया।
- अन्य विचार-विमर्श: "नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग, हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी, दुष्प्रचार फैलाने के लिये साइबर स्पेस के दुरुपयोग तथा मानव रहित हवाई प्रणालियों" के खिलाफ सामूहिक एवं समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया गया।
- प्रक्रिया को औपचारिक/संस्थागत रूप देना: बैठक के दौरान, नेताओं ने शिखर सम्मेलन की प्रक्रिया को द्विवार्षिक रूप से आयोजित करने का निर्णय लेकर इसे संस्थागत बनाने पर सहमति व्यक्त की।
  - नए तंत्र/प्रक्रिया का समर्थन करने के लिये नई दिल्ली में भारत-मध्य एशिया सचिवालय (India-Central Asia Secretariat) स्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

- 'राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार' (NSA) 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद' की अध्यक्षता करता है और प्रधानमंत्री का प्राथमिक सलाहकार भी होता है। वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं।

A. भारतीय NSC एक त्रिस्तरीय संगठन है जो रणनीतिक राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा संबंधी समस्याओं की देखरेख करता है।

- इसका गठन वर्ष 1998 में किया गया था और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श करता है।
- NSC, सरकार की कार्यकारी शाखा और खुफिया सेवाओं के बीच संपर्क स्थापित करते हुए, प्रधान मंत्री के कार्यकारी कार्यालय के तहत कार्य करता है।
- गृह, रक्षा, विदेश और वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं।

मध्य एशिया के साथ भारत के संबंध:

- ऐतिहासिक संबंध: मध्य एशिया निस्संदेह भारत के सभ्यतागत प्रभाव का क्षेत्र है, फरगना घाटी 'ग्रेट सिल्क रोड' में भारत का क्रॉसिंग-पॉइंट था।
  - बौद्ध धर्म ने स्तूपों और मठों के रूप में कई मध्य एशियाई शहरों में प्रसार किया।
  - अमीर खुसरो, देहलवी, अल-बरुनी आदि जैसे प्रमुख विद्वान मध्य एशिया से आए और भारत में अपना नाम स्थापित किया।
- राजनयिक संबंध: भारत मध्य एशियाई देशों को "एशिया का दिल" मानता है और वे शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation- sco) के सदस्य भी हैं।
  - मध्य एशियाई देश, पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवाद और विभिन्न आतंकी समूहों से इसके संबंधों के बारे में "जागरूक" हैं।

नोट :

- आतंकवाद का मुकाबला करने में समान विचारधारा: भारत और मध्य एशियाई देशों में आतंकवाद और कट्टरता के खतरे का मुकाबला करने के दृष्टिकोण में समानता है।
  - नवीनतम बैठक में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अपनाने का आह्वान किया गया था, जिसे भारत ने पहली बार वर्ष 1996 में प्रस्तावित किया था, लेकिन आतंकवाद की परिभाषा पर मतभेदों को लेकर दशकों से लटका हुआ है।
- अफगानिस्तान के संदर्भ में भारत की भूमिका: भारत और मध्य एशियाई देशों ने अफगानिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिये इसके प्रभावों पर चिंताओं को साझा किया है। भारत अफगानिस्तान में फिर से शांति स्थापित करने का प्रबल समर्थक रहा है।
  - नवंबर 2021 में भारत ने अफगानिस्तान की स्थिति पर एक क्षेत्रीय संवाद की मेज़बानी की थी, जिसमें रूस, ईरान, कज़ाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के NSAs ने भाग लिया था।।
- चाबहार बंदरगाह पर पक्ष: भारत ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह के नवीनीकरण के माध्यम से महत्त्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है। यह अश्गाबात समझौते का भी सदस्य है।
  - अफगानिस्तान में मानवीय संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अफगानी लोगों को आवश्यक सामान पहुँचाने में बंदरगाह ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
    - काबुल पर तालिबान के आधिपत्य से पहले भारत द्वारा विकसित बंदरगाह, शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के माध्यम से भारत ने अफगानिस्तान को 100,000 टन गेहूँ और दवाएँ वितरित किया।

भारत-मध्य एशिया संबंधों को मज़बूत बनाने के क्रम में चुनौतियाँ:

- पाकिस्तान की शत्रुता और अफगानिस्तान में व्याप्त अस्थिरता मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के भौतिक संपर्क/कनेक्टिविटी को बाधित करने वाले प्रमुख कारक हैं।
- राजनीतिक रूप से, मध्य एशियाई देश अत्यधिक कमज़ोर हैं और आतंकवाद तथा इस्लामी कट्टरवाद जैसे खतरों से ग्रस्त हैं, जो इस क्षेत्र को एक परिवर्तनशील और अस्थिर बाज़ार बनाते हैं।
- बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से चीन की भागीदारी ने इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को काफी कम कर दिया है।
- अफीम के बढ़ते उत्पादन (गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल) के साथ-साथ छिद्रपूर्ण सीमा (जहाँ से आसानी से घुसपैठ की जा सकती है) और बेलगाम भ्रष्टाचार इस क्षेत्र को नशीली दवाओं एवं धन की तस्करी का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बनाते हैं।

आगे की राह:

- जब अन्य देश अपने-अपने दृष्टिकोण से इस क्षेत्र के साथ जुड़ते हैं, जैसे- चीन द्वारा आर्थिक दृष्टिकोण , तुर्किये द्वारा जातीय दृष्टिकोण और इस्लामी विश्व द्वारा धार्मिक दृष्टिकोण , तब शिखर स्तरीय वार्षिक बैठक के माध्यम से इस क्षेत्र को सांस्कृतिक व ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देना भारत के लिये उपयुक्त होगा।
  - मूल्य आधारित सांस्कृतिक नीति भारत-मध्य एशिया संबंधों को मज़बूत करने में मदद कर सकती है।
- भारत की बढ़ती वैश्विक दृश्यता और SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों में महत्त्वपूर्ण योगदान ने भारत को एक पर्यवेक्षक से इस क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण हितधारक के रूप में बदल दिया है।
  - यूरेशिया में अपने नेतृत्त्व की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिये अपने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का उपयोग करने हेतु मध्य एशिया भारत को एक आदर्श मंच प्रदान करता है।

भारत एवं ग्लोबल साउथ

चर्चा में क्यों ?

भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता प्राप्त करने के साथ ही, भारत के विदेश मंत्री ने "वैश्विक दक्षिणी देशों की आवाज़" के रूप में भारत की भूमिका पर बल दिया, जिसका वैश्विक मंचों पर प्रतिनिधित्त्व कम है।

ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ:

- 'ग्लोबल नॉर्थ' से तात्पर्य मोटे तौर पर अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों है, जबकि 'ग्लोबल साउथ' के अंतर्गत एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश शामिल हैं।
- यह वर्गीकरण अधिक सटीक है क्योंकि इन देशों में , शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के संकेतक आदि के संदर्भ में काफी समानताएँ हैं।
- भारत और चीन जैसे कुछ दक्षिणी देश पिछले कुछ दशकों में आर्थिक रूप से विकसित हुए हैं।
  - कई एशियाई देशों द्वारा हासिल की गई प्रगति को इस विचार को चुनौती देने के रूप में भी देखा जाता है कि उत्तरी देश हीं आदर्श है।

पहले उपयोग की गई वर्गीकरण प्रणाली:

- प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व और तृतीय विश्व के देश:
- प्रथम, द्वितीय और तृतीय विश्व के देश शीत युद्ध-कालीन अमेरिका, सोवियत संघ के सहायक देशों और गुट-निरपेक्ष देशों को संदर्भित करते हैं।

नोट :

- विश्व प्रणाली दृष्टिकोण:
- यह विश्व राजनीति को देखने/समझने के परस्पर नज़रिये पर ज़ोर देता है। उत्पादन के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं: कोर, पेरिफेरल और सेमी-पेरिफेरल ।
- अमेरिका या जापान जैसे देशों में अत्याधुनिक तकनीकों की बहुतायत होने के कारण कोर क्षेत्र में अधिक लाभ होता है।
- दूसरी ओर, पेरिफेरल क्षेत्र, कम परिष्कृत उत्पादन में संलग्न हैं जो मूलत: श्रम प्रधान होता है।
- सेमी-पेरिफेरल ज़ोन इन दोनों के बीच में है जिसमें भारत और ब्राज़ील जैसे देश शामिल हैं।
- पूर्वी और पश्चिमी देश:
- पश्चिमी देश आम तौर पर अपने लोगों के बीच आर्थिक विकास और समृद्धि के उच्च स्तर को दर्शाते हैं, और पूर्वी देशों को विकास की इसी संक्रमण की प्रक्रिया में माना जाता है।

ग्लोबल उत्तर और ग्लोबल दक्षिण के उद्भव का कारण:

पूर्व वर्गीकरण की गैर-व्यवहार्यता:

- शीत युद्ध के बाद के विश्व में, प्रथम विश्व/तीसरा विश्व वर्गीकरण व्यवहार्य नहीं रह गया था, क्योंकि जब वर्ष 1991 में कम्युनिस्ट सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अधिकांश देशों के पास पूंजीवादी अमेरिका के साथ किसी स्तर पर सहयोग करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था, जो उस समय एकमात्र वैश्विक महाशक्ति थी।
  - पूर्व/पश्चिम देशों को अक्सर अफ्रीकी और एशियाई देशों के विषय में रूढ़िवादी सोच बनाए रखने वालो के रूप में देखा जाता था।
  - विभिन्न देशों को एक ही श्रेणी में वर्गीकृत करना अत्यधिक सरल माना जा रहा था।

वैश्विक दक्षिण देशों में समानताएँ:

- अधिकांश वैश्विक दक्षिणी देशों का उपनिवेश बनने का इतिहास रहा है। UNSC की स्थायी सदस्यता से बहिष्करण के कारण अंतर्राष्ट्रीय मंचों में इन देशों का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम रहा है।
- अधिकांश वैश्विक दक्षिणी देशों के आज भी विकासशील रहने/कम विकसित होने का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह बहिष्करण भी रहा है।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिये की गई पहल:

- वैश्विक:
  - ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (BRICS) मंच
  - भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका (IBSA) मंच
  - दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिये अंतर्राष्ट्रीय दिवस:
    - मूल रूप से 19 दिसंबर को दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिये संयुक्त राष्ट्र दिवस की तारीख को वर्ष 2011 में 12 सितंबर को स्थानांतरित कर दिया गया था।
    - यह उस तारीख को याद करता है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और लागू करने के लिये वर्ष 1978 में एक कार्य योजना अपनाई थी।
- भारतीय:
  - ट्रिप्स छूट पर प्रस्ताव (Proposal on TRIPS Waiver):
    - बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (TRIPS) में छूट जिसे पहली बार वर्ष 2020 में भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रस्तावित किया गया था, में कोविड-19 टीकों और उपचारों पर बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPRs) की अस्थायी वैश्विक आसानी शामिल होगी, ताकि उन्हें वैश्विक स्वास्थ्य का समर्थन करने और महामारी से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। कोविड-19 टीकों, दवाओं, चिकित्सीय और संबंधित प्रौद्योगिकियों पर समझौता।
  - वैक्सीन मैत्री अभियान:
    - वर्ष 2021 में भारत ने "वैक्सीन मैत्री" पहल नामक अपना ऐतिहासिक अभियान शुरू किया जो 'नेबरहुड फर्स्ट नीति' (Neighbourhood first policy) के अनुसार है।

ग्लोबल साउथ के विकास हेतु बाधाएँ:

- हरित ऊर्जा कोष जारी करना:
  - वैश्विक उत्सर्जन के प्रति ग्लोबल नॉर्थ देशों के उच्च योगदान के बावजूद, वे हरित ऊर्जा के वित्तपोषण के लिये भुगतान की उपेक्षा कर रहे हैं, जिसके लिये अंतिम पीड़ित सबसे कम उत्सर्जक हैं - कम विकसित देश।

रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रभाव:

- रूस-यूक्रेन युद्ध ने सबसे कम विकसित देशों (LDCs) को गंभीर रूप से प्रभावित किया जिससे खाद्य, ऊर्जा और वित्त से संबंधित चिंताएँ बढ़ गईं तथा LDCs की विकास संभावनाओं को खतरा उत्पन्न हो गया।
- चीन का हस्तक्षेप:
  - चीन बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से ग्लोबल साउथ में तेज़ी से पैठ बना रहा है।

नोट :

- हालाँकि, यह अभी भी संदेहास्पद है कि क्या BRI दोनों पक्षों के लिये लाभदायक होगा या यह केवल चीन के लाभ पर ध्यान केंद्रित करेगा।

अमेरिकी आधिपत्य:

- विश्व को अब कई लोगों द्वारा बहुध्रुवीय माना जाता है लेकिन यह अकेला अमेरिका है जो अन्तराष्ट्रीय मामलों पर हावी है।।
- संसाधनों तक अपर्याप्त पहुँच:
  - महत्त्वपूर्ण विकासात्मक परिणामों के लिये आवश्यक संसाधनों तक पहुँच में ग्लोबल नॉर्थ- साउथ विचलन ऐतिहासिक रूप से प्रमुख अंतरालों की विशेषता रही है।
    - उदाहरण के लिये, औद्योगीकरण, वर्ष 1960 के दशक की शुरुआत से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के पक्ष में झुका हुआ है और इस संबंध में वैश्विक अभिसरण का कोई बड़ा प्रमाण नहीं मिला।
- कोविड-19 का प्रभाव:
  - कोविड-19 महामारी ने पहले से मौजूद अंतराल को बढ़ा दिया है।
    - महामारी के शुरुआती चरणों से निपटने में न केवल देशों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, बल्कि आज जिन सामाजिक और व्यापक आर्थिक प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है, वे ग्लोबल साउथ के लिये अधिक खराब रहे हैं।
  - घरेलू अर्थव्यवस्थाओं की भेद्यता अब अर्जेंटीना और मिस्र से लेकर पाकिस्तान और श्रीलंका तक के देशों में कहीं अधिक स्पष्ट है।

भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ कैसे बन सकता है ?

- वर्तमान समय में ग्लोबल साउथ को अग्रणी बनाने के लिये विकासशील देशों के बीच निंदनीय क्षेत्रीय राजनीति पर अंकुश लगाने हेतु भारत को सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
- भारत को इस तथ्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि ग्लोबल साउथ एक सुसंगत समूह नहीं है और न ही इसका कोई साझा एजेंडा है। धन, शक्ति, व क्षमताओं के मामले में आज ग्लोबल साउथ में बहुत अंतर है।
  - यह विकासशील देशों के विभिन्न क्षेत्रों और समूहों के अनुरूप सक्रिय भारतीय भूमिका की आवश्यकता है।
- भारत पुरानी वैचारिक लड़ाइयों पर लौटने के बजाय व्यावहारिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके उत्तर और दक्षिण के बीच एक पुल बनने के लिये उत्सुक है।
- यदि भारत इस महत्वाकांक्षा को प्रभावी नीति में बदल सकता है, तो सार्वभौमिक और विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से की जा सकती है।

अरुणाचल प्रदेश में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यांग्स्ते नदी के किनारे भारत और चीन के सैनिको के बीच झड़प हुई है।

- वर्ष 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद से भारतीय सैनिकों और चीनी PLA सैनिकों के बीच इस तरह की यह पहली घटना है।
- दोनों पक्ष अपने दावे की सीमा तक क्षेत्रों में गश्त करते हैं और यह वर्ष 2006 से एक प्रवृत्ति रही है।

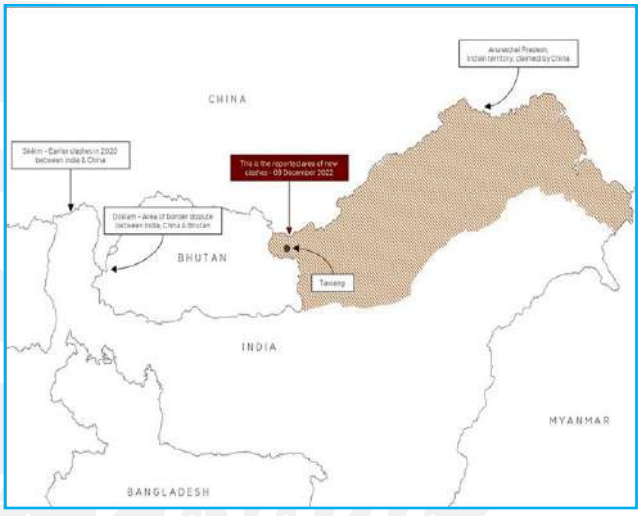

पृष्ठभूमि

- भारतीय सेना के अनुसार, तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control- LAC) के साथ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अलग-अलग महत्त्व के हैं।
  - LAC पश्चिमी (लद्दाख), मध्य (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड), सिक्किम और पूर्वी (अरुणाचल प्रदेश) क्षेत्रों में विभाजित है।
- यह घटना उत्तराखंड की पहाड़ियों में औली में भारत-अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑपरेशन युद्धभ्यास पर आपत्ति जताने के कुछ दिनों बाद हुई, जिसमें दावा किया गया कि यह वर्ष 1993 और 1996 के सीमा समझौतों का उल्लंघन है।

भारतीय/चीनी दृष्टिकोण से अरुणाचल प्रदेश का महत्त्व:

- रणनीतिक महत्त्व:
  - अरुणाचल प्रदेश, जिसे वर्ष 1972 तक पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी (NEFA) के रूप में जाना जाता था, पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा राज्य है, जो उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम में तिब्बत, पश्चिम में भूटान और पूर्व में म्याँमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ साझा करता है।

नोट :

- यह राज्य पूर्वोत्तर के लिये एक सुरक्षा कवच की तरह है।
- हालाँकि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है।
- इसके अलावा चीन पूरे राज्य पर दावा कर सकता है, क्योंकि उसका मुख्य हित तवांग ज़िले में है, जो अरुणाचल के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, यह भूटान और तिब्बत की सीमा से लगा हुआ हैं।

- भूटान देश से संबंधित कारक:
  - अरुणाचल का बीजिंग के नियंत्रण में आने का अर्थ यह होगा कि भूटान की पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर चीन पड़ोस में होगा।
    - भूटान के पश्चिमी हिस्से में, चीन ने रणनीतिक बिंदुओं को जोड़ने वाली मोटर वाहन योग्य सड़कों का निर्माण शुरू कर दिया है।
- जल शक्ति:
  - चूँकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत की जलापूर्ति पर चीन का नियंत्रण है। इसने कई बाँधों का निर्माण किया है और क्षेत्र में बाढ़ या सूखे के रूप में भारत के खिलाफ भू-रणनीतिक हथियार के रूप में जल का उपयोग कर सकता है।
  - त्सांग्पो नदी जो तिब्बत से निकलती है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से बहती है जबकि अरुणाचल प्रदेश में सियांग कहलाती है।
  - वर्ष 2000 में तिब्बत में एक बाँध टूटने के कारण बाढ़ आई जिसने पूर्वोत्तर भारत में कहर बरपाया और 30 लोगों की जान ले ली तथा इसमें 100 से अधिक लापता हो गए।

तवांग क्षेत्र में चीन की रूचि का कारण:

- रणनीतिक महत्त्व:
  - तवांग में चीन की रूचि सामरिक कारणों से हो सकती है क्योंकि यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रणनीतिक प्रवेश प्रदान करता है।
    - तवांग तिब्बत और ब्रह्मपुत्र घाटी के बीच गलियारे (कॉरिडोर) का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है।
- तवांग मठ:
  - तवांग, जो भूटान की सीमा से भी जुड़ा हुआ है, तिब्बती बौद्ध धर्म के दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मठ गलदन नमग्ये ल्हात्से की मेज़बानी करता है और यह ल्हासा में सबसे बड़ा पोताला महल है।
    - पाँचवे दलाई लामा के सम्मान में वर्ष 1680-81 में मेराग लोद्रो ग्यामत्सो द्वारा मठ की स्थापना की गई थी।
    - चीन का दावा है कि मठ इस बात का प्रमाण है कि यह ज़िला कभी तिब्बत का था। चीन अरुणाचल पर अपने दावे के समर्थन में तवांग मठ और तिब्बत में ल्हासा मठ के बीच ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देता है।
- सांस्कृतिक संबंध और चीन की चिंताएँ:
  - तवांग तिब्बती बौद्ध धर्म का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र है और ऊपरी अरुणाचल क्षेत्र में कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जिनका तिब्बत के लोगों से सांस्कृतिक संबंध है।
    - मोनपा जनजाति तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करती है और तिब्बत के कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है।
  - कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, चीन को भय है कि अरुणाचल में इन जातीय समूहों की उपस्थिति किसी भी समय बीजिंग के खिलाफ लोकतंत्र समर्थक तिब्बती आंदोलन को जन्म दे सकती है।
- राजनीतिक महत्त्व:
  - जब दलाई लामा 1959 में चीन के दमनकाल के दौरान तिब्बत से बच निकल भागे फिर उन्होंने तवांग के रास्ते से भारत में प्रवेश किया और कुछ समय के लिये तवांग मठ में रहे।

आगे की राह:

- भारत को अपने हितों की कुशलता से रक्षा करने के लिये अपनी सीमा के पास चीन द्वारा किसी नए निर्माण के संबंध में सतर्क रहने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा इसे कुशल तरीके से कर्मियों और अन्य रसद आपूर्ति की आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु अपने दुर्गम सीमा क्षेत्रों में मज़बूत बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने की आवश्यकता है।
- दोनों पक्षों के सीमा सैनिकों को संवाद जारी रखना चाहिये, साथ ही उन्हें शीघ्र ही पीछे हटना चाहिये और तनाव कम करना चाहिये।
- दोनों पक्षों को भारत-चीन सीमा मामलों पर सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता है।

चीन पर भारत की आयात निर्भरता

चर्चा में क्यों ?

हाल की तवांग झड़प ने चीन के साथ व्यापार संबंधों को खत्म करने की मांग को जन्म दिया है। हालाँकि मांगों के विपरीत, चीन से भारत के आयात में वर्ष 2020 में गालवान घाटी संघर्ष के बाद तेज़ी से वृद्धि देखी गई है।

चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंध:

- सबसे बड़े भागीदारों में से एक: अमेरिका के बाद चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

नोट :

- वर्ष 2021-22 में भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार 115.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, यह भारत के कुल 1,035 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार का 11.2% (भारत-अमेरिका व्यापार - 11.54%) है।
- लगभग 2 दशक पहले एक व्यापारिक भागीदार के रूप में चीन 10वें स्थान पर था,लेकिन वर्ष 2002-03 से यह शीर्ष भागीदारों में से एक बन गया है।
- चीन वर्ष 2011-12, 2013-14 से 2017-18 और 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था।

नोट:

- अमेरिका और चीन के अलावा वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में अन्य 8 देश संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक, सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया थे।
- अमेरिका और चीन के साथ भारत के व्यापार में प्रमुख अंतर:
  - अमेरिका और चीन के साथ भारत के व्यापार में प्रमुख अंतर यह है कि वर्ष 2021-2022 में भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष 32.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि चीन के साथ व्यापार में भारत को 73.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2021-22) का नुकसान हुआ है जो किसी भी देश के लिये सबसे अधिक है।
  - चूँकि चीन से भारत का आयात (2001-02 और 2021-2020 के बीच) 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 94.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, (इसी अवधि में) भारत द्वारा चीन को लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर केवल 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया है।
- प्रमुख आयात:
  - भारत द्वारा आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएँ:
    - विद्युत मशीनरी और उपकरण तथा उसके पुर्जे
    - टेलीविजन छवि एवं ध्वनि रिकॉर्डर
    - नाभिकीय रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण तथा उनके पुर्जे
    - जैविक रसायन
    - प्लास्टिक और इससे बनी वस्तुएँ
    - उर्वरक
  - सबसे महत्त्वपूर्ण आयातित वस्तुएँ हैं:
    - पर्सनल कंप्यूटर (लैपटॉप, पामटॉप आदि)> मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट-डिजिटल> लिथियम-आयन> सोलर सेल> यूरिया
- प्रमुख निर्यात:
  - वर्ष 2021-22 में, चीन को भारत का निर्यात उसके कुल शिपमेंट का 5% था। शीर्ष निर्यात वस्तुओं में शामिल हैं:
    - अयस्क, स्लैग और राख
    - कार्बनिक रसायन, खनिज ईंधन/तेल और उनके आसवन के उत्पाद, बिटुमिनस पदार्थ, खनिज मोम;
    - लोहा और इस्पात
    - एल्यूमीनियम और इससे बनी वस्तुएँ
    - कपास
    - एकल वस्तुओं में लाइट नेफ्थलीन भारत का सबसे मूल्यवान निर्यात था

चीन पर भारी आयात निर्भरता का अर्थ:

- सरकार के दृष्टिकोण से राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियाँ तब गहरी हो जाती हैं जब देश एक दुश्मन या अमित्र देश से उत्पादों और सेवाओं के आयात पर निर्भर होता है।
- भारत अपने फार्मास्युटिकल उद्योग में उपयोग होने वाले अधिकांश 'सक्रिय दवा सामग्री' (API) का आयात चीन से करता है। चीनी API की लागत भारतीय बाज़ार की तुलना में कम है।
  - समस्या की गहराई कोविड-19 महामारी के दौरान तब सामने आई जब यात्रा प्रतिबंधों के कारण भारत में चीनी API के निर्यात को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया और इसके परिणामस्वरूप भारत को API के अपने निर्यात में भी कटौती करनी पड़ी।
- भारत में उत्पादित कोयला ऊर्जा का लगभग 24% उन संयंत्रों से आ सकता है जो चीन से आयातित महत्त्वपूर्ण उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। इसलिये इसे रणनीतिक निर्भरता नहीं माना जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से यह एक सुरक्षा चुनौती है।
  - जबकि चीन से इस तरह के आयात को सीमित करने या यहाँ तक कि प्रतिबंधित करने की मांग की जा रही है, इसका सीधा सा अर्थ होगा कि निजी भारतीय विद्युत कंपनियों को उच्च लागत का सामना करना पड़ेगा।

चीन पर अति-निर्भरता का मुकाबला करने हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदम:

- चाइनीज एप्स पर बैन।
- भारत द्वारा कई क्षेत्रों में चीनी निवेश की जाँच में सख्ती की गई है, साथ ही सरकार द्वारा चीनी कंपनियों को 5G परीक्षण से बाहर रखना।
- API के लिये आयात निर्भरता में कटौती - बल्क ड्रग पार्क और PLI योजना को बढ़ावा देना।

नोट :

- घरेलू फर्मों के अवसरवादी अधिग्रहण पर अंकुश - चीन पर FDI प्रतिबंध।
- चीनी बिजली उपकरणों के आयात पर वास्तविक प्रतिबंध।
- स्थानीय विनिर्माताओं के हित में एल्युमीनियम के कुछ सामानों और रसायनों पर 5 वर्ष के लिये एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया।
- भारत को वैश्विक आपूर्तिकर्त्ता बनाने और आयात बिलों में कटौती के लिये 12 क्षेत्रों की पहचान।
  - ये क्षेत्र हैं खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खेती, लोहा, एल्युमीनियम और ताँबा, कृषि-रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक मशीनरी, फर्नीचर, चमड़ा और जूते, ऑटो के पुर्जे, कपड़ा और कवरऑल, मास्क, सैनिटाइजर और वेंटिलेटर।

आगे की राह:

- भारत सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उत्पादों के आयात पर अपनी सामरिक निर्भरता को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता। हालाँकि, चीन की भूमिका को व्यापार क्षेत्र में कम करके भारत इस क्षेत्र में निर्भरता में विविधता ला सकता है।
  - भारत, व्यापार क्षेत्र में निर्भरता में विविधता ,अमेरिका, यूरोप, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ अधिक आयात-निर्यात करके ला सकता है। इस तरह भारत उन देशों पर अपनी निर्भरता बढ़ाएगा जिनके साथ इसके अच्छे राजनीतिक संबंध भी हैं।
- वहाँ आत्मनिर्भरता को और अधिक प्रोत्साहन देना एक विवेकपूर्ण तरीका हो सकता है, जिन क्षेत्रों में भारत एक शुद्ध आयातक है और इसमें प्रौद्योगिकी तथा पूँजी की बड़ी भूमिका होगी।

दृष्टि The Vision

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

ChatGPT चैटबॉट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में OpenAI ने ChatGPT नामक एक नया चैटबॉट पेश किया है, जो एक 'संवादात्मक' आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) है और मानव की तरह ही प्रश्नों का उत्तर देगा।

ChatGPT

- परिचय:
  - ChatGPT "अनुवर्ती प्रश्नों" का उत्तर दे सकता है और "अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है, गलत धारणाओं को चुनौती दे सकता है साथ ही अनुचित अनुरोधों को अस्वीकार कर सकता है।"
  - यह कंपनी के GPT 3.5 सीरीज़ के लैंग्वेज लर्निंग मॉडल (LLM) पर आधारित है।
    - GPT का मतलब जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर-3 है और यह एक तरह का कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है जो इनपुट के आधार पर मानव-समान पाठ करने के लिये गहन शिक्षण तकनीकों पर निर्भर करता है।
  - मॉडल को यह भविष्यवाणी करने के लिये प्रशिक्षित किया जाता है कि भविष्य में क्या होगा, और इसलिये तकनीकी रूप से ChatGPT के साथ 'बातचीत' की जा सकती है।
  - चैटबॉट को रेनफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक (RLHF) का उपयोग करके भी प्रशिक्षित किया गया था।
- उपयोग:
  - इसका उपयोग वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन सामग्री निर्माण, ग्राहक सेवा प्रश्नों का उत्तर देने या यहाँ तक कि डीबग कोड में मदद करने के लिये भी किया जा सकता है।
  - मानव जैसी बोलने की शैली की नकल करते हुए बॉट कई तरह के सवालों का जवाब दे सकता है।
  - इसे बेसिक ईमेल, पार्टी प्लानिंग लिस्ट, सीवी और यहाँ तक कि कॉलेज निबंध और होमवर्क के प्रतिस्थापन के रूप में देखा जा रहा है।
  - इसका उपयोग कोड लिखने के लिये भी किया जा सकता है।।
- सीमाएँ:
  - उक्त चैटबॉट में भी लगभग सभी AI मॉडल की तरह नस्लीय और लैंगिक पूर्वाग्रह संबंधी समस्याएँ हैं।
  - चैटबॉट के उत्तर व्याकरणिक रूप से सही होते हैं और इसकी पठन संबंधी समझ भी अच्छी है परंतु इसमें संदर्भ संबंधी समस्या है, जो काफी हद तक सच है।
  - ChatGPT कभी-कभी गलत जानकारी डेटा है और इसका ज्ञान वर्ष 2021 से पहले हुई वैश्विक घटनाओं तक ही सीमित है।

चैटबॉट:

- परिचय:
  - चैटबॉट्स, जिसे चैटरबॉट्स भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का एक रूप है जिसका उपयोग मैसेजिंग एप में किया जाता है।
  - यह टूल ग्राहकों को सुविधा प्रदान करता है, ये स्वचालित प्रोग्राम हैं जो ग्राहकों के साथ मानव की तरह बातचीत करते हैं और इसमें संलग्न होने के लिये नाममात्र/न के बराबर शुल्क अदा करना होता है ।
    - फेसबुक मैसेंजर में व्यवसायों द्वारा या अमेज़न के एलेक्सा जैसे आभासी सहायकों के रूप में उपयोग किये जाने वाले चैटबॉट प्रमुख उदाहरण हैं।
  - चैटबॉट दो तरीकों में से एक में काम करते हैं- मशीन लर्निंग के माध्यम से या निर्धारित दिशा-निर्देशों के साथ।
  - हालाँकि AI तकनीक में प्रगति के कारण निर्धारित दिशा-निर्देशों का उपयोग करने वाले चैटबॉट एक ऐतिहासिक पदचिह्न बन रहे हैं।
- प्रकार:
  - निर्धारित दिशा-निर्देशों के साथ चैटबॉट:
    - यह केवल अनुरोधों और शब्दावली की एक निर्धारित संख्या का जवाब दे सकता है क्योंकि यह प्रोग्रामिंग कोड जितना ही बुद्धिमान है।
    - सीमित बॉट का एक उदाहरण स्वचालित बैंकिंग बॉट है जो कॉल करने वाले से यह समझने के लिये कुछ प्रश्न पूछता है कि कॉलर क्या करना चाहता है।
  - मशीन लर्निंग चैटबॉट:
    - चैटबॉट जो मशीन लर्निंग के माध्यम से कार्य करता है, उसमें कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क होता है जो मानव मस्तिष्क के तंत्रिका नोड्स से प्रेरित होता है।
    - बॉट को स्वत: सीखने के लिये प्रोग्राम किया गया है क्योंकि इसे नए संवादों और शब्दों से परिचित कराया जाता है।

नोट :

- वास्तव में जैसे ही चैटबॉट को नई आवाज़ या टेक्स्ट संवाद प्राप्त होते हैं, पूछताछ की संख्या जिसका वह उत्तर दे सकता है, की सटीकता बढ़ जाती है।
- मेटा (जैसा कि अब फेसबुक की मूल कंपनी के रूप में जाना जाता है) में एक मशीन लर्निंग चैटबॉट है जो कंपनियों को मैसेंजर एप के माध्यम से अपने उपभोक्ताओं के साथ बातचीत करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।

- लाभ:
  - चैटबॉट ग्राहक सेवा प्रदान करने और सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे समर्थन करने के लिये सुविधाजनक हैं।
  - वे फोन लाइनों को भी मुफ्त करते हैं तथा लंबे समय में समर्थन करने के लिये लोगों को काम पर रखने की तुलना में बहुत कम खर्चीले होते हैं।
  - AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करते हुए चैटबॉट यह समझने में बेहतर हो रहे हैं कि ग्राहक क्या चाहते हैं तथा उन्हें वह सहायता प्रदान कर रहे हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है।
  - कंपनियाँ भी चैटबॉट को पसंद करती हैं क्योंकि वे ग्राहकों के प्रश्नों, प्रतिक्रिया समय, संतुष्टि आदि के बारे में डेटा एकत्र कर सकती हैं।
- हानि:
  - यहाँ तक कि प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के साथ वे ग्राहक के इनपुट को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं और असंगत उत्तर प्रदान कर सकते हैं।
  - कई चैटबॉट्स उन प्रश्नों के दायरे में भी सीमित हैं जिनका वे जवाब देने में सक्षम हैं।
  - चैटबॉट लागू करने और बनाए रखने के मामले में महंगे हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगातार अनुकूलित एवं अपडेट करना होता है।
  - AI में भावनाओं का समावेशन अभी चुनौतीपूर्ण है, हालाँकि AI द्वारा अनैतिक और हेट स्पीच के खतरे बने हुए हैं।

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में Apple ने घोषणा की है कि वह आईक्लाउड (iCloud) पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) द्वारा संरक्षित डेटा पॉइंट्स को 14 से 23 श्रेणियों तक बढ़ाएगा।

घोषणा का उद्देश्य:

- Apple द्वारा डेटा-ब्रीच-रिसर्च (data-breach-research) के अनुसार, वर्ष 2013 और 2021 के बीच डेटा ब्रीच की कुल संख्या तीन गुना से अधिक हो गई। अकेले वर्ष 2021 में 1.1 विधेयकियन व्यक्तिगत रिकॉर्ड का डेटा सामने आया।
- एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ, क्लाउड में डेटा का उल्लंघन होने की स्थिति में भी उपयोगकर्त्ता का डेटा सुरक्षित रहेगा। अच्छी तरह से वित्त पोषित समूहों द्वारा शुरू किये गए हैकिंग हमलों के लक्ष्यों हेतु सुरक्षा की अतिरिक्त परत मूल्यवान होगी।

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन:

- परिचय:
  - एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन एक संचार प्रक्रिया है जो दो उपकरणों के बीच साझा किये जा रहे डेटा को एन्क्रिप्ट करती है।
  - यह क्लाउड सेवा प्रदाताओं, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) और साइबर अपराधियों जैसे तीसरे पक्षों को डेटा तक पहुँचने से रोकता है, विशेषत: जब डेटा स्थानांतरित किया जा रहा हो।
- तंत्र:
  - संदेशों को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिये उपयोग की जाने वाली क्रिप्टोग्राफिक कुंजियों को एंडपॉइंट्स पर संग्रहीत किया जाता है।
  - एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की प्रक्रिया एक एल्गोरिथ्म का उपयोग करती है जो मानक पाठ को अपठनीय प्रारूप में बदल देती है।
  - इस प्रारूप को केवल डिक्रिप्शन कुंजियों वाले लोगों द्वारा अनस्क्रैम्बल किया और पढ़ा जा सकता है, जो केवल एंडपॉइंट्स पर संग्रहीत होते हैं और सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों सहित किसी भी तीसरे पक्ष के साथ नहीं।
- उपयोग:
  - व्यावसायिक दस्तावेज़ों, वित्तीय विवरणों, कानूनी कार्यवाहियों और व्यक्तिगत वार्तालापों को स्थानांतरित करते समय E2EE का लंबे समय से उपयोग किया जाता रहा है।
  - संग्रहीत डेटा तक पहुँचने के दौरान इसका उपयोग उपयोगकर्त्ताओं के प्राधिकरण को नियंत्रित करने के लिये भी किया जा सकता है।
  - संचार को सुरक्षित करने के लिये एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग किया जाता है।
  - इसका उपयोग पासवर्ड सुरक्षित करने, संग्रहीत डेटा की सुरक्षा और क्लाउड स्टोरेज पर डेटा की सुरक्षा के लिये भी किया जाता है।

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के लाभ (E2EE):

- संप्रेषण में सुरक्षा:
  - एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है, जो एंडपॉइंट उपकरणों पर निजी कुंजी संग्रहीत

नोट :

करता है। संदेशों को केवल इन कुंजियों का उपयोग करके डिक्रिप्ट किया जा सकता है, इसलिये केवल एंडपॉइंट डिवाइस तक पहुँच रखने वाले लोग ही संदेश को पढ़ने में सक्षम होते हैं।

- तीसरे पक्ष से सुरक्षा::
  - E2EE यह सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्त्ता डेटा सेवा प्रदाताओं, क्लाउड स्टोरेज प्रदाताओं और एन्क्रिप्टेड डेटा को प्रबंधित करने वाली कंपनियों सहित अनुचित पार्टियों से सुरक्षित है।
- हस्तक्षेप रहित:
  - डिक्रिप्शन कुंजी को E2EE के साथ प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्राप्तकर्ता के पास पहले से ही मौज़ूद होती है।
  - यदि सार्वजनिक कुंजी के साथ एन्क्रिप्ट किया गया किसी संदेश भेजे जाने के दौरान किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है, तो प्राप्तकर्त्ता इसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा छेड़छाड़ की गई सामग्री तक पहुँच की सुविधा भी नहीं रहेगी।
- अनुपालन:
  - कई उद्योग विनियामक अनुपालन कानूनों से बँधे हैं जिनके लिये एन्क्रिप्शन-स्तर की डेटा सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
  - E2EE डेटा को अपठनीय बनाकर उसे सुरक्षित रखने में संगठनों की मदद कर सकता है।

E2EE से हानि:

- समापन बिंदुओं को परिभाषित करने में जटिलता:
  - कुछ E2EE कार्यान्वयन एन्क्रिप्टेड डेटा को ट्रांसमिशन के दौरान कुछ बिंदुओं पर एन्क्रिप्ट और पुन: एन्क्रिप्ट करने की अनुमति देते हैं।
  - यह संचार सर्किट के समापन बिंदुओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित और अलग करता है। यदि एंडपॉइंट्स/समापन बिंदुओं से छेड़छाड़ की जाती है, तो एन्क्रिप्टेड डेटा प्रकट हो सकता है।
- बहुत अधिक गोपनीयता:
  - सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ चिंता व्यक्त करती हैं कि E2EE अवैध सामग्री साझा करने वाले लोगों की रक्षा कर सकता है क्योंकि सेवा प्रदाता कानून प्रवर्तन को सामग्री तक पहुँच प्रदान करने में असमर्थ हैं।।
- मेटाडेटा हेतु सुरक्षा का अभाव:
  - हालाँकि संप्रेषण में संदेश एन्क्रिप्टेड होते हैं, सन्देश से संबंधित सूचना जैसे संदेश की तिथि और भेजने वाले की जानकारी अभी भी दिखाई दे रही होती है और यह डेटा का दुरुपयोग करने वालों के लिये सहायक हो सकती है।

भारत में एन्क्रिप्शन के लिये कानूनी ढाँचा:

- न्यूनतम एन्क्रिप्शन मानक:
  - भारत में एन्क्रिप्शन संबंधी कोई विशिष्ट कानून नहीं है। हालाँकि, बैंकिंग, वित्त और दूरसंचार उद्योगों को नियंत्रित करने वाले कई उद्योग मानदंडों में न्यूनतम एन्क्रिप्शन मानक शामिल हैं जिनका उपयोग लेनदेन की सुरक्षा के लिये किया जाना चाहिये।
- एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकियों पर प्रतिबंध:
  - ISP और DoT के बीच लाइसेंसिंग समझौते के अनुसार, उपयोगकर्त्ताओं को पूर्व मंज़ूरी के बिना सममित (सिमिट्रिक) कुंजी एल्गोरिदम या तुलनीय तरीकों का उपयोग करके 40 बिट्स से बड़े एन्क्रिप्शन मानकों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
  - ऐसे कई अतिरिक्त नियम और अनुशंसाएँ हैं जो विशेष क्षेत्रों के लिये 40 बिट्स से अधिक एन्क्रिप्शन स्तर का उपयोग करते हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021:
  - सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 पूर्व के सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश) नियम 2011 के स्थान पर लाया गया।
  - नियमों के एक नए सेट में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल आदि जैसे सोशल मैसेजिंग एप्लिकेशन की एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन तकनीकों को प्रभावित करने की क्षमता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:
  - यह संचार के इलेक्ट्रॉनिक और वायरलेस मोड को नियंत्रित करता है और यह एन्क्रिप्शन संबंधी किसी भी ठोस प्रावधान या नीति से रहित है।

फ्यूजन एनर्जी ब्रेकथ्रू

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिका के लॉरेंस लिवरमोर फैसिलिटी में कुछ वैज्ञानिकों ने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से ऊर्जा में शुद्ध लाभ हासिल किया है, जिसे एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जाता है।

- चीन का कृत्रिम सूर्य, जिसे उन्नत नाभिकीय संलयन प्रयोगात्मक अनुसंधान उपकरण (Experimental Advanced Superconducting Tokamak- EAST) कहा जाता है, सूर्य पर होने वाले नाभिकीय संलयन के सामान कार्य करता है।

नोट :

प्रयोग (Experiment):

- प्रयोग ने हाइड्रोजन की अति सूक्ष्म मात्रा को काली मिर्च के आकार के कैप्सूल में बदलने का प्रयास किया, जिसके लिये वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली 192-बीम लेज़र का उपयोग किया जो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस ऊष्मा उत्पन्न कर सकता था।
- इसे 'जड़त्वीय संलयन' भी कहते हैं।
  - कुछ अन्य स्थानों पर दक्षिणी फ्राँस में इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (ITER) नामक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी परियोजना सहित, जिसमें भारत एक भागीदार है, बहुत मज़बूत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिये किया जाता है।
- लेजर बीम सूर्य के केंद्र से अधिक गर्म था और हाइड्रोजन ईंधन को पृथ्वी के वायुमंडल के 100 अरब गुना से अधिक तक संपीड़ित करने में मदद कर सकता था।
- इन बलों के दबाव में कैप्सूल अपने आप में विस्फोट करना शुरू कर देता है और हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन एवं ऊर्जा उत्सर्जन के लिये अग्रणी होता है।

भविष्य की संभावना:

- संलयन प्रक्रिया में विशेषज्ञता हासिल करने का प्रयास कम से कम वर्ष 1950 के दशक से चल रहा है लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से कठिन है और अभी भी एक प्रायोगिक चरण में है।
- वर्तमान में विश्व भर में उपयोग की जाने वाली नाभिकीय ऊर्जा विखंडन प्रक्रिया से आती है।
- अधिक ऊर्जा उत्पादन के अलावा, संलयन ऊर्जा का कार्बन मुक्त स्रोत भी है और इसमें नगण्य विकिरण ज़ोखिम हैं।
- हालाँकि उपलब्धि महत्त्वपूर्ण है, लेकिन यह संलयन प्रक्रियाओं से विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को वास्तविकता के करीब लाने के लिये बहुत कम है।
- सभी अनुमानों से व्यावसायिक स्तर पर विद्युत उत्पादन करने के लिये संलयन प्रक्रिया का उपयोग अभी भी दो से तीन दशक दूर है।
- US प्रयोग में उपयोग की जाने वाली तकनीक को तैनात होने में और भी अधिक समय लग सकता है।

संलयन:

- संलयन एक परमाणु के नाभिक में स्थित विशाल ऊर्जा का दोहन करने का एक अलग लेकिन अधिक शक्तिशाली तरीका है।
- संलयन में दो हल्के तत्त्वों के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं।
- इन दोनों प्रक्रियाओं में बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन विखंडन की तुलना में संलयन में काफी अधिक होती है।
  - यह वह प्रक्रिया है जो सूर्य और अन्य सभी तारों को चमक प्रदान करती है तथा ऊर्जा का विकिरण करती है।

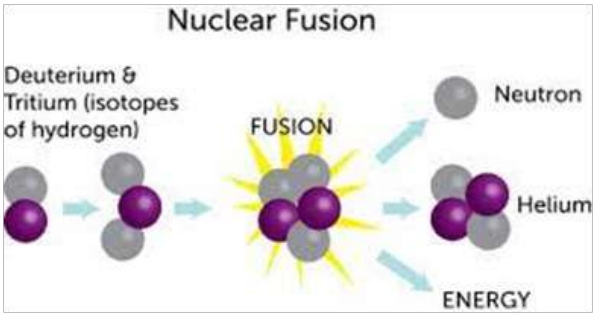

नाभिकीय संलयन के लाभ

- प्रचुर मात्रा में ऊर्जा:
  - नियंत्रित तरीके से परमाणुओं को एक साथ मिलाने से कोयले, तेल या गैस के जलने जैसी रासायनिक प्रतिक्रिया की तुलना में लगभग चार मिलियन गुना अधिक ऊर्जा और नाभिकीय विखंडन प्रतिक्रियाओं (समान द्रव्यमान पर) की तुलना में चार गुना अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है।
  - संलयन की क्रिया में शहरों और उद्योगों को बिजली प्रदान करने हेतु आवश्यक बेसलोड ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता है।
- स्थिरता:
  - संलयन आधारित ईंधन व्यापक रूप से उपलब्ध हैं और अक्षय है। ड्यूटेरियम को सभी प्रकार के जल से डिस्टिल्ड किया जा सकता है, जबकि संलयन प्रतिक्रिया के दौरान ट्रिटियम का उत्पादन किया जाएगा क्योंकि न्यूट्रॉन लिथियम के साथ फ्यूज़न करते हैं।
- CO_2 का उत्सर्जन नहीं:
  - संलयन की क्रिया से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीनहाउस गैसों जैसे हानिकारक विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन नहीं होता है। इसका प्रमुख सह- उत्पाद हीलियम है जो कि एक अक्रिय और गैर-विषाक्त गैस है।
- लंबे समय तक रहने वाले रेडियोधर्मी कचरे से बचाव:
  - नाभिकीय संलयन रिएक्टर उच्च गतिविधि व लंबे समय तक रहने वाले नाभिकीय अपशिष्ट का उत्पादन नहीं करते हैं।
- प्रसार का सीमित जोखिम:
  - संलयन में यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न नहीं होते हैं (रेडियोधर्मी ट्रिटियम न तो विखंडनीय है और न ही विखंडनीय सामग्री है)।

नोट :

- पिघलने का कोई खतरा नहीं:
  - संलयन के लिये आवश्यक सटीक स्थितियों तक पहुँचना और उन्हें बनाए रखना काफी मुश्किल है तथा यदि संलयन की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी होती है, तो प्लाज़्मा कुछ ही सेकंड के भीतर ठंडा हो जाता है और प्रतिक्रिया बंद हो जाती है।

नाभिकीय संलयन बनाम नाभिकीय विखंडन

	नाभिकीय विखंडन	नाभिकीय संलयन
परिभाषा	विखंडन का आशय एक बड़े परमाणु का दो या दो से अधिक छोटे परमाणुओं में विभाजन से है।	नाभिकीय संलयन का आशय दो हल्के परमाणुओं के संयोजन से एक भारी परमाणु नाभिक के निर्माण की प्रकिया से है।
घटना	विखंडन प्रकिया सामान्य रूप से प्रकृति में घटित नहीं होती है।	प्राय: सूर्य जैसे तारों में संलयन प्रक्रिया घटित होती है।
ऊर्जा आवश्यकता	विखंडन प्रकिया में दो परमाणुओं को विभाजित करने में बहुत कम ऊर्जा लगती है।	दो या दो से अधिक प्रोटॉन को एक साथ लाने के लिये अत्यधिक उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
प्राप्त ऊर्जा	विखंडन द्वारा जारी ऊर्जा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में जारी ऊर्जा की तुलना में एक लाख गुना अधिक होती है, हालाँकि यह नाभिकीय संलयन द्वारा जारी ऊर्जा से कम होती है।	संलयन से प्राप्त ऊर्जा विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा से तीन से चार गुना अधिक होती है।
ऊर्जा उत्पादन	विखंडन प्रकिया का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है।	यह ऊर्जा उत्पादन के लिये एक प्रायोगिक तकनीक है।

नोट :

जैव विविधता और पर्यावरण

वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021: WMO

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में WMO (विश्व मौसम विज्ञान संगठन) ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है।

रिपोर्ट:

- इस वार्षिक रिपोर्ट का उद्देश्य बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति के युग में वैश्विक ताजे जल के संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन का समर्थन करना है।
- रिपोर्ट तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है:
  - धारा प्रवाह, किसी भी समय नदी धारा के माध्यम से बहने वाले जल की मात्रा।
  - स्थलीय जल भंडारण (TWS) - भूमि की सतह पर और उप-सतह में के सभी जल की मात्रा।
  - हिममंडल

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- परिचय:
  - 2001 और 2018 के बीच, UN-WATER ने बताया कि सभी प्राकृतिक आपदाओं का 74% जल से संबंधित था।
  - मिस्र में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, COP27 ने सरकारों से अनुकूलन प्रयासों में जल को एकीकृत करने का आग्रह किया, पहली बार COP में जल के महत्त्व के परिणामों को दस्तावेज़ों में संदर्भित किया गया है।
  - 6 अरब लोगों को प्रति वर्ष कम से कम एक महीने जल तक अपर्याप्त पहुँच है और वर्ष 2050 तक यह बढ़कर पाँच अरब से अधिक होने की उम्मीद है।
  - वर्ष 2021 में विश्व के बड़े क्षेत्रों में सामान्य से अधिक शुष्क स्थिति दर्ज की गई, जो एक ऐसा वर्ष था जिसमें जलवायु परिवर्तन और ला नीना घटना से वर्षा के प्रतिरूप प्रभावित हुए थे।
  - 30 साल के हाइड्रोलॉजिकल औसत की तुलना में औसत प्रवाह से कम वाला क्षेत्र औसत प्रवाह से अधिक वाले क्षेत्र की तुलना में लगभग दो गुना बड़ा था।
- क्षेत्रवार धारा प्रवाह:
  - सूखा: असामान्य रूप से शुष्क क्षेत्रों में दक्षिण अमेरिका का रियो डी ला प्लाटा क्षेत्र शामिल है, जहाँ वर्ष 2019 से लगातार सूखे ने इस क्षेत्र को प्रभावित किया है।
  - सामान्य से नीचे: अफ्रीका में नाइज़र, वोल्टा, नील और कांगो जैसी प्रमुख नदियों में वर्ष 2021 में औसत से कम जल प्रवाह था। यही प्रवृत्ति रूस, पश्चिम साइबेरिया और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में नदियों में देखी गई थी।
  - सामान्य से ऊपर: दूसरी ओर कुछ उत्तरी अमेरिकी बेसिनों, उत्तरी अमेज़न और दक्षिण अफ्रीका के साथ-साथ चीन के अमूर नदी बेसिन एवं उत्तरी भारत में नदी जल की मात्रा सामान्य से अधिक थी।
- स्थलीय आवरण:
  - सामान्य से नीचे: नदी के प्रवाह में बदलाव के अलावा, समग्र स्थलीय जल भंडारण को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर, दक्षिण- मध्य अमेरिका और पेटागोनिया, उत्तरी अफ्रीका एवं मेडागास्कर, मध्य एशिया तथा मध्य पूर्व, पाकिस्तान और उत्तर भारत में सामान्य से नीचे के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
  - सामान्य से ऊपर: यह मध्य अफ्रीका, उत्तरी दक्षिण अमेरिका विशेष रूप से अमेज़न बेसिन एवं उत्तरी चीन में सामान्य से ऊपर था।
- हिममंडल:
  - पहाड़ों को अक्सर प्राकृतिक "वाटर टावर्स" कहा जाता है क्योंकि वे अनुमानित रूप से 9 बिलियन लोगों के लिये नदियों और मीठे जल की आपूर्ति का स्रोत हैं।
  - हिममंडल जल संसाधनों में परिवर्तन खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और रखरखाव को प्रभावित करते हैं तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर गहरा प्रभाव डालते हैं।

भारतीय परिदृश्य:

- पूर्वी पाकिस्तान, उत्तरी भारत, दक्षिणी नेपाल और पूरे बांग्लादेश में फैले सिंधु-गंगा के मैदान (Indo-Gangetic Plain-IGP) पर ग्लोबल वार्मिंग के कुप्रभाव देखे जा सकते हैं।
- वर्ष 2021 में कुल जल भंडारण में गिरावट आने के बावजूद गंगा-ब्रह्मपुत्र और सिंधु घाटियों में हिमनदों के पिघलने के कारण इनकी नदी धाराओं में अधिक जल का प्रवाह दर्ज किया गया।
- यह बेहद चिंताजनक खबर है क्योंकि IGP चार देशों के लगभग आधे अरब लोगों के जीवन यापन हेतु सहायक है।

नोट :

सुझाव:

- मीठे जल के संसाधनों के वितरण, मात्रा और गुणवत्ता में हुए परिवर्तन संबंधी समझ पर्याप्त नहीं है, इस अंतर को समाप्त करने और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जल की उपलब्धता का संक्षिप्त विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है।
- सूखे और बाढ़ की पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिये एंड-टू-एंड विकास की आवश्यकता है।
- ग्लेशियर के पिघलने और उच्च जल उपलब्धता के समय का दीर्घकालिक अनुमान अनुकूलन निर्णयों के लिये महत्त्वपूर्ण इनपुट होना चाहिये।
- जल विज्ञान डेटा की उपलब्धता और साझाकरण में तेज़ी लाने की आवश्यकता है, जिसमें नदी के निर्वहन और सीमा पार नदी बेसिन की जानकारी शामिल है।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO):

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) 192 देशों की सदस्यता वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है।
  - भारत विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य देश है।
- इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन (IMO) से हुई है, जिसे वर्ष 1873 के वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कॉन्ग्रेस के बाद स्थापित किया गया था।
- 23 मार्च, 1950 को WMO कन्वेंशन के अनुसमर्थन द्वारा स्थापित WMO, मौसम विज्ञान (मौसम और जलवायु), जल विज्ञान तथा इससे संबंधित भू-भौतिकीय विज्ञान हेतु संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गई है।
- WMO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।

भारत में वर्ष 2040 तक नवोन्मेषी कूलिंग प्रौद्योगिकी

चर्चा में क्यों ?

- विश्व बैंक समूह द्वारा जारी रिपोर्ट 'भारत के कूलिंग क्षेत्रों में जलवायु निवेश के अवसर' के अनुसार निम्न कार्बन-गहन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से भारत के कूलिंग क्षेत्र में निवेश के अवसर 1.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ सकते हैं।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- रिपोर्ट में वर्ष 2019 में शुरू किये गए इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP) का विश्लेषण किया गया है और कूलिंग संबंधित क्षेत्रों में सरकार के निवेश के अवसरों को प्राथमिकता देने हेतु सुझाव दिये गए हैं।
- रिपोर्ट एयर कंडीशनिंग के प्रयोग पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है क्योंकि वर्ष 2040 तक केवल 40% भारतीयों के पास एयर कंडीशनर होगा जो वर्तमान में लगभग 8% भारतीयों के पास है तथा इसके अलावा माँग की पूर्ति के लिये निष्क्रिय कूलिंग प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
  - तीन अलग-अलग क्षेत्रों- विनिर्माण, कोल्ड चेन और रेफ्रिजरेंट में निवेश के अवसर, ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में कमी लाने तथा लगभग 3.7 मिलियन रोज़गार सृजित करने की क्षमता है।
- हीट स्ट्रेस और उससे होने वाले उत्पादकता में गिरावट के कारण देश में लगभग 34 मिलियन लोग अपनी नौकरी खो सकते हैं।
- वर्ष 2022 में भारत में अनुभव किये गए हीटवेव की ही तरह आने वाले समय में विश्व में इस प्रकार के अनेकों हीटवेव की संभावनाएँ हैं।
- तापमान में दो-तीन डिग्री की वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए विश्व में हीट स्ट्रेस में भारी वृद्धि होना तय है।

सिफारिशें:

- सतत् अंतरिक्ष कूलिंग:
  - सतत् अंतरिक्ष कूलिंग समाधान वर्ष 2040 तक वार्षिक GHG उत्सर्जन को 213 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कम कर सकता है।
  - यह कूलिंग प्रौद्योगिकियों एयर कंडीशनर, सीलिंग फैन और चिलर की दक्षता में वृद्धि करके हासिल किया जा सकता है जो वर्ष 2037-38 तक 30% ऊर्जा बचा सकता है।
- निष्क्रिय कूलिंग रणनीतियाँ:
  - शहरों में इमारतों के लिये निष्क्रिय कूलिंग रणनीतियाँ वर्ष 2038 तक ऊर्जा के उपयोग को 20-30% तक कम कर सकती हैं।
  - किसी इमारत के तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट से कूलिंग के लिये विद्युत की मांग में दो-चार प्रतिशत की कमी आ सकती है।
- ताप अनुकूलता:
  - सरकार को अपने किफायती आवास कार्यक्रम 'प्रधानमंत्री आवास योजना' (PMAY) में एक ताप अनुकूलता कार्यक्रम शामिल करना चाहिये।
  - इन घरों में निष्क्रिय कूलिंग प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ताप अनुकूलता, सरकार के लक्ष्य 11 मिलियन से अधिक शहरी परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों में 29 मिलियन परिवारों को लाभान्वित कर सकता है।

नोट :

- यह भी सुनिश्चित होगा कि बढ़ते तापमान से सबसे अधिक प्रभावित लोग असमान रूप से प्रभावित न हों।

- ज़िला कूलिंग प्रणाली (DCS):
  - DCS अलग-अलग इमारतों के बजाय इमारतों के समूहों के लिये केंद्रीकृत कूलिंग तकनीक हैं जो कहीं अधिक दक्ष है।
  - उच्च घनत्व वाले रियल एस्टेट परिसरों के लिये ज़िला कूलिंग अनिवार्य किया जाना चाहिये।
  - DCS एक केंद्रीय संयंत्र में शीतल जल उत्पन्न करता है जिसे भूमिगत इन्सुलेटेड पाइपों के माध्यम से कई इमारतों में वितरित किया जा सकता है।
- शीत शृंखला और प्रशीतन:
  - शीत शृंखला वितरण नेटवर्क में अंतराल को भरने के लिये रणनीतियों में निवेश हेतु विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय विकास बैंकों से रियायती वित्त का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है।
  - इस तरह के निवेश से खाद्य क्षति को लगभग 76% तक कम करने और कार्बन उत्सर्जन को 16% तक कम करने में मदद मिल सकती है।

इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (ICAP)

- यह राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत अनुसंधान के एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में "कूलिंग और संबंधित क्षेत्रों" को पहचानने का प्रयास करता है।
- यह कूलिंग के लिये भारत की राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2037-2038 तक देश भर में कूलिंग की मांग को 25% तक कम करना है।
- इसका उद्देश्य वर्ष 2037-38 तक कूलिंग ऊर्जा आवश्यकताओं को 25% से 40% तक कम करना है।
- स्किल इंडिया मिशन के समन्वय से वर्ष 2022-23 तक 1,00,000 सर्विसिंग सेक्टर तकनीशियनों का प्रशिक्षण और प्रमाणन।
- यह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (Economically Weaker Section- EWS) और निम्न-आय वर्ग (Low-Income Group- LIG) आवास के लिये कूलिंग का भी प्रावधान करता है।
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुरूप, योजना में उन तत्त्वों को कम करने पर ज़ोर दिया गया है जो ओज़ोन परत को क्षति पहुँचाते हैं।
- इसका लक्ष्य समाज के लिये पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक लाभों को सुरक्षित करते हुए सभी के लिये स्थायी कूलिंग और तापीय संतुलन प्रदान करना है।

स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया गया।

- यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UN Environment Programme- UNEP) द्वारा जर्मनी के संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (BMZ) की द इकोनॉमिक ऑफ लैंड डीग्रेडेशन पहल, 'संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (United Nations Convention to Combat Desertification- UNCCD) और यूरोपीय आयोग द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई थी।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- वर्तमान वित्तीय प्रवाह:
  - NbS के लिये वर्तमान सार्वजनिक और निजी वित्तीय प्रवाह प्रतिवर्ष 154 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।
    - इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 83% है और निजी क्षेत्र का योगदान 17% है।
- NbS वित्त प्रवाह में बदलाव:
  - NbS के लिये कुल वित्त प्रवाह 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 154 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष हो गया है।
  - यह सार्वजनिक और निजी वित्तीय प्रवाह के योग में वास्तविक रूप से 2.6% के निवेश में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।
- समुद्री NbS और संरक्षित क्षेत्रों में निवेश:
  - SFN 2022 ने समुद्री प्रकृति-आधारित समाधानों और संरक्षित क्षेत्र वित्त के विस्तृत मूल्यांकन को शामिल करके दायरे को व्यापक बनाया।
  - समुद्री NbS के लिये वित्त प्रवाह मुख्यतौर पर 14 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो कुल (स्थलीय और समुद्री) वित्त प्रवाह का 9% है।
  - समुद्री NbS में वार्षिक घरेलू सरकारी व्यय प्रति वर्ष 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जिसमें समुद्री संरक्षित क्षेत्रों, मत्स्य पालन के सतत् प्रबंधन और मत्स्य पालन के अनुसंधान एवं विकास पर खर्च शामिल है।
- प्रकृति-नकारात्मक वित्तीय प्रवाह (Nature-negative Financial Flows):
  - प्रकृति-नकारात्मक गतिविधियों के लिये सार्वजनिक वित्तीय सहायता वर्तमान में प्रति वर्ष 500 से 1,100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक है, जो कि NbS में वर्तमान निवेश से तीन से सात गुना अधिक है।

नोट :

सुझाव:

- प्रकृति आधारित समाधान में निवेश:
  - वर्ष 2025 तक प्रकृति-आधारित समाधानों में 384 बिलियन अमेरिकी डॉलर/वर्ष के निवेश में वृद्धि के बिना, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और भूमि क्षरण के लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सकेगा।
  - NbS के लिये वित्त पोषण को दोगुना करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (Greenhouse Gas Emissions-GHG) को बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिये इसे कम करने की आवश्यकता है।
- निजी निवेश:
  - निजी क्षेत्र के अभिकर्त्ताओं को 'नेट ज़ीरो' को 'नेचर पॉजिटिव' के साथ जोड़ना होगा।
  - इसके लिये निजी कंपनियों को एक स्थायी आपूर्ति शृंखला बनानी चाहिये, जलवायु और जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को कम करना चाहिये, समग्र प्रकृति बाजारों के माध्यम से किसी भी अपरिहार्य गतिविधियों को समाप्त करना चाहिये, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिये भुगतान करना चाहिये और प्रकृति-सकारात्मक गतिविधियों में निवेश करना चाहिये।
- वित्तीय प्रणालियों में समावेशन में वृद्धि:
  - NBS निवेश को बढ़ाने के लिये, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को मानव अधिकारों की रक्षा करने वाले संक्रमण सिद्धांतों को शामिल करना चाहिये।
  - एक न्यायसंगत संक्रमण में जलवायु कार्रवाई के सामाजिक और आर्थिक अवसरों को अधिकतम करना शामिल है, जबकि किसी भी चुनौती को कम और सावधानीपूर्वक प्रबंधित करना - प्रभावित सभी समूहों के बीच प्रभावी सामाजिक संवाद और मौलिक श्रम सिद्धांतों तथा अधिकारों के लिये सम्मान भी शामिल है।

प्रकृति-आधारित समाधान (NBS):

- पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना सामाजिक-पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिये प्रकृति के सतत् प्रबंधन और उपयोग को संदर्भित करता है, जो आपदा जोखिम में कमी, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान से लेकर खाद्य एवं जल सुरक्षा के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य तक सीमित है।
- NBS लोगों और प्रकृति के बीच सद्भाव बनाता है, पारिस्थितिक विकास को सक्षम बनाता है और जलवायु परिवर्तन के लिये एक समग्र, जन-केंद्रित प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है।
- इस प्रकार NBS सतत् विकास लक्ष्यों को रेखांकित करता है, क्योंकि यह महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं, जैव विविधता और ताजे जल तक पहुँच, बेहतर आजीविका, स्वस्थ आहार और स्थायी खाद्य प्रणालियों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा (जैविक कृषि) का समर्थन करते हैं।
- इसके अलावा NBS जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के समग्र वैश्विक प्रयासों का एक अनिवार्य घटक है।

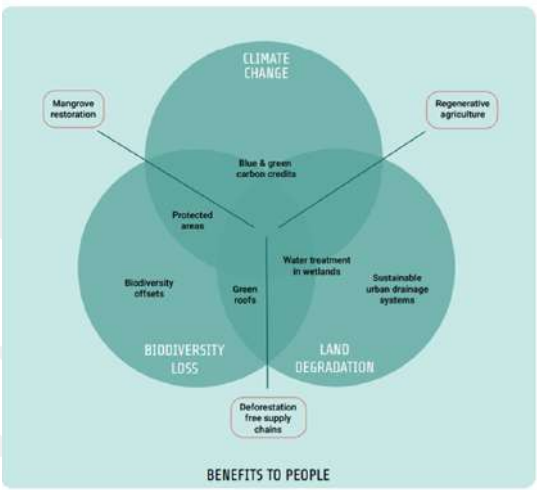

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP):

- 05 जून, 1972 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है।
- कार्य: इसका प्राथमिक कार्य वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत् विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिये एक आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना है।
- प्रमुख रिपोर्ट्स: उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लेनेट रिपोर्ट।
- प्रमुख अभियान: 'बीट पॉल्यूशन', 'UN75', विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ।
- मुख्यालय: नैरोबी (केन्या)।

जैव विविधता ढाँचा और आदिवासी समुदाय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (CBD) के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन (COP-15) में आदिवासी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह ने ज़ोर देकर कहा कि वर्ष 2020 के

नोट :

बाद ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (GBF) को आदिवासी लोगों और स्थानीय समुदायों (IPCL) के अधिकारों का सम्मान, संवर्द्धन और समर्थन करने पर काम करना चाहिये।

- जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी मंच (IIFB) के सदस्यों ने भी आदिवासी समुदायों के अधिकारों के लिये बल दिया गया है।

आदिवासी लोगों द्वारा तनावग्रस्त प्रमुख क्षेत्र:

- आदिवासी समुदाय, जो हमेशा जैव विविधता के प्रमुख संरक्षक रहे हैं, उनके अधिकारों को भी पहचानने और संरक्षित करने की आवश्यकता है।
- GBF को आदिवासी समुदायों के लिये, "मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए, विशेष रूप से आदिवासियों के सामूहिक अधिकारों, लैंगिक समानता, सुरक्षा और पूर्ति व इसके अतिरिक्त उनके अधिकारों की रक्षा के लिये नवीन तरीकों की तलाश करनी चाहिये।
- 2020 के बाद GBF के कार्यान्वयन में स्वतंत्रता, पूर्व और सूचित सहमति के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए पारंपरिक ज्ञान, प्रथाओं और तकनीकों को शामिल किया जाना चाहिये।

जैव विविधता संरक्षण में आदिवासी समुदायों की क्या भूमिका है?

- प्राकृतिक वनस्पतियों का संरक्षण:
  - आदिवासी समुदायों द्वारा पेड़ों को देवी-देवताओं के निवास स्थान के रूप में देखे जाने से जुड़ा धार्मिक विश्वास वनस्पतियों के प्राकृतिक संरक्षण को बढ़ावा देता है।
  - इसके अलावा, कई फसलों, जंगली फलों, बीज, कंद-मूल आदि विभिन्न प्रकार के पौधों का जनजातीय और आदिवासी लोगों द्वारा संरक्षण किया जाता है क्योंकि वे अपनी खाद्य ज़रूरतों के लिये इन स्रोतों पर निर्भर हैं।
- पारंपरिक ज्ञान का अनुप्रयोग:
  - आदिवासी लोग और जैव विविधता एक-दूसरे के पूरक हैं।
  - समय के साथ ग्रामीण समुदायों ने औषधीय पौधों की खेती और उनके प्रचार के लिये आदिवासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान का उपयोग किया है।
  - इन संरक्षित पौधों में कई साँप और बिच्छू के काटने या टूटी हड्डियों व आर्थोपेडिक उपचार के लिये प्रयोग में लाए जाने पौधे भी शामिल हैं।

आदिवासी समुदाय की चुनौतियाँ:

- प्रकृति और स्थानीय लोगों के बीच व्यवधान: जैव विविधता की रक्षा हेतु स्थानीय लोगों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग करने से जुड़ा दृष्टिकोण ही उनके और संरक्षणवादियों के बीच संघर्ष का मूल कारण है।
  - किसी भी प्राकृतिक आवास को एक विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Site) के रूप में चिह्नित किये जाने के साथ ही यूनेस्को (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO) उस क्षेत्र के संरक्षण का प्रभार ले लेता है।
  - यह संबंधित क्षेत्रों में बाहरी लोगों और तकनीकी उपकरणों के प्रवेश (संरक्षण के उद्देश्य से) को बढ़ावा देता है, जो स्थानीय लोगों के जीव को बाधित करता है।
- वन अधिकार अधिनियम का शिथिल कार्यान्वयन: वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act- FRA) को लागू करने में भारत के कई राज्यों का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा है।
  - इसके अलावा विभिन्न संरक्षण संगठनों द्वारा FRA की संवैधानिकता को कई बार सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई है।
    - एक याचिकाकर्त्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में यह तर्क दिया गया कि क्योंकि संविधान के अनुच्छेद-246 के तहत भूमि को राज्य सूची का विषय माना गया है, ऐसे में FRA को लागू करना संसद के अधिकार क्षेत्र के बाहर है।
- विकास बनाम संरक्षण: अधिकांशत: ऐसा देखा गया है कि सरकार द्वारा विकास के नाम पर बाँध, रेलवे लाइन, सड़क विद्युत संयंत्र आदि के निर्माण के लिये आदिवासी समुदाय के पारंपरिक प्रवास क्षेत्र की भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है।
  - इसके अलावा इस प्रकार के विकास कार्यों के लिये आदिवासी लोगों को उनकी भूमि से ज़बरन हटाने से पर्यावरण को क्षति होने के साथ-साथ मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है।

पोस्ट-2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क

- परिचय:
  - पोस्ट-2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क जैव विविधता के लिये रणनीतिक योजना 2011-2020 पर आधारित है।
    - जैसा कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2011-2020 समाप्त हो रहा है, प्रकृति के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN) एक महत्त्वाकांक्षी नए वैश्विक जैव विविधता ढाँचे के विकास के लिये सक्रिय रूप से समर्थन करता है।
- लक्ष्य और उद्देश्य:
  - वर्ष 2050 तक नए फ्रेमवर्क के निम्नलिखित चार लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है:
    - जैव विविधता के विलुप्त होने तथा उसमें गिरावट को रोकना।

नोट :

- संरक्षण द्वारा मनुष्यों के लिये प्रकृति की सेवाओं को बढ़ाने और उन्हें बनाए रखना।
- आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से सभी के लिये उचित और समान लाभ सुनिश्चित करना।
- वर्ष 2050 के विज़न को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध वित्तीय और कार्यान्वयन के अन्य आवश्यक साधनों के मध्य अंतर को कम करना।

◆ 2030 कार्य-उन्मुख लक्ष्य: 2030 के दशक में तत्काल कार्रवाई के लिये इस फ्रेमवर्क में 21 कार्य-उन्मुख लक्ष्य हैं।
- उनमें से एक है संरक्षित क्षेत्रों के तहत विश्व के कम- से-कम 30% भूमि और समुद्र क्षेत्र को लाना।
- आक्रामक विदेशी प्रजातियों की शुरूआत की दर में 50% से अधिक कमी और उनके प्रभावों को खत्म करने या कम करने के लिये ऐसी प्रजातियों का नियंत्रण या उन्मूलन।
- पर्यावरण के लिये नुकसानदेह पोषक तत्वों को कम से कम आधा और कीटनाशकों को कम से कम दो तिहाई कम करना, और प्लास्टिक कचरे के निर्वहन को समाप्त करना।
- प्रति वर्ष कम से कम 10 $GtCO_2e$ (गीगाटन समतुल्य कार्बन डाइऑक्साइड) के वैश्विक जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों में प्रकृति-आधारित योगदान और सभी शमन तथा अनुकूलन प्रयास जैवविविधता पर नकारात्मक प्रभावों से बचाते हैं।

जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी मंच (IIFB):

- IIFB आदिवासी सरकारों, आदिवासी गैर-सरकारी संगठनों, आदिवासी विद्वानों और कार्यकर्त्ताओं के प्रतिनिधियों का एक समूह है जो CBD और अन्य महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय बैठकों में संगठित होते हैं।
- इसका उद्देश्य बैठकों में आदिवासी रणनीतियों के समन्वय में मदद करना, सरकारी दलों को सलाह प्रदान करना और ज्ञान तथा संसाधनों के आदिवासी अधिकारों को पहचानने एवं सम्मान करने के लिये सरकारी दायित्त्वों को प्रभावित करना है।।
- IIFB का गठन नवंबर 1996 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (CoP III) के पक्षकारों के तीसरे सम्मेलन के दौरान किया गया था।

आगे की राह:

- स्वदेशी लोगों के अधिकारों को मान्यता देना:
  - संबद्ध क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के लिये, वनों पर निर्भर रहने वाले वनवासियों के अधिकारों की मान्यता उतनी ही महत्त्वपूर्ण है जितनी कि विश्व विरासत स्थल के रूप में प्राकृतिक आवास की घोषणा।
- FRA का प्रभावी कार्यान्वयन:
  - देश के अन्य सभी लोगों की तरह समान नागरिक जैसा व्यवहार करते हुए सरकार को इस क्षेत्र में अपनी एजेंसियों और वनों पर निर्भर रहने वाले उन लोगों के बीच विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये।
- संरक्षण के लिये जनजातीय लोगों से संबद्ध पारंपरिक ज्ञान:
  - जैव विविधता अधिनियम, 2002 स्थानीय समुदायों के साथ जैविक संसाधनों के उपयोग और ज्ञान से उत्पन्न होने वाले लाभों के न्यायसंगत साझाकरण का उल्लेख करता है।
    - अत: सभी हितधारकों को यह समझना चाहिये कि स्वदेशी लोगों का पारंपरिक ज्ञान जैव विविधता के अधिक प्रभावी संरक्षण हेतु बहुत महत्त्वपूर्ण है।
- आदिवासी, वन वैज्ञानिक:
  - आदिवासी आमतौर पर सर्वश्रेष्ठ संरक्षणवादी माने जाते हैं क्योंकि वे प्रकृति से आध्यात्मिक रूप से जुड़े होते हैं।
  - उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों के संरक्षण का सबसे सस्ता और तेज़ तरीका जनजातीय लोगों के अधिकारों का सम्मान करना है।

वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राज्यसभा ने वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया, जो वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन (Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Fauna and Flora- CITES) के तहत भारत के दायित्वों को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है।

विधेयक का उद्देश्य:

- लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण: विधेयक अवैध वन्यजीव व्यापार के लिये सजा बढ़ाने का प्रयास करता है।
- संरक्षित क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन: यह स्थानीय समुदायों द्वारा पशुओं के चरने या आवाजाही और पीने एवं घरेलू जल के वास्तविक उपयोग जैसी कुछ अनुमत गतिविधियों के लिये अनुमति प्रदान करता है।
- वन भूमि का संरक्षण: संबद्ध वनक्षेत्र में सदियों से रह रहे लोगों के अधिकारों की सुरक्षा को समान रूप से शामिल करना।

प्रस्तावित संशोधन

- इस संशोधन ने CITES के तहत परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्रजातियों के लिये एक नया कार्यक्रम प्रस्तावित किया।

नोट :

- ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करने एवं स्थायी समिति का गठन करने के लिये धारा 6 में संशोधन किया गया है जो इसे राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित किया जा सकता है।
- अधिनियम की धारा 43 में संशोधन किया गया जिसमें 'धार्मिक या किसी अन्य उद्देश्य' के लिये हाथियों के उपयोग की अनुमति दी गई है ।
- केंद्र सरकार को एक प्रबंधन प्राधिकरण नियुक्त करने में सक्षम बनाने के लिये धारा 49E को जोड़ा गया है।
- केंद्र सरकार को एक वैज्ञानिक प्राधिकरण नियुक्त करने की अनुमति देना जो व्यापार किये जाने वाले नमूनों के अस्तित्त्व पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करे।
- विधेयक केंद्र सरकार को विदेशी प्रजातियों के आक्रामक पौधे या पशु के आयात, व्यापार या नियंत्रण को विनियमित करने और रोकने का भी अधिकार देता है।
- विधेयक अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये निर्धारित दंड को भी बढ़ाता है।
  - 'सामान्य उल्लंघन' के लिये अधिकतम जुर्माना 25,000 रूपए से बढ़ाकर 1 लाख रूपए कर दिया गया है।
  - विशेष रूप से संरक्षित पशुओं के मामले में न्यूनतम जुर्माना 10,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए कर दिया गया है।

विधेयक से जुड़ी चिंताएँ:

- वाक्यांश "कोई अन्य उद्देश्य" अस्पष्ट है और हाथियों के वाणिज्यिक व्यापार को प्रोत्साहित करने की क्षमता रखता है।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र नियम आदि से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया है।
- संसदीय स्थायी समिति द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के अनुसार विधेयक की तीनों अनुसूचियों में सूचीबद्ध प्रजातियाँ अधूरी हैं।
- वैज्ञानिक, वनस्पतिशास्त्री, जीवविज्ञानी संख्या में कम हैं और वन्यजीवों की सभी मौजूदा प्रजातियों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिये उन्हें अधिक से अधिक शामिल करने की आवश्यकता है।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन एवं विनियमन तथा जंगली जानवरों, पौधों व उनसे बने उत्पादों के व्यापार पर नियंत्रण के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- यह अधिनियम सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सुरक्षा और निगरानी प्राप्त उन पौधों और पशुओं की अनुसूची को भी सूचीबद्ध करता है।

CITES:

- CITES एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका राष्ट्र और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन स्वेच्छा से पालन करते हैं।
- वर्ष 1963 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN) के सदस्य देशों की बैठक में अपनाए गए एक प्रस्ताव के परिणामस्वरूप CITES का मसौदा तैयार किया गया था।
- CITES जुलाई 1975 में लागू हुआ था।
- CITES सचिवालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है और यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रशासित है।
- भारत CITES का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है।

वन्यजीव संरक्षण के लिये संवैधानिक प्रावधान

- 42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976, द्वारा वन और जंगली पशुओं और पक्षियों के संरक्षण को राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था।
- संविधान के अनुच्छेद 51A(जी) में कहा गया है कि वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा।
- राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48 ए, के तहत राज्य पर्यावरण की रक्षा और विकसित करने तथा देश के वनों और वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

आगे की राह:

- वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कानून का सख्ती से पालन आवश्यक है।
- अचल संपत्ति में शामिल व्यवसायों और निगमों को अपनी धन और बल शक्ति को संतुलित करने के लिये कानून का सख्ती से पालन करना चाहिये।
  - कुछ निगमों के लाभ के लिये निकोबार के जंगलों को पूरी तरह से उजाड़ा व नष्ट किया जा रहा है।
  - अत: मुख्य रूप से, वन्यजीवों पर वास्तव में मनुष्यों द्वारा नहीं बल्कि निगमों द्वारा हमला किया जा रहा है।
- केवल नियमों और तकनीकी की समझ ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आदिवासी समुदायों को भी अपने अधिकारों का ज्ञान होना आवश्यक है।

फार्मास्युटिकल प्रदूषण

चर्चा में क्यों ?

एक शोध पत्र के अनुसार, लगातार नज़रंदाज किये जाने वाले फार्मास्युटिकल प्रदूषण पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है जिसके

नोट :

तहत औषधि, स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरण क्षेत्रों से समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है।

विश्व की लगभग आधी या 43% नदियाँ सांद्रता में सक्रिय औषधि सामग्री से दूषित हैं जो स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती हैं।

फार्मास्युटिकल प्रदूषण:

- परिचय:
  - फार्मास्युटिकल संयंत्र अक्सर अपनी विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग किये जाने वाले सभी रासायनिक यौगिकों को फिल्टर करने में असमर्थ होते हैं और इस तरह, रसायन आसपास के ताज़े/स्वच्छ जल प्रणालियों में और अंततः महासागरों, झीलों, धाराओं और नदियों को प्रदूषित करते हैं।
  - औषधि निर्माताओं से अपशिष्ट जल को कभी-कभी खुले मैदानों और आस-पास के जल निकायों में भी छोड़ दिया जाता है, जिससे पर्यावरण, लैंडफिल या डंपिंग क्षेत्रों में औषधि अपशिष्ट या उनके उप-उत्पादों में वृद्धि होती है। यह सब मूल रूप से औषधि/फार्मास्युटिकल प्रदूषण के रूप में जाना जाता है।
- प्रभाव:
  - मछली और जलीय जीवन पर प्रभाव:
    - कई अध्ययनों ने संकेत दिया है कि जन्म नियंत्रण की गोलियों और पोस्टमेनोपॉज़ल हार्मोन उपचार में पाए जाने वाले एस्ट्रोजन का नर मछली पर कुप्रभाव पड़ता है और महिला-से-पुरुष अनुपात प्रभावित हो सकता है।
  - सीवेज उपचार प्रक्रिया में व्यवधान:
    - सीवेज उपचार प्रणालियों में मौजूद एंटीबायोटिक्स सीवेज बैक्टीरिया की गतिविधियों को रोक सकते हैं और कार्बनिक पदार्थ अपघटन को गंभीरता से प्रभावित करते हैं।
  - पीने के जल पर प्रभाव:
    - इन फार्मास्यूटिकल्स में मौजूद रसायन, शरीर से उत्सर्जित होने के बाद जल को प्रदूषित करता हैं।
    - अधिकांश नगरपालिका सीवेज उपचार सुविधाएँ इन औषधि यौगिकों को पीने के जल से नहीं हटा सकती हैं और लोग समान यौगिकों का उपभोग करते हैं।
    - इन यौगिकों के संपर्क में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं।
  - पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव:
    - कुछ औषधि यौगिक पर्यावरण और जल की आपूर्ति में लंबे समय तक बने रह सकते हैं।
    - ये जैवसंचय की प्रक्रिया में एक कोशिका में प्रवेश करते हैं और खाद्य शृंखलाओं को आगे बढ़ाते हैं, प्रक्रिया में अधिक केंद्रित हो जाते हैं। यह लंबे समय में जीवन और पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है।
- समाधान:
  - औषधिओं के उचित निपटान पर सार्वजनिक शिक्षा में निवेश ड्रग टेक-बैक कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में किया जाना चाहिये।
  - अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में बड़े पैमाने पर औषधि फ्लशिंग को सीमित करने के लिये कड़े नियम।
  - औषधि प्रदूषण के संभावित मानव प्रभावों का आकलन करने के लिये अतिरिक्त शोध की सख्त आवश्यकता है।
  - थोक खरीद को सीमित करने से यह सुनिश्चित होगा कि केवल आवश्यक राशि की आपूर्ति की जाए और जिससे कम प्रदूषण हो।
  - फ्लशिंग की तुलना में उचित कचरा समाधान का चुनाव करना चाहिये क्योंकि इससे उन्हें जलाया जाता है या लैंडफिल कर दिया जाता है।

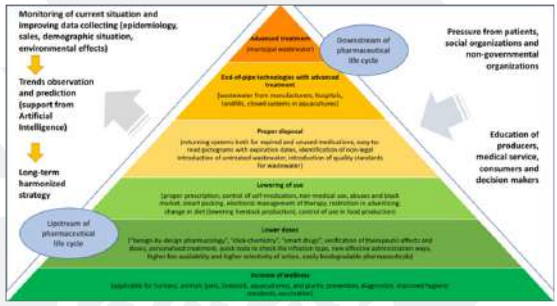

भारत में फार्मास्यूटिकल्स प्रदूषण की स्थिति:

- विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक:
  - भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल्स उत्पादक है, जिसमें लगभग 3000 औषधि कंपनियाँ और लगभग 10500 विनिर्माण इकाइयाँ शामिल हैं।
  - फार्मास्यूटिकल्स उत्पादन को भारत के विभिन्न हिस्सों में सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में से एक माना जाता है।
- भारत, थोक औषधि की राजधानी:
  - 'भारत को थोक औषधि राजधानी' के रूप में जाना जाता है।
    - इसमें लगभग 800 से अधिक फार्मा/बायोटेक इकाइयाँ हैं।
  - सर्वेक्षण के अनुसार, स्थानीय लोगों का तर्क है कि जिन क्षेत्रों में उद्योग स्थित हैं, वहाँ भूजल अत्यधिक दूषित है।
- मल्टीड्रग-प्रतिरोध संक्रमण:
  - यह अनुमान लगाया गया है कि मल्टीड्रग-प्रतिरोध संक्रमण के कारण भारत में वार्षिक लगभग 60000 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, जहाँ रोगाणुरोधी औषधिओं के साथ औषधि जल प्रदूषण इसके लिये उत्तरदायी है।

नोट :

संबंधित सरकारी पहल:

- एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना 2017: औद्योगिक कचरे में एंटीबायोटिक औषधिओं पर सीमा से संबंधित समस्या से निपटने के लिये प्रस्तावित किया गया था।
- शून्य तरल निर्वहन नीति: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने शून्य तरल निर्वहन प्राप्त करने के लिये विभिन्न फार्मा उद्योगों को दिशानिर्देश पेश किये हैं।
  - हैदराबाद में 220 थोक औषधि निर्माताओं में से लगभग 86 के पास शून्य तरल निर्वहन सुविधाएँ हैं, जिससे पता चला है कि वे लगभग सभी तरल अपशिष्ट को रिसायकल कर सकते हैं।
- बहि:स्राव की निरंतर निगरानी: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने यह भी घोषणा की है कि उद्योगों को लगातार बहि:स्राव की निगरानी के लिये उपकरण स्थापित करने चाहिये।

NMCG और नमामि गंगे कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga- NMCG) की 10वीं अधिकारिता कार्य बल (Empowered Task Force- ETF) बैठक की अध्यक्षता की।

- नमामि गंगे कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, स्वच्छता संबंधी प्रयासों की तुलना में केंद्र सरकार का ध्यान गंगा नदी के संरक्षण, पर्यटन संबंधी सुधार और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की ओर अधिक केंद्रित हो गया है।

गंगा नदी के कायाकल्प संबंधी हालिया विकास :

- पर्यटन मंत्रालय अर्थ गंगा परियोजना के अनुरूप गंगा के किनारे पर्यटन सर्किट के विकास के लिये एक व्यापक योजना पर काम कर रहा है।
  - 'अर्थ गंगा' का तात्पर्य गंगा से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ सतत् विकास मॉडल विकसित करना है।
- आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में गंगा नदी के किनारे 75 शहरों में प्रदर्शनियों और मेलों के आयोजन की योजना बनाई गई है।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) गंगा नदी के किनारे जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के गलियारों (कॉरिडोर) के निर्माण हेतु कई आवश्यक कदम उठाने की तैयारी कर रहा है।
  - MoA&FW द्वारा गंगा के निकट के गाँवों में जल-उपयोग दक्षता में सुधार के प्रयासों के साथ ही पर्यावरण-अनुकूल कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- आवासन एवं शहरी मामले मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अमृत 2.0 (AMRUT 2.0) के तहत शहरी नालों की मैपिंग तथा गंगा शहरों में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय गंगा बेल्ट में वनीकरण गतिविधियों और 'प्रोजेक्ट डॉल्फिन' को आगे बढ़ाने की एक विस्तृत योजना पर भी काम कर रहा है।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG):

- परिचय:
  - राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जिसे 'राष्ट्रीय गंगा परिषद' भी कहा जाता है।
  - राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है, जिसे अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- उद्देश्य:
  - मिशन में मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) को पूर्व अवस्था में लाना और बढ़ावा देना तथा सीवेज के प्रवाह की जाँच के लिये रिवरफ्रंट के निकास बिंदुओं पर प्रदूषण को रोकने हेतु तत्काल अल्पकालिक कदम उठाना शामिल हैं।
  - प्राकृतिक मौसम परिवर्तन में बदलाव के बिना जल प्रवाह की निरंतरता बनाए रखना।
  - सतही प्रवाह और भूजल को बढ़ाना तथा उसे बनाए रखना।
  - क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पतियों के पुनर्जीवन और उनका रखरखाव करना।
  - गंगा नदी बेसिन की जलीय जैव विविधता के साथ-साथ तटवर्ती जैव विविधता को संरक्षित और पुनर्जीवित करना।
  - नदी के संरक्षण, कायाकल्प और प्रबंधन की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी की अनुमति देना।

नमामि गंगे कार्यक्रम

- परिचय:
  - नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 'फ्लैगशिप कार्यक्रम' के रूप में अनुमोदित किया गया था, ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।
  - यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है।

नोट :

- यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) और इसके राज्य समकक्ष संगठनों यानी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (SPMGs) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- नमामि गंगे कार्यक्रम (2021-26) के दूसरे चरण में राज्य परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करने और गंगा के सहायक शहरों में परियोजनाओं के लिये विश्वसनीय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report- DPR) तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
  - छोटी नदियों और आर्द्रभूमि के पुनरुद्धार पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
  - प्रत्येक प्रस्तावित गंगा जिले में कम से कम 10 आर्द्रभूमि हेतु वैज्ञानिक योजना और स्वास्थ्य कार्ड विकसित करना है और उपचारित जल एवं अन्य उत्पादों के पुन: उपयोग के लिये नीतियों को अपनाना है।

- कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ हैं:
  - सीवेज ट्रीटमेंट अवसंरचना
  - रिवर फ्रंट डेवलपमेंट
  - नदी-सतह की सफाई
  - जैव विविधता
  - वनीकरण
  - जन जागरण
  - औद्योगिक प्रवाह निगरानी
  - गंगा ग्राम

संबंधित पहलें:

- गंगा एक्शन प्लान: यह पहली नदी कार्ययोजना थी जो 1985 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डायवर्ज़न और घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना तथा विषाक्त एवं औद्योगिक रासायनिक कचरे (पहचानी गई प्रदूषणकारी इकाइयों से) को नदी में प्रवेश करने से रोकना था।
  - राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना गंगा एक्शन प्लान का ही विस्तार है। इसका उद्देश्य गंगा एक्शन प्लान के फेज-2 के तहत गंगा नदी की सफाई करना है।
- राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण (NRGBA): इसका गठन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-3 के तहत किया गया था।
- इसने गंगा नदी को भारत की 'राष्ट्रीय नदी' घोषित किया।
- स्वच्छ गंगा कोष: वर्ष 2014 में इसका गठन गंगा की सफाई, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना तथा नदी की जैविक विविधता के संरक्षण के लिये किया गया था।
- भुवन-गंगा वेब एप: यह गंगा नदी में होने वाले प्रदूषण की निगरानी में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- अपशिष्ट निपटान पर प्रतिबंध: वर्ष 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गंगा नदी में किसी भी प्रकार के कचरे के निपटान पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

The Vision

नोट :

भूगोल

तटीय लाल रेत के टीले

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के तटीय लाल रेत के टीलों के स्थल की रक्षा करने का सुझाव दिया है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - तटीय लाल रेत के टीलों को 'एरा मैटी डिब्बालु' के नाम से भी जाना जाता है। यह विशाखापत्तनम के कई स्थलों में से एक है, जिसका भूगर्भीय महत्त्व है।
  - यह स्थल समुद्री तट के किनारे स्थित है और विशाखापत्तनम शहर से लगभग 20 किमी उत्तर-पूर्व एवं भीमुनिपट्टनम से लगभग 4 किमी दक्षिण-पश्चिम में है।
  - इस स्थल को वर्ष 2014 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India- GSI) द्वारा भू-विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था और आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे वर्ष 2016 में 'संरक्षित स्थलों' की श्रेणी में सूचीबद्ध किया है।
- वितरण:
  - इस तरह के बालू टिब्बे दुर्लभ हैं और दक्षिण एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केवल तीन स्थानों जैसे तमिलनाडु में थेरी सैंड्स, विशाखापत्तनम में एर्रा मट्टी दिब्बालू और श्रीलंका में एक साइट से रिपोर्ट किये गए हैं।
  - ये कई वैज्ञानिक कारणों से भूमध्यरेखीय या समशीतोष्ण क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं।

लाल रेत के टीलों की विशिष्टता:

- निरंतर विकास:
  - लाल रेत के टीले पृथ्वी के विकास की निरंतरता का एक हिस्सा हैं और उत्तर भूगर्भीय अवधि के क्वार्टनरी युग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
    - क्वार्टनरी युग (चतुर्थ कल्प) भूगर्भिक समय पैमाने पर एक अवधि है जो मुख्य रूप से मानवता और जलवायु परिवर्तन के विस्तार के लिये जानी जाती है। यह अवधि लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व से आज तक जारी है।
- विभिन्न भू-आकृतिक विशेषताएँ:
  - 30 मीटर तक की ऊँचाई के साथ ये विभिन्न भू-आकृतियों और विशेषताओं के साथ बैडलैंड स्थलाकृति प्रदर्शित करते हैं, जिसमें गली, बालू टिब्बे, रोधिकाएँ, समुद्री रिज़, युग्मित वेदिकाएँ, गहरी घाटियाँ, धारा प्रतिच्छेदी वेदिकाएँ, निक पॉइंट (knick point) और झरने शामिल हैं।
    - बैडलैंड स्थलाकृति एक शुष्क इलाके से संबंधित है जहाँ नरम तलछटी चट्टानें और मृदा से भरपूर और पानी से बड़े पैमाने पर लुप्त हो गई है।
- भू-रासायनिक रूप से अपरिवर्तित:
  - हल्के-पीले रेत के भंडार जिनके बारे में अनुमान है कि ये लगभग 3,000 वर्ष पहले निक्षेपित हो चुके है, अब यह लाल रंग प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि तलछट भू-रासायनिक रूप से अपरिवर्तित होते हैं।
  - ये तलछट अजीवाश्म (जीवाश्म युक्त नहीं) हैं और खोंडालाइट बेसमेंट पर जमा हैं।
    - खोंडालाइट क्षेत्रीय चट्टान है जिसमें उच्च श्रेणी का कायांतरण और दानेदार चट्टान का निर्माण होता है। इसका नाम ओडिशा की खोंड जनजाति के नाम पर रखा गया था।
  - टीलों में शीर्ष पर हल्के-पीले रेत के टीले होते हैं, जिसके तल पर पीली रेत के साथ एक लाल-भूरे रंग की कंक्रीट होती है।
  - सबसे नीचे की पीली परत फ्लुवियल युक्त होती है, जबकि अन्य तीन इकाइयाँ मूल रूप से एओलियन हैं।

तलछट सुरक्षा का महत्त्व:

- इन तलछटों की रक्षा करना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसका अध्ययन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने में मदद कर सकता है, क्योंकि एर्रा मट्टी दिब्बालू ने ग्लेशियल और गर्म अवधि का अनुभव किया है।
- यह स्थल लगभग 18,500 से 20,000 वर्ष पुराना है और इसका संबंध अंतिम हिमयुग से हो सकता है।
- यह एक आकर्षक वैज्ञानिक विकास साइट है जो दर्शाती है कि जलवायु परिवर्तन का तत्काल प्रभाव किस प्रकार पड़ रहा है।
  - लगभग 18,500 वर्ष पूर्व, बंगाल की खाड़ी वर्तमान समुद्र तट से कम से कम 5 किमी. दूर थी। तब से लगभग 3,000 वर्ष पूर्व

नोट :

तक इसमें निरन्तर परिवर्तन होते रहे थे और यह अभी भी जारी हैं।

- इस साइट का पुरातात्विक महत्त्व भी है, क्योंकि कलाकृतियों के अध्ययन से उच्च पुरापाषाण काल का संकेत मिलता है और क्रॉस डेटिंग से लेट प्लेइस्टोसिन युग(20,000 ईसा पूर्व) के साक्ष्य मिलते हैं।
- प्रागैतिहासिक काल के लोग इस स्थान पर रहते थे क्योंकि इस क्षेत्र में कई स्थानों पर खुदाई से तीन विशिष्ट कालों के पत्थर के औजार और नवपाषाण काल के मिट्टी के बर्तनों का भी पता चला है।

मैंडस चक्रवात

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यह बताया गया है कि मैंडस चक्रवात तमिलनाडु और पुद्दुचेरी के तटों को 8 दिसंबर, 2022 से प्रभावित कर सकता है।

मैंडस चक्रवात

- मैंडस धीमी गति से चलने वाला चक्रवात है जो अक्सर बहुत अधिक नमी को अवशोषित करता है, भारी मात्रा में वर्षा करता है एवं यह वायु की गति से शक्ति प्राप्त करता है।
- इसका नामकरण संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department's- IMD) ने भविष्यवाणी की है कि तूफान प्रणाली पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ सकती है एवं 6 दिसंबर की शाम तक एक गर्त में बदल सकती है।
  - यह बाद में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में चक्रवात के रूप में अधिक मज़बूत हो सकता है और 8 दिसंबर की सुबह तक तमिलनाडु तथा पुद्दुचेरी के तटों की ओर बढ़ सकता है।

चक्रवात:

- चक्रवात एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसके आस-पास तेज़ी से इसके केंद्र की ओर वायु परिसंचरण होते हैं। उत्तरी गोलार्द्ध में हवा की दिशा वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिणावर्त होती है।
- आमतौर पर चक्रवात विनाशकारी तूफान और खराब मौसम के साथ उत्पन्न होते हैं।
- साइक्लोन शब्द ग्रीक शब्द साइक्लोस से लिया गया है जिसका अर्थ है साँप की कुंडलियाँ (Coils of a Snake)। यह शब्द हेनरी पेडिंगटन (Henry Peddington) द्वारा दिया गया था क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले उष्णकटिबंधीय तूफान समुद्र के कुंडलित नागों की तरह दिखाई देते हैं।
- चक्रवात दो प्रकार के होते हैं:
  - उष्णकटिबंधीय चक्रवात
  - अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात: इन्हें शीतोष्ण चक्रवात या मध्य अक्षांश चक्रवात या वताग्री चक्रवात या लहर चक्रवात भी कहा जाता है।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन 'उष्णकटिबंधीय चक्रवात' शब्द का उपयोग मौसम प्रणालियों को कवर करने के लिये करता है जिसमें पवनें 'गैल फोर्स' (न्यूनतम 63 किमी प्रति घंटे) से अधिक होती हैं।
  - उष्णकटिबंधीय चक्रवात मकर और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं।
    - यह उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जल पर विकसित होने वाली वृहत मौसम प्रणाली हैं, जहाँ वे सतही हवा परिसंचरण में व्यवस्थित हो जाते हैं।
  - अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात समशीतोष्ण क्षेत्रों और उच्च अक्षांश क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, हालाँकि वे ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पत्ति के कारण जाने जाते हैं।

चक्रवात का नामकरण:

- विश्व भर में हर महासागर बेसिन में बनने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र (Tropical Cyclone Warning Centres TCWCs) और क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र (regional specialised meteorological centres – RSMC) द्वारा नामित किया जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग और पाँच TCWCs सहित दुनिया में छह क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र हैं।
- वर्ष 2000 में संगठित हिंद महासागर क्षेत्र के आठ देश (बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्याँमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा थाईलैंड) एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवातों के नाम तय करते हैं। जैसे ही चक्रवात इन आठों देशों के किसी भी हिस्से में पहुँचता है, सूची से अगला या दूसरा सुलभ नाम इस चक्रवात का रख दिया जाता है।
  - WMO/ESCAP का विस्तार करते हुए वर्ष 2018 में पाँच और देशों, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को शामिल किया गया।

नोट :

प्रशांत अग्नि वलय (Pacific Ring of Fire)

परि-प्रशांत मेखला

विशेषताएँ:

- प्रशांत महासागर के किनारों पर स्थित एक पथ, जो **सक्रिय ज्वालामुखियों एवं सतत् भूकंपों** की विशेषता से युक्त है।
- पृथ्वी के अधिकांश ज्वालामुखी विस्फोट (75%)/भूकंप (90%) यहीं देखे जाते हैं

"इसके बाद भूकंपीय रूप से सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र (वैश्विक रूप से आने वाले भूकंपों का 5-6%) एल्पाइड बेल्ट (भूमध्यसागरीय क्षेत्र - तुर्की, ईरान और उत्तरी भारत के माध्यम से होता हुआ पूर्व की ओर) है।"

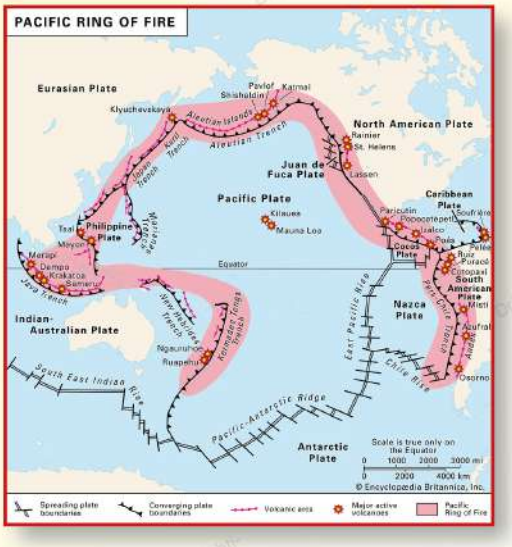

निर्माण का कारण:

- प्लेट विवर्तनिकी - पैसिफिक प्लेट का कम सघन प्लेटों के साथ परस्पर क्रिया करना

भौगोलिक विस्तार:

- ~40,000 किमी.; प्रशांत महासागर में **दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका महाद्वीप से लेकर पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड तथा उत्तरी अंटार्कटिक तट** तक

रिंग ऑफ फायर (RoF) के अंतर्गत आने वाले प्रमुख देश:

- चिली, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका

रिंग ऑफ फायर में सक्रिय ज्वालामुखी:

- **मौना लोआ (हवाई)**- विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी
- **माउंट तंबोरा (इंडोनेशिया)**- सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट (1815)
- **माउंट फूजी**- जापान का सबसे ऊँचा

"RoF पर अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी इसके पश्चिमी किनारे पर, रूस से न्यूजीलैंड तक पाए जाते हैं"

भूकंप:

- **चिली का वाल्डिविया भूकंप 1960**- अब तक दर्ज किया गया सबसे शक्तिशाली भूकंप

पश्चिमी विक्षोभ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिल्ली में दिन का तापमान दिसंबर 2022 में पश्चिमी विक्षोभ के कम होने के कारण सामान्य से अधिक था।

- सर्दियों में, पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फ आदि का कारण पश्चिमी विक्षोभ होता है और यह मैदानी इलाकों में अधिक नमी का कारण बनता है। मेघाच्छादन के परिणामस्वरूप रात में न्यूनतम तापमान और दिन के समय अधिक तापमान हो जाता है।

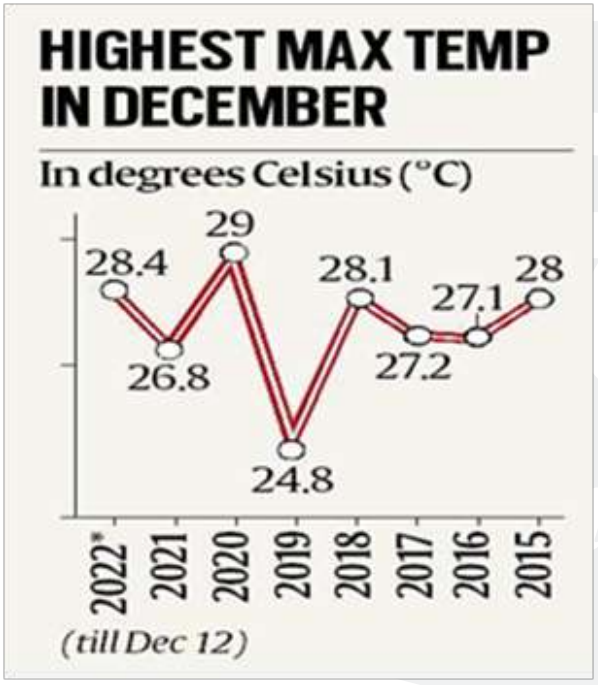

पश्चिमी विक्षोभ:

- परिचय:
  - भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department-IMD) के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान हैं जो कैस्पियन या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं तथा उत्तर-पश्चिम भारत में गैर-मानसूनी वर्षा के लिये ज़िम्मेदार होते हैं।
  - इन्हें भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक 'बहिरूष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान' के रूप में चिह्नित किया जाता है, जो एक निम्न दबाव का क्षेत्र है तथा उत्तर-पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी एवं कोहरे के लिये ज़िम्मेदार हैं।
  - यह विक्षोभ 'पश्चिम' से 'पूर्व' दिशा की ओर आता है।
  - यह विक्षोभ अत्यधिक ऊँचाई पर पूर्व की ओर चलने वाली 'वेस्टरली जेट धाराओं' (Westerly Jet Streams) के साथ यात्रा करते हैं।
  - वे ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती है।
  - विक्षोभ का तात्पर्य 'विक्षुब्ध' क्षेत्र या कम हवा वाले दबाव क्षेत्र से है।
  - किसी क्षेत्र की वायु अपने दाब को सामान्य करने का प्रयास करती है, जिसके कारण प्रकृति में संतुलन विद्यमान रहता है।
- भारत में प्रभाव:
  - पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances-WD) उत्तरी भारत में वर्षा, हिमपात और कोहरे से संबंधित है। यह पाकिस्तान और उत्तरी भारत में वर्षा एवं हिमपात के साथ आता है।
  - WD भूमध्य सागर और/या अटलांटिक महासागर से नमी प्राप्त करता है।
  - WD के कारण शीत ऋतु में और मानसून पूर्व वर्षा होती है और उत्तरी उपमहाद्वीप में रबी फसल के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - WD हमेशा अच्छे मौसम के अग्रदूत नहीं होते हैं। कभी-कभी WDs बाढ़, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन, धूल भरी आँधी, ओलावृष्टि और शीत लहर जैसी चरम मौसमी घटनाओं का कारण बन सकते हैं जो लोगों की जान ले लेते हैं, बुनियादी ढाँचे को नष्ट कर देते हैं और आजीविका को प्रभावित करते हैं।
  - अप्रैल और मई के गर्मियों के महीनों के दौरान, WD पूरे उत्तर भारत में प्रवाहित होते हैं एवं समय-समय पर उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में मानसून की सक्रियता में मदद करते हैं।
  - मानसून के मौसम के दौरान, पश्चिमी विक्षोभ कभी-कभी घने बादल और भारी वर्षा का कारण बन सकता है।
  - कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ पूरे उत्तर भारत में फसल उपज की विफलता और जल की समस्याओं से संबंधित है।
  - मज़बूत पश्चिमी विक्षोभ निवासियों, किसानों और सरकारों को जल की कमी से जुड़ी कई समस्याओं से बचने में मदद कर सकता है।

नोट :

पश्चिमी विक्षोभ के हाल के उदाहरण/प्रभाव:

- जनवरी और फरवरी 2022 में अत्यधिक बारिश दर्ज की गई थी। इसके विपरीत, नवंबर 2021 और मार्च 2022 में कोई बारिश नहीं हुई थी जबकि मार्च 2022 के अंत में ग्रीष्म लहरों के आगमन के साथ ही असामान्य रूप से गर्मी की शुरुआत हो गई थी।
- पश्चिमी विक्षोभ की विविध घटनाओं के कारण बादल छाए रहने से फरवरी 2022 में तापमान कम रहा है, जो कि 19 वर्षों में दर्ज सबसे कम तापमान था।
- मार्च 2022 में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत से विस्थापित हो गया तथा मेघाच्छादन और वर्षा न होने के कारण तापमान अधिक बना रहा।
- पश्चिमी विक्षोभ की आवृत्ति में तो वृद्धि हुई है लेकिन उनके कारण होने वाली वर्षा में नहीं, संभवत: इसके लिये आंशिक रूप से ग्लोबल वार्मिंग को उत्तरदायी माना जा सकता है।
- वर्ष 2021 में पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली में बारिश हुई थी।
  - हालाँकि 15 दिसंबर, 2022 तक अधिकतम तापमान में 24 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट के साथ दिल्ली में अधिक ठंड पड़ने की संभावना है।

नोट :

प्लेट विवर्तनिकी

(या स्थल मंडलीय प्लेटें)

1967 में, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन प्लेट विवर्तनिकी अवधारणा के साथ सामने आए

प्लेट विवर्तनिकी

ठोस चट्टान के विशाल, अनियमित आकार के स्लैब (क्रस्ट + ऊपरी मेंटल)

प्रकार

- महाद्वीपीय या महासागरीय (जो भी प्लेट के बड़े हिस्से को अधिग्रहित करता है)
- प्रशांत प्लेट-महासागरीय; यूरेशियन प्लेट-महाद्वीपीय

प्लेटों का संचलन

- दुर्बलतामंडल के ऊपर प्लेटें लगातार क्षैतिज रूप से गति करती हैं
- प्लेटों के टकराने/उनकी गति करने से भूकंप/ज्वालामुखीय विस्फोट होते हैं

वृहत् और लघु प्लेटें

भारतीय प्लेट

- **शामिल हैं**- प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीपीय भाग
- **पूर्वी विस्तार**- राकिम चोमा पर्वत (म्यांमार) से जावा गर्त तक
- **पश्चिमी विस्तार**-बलूचिस्तान (पाकिस्तान) का मकराना तट
- **संचलन की दर**-उत्तर-पूर्व दिशा में 54 मिमी/वर्ष
- **भारत और अंटार्कटिक प्लेट के बीच सीमा**-एक महासागरीय रिज (अपसारी सीमा) द्वारा चिह्नित
- **हिमालय का निर्माण**-भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के आपस में टकराने से

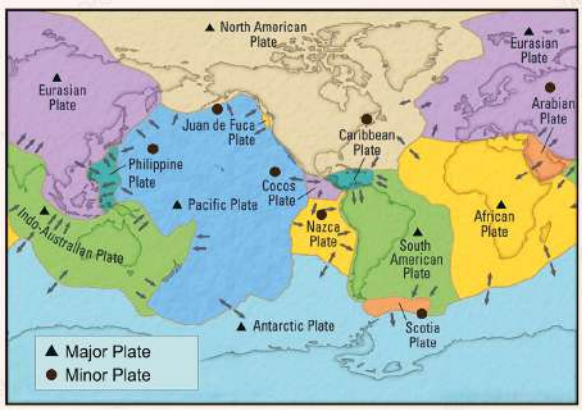

दुर्बलतामंडल- स्थलमंडल के ठीक नीचे स्थित पृथ्वी के मेंटल का एक क्षेत्र; यह स्थलमंडल की तुलना में अधिक गर्म और अधिक तरल माना जाता है

प्लेट संचलन के प्रकार

- अपसारी संचलन/ रचनात्मक सीमा, जब दो प्लेटें एक-दूसरे की विपरीत दिशा में गमन करती हैं
- अभिसारी संचलन/ विनाशात्मक सीमा, इसमें दो प्लेटें एक-दूसरे की ओर गति करती हैं
- समानांतर प्लेट संचलन/संरक्षी प्लेट सीमा, जब प्लेटें एक-दूसरे के समानांतर गति करती हैं जिससे न तो किसी प्रकार की पर्पटी का निर्माण होता है न विनाश होता है

सबडक्शन

यह तब होता है जब टेक्टोनिक प्लेट्स स्थानांतरित होती हैं और एक दूसरे के समान गति करती हैं

महासागरीय प्लेटों का नीचे की ओर जाना → गर्म मेंटल प्लेट से टकराव → ऊष्मा की उत्पत्ति → वाष्पशील तत्वों के साथ मिश्रण → मैग्मा की उत्पत्ति → ज्वालामुखी विस्फोट

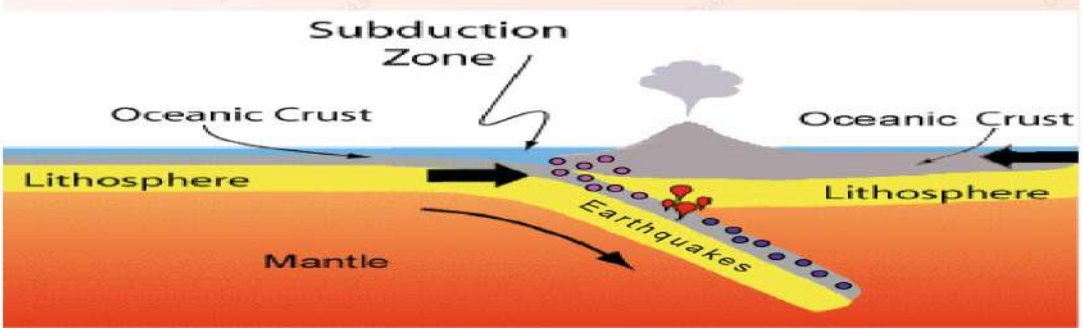

नोट :

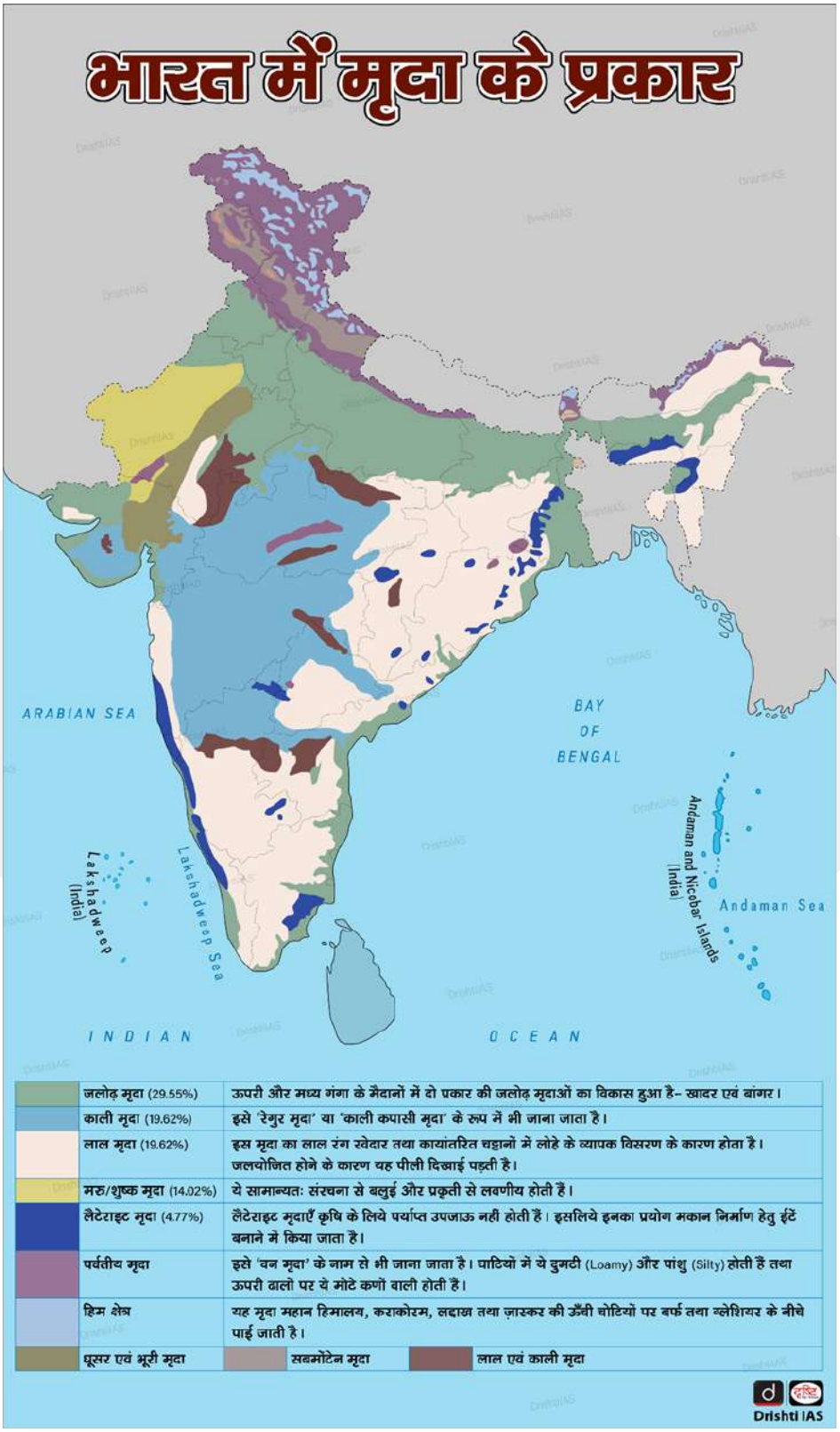
भारत में मृदा के प्रकार
ARABIAN SEA
BAY OF BENGAL
INDIAN OCEAN
Andaman Sea
Lakshadweep (India)
Lakshadweep Sea
Andaman and Nicobar Islands (India)
जलोढ़ मृदा (29.55%)
ऊपरी और मध्य गंगा के मैदानों में दो प्रकार की जलोढ़ मृदाओं का विकास हुआ है– खादर एवं बांगर।
काली मृदा (19.62%)
इसे 'रेगुर मृदा' या 'काली कपासी मृदा' के रूप में भी जाना जाता है।
लाल मृदा (19.62%)
इस मृदा का लाल रंग रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है। जलयोजित होने के कारण यह पीली दिखाई पड़ती है।
मरु/शुष्क मृदा (14.02%)
ये सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती हैं।
लैटेराइट मृदा (4.77%)
लैटेराइट मृदाएँ कृषि के लिये पर्याप्त उपजाऊ नहीं होती हैं। इसलिये इनका प्रयोग मकान निर्माण हेतु ईंटें बनाने में किया जाता है।
पर्वतीय मृदा
इसे 'वन मृदा' के नाम से भी जाना जाता है। घाटियों में ये दुमटी (Loamy) और पांशु (Silty) होती हैं तथा ऊपरी ढालों पर ये मोटे कणों वाली होती हैं।
हिम क्षेत्र
यह मृदा महान हिमालय, कराकोरम, लद्दाख तथा ज़ास्कर की ऊँची चोटियों पर बर्फ तथा ग्लेशियर के नीचे पाई जाती है।
धूसर एवं भूरी मृदा
सबमोंटेन मृदा
लाल एवं काली मृदा
Drishti IAS

नोट :

कृषि

बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (Horticulture Cluster Development Programme- CDP) के लिये एक बैठक आयोजित की गई थी।

- CDP के कार्यान्वयन की मदद से देश में बागवानी के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- बागवानी पौधे कृषि की वह शाखा है जो बगीचे की फसलों, सामान्यत: फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है।

बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम:

- परिचय:
  - यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पहचान किये गए बागवानी क्लस्टर को विकसित करना है ताकि उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाया जा सके।
  - बागवानी क्लस्टर लक्षित बागवानी फसलों का क्षेत्रीय/भौगोलिक संकेंद्रण है।
- कार्यान्वयन:
  - इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
  - अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिज़ोरम, झारखंड, उत्तराखंड आदि राज्यों को भी 55 क्लस्टरों की सूची में शामिल किया जाएगा, जिनकी पहचान उनके फोकस/मुख्य फसलों के साथ की जाएगी।
    - इससे पहले पायलट चरण में इसे 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाले 12 क्लस्टरों में लागू किया गया था।
- उद्देश्य:
  - CDP का उद्देश्य लक्षित फसलों के निर्यात में लगभग 20% की वृद्धि करना और क्लस्टर फसलों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिये क्लस्टर-विशिष्ट ब्रांड बनाना है।
  - भारतीय बागवानी क्षेत्र से संबंधित सभी प्रमुख मुद्दों को संबोधित करना जिसमें पूर्व-उत्पादन, उत्पादन, कटाई के बाद प्रबंधन, रसद, विपणन और ब्रांडिंग शामिल हैं।
  - भौगोलिक विशेषज्ञता (Geographical Specialisation) का लाभ उठाकर बागवानी क्लस्टरों के एकीकृत तथा बाज़ार आधारित विकास को बढ़ावा देना।
  - सरकार की अन्य पहलों जैसे कि कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के साथ अभिसरण करना।
  - CDP के माध्यम से बागवानी क्षेत्र में निवेश बढ़ाना।
- महत्त्व:
  - क्लस्टर विकास कार्यक्रम में बागवानी उपज के कुशल और समय पर निकासी तथा परिवहन के लिये मल्टीमॉडल परिवहन के उपयोग के साथ अंतिम-मील कनेक्टिविटी (last-mile connectivity) बनाकर संपूर्ण बागवानी पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने की एक बड़ी क्षमता है।

भारत में बागवानी की स्थिति:

- स्थिति:
  - बागवानी फसलों के उत्पादन में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है।
    - भारत आम, केला, अनार, चीकू, एसिड लाइम और आँवला जैसे फलों के उत्पादन में अग्रणी है।
  - वर्ष 2021-22 में, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल बागवानी उत्पादन में शीर्ष राज्य थे।
    - सब्जी उत्पादन में शीर्ष राज्य क्रमश: पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश थे।
    - फल उत्पादन में शीर्ष राज्य क्रमश: महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश थे।
  - वर्ष 2021-22 में बागवानी फसलों का क्षेत्रफल बढ़कर 27.74 मिलियन हेक्टेयर हो गया और इससे लगभग 341.63 मिलियन टन उत्पादन हुआ।
- बागवानी से संबंधित पहल:
  - एकीकृत बागवानी विकास मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture-MIDH)
    - MIDH फलों, सब्जियों और अन्य क्षेत्रों समेत बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिये एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
    - MIDH के तहत, भारत सरकार सभी राज्यों में विकास कार्यक्रमों के लिये कुल परिव्यय का 60% योगदान करती है (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर जहाँ भारत सरकार 90% योगदान करती है) और 40% योगदान राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है।

नोट :

- बागवानी पर इसकी 5 प्रमुख योजनाएँ हैं:
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM)
- पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिये बागवानी मिशन (HMNEH)
- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB))
- नारियल विकास बोर्ड (CBD) और
- केंद्रीय बागवानी संस्थान (CIH), नागालैंड

पुनर्योजी कृषि

चर्चा में क्यों ?

"जलवायु परिवर्तन और भूमि" पर जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) द्वारा जारी रिपोर्ट में पुनर्योजी कृषि के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया है।

- यह एक 'स्थायी भूमि प्रबंधन अभ्यास' है जो कृषि पारिस्थितिकी प्रणालियों के लचीलेपन के निर्माण में प्रभावी हो सकता है।

पुनर्योजी कृषि:

- पुनर्योजी कृषि एक समग्र कृषि प्रणाली है जो रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग को कम करने, खेतों की जुताई में कमी, पशुधन को एकीकृत करने तथा कवर फसलों का उपयोग करने जैसे तरीकों के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य, भोजन की गुणवत्ता, जैव विविधता में सुधार तथा जल और वायु गुणवत्ता पर केंद्रित है।
- यह निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करता है:
  - संरक्षण कृषि के माध्यम से मृदा क्षरण को कम से कम करना,
  - पोषक तत्त्वों को फिर से बेहतर करने और कीटों के जीवन चक्र को बाधित करने के लिये फसलों में विविधता लाना
  - कवर फसलों का उपयोग करके मिट्टी के आवरण को बनाए रखना
  - पशुधन को एकीकृत करना जो मृदा में उर्वरता को बढ़ाता है और कार्बन सिंक के स्रोत के रूप में कार्य करता है।

पुनर्योजी कृषि की आवश्यकता:

- वर्तमान गहन कृषि प्रणाली ने मृदा क्षरण में योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 50 वर्षों में दुनिया के भरण पोषण के लिये यह वर्तमान मृदा उर्वरता पर्याप्त नहीं हो सकती है। दुनिया भर में मृदा की उर्वरता और जैव विविधता कम हो रही है।
  - पुनर्योजी कृषि मृदा के कार्बनिक पदार्थ और जैव विविधता को बढ़ाने वाली कार्यप्रणाली के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य में सुधार करती है। इसका उद्देश्य जल-धारण क्षमता और कार्बन पृथक्करण को बढ़ाना भी है।
- यह मिट्टी के एकत्रीकरण, जल रिसाव और पोषक तत्त्वों के चक्रण की सुविधा प्रदान करता है।
- पुनर्योजी मृदा अपरदन को भी कम करती है और विभिन्न प्रजातियों के लिये आवास तथा भोजन प्रदान करती है और यह पारंपरिक खेती के तरीकों की तुलना में अधिक टिकाऊ है।

राष्ट्रीय बाँस मिशन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कृषि मंत्रालय ने पुनर्गठित राष्ट्रीय बाँस मिशन (National Bamboo Mission- NBM) के तहत बाँस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को सुव्यवस्थित करने के लिये एक सलाहकार समूह का गठन किया है।

राष्ट्रीय बाँस मिशन

- परिचय:
  - केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme CSS) के रूप में पुनर्गठित राष्ट्रीय बाँस मिशन (NBM) को वर्ष 2018-19 के दौरान शुरू किया गया था।
  - यह मिशन प्रमुख तौर पर रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, संग्रह हेतु सुविधाओं का निर्माण, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, कुशल श्रमशक्ति और ब्रॉण्ड निर्माण पहल के लिये योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर उत्पादकों को उपभोक्ताओं के साथ जोड़ने के लिये बाँस क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य शृंखला के विकास पर क्लस्टर दृष्टिकोण मोड पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।
- उद्देश्य:
  - कृषि आय के पूरक के लिये गैर-वन सरकारी और निजी भूमि में बाँस के वृक्षारोपण के तहत क्षेत्र में वृद्धि करना और जलवायु परिवर्तन के लचीलेपन में योगदान देना।
  - किसानों को बाज़ारों से जोड़ना ताकि किसान उत्पादकों को उगाए गए बाँस के लिये एक तैयार बाज़ार मिल सके और घरेलू उद्योग को उचित कच्चे माल की आपूर्ति में वृद्धि हो सके।
  - यह उद्यमों और प्रमुख संस्थानों के एकीकरण के साथ बाज़ारों की आवश्यकता के अनुसार पारंपरिक बाँस शिल्पकारों के कौशल को उन्नत करने का भी प्रयास करता है।
- नोडल मंत्रालय:
  - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

बाँस क्षेत्र:

- महत्त्व:
  - बाँस उद्योग संसाधन उपयोग के कई रास्ते खोलकर एक चरणबद्ध तरीके से परिवर्तन दिखा रहा है।

नोट :

- बाँस पौधों का एक बहुमुखी समूह है जो लोगों को पारिस्थितिकी और आजीविका संबंधी सुरक्षा मुहैया कराने में सक्षम है।
- हाल ही में प्रधानमंत्री ने बंगलूरु (केम्पागौड़ा) हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, जिसमें एक वास्तुशिल्प और संरचनात्मक सामग्री के रूप में बाँस की बहुमुखी प्रतिभा साबित हुई है और इस हरित संसाधन की सम्पदा को 'हरित इस्पात' के रूप में परिभाषित किया गया है।
- निर्माण क्षेत्र में डिजाइन और संरचनात्मक तत्त्व के रूप में उपयोग करने के अतिरिक्त, बाँस की क्षमता बहुआयामी है।
- बाँस से बने पर्यावरण के अनुकूल ढाले जा सकने वाले वस्तुएँ प्लास्टिक के उपयोग का स्थान ले सकती हैं। बाँस अपनी तेज पैदावार व विकास दर और प्रचुरता के कारण इथेनॉल तथा जैव-ऊर्जा उत्पादन के लिये एक विश्वसनीय स्रोत है।
- बाँस आधारित जीवनशैली उत्पादों, कटलरी, घरेलू सजावट, हस्तशिल्प और सौंदर्य प्रसाधनों का बाज़ार भी विकास के पथ पर है।

- भारत में बाँस उत्पादन की स्थिति:
  - भारत में सर्वाधिक क्षेत्र (13.96 मिलियन हेक्टेयर) पर बाँस की खेती की जाती है तथा भारत बाँस की 136 विविध प्रजातियों (125 स्वदेशी और 11 विदेशी) की खेती करने वाला चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है।

बाँस क्षेत्र हेतु पहल:

- बाँस क्लस्टर्स: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने 9 राज्यों अर्थात् गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नगालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में 22 बाँस क्लस्टरों का उद्घाटन किया है।
- MSP वृद्धि: हाल ही में, केंद्र सरकार ने लघु वनोत्पाद (MFP) के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को संशोधित किया है।
  - MFP में पौधीय मूल के सभी गैर-काष्ठ उत्पाद जैसे- बाँस, बेंत, चारा, पत्तियाँ, गम, वेक्स, डाई, रेज़िन और कई प्रकार के खाद्य जैसे मेवे, जंगली फल, शहद, लाख, रेशम आदि शामिल हैं।
- बाँस को 'वृक्ष' की श्रेणी से हटाना: वृक्षों की श्रेणी से बाँस को हटाने के लिये वर्ष 2017 में भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन किया गया था।।
  - परिणामस्वरूप गैर-वन क्षेत्रों में बाँस की कटाई और परिवहन के लिये अब किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
- किसान उत्पादक संगठन (FPO): 5 वर्ष में 10,000 नए FPO बनाए जाएंगे।
  - FPO किसानों को बेहतर कृषि पद्धतियाँ प्रदान करने, इनपुट खरीद का सामूहिककरण, परिवहन, बाज़ारों के साथ जुड़ाव और बेहतर मूल्य प्राप्ति जैसी सहायता प्रदान करने में संलग्न हैं क्योंकि ये बिचौलियों को दूर करते हैं।

आगे की राह:

- "आत्मनिर्भर कृषि" के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान में योगदान देने के लिये राज्यों को राष्ट्रीय बाँस मिशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
- बाँस की बहुतायत और इसके तेज़ी से बढ़ते उद्योग के साथ, भारत का लक्ष्य निर्यात को और भी अधिक बढ़ाकर इंजीनियर्ड और दस्तकारी उत्पादों दोनों के लिये वैश्विक बाज़ारों में खुद को स्थापित करने का होना चाहिये।

काली मृदा की वैश्विक स्थिति: FAO

चर्चा में क्यों ?

खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) ने विश्व मृदा दिवस 2022 (5 दिसंबर) के अवसर पर काली मृदा की वैश्विक स्थिति (Global Status of Black Soils) पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की, जो जलवायु संकट, जैव विविधता क्षति और भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण पहले से कहीं अधिक जोखिम में हैं।

प्रमुख बिंदु

- काली मृदा का महत्त्व:
  - काली मृदा को वायुमंडल से कार्बन को हटाने और कार्बनिक पदार्थ (जिसे कार्बन पृथक्करण कहा जाता है) को संचित करने की क्षमता एवं मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण समाधान के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
  - मृदा में अंतर्निहित उर्वरता कई देशों के लिये खाद्य टोकरी जैसी है और वैश्विक खाद्य आपूर्ति के लिये आवश्यक मानी जाती है।
  - यदि काली मृदा पर उचित ध्यान दिया जाए तो वैश्विक स्तर पर काली मृदा में विश्व स्तर पर कुल मृदा कार्बनिक कार्बन (Soil Organic Carbon- SOC) अनुक्रम का 10% प्रदान करने की क्षमता है
    - यूरोप और यूरेशिया में 65% से अधिक एवं लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन में लगभग 10% मृदा कार्बनिक कार्बन (Soil Organic Carbon- SOC) अनुक्रम की उच्चतम क्षमता है।

नोट :

- काली मृदा वाले क्षेत्र में वैश्विक आबादी का 2.86% निवास करता है और इसमें 17.36% क्रॉपलैंड, 8.05% ग्लोबल SOC स्टॉक और 30.06% SOC ग्लोबल क्रॉपलैंड का स्टॉक था।
- हालाँकि दुनिया की मृदा के एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद काली मृदा खाद्य सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - वर्ष 2010 में विश्व स्तर पर, 66% सूरजमुखी के बीज, 51% छोटे बाजरा, 42% चुकंदर, 30% गेहूँ और 26% आलू काली मृदा से उत्पादित किये गए थे।

- काली मृदा की स्थिति:
  - काली मृदा का SOC स्टॉक तेज़ी से कम हो रहा है। इसके अपने मूल SOC स्टॉक में 20- 50% की कमी हुई है, कार्बन को ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में उत्सर्जित किया जा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है।
- काली मृदा के क्षरण का कारण:
  - भूमि उपयोग परिवर्तन, अस्थिर प्रबंधन पद्धतियाँ और कृषि रसायनों का अत्यधिक उपयोग इसके लिये ज़िम्मेदार हैं।
  - अधिकांश काली मृदा गंभीर क्षरण प्रक्रियाओं के साथ-साथ पोषक तत्त्वों के असंतुलन, अम्लीकरण और जैव विविधता संबंधित क्षति का सामना कर रही है।
- खाद्य और उर्वरक संकट:
  - छोटे किसानों विशेष रूप से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कमज़ोर देशों से जैविक एवं अकार्बनिक उर्वरकों तक पहुँच की कमी है साथ ही वर्तमान में उर्वरक कीमतों में 300% की वृद्धि का सामना कर रहे हैं।
  - आज कम उपलब्धता और बढ़ती उर्वरक कीमतें खाद्य कीमतों और खाद्य असुरक्षा को बढ़ा रही हैं।
- सुझाव:
  - काली मृदा वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों, जैसे घास के मैदानों, जंगलों और आर्द्रभूमियों को संरक्षित करना और खेती के लिये उपयोग की जाने वाली काली मृदा के लिये स्थायी मृदा प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करना आवश्यक है।
  - एक स्थायी तरीके से सुरक्षित, पौष्टिक और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों से भरपूर भोजन के उत्पादन हेतु एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है ताकि मृदा के क्षरण को कम किया जा सके, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जा सके और कृषि खाद्य प्रणाली के प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।"

काली मृदा

- काली मृदा जैविक पदार्थों से भरपूर, मोटी और गहरे रंग की होती है।
  - यह रूस (327 मिलियन हेक्टेयर), कज़ाखस्तान (108 मिलियन हेक्टेयर), चीन (50 मिलियन हेक्टेयर), अर्जेंटीना, मंगोलिया, यूक्रेन आदि में पायी जाती है।
- काली मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है और अपनी उच्च नमी भंडारण क्षमता के कारण उच्च कृषि पैदावार कर सकती है।
- काली मृदा लौह तत्त्व, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की कमी होती है।
- यह वैश्विक मृदा का 5.6% हैं और इनमे विश्व के मृदा जैविक कार्बन(Soil Organic Carbon - SOC) स्टॉक का 8.2%,अर्थात लगभग 56 बिलियन टन कार्बन होता हैं।
  - मृदा जैविक कार्बन मृदा के कार्बनिक पदार्थ का एक परिमेय घटक है, जो अधिकांश मृदा के द्रव्यमान का सिर्फ 2-10% होता है और कृषिपयोगी मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक कार्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - SOC केवल जैविक यौगिकों के कार्बन घटक को संदर्भित करता है।
- यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अनुकूलन संबंधी महत्त्व को दर्शाता है।
- अपनी अंतर्निहित उर्वरता के कारण यह कई देशों के लिये फूड बास्केट हैं और वैश्विक खाद्य आपूर्ति के लिये आवश्यक मानी जाती हैं।
- कई देशों के लिये फूड बास्केट होने और अपनी अंतर्निहित उर्वरता के कारण यह वैश्विक खाद्य आपूर्ति हेतु महत्त्वपूर्ण हैं।

विश्व मृदा दिवस:

- वर्ष 2002 में 'इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉयल साइंसेज़' (IUSS) द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी।
- खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने WSD की औपचारिक स्थापना का समर्थन थाईलैंड के नेतृत्त्व में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने वाले वैश्विक मृदा भागीदारी मंच के रूप में किया है। ।
- 5 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly- UNGA) द्वारा पहले आधिकारिक (World Soil Day -WSD) के रूप में नामित किया गया था।
  - 5 दिसंबर का दिन इसलिये चुना गया क्योंकि यह थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेज का आधिकारिक जन्मदिवस है। जिन्होंने आधिकारिक तौर पर इस आयोजन को मंज़ूरी दी थी।

नोट :

- विश्व मृदा दिवस जन समुदायों को मृदा संसाधनों के सतत् प्रबंधन पर विचार करने के लिये प्रेरित करता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य मृदा क्षरण के कारकों, कार्बनिक पदार्थों की हानि और मृदा की उर्वरता में गिरावट जैसे पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है।
- वर्ष 2022 के लिये इसकी थीम- 'मृदा, जिससे अनाज उत्पादित होता है' ("Soils: Where food begins") है।
- मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु भारत की पहलें:
  - मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
  - जैविक कृषि
  - परंपरागत कृषि विकास योजना
  - उर्वरक आत्मनिर्भरता
  - डिजिटल कृषि
  - कार्बन खेती
  - पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना

उर्वरक सब्सिडी

चर्चा में क्यों ?

उच्च सरकारी सब्सिडी के कारण दो उर्वरकों - यूरिया और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) का अत्यधिक उपयोग हो रहा है।

उर्वरक सब्सिडी

- उर्वरक:
  - उर्वरक एक प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ होता है जिसमें नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P) और पोटेशियम (K) रासायनिक तत्त्व होते हैं, जो पौधों की वृद्धि और उत्पादकता में सुधार करते हैं।
  - भारत में 3 मुख्य उर्वरक हैं - यूरिया, DAP और म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP)।
- उर्वरक सब्सिडी के बारे में:
  - सरकार उर्वरक उत्पादकों को सब्सिडी का भुगतान करती है ताकि किसानों को बाज़ार दर से कम मूल्य पर उर्वरक खरीदने की अनुमति मिल सके।
  - उर्वरक के उत्पादन/आयात की लागत और किसानों द्वारा भुगतान की गई वास्तविक राशि के बीच का अंतर सरकार द्वारा वहन की जाने वाली सब्सिडी का हिस्सा होता है।
- यूरिया पर सब्सिडी:
  - भारत में, यूरिया सबसे अधिक उत्पादित, आयातित, खपत और भौतिक रूप से विनियमित उर्वरक है। यह केवल कृषि उपयोगों के लिये अनुदानित है।
  - केंद्र प्रत्येक संयंत्र में उत्पादन लागत के आधार पर उर्वरक निर्माताओं को यूरिया पर सब्सिडी का भुगतान करता है और इकाइयों को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर उर्वरक बेचती है।
    - यूरिया की MRP फिलहाल 5,628 रुपये प्रति टन तय की गई है।
- गैर-यूरिया उर्वरकों पर सब्सिडी:
  - गैर-यूरिया उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य कंपनियों द्वारा नियंत्रित या तय नहीं की जाती है।
  - लेकिन सरकार ने हाल ही में और विशेष रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद उर्वरकों के वैश्विक मूल्य में वृद्धि आने के के बाद से उर्वरकों को सरकारी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत शामिल कर दिया है।
  - सभी गैर-यूरिया आधारित उर्वरकों को पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत विनियमित किया जाता है।
  - गैर-यूरिया उर्वरकों के उदाहरण - DAP और MOP।
    - कंपनियों द्वारा DAP की प्रति टन निर्धारित मूल्य 27,000 रुपए है।

उर्वरकों हेतु पहलें:

- नीम कोटेड यूरिया':
  - उर्वरक विभाग (DoF) ने सभी घरेलू उत्पादकों के लिये शत-प्रतिशत यूरिया का उत्पादन 'नीम कोटेड यूरिया' (NCU) के रूप में करना अनिवार्य कर दिया है।
- नई यूरिया नीति 2015:
  - इस नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-
    - स्वदेशी यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देना।
    - यूरिया इकाइयों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना।
    - भारत सरकार पर सब्सिडी के भार को युक्तिसंगत बनाना।
- सिटी कम्पोस्ट के प्रोत्साहन हेतु नीति:
  - भारत सरकार ने सिटी कम्पोस्ट के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिये 1500 रुपए की बाज़ार विकास सहायता (Market Development Assistance) प्रदान करने हेतु वर्ष 2016 में उर्वरक विभाग द्वारा अधिसूचित सिटी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने की नीति को मंज़ूरी दी।
  - बिक्री में वृद्धि करने के लिये, शहर के खाद को बेचने के इच्छुक खाद निर्माताओं को सीधे किसानों को खाद थोक में बेचने की अनुमति दी गई।
  - शहरी खाद का विपणन करने वाली उर्वरक कंपनियाँ को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के अंतर्गत शामिल किया गया है।

नोट :

- उर्वरक क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग:
  - उर्वरक विभाग ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) और परमाणु खनिज निदेशालय (AMD) के सहयोग से इसरो के तहत राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा "रॉक फॉस्फेट का रिफ्लेक्सेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और पृथ्वी अवलोकन डेटा का उपयोग करके संसाधन मानचित्रण" पर तीन साल का पायलट अध्ययन शुरू किया।

उर्वरक सब्सिडी से संबंधित मुद्दे:

- उर्वरकों की कीमत में असंतुलन:
  - यूरिया और DAP पर उच्च सब्सिडी उन्हें किसानों के लिये अन्य उर्वरकों की तुलना में बहुत सस्ता बनाती है।
  - जहाँ यूरिया पैक्ड नमक के मुकाबले एक चौथाई दाम पर बिक रहा है, वहीं DAP भी अन्य उर्वरकों के मुकाबले काफी सस्ता हो गया है।
  - अन्य उर्वरक जो नियंत्रण मुक्त किये गए थे उनकी कीमतें बढ़ गई हैं जिससे किसान पहले की तुलना में अधिक यूरिया और DAP का उपयोग कर रहे हैं।
- पोषक तत्त्व असंतुलन:
  - देश में N, P और K का उपयोग पिछले कुछ वर्षों में 4:2:1 के आदर्श NPK उपयोग अनुपात से तेज़ी से विचलित हुआ है।
  - यूरिया और DAP किसी भी एक पोषक तत्व का 30% से अधिक होता है।
    - यूरिया में 46% N होता है, जबकि DAP में 46% P और 18% N होता है।
  - अन्य, अधिक महंगे उर्वरकों की तुलना में इनके उपयोग के कारण पोषक तत्त्वों के असंतुलन का मिट्टी के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, जो अंततः फसल की पैदावार को प्रभावित कर सकता है।
- वित्तीय स्वास्थ्य को नुकसान:
  - उर्वरक सब्सिडी अर्थव्यवस्था के राजकोषीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा रही है।
  - सब्सिडी वाले यूरिया को थोक खरीदारों/व्यापारियों या यहाँ तक कि गैर-कृषि उपयोगकर्त्ताओं जैसे कि प्लाइवुड और पशु चारा निर्माताओं को दिया जा रहा है।
    - इसकी तस्करी बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में की जा रही है।

आगे की राह:

- यह देखते हुए कि सभी तीन पोषक तत्त्व अर्थात् N (नाइट्रोजन), P (फास्फोरस) और K (पोटेशियम) फसल की पैदावार और उपज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, सरकार को आवश्यक रूप से सभी उर्वरकों के लिये एक समान नीति अपनानी चाहिये।
- लंबे समय में, NBS को ही एक फ्लैट प्रति एकड़ नकद सब्सिडी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये जिसका उपयोग किसी भी उर्वरक को खरीदने के लिये किया जा सकता है।
  - इस सब्सिडी में मूल्य वर्द्धित और अनुकूलित उत्पाद शामिल होने चाहिये जिनमें न केवल अन्य पोषक तत्त्व शामिल हों बल्कि यूरिया की तुलना में नाइट्रोजन भी अधिक कुशलता से वितरित हो।

नोट :

सामाजिक न्याय

जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन (Bharat Rural Livelihood Foundation- BRLF) द्वारा जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022 जारी की गई, जिसके बारे में संगठन का दावा है कि यह वर्ष 1947 के बाद से अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है।

- संघ और राज्य सरकारों के सहयोग से नागरिक समाज की कार्रवाई का विस्तार करने के लिये, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2013 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त समाज के रूप में BRLF की स्थापना की थी।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- जनजातीय आबादी:
  - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनजातीय समुदाय देश की जनसंख्या का 8.6% हैं। परंतु आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी वे देश के विकास के पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर हैं।
  - देश के 80% जनजातीय समुदाय मध्य भारत में हैं।
  - 257 अनुसूचित जनजातीय ज़िलों में से, 230 (90%) ज़िले या तो वनक्षेत्र या पहाड़ी अथवा रेगिस्तानी क्षेत्र में आते हैं।
- जनजातीय समुदाय सबसे ज़्यादा वंचित:
  - बात चाहे स्वच्छता, शिक्षा, पोषण की हो या पीने के पानी तक पहुँच की, स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी आदिवासी सबसे ज़्यादा वंचित हैं।
- जनजातीय क्षेत्रों में अशांति और संघर्ष:
  - जनजातीय क्षेत्रों में भी अशांति और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। यह एक कारण है कि कई सरकारी कल्याणकारी योजनानाएँ और नीतियाँ इन क्षेत्रों में शुरू नहीं हो पा रही हैं। इस क्षेत्र का संकट दोनों पक्षों को प्रभावित करता है।
- सबसे कठोर स्थानों परम विस्थापन :
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के स्वदेशी समुदायों को जलोढ़ मैदानों और उपजाऊ नदी घाटियों से दूर पहाड़ियों, जंगलों और शुष्क भूमि जैसी देश की सबसे कठोर परिस्थितियों में विस्थापित कर दिया गया है
- 1980 में वन संरक्षण अधिनियम:
  - 1980 में वन संरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद, संघर्ष को पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आदिवासी समुदायों की ज़रूरतों के बीच देखा जाने लगा, जिससे लोगों और जंगलों के बीच दूरियाँ बढ़ने लगी हैं।
  - वर्ष 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार स्थानीय लोगों की घरेलू आवश्यकताओं को पहली बार स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई थी।
    - नीति में आदिवासियों के प्रथागत अधिकारों की रक्षा करने और वनों की सुरक्षा बढाने के लिये आदिवासियों को जोड़ने पर ज़ोर दिया है। लेकिन जनोन्मुखी दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा आंदोलन ज़मीनी हकीकत से मेल नहीं खा पाया है।
- सुझाव:
  - जनजातीय समुदायों के लिये नीतियाँ बनाने के लिये उनकी विशेष विशेषताओं को समझना महत्त्वपूर्ण है।
  - ऐसे कई आदिवासी समुदाय हैं जो अलगाव पसंद करते हैं। वे शर्मीले हैं और वे बाहरी दुनिया से संपर्क नही रखते हैं। देश के नीति निर्माताओं और नेताओं को इस विशेषता को समझने और फिर आदिवासियों के कल्याण की दिशा में काम करने की आवश्यकता है ताकि वे उनसे बेहतर तरीके से जुड़ सकें।

जनजातियों से संबंधित सरकारी पहल:

- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय
- ट्राइफेड
- जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास
- प्रधानमंत्री वन धन योजना

UNDP: पलायन रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की रिपोर्ट "टर्निंग द टाइड ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट: ए डेवलपमेंट एप्रोच टू साल्युसंस" के अनुसार, पहली बार, वर्ष 2022 में 100 मिलियन से अधिक लोगों को अस्वाभाविक प्रवास देखा गया जिसमे में अधिकांश देशों के भीतर आंतरिक प्रवास था।

नोट :

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- आँकड़ें:
  - वर्ष 2021 के अंत में, संघर्ष, हिंसा, आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के कारण अपने देशों के भीतर 59 मिलियन से अधिक लोगों में विस्थापन देखा गया था।
  - यूक्रेन में युद्ध से पहले, 6.5 मिलियन लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापित होने का अनुमान है।
  - वर्ष 2050 तक, जलवायु परिवर्तन अनुमानित 216 मिलियन से अधिक लोगों को अपने देशों में आंतरिक पलायन के लिये मज़बूर कर सकता है।
  - आपदा से संबंधित आंतरिक विस्थापन और भी व्यापक है, जिसमे वर्ष 2021 में 130 से अधिक देशों और क्षेत्रों में नए विस्थापन दर्ज किये गए हैं।
  - लगभग 30% पेशेवर जीवनभर के लिये बेरोज़गार हो गए और 24% पहले की तरह धनार्जन में सक्षम नहीं थे। आंतरिक रूप से विस्थापित परिवारों में से 48% ने विस्थापन से पहले की तुलना में धनार्जित किया।
- प्रभाव:
  - आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने, अच्छा काम पाने या आय का एक स्थिर स्रोत पाने में समस्या होती है।
    - इसमें महिला और युवा प्रधान परिवार विशेष रूप से प्रभावित होते हैं।
  - उप-सहारा अफ्रीका, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका तथा अमेरिका के कुछ हिस्से अस्वाभाविक विस्थापन की वजह से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं।
  - ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2021 में प्रत्येक आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति को वित्त, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा देने से जुड़ी प्रत्यक्ष लागत विश्व भर में कुल5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होगी।
  - विस्थापित व्यक्तियों हेतु पर्याप्त नीतियों के अभाव का कारण विस्थापन से संबंधित पर्याप्त सटीक और व्यापक रूप से स्वीकृत आँकड़ों की कमी है।
- सुझाव:
  - आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के वजह से होने वाले आंतरिक विस्थापन के रिकॉर्ड स्तरों पर काबू पाने के लिये दीर्घकालिक विकास उपायों की आवश्यकता है।
  - मानवीय सहायता अकेले वैश्विक स्तर पर आंतरिक विस्थापन के रिकॉर्ड स्तर को नियंत्रित नहीं कर सकती है। विकास दृष्टिकोण के माध्यम से आंतरिक विस्थापन के परिणामों को दूर करने हेतु नए तरीके तलाशने करने की आवश्यकता है।
  - विकास संबंधी समाधानों के लिये पाँच प्रमुख मार्ग अपनाए जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं,
    - शासन संस्थाओं को सुदृढ़ करना
    - नौकरियों और सेवाओं तक पहुँच के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना
    - सुरक्षा बहाल करना
    - सह-भागीदारी बढ़ाना
    - सामाजिक एकता का निर्माण करना

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme- UNDP) संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है।
- UNDP तकनीकी सहायता के संयुक्त राष्ट्र विस्तारित कार्यक्रम (United Nations Expanded Programme of Technical Assistance) और संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष (United Nations Special Fund) के विलय पर आधारित है।
- UNDP की स्थापना वर्ष 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और जनवरी 1966 में इसने सक्रिय रूप से कार्य करना शुरू किया।
- यह अल्प-विकसित देशों को सहायता पर ज़ोर देने के साथ विकासशील देशों को विशेषज्ञ सलाह, प्रशिक्षण एवं अनुदान सहायता प्रदान करता है।
- UNDP कार्यकारी बोर्ड विश्व भर के 36 देशों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना है जो बारी-बारी से सेवा प्रदान करते हैं।
- यह पूरी तरह से सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान द्वारा वित्तपोषित है।
- UNDP संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास समूह (UNSDG) का मुख्य केंद्र है, यह एक ऐसा नेटवर्क है जो 165 देशों तक फैला हुआ है तथा सतत् विकास के लिये वर्ष 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने हेतु कार्य कर रहे संयुक्त राष्ट्र के 40 कोषों, कार्यक्रमों, विशेष एजेंसियों एवं अन्य निकायों को एकजुट करता है।
- UNDP द्वारा जारी सूचकांक: मानव विकास सूचकांक (HDI)।

नोट :

द फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर: FAO

चर्चा में क्यों ?

खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) की नई रिपोर्ट, द फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर - ड्राइवर्स और ट्रिगर्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार, अगर कृषि और खाद्य प्रणाली भविष्य में भी वर्तमान जैसी ही रही तो आने वाले समय में विश्व को निरंतर ही खाद्य असुरक्षा की समस्या का सामना करना पड़ेगा।

- इस रिपोर्ट का उद्देश्य कृषि और खाद्य प्रणालियों के स्थायी, लचीले और समावेशी भविष्य के लिये रणनीतिक सोच तथा कार्यों को प्रेरित करना है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- कृषि एवं खाद्य प्रणाली के वाहक:
  - सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरण से जुड़े ऐसे 18 कारक हैं, जोखाद्य प्रसंस्करण और खाद्य खपत सहित कृषि खाद्य प्रणालियों के भीतर होने वाली विभिन्न गतिविधियों से अंतर्संबंधित होने के साथ उन्हें आकार देने का काम करते हैं।
  - गरीबी और असमानताएँ, भू-राजनीतिक अस्थिरता, संसाधनों की कमी एवं क्षरण और जलवायु परिवर्तन कुछ प्रमुख चालक हैं जिसका प्रबंधन खाद्य एवं कृषि का भविष्य तय करेगा।
- खाद्य असुरक्षा पर चिंता:
  - यदि कृषि खाद्य प्रणाली समान बनी रहती है तो भविष्य में विश्व लगातार खाद्य असुरक्षा, घटते संसाधनों और अस्थिर आर्थिक विकास का सामना करेगा।
  - कृषि खाद्य लक्ष्यों सहित सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को पूरा करने के लिये विश्व "ऑफ ट्रैक" है।
    - कई SDGs सही ट्रैक पर नहीं हैं और इसे तभी हासिल किया जा सकता है, जब कृषि खाद्य प्रणाली को उन वैश्विक प्रतिकूलताओं का सामना करने के लिये सही तरीके से रूपांतरित किया जाए जो बढ़ती संरचनात्मक असमानताओं और क्षेत्रीय असमानताओं के कारण खाद्य सुरक्षा और पोषण को कमज़ोर करती हैं।
  - वर्ष 2050 तक विश्व में 10 बिलियन लोगों के लिये भोजन की आवश्यकता होगी तथा यह एक अभूतपूर्व चुनौती होगी, यदि वर्तमान रुझानों को बदलने के लिये महत्त्वपूर्ण प्रयास नहीं किये गए।
- भविष्य के परिदृश्य:
  - कृषि खाद्य प्रणालियों के लिये भविष्य के चार परिदृश्य होंगे जो खाद्य सुरक्षा, पोषण और समग्र स्थिरता के मामले में विविध परिणाम देते हैं।
    - इसके अलावा, यह घटनाओं और संकटों पर प्रतिक्रिया करके निरंतर हस्तक्षेप की परिकल्पना करता है।
    - समायोजित भविष्य, जहाँ कुछ कदम टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर धीमी, अनिश्चित गति से प्रभावित होते हैं।
    - रेस टू द बॉटम, जो विश्व को उसके सबसे खराब और अव्यवस्थित रूप में चित्रित करता है।
    - स्थिरता के लिये ट्रेड ऑफ करना, जहाँ अल्पकालिक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के विकास हेतु कृषि-खाद्य सामाजिक आर्थिक और पर्यावरण प्रणालियों की समग्रता, लचीलापन और स्थिरता के लिये व्यापार किया जाता है।।

सुझाव:

- निर्णय निर्माताओं को अल्पकालिक ज़रूरतों से परे सोचने की ज़रूरत है। दृष्टि की कमी, टुकड़ों में दृष्टिकोण और त्वरित सुधार हर किसी के लिये उच्च लागत पर आएंगे
- वर्तमान स्वरुप को बदलने की तत्काल आवश्यकता है ताकि कृषि खाद्य प्रणालियों के लिये एक अधिक टिकाऊ और लचीला भविष्य बनाया जा सके।
- 'ट्रिगर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन' पर काम करने की आवश्यकता है:
  - बेहतर शासन।
  - आलोचनात्मक और सूचित उपभोक्ता।
  - बेहतर आय और धन वितरण।
  - अभिनव प्रौद्योगिकियाँ और दृष्टिकोण।
- हालाँकि एक व्यापक परिवर्तन एक कीमत पर आएगा और इसके लिये विपरीत उद्देश्यों के व्यापार-बंद की आवश्यकता होगी, जिन्हें सरकारों, नीति निर्माताओं और उपभोक्ताओं को प्रतिमान बदलाव के प्रतिरोध से निपटने के दौरान संबोधित और संतुलित करना होगा।

खाद्य और कृषि संगठन:

- परिचय:
  - खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत की गई थी, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।

नोट :

- प्रत्येक वर्ष विश्व में 16 अक्तूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह दिवस FAO की स्थापना की वर्षगाँठ की याद में मनाया जाता है।
- यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है जो रोम (इटली) में स्थित है। इसके अलावा विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय कोष (IFAD) भी इसमें शामिल हैं।

- FAO की पहलें:
  - विश्व स्तरीय महत्त्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली (GIAHS)।
  - विश्व में मरुस्थलीय टिड्डी की स्थिति पर नज़र रखना।
  - FAO और WHO के खाद्य मानक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के मामलों के संबंध में कोडेक्स एलेमेंट्रिस आयोग (CAC) उत्तरदायी निकाय है।
  - खाद्य और कृषि के लिये प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज़ पर अंतर्राष्ट्रीय संधि को वर्ष 2001 में FAO के 31वें सत्र में अपनाया गया था।
- फ्लैगशिप पब्लिकेशन (Flagship Publications):
  - वैश्विक मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर की स्थिति (SOFIA)।
  - विश्व के वनों की स्थिति (SOFO)।
  - वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (SOFI)।
  - खाद्य और कृषि की स्थिति (SOFA)।
  - कृषि कोमोडिटी बाज़ार की स्थिति (SOCO)।

IMR, MMR और कुपोषण से निपटने में भारत की प्रगति

चर्चा में क्यों ?

भारत के महापंजीयक (RGI) द्वारा प्रस्तुत आँकड़े वर्ष 2005 के बाद भारत की मातृ और शिशु मृत्यु दर (MMR और IMR) में गिरावट की गति में वृद्धि दर्शाते हैं।

- दुर्भाग्य से, पोषण एक प्रमुख क्षेत्र है जो किसी भी बड़ी प्रगति से दूर है।

भारत का महापंजीयक (Registrar General of India):

- वर्ष 1961 में भारत का महापंजीयक की स्थापना गृह मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह भारत की जनगणना और भारतीय भाषा सर्वेक्षण सहित भारत के जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों के परिणामों की व्यवस्था, संचालन तथा विश्लेषण करता है।
- प्राय: एक सिविल सेवक को ही रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया जाता है जिसकी रैंक संयुक्त सचिव पद के समान होती है।
- RGI का कार्यालय मुख्य रूप से निम्नलिखित के संचालन हेतु ज़िम्मेदार है:
  - आवास और जनसंख्या गणना
  - सिविल पंजीकरण प्रणाली (CRS)
  - नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS)
  - राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)
  - मातृभाषा सर्वेक्षण

MMR और IMR को कम करने में प्रगति:

- गिरावट के रुझान:
  - RGI के कार्यालय द्वारा जारी एक विशेष बुलेटिन के अनुसार, भारत का MMR वर्ष 2001-03 के दौरान 301 की तुलना में वर्ष 2018-2020 में 97 था।
  - IMR भी वर्ष 2005 में 58 की तुलना में घटकर 27 (वर्ष 2021 तक) हो गया है।
    - इस संदर्भ में ग्रामीण-शहरी अंतराल भी कम हो गया है।
- NHM और NRHM की भूमिका: पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी के मामले में देश के लिये गेम चेंजर रहे हैं।
  - प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की एक सार्वजनिक प्रणाली के माध्यम से सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिये वर्ष 2005 में NRHM शुरू किया गया था।
  - NHM को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005 में लॉन्च) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (2013 में लॉन्च) को एकीकृत करते हुए लॉन्च किया गया था।

नोट :

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

क्रियान्वयन रणनीति

इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे में सुधार,मानव संसाधनों के कौशल में बढ़ोतरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं की आपूर्ति में सुधार करना है

लक्ष्य

- मातृत्व मृत्यु दर में कमी करते हुए इसे 1/1000 जीवित जन्मदर तक लाना
- शिशु मृत्यु दर में कमी करते हुए इसे 25/1000 जीवित जन्मदर तक लाना
- कुल प्रजनन दर को कम करते हुए 2.1 स्तर तक लाना
- कुष्ठ रोग के प्रसार में कमी करते हुए इसे 1/10000 व्यक्ति से कम करना और सभी जिलों में शून्य स्तर पर लाना
- मलेरिया से प्रतिवर्ष होने वाली मौतों को 1/1000 से कम करना
- संक्रामक, गैर–संक्रामक रोगों, विभिन्न प्रकार की चोटों और अन्य उभरते रोगों के कारण होने वाली मौतों और स्वास्थ्य संबंधी व्याधियों में कमी लाने के प्रयास करना
- स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले खर्च को प्रति परिवार के अनुसार कम करना
- देश में वर्ष 2025 तक तपेदिक (टीबी) की महामारी को समाप्त करना

कुपोषण से निपटने का परिदृश्य:

- परिचय:
  - कुपोषण वह स्थिति है जो तब विकसित होती है जब शरीर विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्त्वों से वंचित हो जाता है, जिससे उसे स्वस्थ ऊतक तथा अंग के कार्य को बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
  - कुपोषण उन लोगों में होता है जो या तो अल्पपोषित होते हैं या अधिक पोषित होते हैं।

नोट :

- NFHS 5 के निष्कर्ष:
  - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5, 2019-21 की रिपोर्ट के अनुसार- 5 वर्ष से कम उम्र के 35.5 प्रतिशत बच्चे अविकसित हैं, 19.3 प्रतिशत कमज़ोर हैं और 32.1 प्रतिशत कम वजन वाले हैं।
    - मेघालय में अविकसित बच्चों की संख्या सबसे अधिक (46.5%) है, इसके बाद बिहार (42.9%) का स्थान है।
    - महाराष्ट्र में 25.6% चाइल्ड वेस्टिंग/बच्चों में निर्बलता सबसे अधिक हैं, इसके बाद गुजरात (25.1%) का स्थान है।
  - NFHS-4 की तुलना में, NFHS -5 में अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अधिक वजन या मोटापे की व्यापकता में वृद्धि हुई है।
    - राष्ट्रीय स्तर पर, यह महिलाओं के बीच 21% से बढ़कर 24% और पुरुषों के बीच 19% से 23% हो गया।
  - भारत के सभी राज्यों में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों (58.6 से 67%), महिलाओं (53.1 से 57%) में एनीमिया की स्थिति बिगड़ गई है।
- सरकार की पहलों की अक्षमता:
  - पोषण अभियान, हालाँकि अभिनव है, अभी भी संस्थागत विकेंद्रीकृत सार्वजनिक कार्रवाई चुनौती को संबोधित नहीं कर पा रहा है।
  - पोषण के लिये की गई पहल विखंडित बनी हुई है; स्थानीय पंचायतों और असंबद्ध वित्तीय संसाधनों वाले समुदायों की संस्थागत भूमिका अभी भी पिछड़ रही है।
- अन्य मुद्दे:
  - गरीबी, अल्पपोषण, कम कार्य क्षमता, कम कमाई और गरीबी का दुष्चक्र।
  - मलेरिया और खसरा जैसे संक्रमण तीव्र कुपोषण को जन्म देते हैं और मौजूदा पोषण संबंधी कमी को बढ़ाते हैं।
  - किसी परिवार की BPL स्थिति निर्धारित करने में अवैज्ञानिकता और अंतर-राज्य-भिन्नता के परिणामस्वरूप भूख की अवैज्ञानिकता पहचान होती है।
  - सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी (प्रच्छन भूख) के प्रति लापरवाही और पोषण तथा स्तनपान के बारे में माताओं के बीच अपर्याप्त ज्ञान।

कुपोषण से निपटने के लिये पहल:

- पोषण अभियान: भारत सरकार ने 2022 तक "कुपोषण मुक्त भारत" सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM) या पोषण अभियान शुरू किया है।
- एनीमिया मुक्त भारत अभियान: 2018 में शुरू किये गए, मिशन का उद्देश्य एनीमिया की गिरावट की वार्षिक दर को एक से तीन प्रतिशत तेज़ करना है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013: इसका उद्देश्य अपनी संबद्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे कमज़ोर वर्गों के लिये खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): गर्भवती महिलाओं के प्रसव के लिये बेहतर सुविधाओं का लाभ उठाने के लिये उनके बैंक खातों में सीधे 6,000 रुपए हस्तांतरित किये जाते हैं।
- एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना: यह 1975 में शुरू की गई थी और इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं को भोजन, पूर्वस्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएँ प्रदान करना है।
- ईट राइट इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट स्वस्थ भोजन और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिये कुछ अन्य पहल हैं।

पोषण की सफलता के लिये पुनर्गठन सिद्धांत:

- ज़मीनी स्तर के प्रशासन (ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और अन्य सामुदायिक संगठनों) को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल और विविध आजीविका की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
- विकेंद्रीकृत वित्तीय संसाधनों के साथ ग्राम-विशिष्ट योजना प्रक्रिया का संचालन करना।
- मूल्यांकन (और तदनुसार वृद्धि) (A) घरेलू दौरे सुनिश्चित करने के लिये क्षमता विकास के साथ अतिरिक्त देखभाल करने वालों की आवश्यकता और (B) पोषण में परिणामों के लिये आवश्यक निगरानी की तीव्रता
- कदन्न सहित स्थानीय भोजन की विविधता को प्रोत्साहित करना।
- तीव्र व्यवहार संचार।
- सामुदायिक संबंध और माता-पिता की भागीदारी के साथ प्रत्येक आँगनवाड़ी केंद्र में मासिक स्वास्थ्य दिवसों को संस्थागत बनाना।
- सशक्तीकरण के लिये और कौशल के माध्यम से विविध आजीविका के लिये हर गाँव में किशोर लड़कियों के लिये एक मंच बनाना।

निष्कर्ष:

- एक विषय के रूप में पोषण के लिये संपूर्ण सरकार और पूरे समाज के दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी सबसे अच्छा एक साधन हो सकती है और निगरानी भी स्थानीय हो सकती है। पंचायत और सामुदायिक संगठन आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका हैं।

नोट :

मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश

चर्च में क्यों ?

हाल ही में दिल्ली स्थित जामा मस्जिद ने मस्जिद परिसर के अंदर एकल अथवा समूह में महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया, परंतु लेफ्टिनेंट-गवर्नर के हस्तक्षेप के बाद इस फैसले को वापस ले लिया है।

- इसके लिये मस्जिद से संबद्ध अधिकारियों का तर्क था कि कुछ महिलाएँ पूजा स्थल की पवित्रता का सम्मान नहीं कर पाती हैं, जैसे कि मस्जिद परिसर में वीडियो बनाना आदि।

महिलाओं के मस्जिद प्रवेश पर इस्लामी कानून

- इस्लामी कानून:
  - कुरान कहीं भी महिलाओं को नमाज़ के लिये मस्जिदों में जाने से मना नहीं करता है।
    - कुरान नमाज़ के लिये लिंग तटस्थता की बात करता है।
  - पाँच दैनिक प्रार्थनाओं से पहले अज़ान का उच्चारण किया जाता है।
    - अज़ान प्रार्थना के लिये पुरुषों और महिलाओं दोनों हेतु एक सामान्य निमंत्रण है, जो उपासकों को याद दिलाता है, 'नमाज़ और सफलता के लिये आओ'।
- वैश्विक परिदृश्य:
  - पूरे पश्चिम एशिया में महिलाओं के नमाज़ के लिये मस्जिद में आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
  - अमेरिका और कनाडा में भी महिलाएँ नमाज़ के लिये मस्जिदों में जाती हैं और रमज़ान में विशेष तरावीह की नमाज़ और धार्मिक पाठ के लिये भी वहाँ इकट्ठा होती हैं।
- राष्ट्रीय परिदृश्य:
  - भारत में जमात-ए-इस्लामी और अहल-ए-हदीस संप्रदाय द्वारा संचालित या स्वामित्व वाली कुछ ही मस्जिदों में महिला उपासकों के लिये प्रावधान हैं।
  - अधिकांश मस्जिदों में महिलाओं के मस्जिदों में प्रवेश पर स्पष्ट रूप से रोक नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिये नमाज़ हेतु तैयार या उनके लिये अलग प्रार्थना क्षेत्र का कोई प्रावधान नहीं है।
    - वे केवल पुरुषों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।
    - इन संदर्भों में वे 'केवल पुरुष' तटस्थता में सीमित हो जाते हैं।
- विद्वानों की राय:
  - अधिकांश इस्लामी विद्वान इस बात से सहमत हैं कि नमाज़ घर पर पढ़ी जा सकती है लेकिन यह केवल समूह में ही अदा की जा सकती है, इसलिये मस्जिद जाने का महत्त्व है।
  - अधिकांश इस बात से भी सहमत हैं कि बच्चों के पालन-पोषण और अन्य घरेलू ज़िम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को मस्जिद न आने छूट दी गई है, औपचारिक रूप से उनके मस्जिद प्रवेश की मनाही नहीं है।

प्रतिबंध के पीछे कानूनी मुद्दा

- भारत के संविधान के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के बीच पूर्ण समानता है।
- हाजी अली दरगाह मामले में भी उच्च न्यायालय ने महिलाओं को दरगाह तक वांछित पहुँच प्रदान करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 25 का हवाला दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएँ दायर की गई हैं जिसमें देश भर की सभी मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की माँग की गई है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें सबरीमाला मामले से जोड़ दिया है।

क्या पहले भी ऐसी घटनाएँ हुई हैं?

- वर्ष 2011 में, मुंबई में 15वीं सदी की बेहद लोकप्रिय दरगाह, हाजी अली दरगाह के परिसर में एक ग्रिल लगा दी गई थी, जिसमें महिलाओं को उससे आगे जाने पर रोक लगा दी गई थी।
  - इसके बाद कुछ महिलाओं ने इसके समाधान के लिये दरगाह प्रबंधन से गुहार लगाई।
  - हालाँकि, उनके अनुरोधों को अस्वीकार किये जाने के बाद उन्होंने इस प्रक्रिया में और अधिक महिलाओं को शामिल किया और 'हाजी अली फॉर ऑल' नामक एक अभियान की शुरुआत की।
  - भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के नेतृत्त्व में महिलाओं ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की ओर रुख किया और न्यायालय ने वर्ष 2016 में उनके पक्ष में फैसला सुनाया।

मुस्लिम महिलाओं हेतु न्यूनतम विवाह योग्य आयु में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women- NCW) द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिये विवाह की न्यूनतम आयु को अन्य धर्मों के लोगों के समान करने के लिये दायर याचिका पर जवाब देने के लिये कहा।

विवाह हेतु न्यूनतम आयु कानूनी ढाँचा

- पृष्ठभूमि:
  - भारत में विवाह की न्यूनतम आयु पहली बार शारदा अधिनियम,

नोट :

1929 के रूप में जाने जाने वाले कानून द्वारा निर्धारित की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम (Child Marriage Restraint Act- CMRA), 1929 कर दिया गया।
  - वर्ष 1978 में लड़कियों के लिये विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिये 21 वर्ष करने के लिये CMRA में संशोधन किया गया था।
  - बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (Prohibition of Child Marriages Act- PCMA), 2006 नामक नए कानून में भी यही स्थिति बनी हुई है, जिसने CMRA, 1929 का स्थान लिया है।
- वर्तमान:
  - हिंदुओं के लिये हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 लड़कियों के लिये न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिये न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित करता है।
  - इस्लाम में नाबालिग की शादी जो तरुण अवस्था (प्यूबर्टी) प्राप्त कर चुकी है, वैध मानी जाती है।
  - विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 भी क्रमश: महिलाओं और पुरुषों के लिये विवाह की न्यूनतम आयु 18 एवं 21 वर्ष निर्धारित करते हैं।
  - शादी की नई उम्र को लागू करने के लिये इन कानूनों में संशोधन किये जाने की उम्मीद है।
    - वर्ष 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिये विवाह की कानूनी आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव दिया।

महिलाओं के कम उम्र में विवाह संबंधी मुद्दे:

- मानवाधिकारों का उल्लंघन: बाल विवाह महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है और नीति निर्माताओं का इस पर ध्यान नहीं जाता है।
  - इन बुनियादी अधिकारों में शिक्षा का अधिकार, आराम और अवकाश का अधिकार, मानसिक या शारीरिक शोषण से सुरक्षा का अधिकार (बलात्कार एवं यौन शोषण सहित) शामिल हैं।
- महिलाओं का अशक्तीकरण: चूँकि बालिकाएँ अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती हैं, इसलिये वे आश्रित और शक्तिहीन बनी रहती हैं, जो लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करती है।
- संबद्ध समस्याएँ: बाल विवाह के साथ ही किशोर गर्भावस्था एवं चाइल्ड स्टंटिंग, जनसंख्या वृद्धि, बच्चों के खराब लर्निंग आउटकम और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी की हानि जैसे परिणाम भी जुड़ जाते हैं।
  - घर में किशोर पत्नियों का निम्न दर्जा आमतौर पर उन्हें लंबे समय तक घरेलू श्रम, बदतर पोषण और एनीमिया की समस्या, सामाजिक अलगाव, घरेलू हिंसा और घरेलू विषयों में निर्णय लेने की कम शक्तियों की ओर धकेलता है।
  - कमज़ोर शिक्षा, कुपोषण और कम आयु में गर्भावस्था बच्चों के जन्म के समय कम वजन का कारण बनती है, जिससे कुपोषण का अंतर-पीढ़ी चक्र बना रहता है।

निष्कर्ष:

- विवाह संबंधी वर्तमान कानून आयु-केंद्रित हैं और किसी धर्म विशेष इसमें कोई अपवाद नहीं है और 'युवावस्था' मात्र के आधार पर वर्गीकरण का कोई वैज्ञानिक समर्थन नहीं है और न ही विवाह करने की क्षमता के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध है।
- एक व्यक्ति जिसने तरुणावस्था प्राप्त कर ली है वह प्रजनन के लिये जैविक रूप से सक्षम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उक्त व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से यौन क्रियाओं में संलग्न होने और बच्चे को जन्म देने के लिये पर्याप्त रूप से परिपक्व है।

विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- मलेरिया के कारण हुई मौतें:
  - मलेरिया जैसी बीमारी से जूझने वाले अनेकों देश कोविड-19 महामारी के बावजूद वर्ष 2021 में मलेरिया के विरुद्ध मज़बूती से डटे रहे और इससे मलेरिया संबद्ध मामलों और मौतों में स्थिरता आई है।
    - महामारी के पहले वर्ष में मलेरिया से होने वाली मृत्यु 625,000 से घटकर वर्ष 2021 में 619,000 हो गई, लेकिन फिर भी यह वर्ष 2019 में महामारी पूर्व के वर्ष में हुई 568,000 मौतों से ही अधिक रही।
- मलेरिया के मामले:
  - मलेरिया के मामलों में वृद्धि देखी गई लेकिन इसकी दर धीमी रही, आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में 232 मिलियन मामलों, वर्ष 2020 में 247 मिलियन मामले और वर्ष में 2021 में 247 मिलियन मामले दर्ज किये गए।

- मलेरिया जैसी बीमारी से त्रस्त देश:
  - मलेरिया जैसी बीमारी से त्रस्त देशों की संख्या 11 है, उनमे से प्रमुख कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, घाना, भारत, नाइज़र और संयुक्त गणराज्य तंज़ानिया हैं जहाँ मलेरिया से होने वाली मौतों में गिरावट दर्ज की गई है।
  - लेकिन फिर भी इन देशों के कारण बीमारी संबंधी वैश्विक दबाव में वृद्धि होती है।
- नियंत्रण हेतु देशों द्वारा किये जाने वाले उपाय:
  - कीटनाशक-उपचारित मच्छरदानी (Insecticide-treated bednets- ITNs) प्रमुख वेक्टर नियंत्रण उपाय हैं जिनका उपयोग स्थानिक देशों द्वारा किया जाता है।
  - वर्ष 2021 में इंटरमिटेंट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इन प्रेग्नेंसी (IPTP) का प्रचलन वर्ष 2020 की तुलना में स्थिर रहा।
- मलेरिया को समाप्त करने में बाधाएँ:
  - मलेरिया को समाप्त करने की प्रक्रिया को बाधित करने वाली बाधाओं में शामिल हैं - उत्परिवर्तन परजीवी, जिन पर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दवाओं के प्रतिरोध में वृद्धि और विशेष रूप से अफ्रीका में शहरी-अनुकूलित मच्छरों का आक्रमण।
    - मलेरिया को हराने में मदद के लिये नए उपकरण का उपयोग करने हेतु धन की तत्काल आवश्यकता है।

मलेरिया

- परिचय:
  - मलेरिया एक मच्छर जनित रक्त रोग (Mosquito Borne Blood Disease) है।
  - जो प्लाज़्मोडियम परजीवी (Plasmodium Parasites) के कारण होता है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
  - इस रोग की रोकथाम एवं इलाज़ दोनों संभव हैं।
- प्रसार:
  - इस परजीवी का प्रसार संक्रमित मादा एनाफिलीज़ मच्छरों (Female Anopheles Mosquitoes) के काटने से होता है।
    - मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद यकृत कोशिकाओं के भीतर इन परजीवियों गुणात्मक वृद्धि होती है। उसके बाद लाल रक्त कोशिकाओं (Red Blood Cells-RBC) को नष्ट कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप RBCs की क्षति होती है।
  - ऐसी 5 परजीवी प्रजातियाँ हैं जो मनुष्यों में मलेरिया संक्रमण का कारण हैं, इनमें से 2 प्रजातियाँ- प्लाज़्मोडियम फाल्सीपेरम (Plasmodium Falciparum) और प्लाज़्मोडियम विवैक्स (Plasmodium Vivax) हैं, जिनसे मलेरिया संक्रमण का सर्वाधिक खतरा विद्यमान है।
- लक्षण:
  - मलेरिया के लक्षणों में बुखार और फ्लू जैसे लक्षण शामिल होते हैं, जिसमें ठंड लगना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान महसूस होती है।
- मलेरिया का टीका:
  - RTS,S/AS01 जिसे मॉसक्यूरिक्स (Mosquirix) के नाम से भी जाना जाता है, एक इंजेक्शन वैक्सीन है। इस टीके को एक लंबे वैज्ञानिक परीक्षण के बाद प्राप्त किया गया है जो कि पूर्णत: सुरक्षित है। इस टीके के प्रयोग से मलेरिया का खतरा 40 प्रतिशत तक कम हो जाता है तथा इसके परिणाम अब तक के टीकों में सबसे अच्छे देखे गए हैं।
  - इसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (GlaxoSmithKline-GSK) कंपनी द्वारा विकसित किया गया था तथा इसे वर्ष 2015 में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी (European Medicines Agency) द्वारा अनुमोदित किया गया।
  - RTS,S वैक्सीन मलेरिया परजीवी, प्लाज़्मोडियम पी. फाल्सीपेरम (Plasmodium P. Falciparum) जो कि मलेरिया परजीवी की सबसे घातक प्रजाति है, के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करती है।

मलेरिया नियंत्रण के प्रयास:

- वैश्विक:
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपनी 'ई-2025 पहल' के अंतर्गत वर्ष 2025 तक मलेरिया उन्मूलन क्षमता वाले 25 देशों की पहचान की है।
  - मलेरिया के लिये WHO की वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016-2030 का उद्देश्य वर्ष 2020 तक मलेरिया के मामलों और मृत्यु दर को कम से कम 40%, 2025 तक कम से कम 75% और वर्ष 2015 की बेसलाइन के मुकाबले वर्ष 2030 तक कम से कम 90% तक कम करना है।
- भारत:
  - भारत में मलेरिया उन्मूलन के प्रयास वर्ष 2015 में शुरू किये गए थे तथा वर्ष 2016 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन (NFME) की शुरुआत के बाद इन प्रयासों में और अधिक तेज़ी आई।

नोट :

- NFME मलेरिया के लिये WHO की वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016–2030 (GTS) के अनुरूप है। ज्ञात हो कि वैश्विक तकनीकी रणनीति WHO के वैश्विक मलेरिया कार्यक्रम (GMP) का मार्गदर्शन करती है।

◆ मलेरिया उन्मूलन के लिये राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2017-22) जुलाई 2017 में शुरू की गई थी जिसमें आगामी पाँच वर्षों हेतु रणनीति निर्धारित की गई है।

- यह मलेरिया की स्थानिकता के आधार पर देश के विभिन्न हिस्सों में वर्ष-वार उन्मूलन का लक्ष्य प्रदान करता है।

◆ 'हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट' (High Burden to High Impact-HBHI) पहल का कार्यान्वयन जुलाई 2019 में चार राज्यों (पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश) में शुरू किया गया था।

- उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में लंबे समय तक चलने वाली कीटनाशक युक्त मच्छरदानियों (LLINs) के वितरण से इन राज्यों में मलेरिया के प्रसार में कमी आई है।

◆ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन-भारत (MERA-India) की स्थापना की है जो मलेरिया नियंत्रण पर काम करने वाले भागीदारों का एक समूह है।

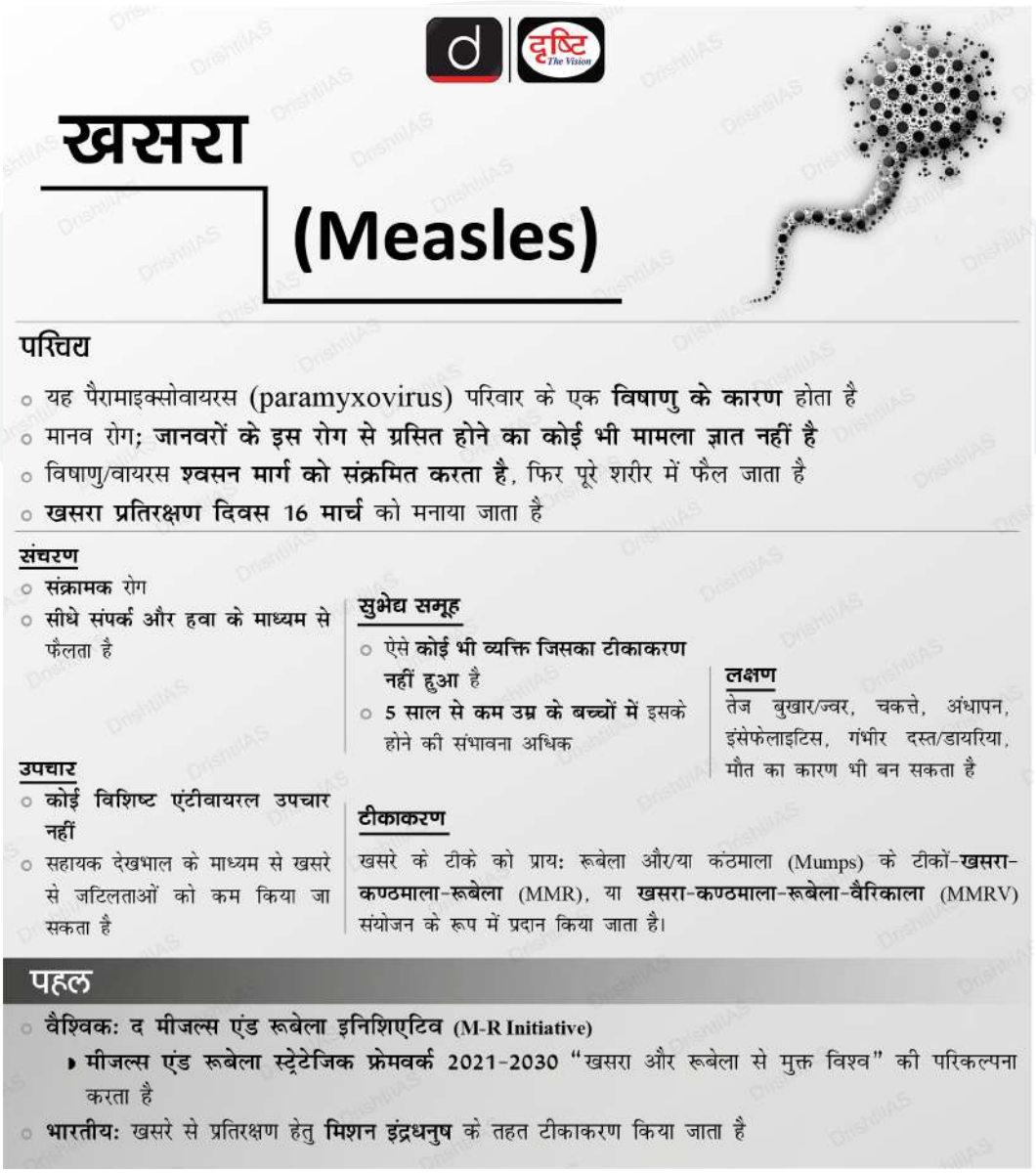

नोट :

विचाराधीन कैदियों की दयनीय स्थिति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने जेलों में बंद बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदियों की दयनीय स्थिति का मुद्दा उठाया है।

विचाराधीन कैदी

- विचाराधीन कैदी वह व्यक्ति होता है जिस पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा है या जिसे मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए रिमांड पर रखा गया है या एक व्यक्ति जो न्यायालय में विचाराधीन है।
- विधि आयोग की 78वीं रिपोर्ट में 'विचाराधीन कैदी' की परिभाषा में जाँच के दौरान न्यायिक हिरासत में कैद व्यक्ति को भी शामिल किया गया है।

भारत में विचाराधीन कैदियों की स्थिति

- राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो (National Crime Report Bureau- NCRB) के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में, जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या लगातार बढ़ी है और वर्ष 2021 में चरम पर पहुँच गई है।
- वर्ष 2020 में देश के सभी जेल कैदियों में से लगभग 76% विचाराधीन थे, जिनमें से लगभग 68% या तो निरक्षर थे या स्कूल छोड़ने वाले थे।
- दिल्ली एवं जम्मू और कश्मीर में जेलों में विचाराधीन कैदियों का उच्चतम अनुपात 91% पाया गया, इसके बाद बिहार और पंजाब में 85% तथा ओडिशा में 83% था।
- सभी विचाराधीन कैदियों में से लगभग 27% निरक्षर पाए गए और 41% ने दसवीं कक्षा से पहले पढ़ाई छोड़ दी थी।

चुनौतियाँ:

- संसाधनहीन कैदी
  - कई गरीब और संसाधनहीन विचाराधीन कैदी हैं जिन्हें असंगत रूप से गिरफ्तार किया जा रहा है, नियमित रूप से जेलों में न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।
  - वे या तो आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण या बाहर सामाजिक कलंक के डर से जमानत लेने और सुरक्षित करने में असमर्थ हैं।
- जेल में हिंसा और दुर्व्यवहार:
  - जेल अक्सर लोगों के लिये खतरनाक स्थान होते हैं। यहाँ हिंसा भी स्थानिक है और दंगे आम हैं।
  - भारत में आमतौर पर जेल अधिकारियों द्वारा शारीरिक दुर्व्यवहार और न्यायेतर यातनाएँ देखी जाती हैं।
  - जेल प्राधिकरण के किसी भी आचरण को अपराध नहीं माना जाता है, जिससे प्राधिकरण लापरवाही से कार्य करता है जिसके परिणामस्वरूप कैदियों की मौत हो सकती है।
- स्वास्थ्य समस्याएँ:
  - अधिकांश जेलों में भीड़भाड़ और कैदियों को सुरक्षित एवं स्वस्थ परिस्थितियों में रखने के लिये पर्याप्त जगह की कमी की समस्या है।
  - अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में लोग एक-दूसरे के साथ तंग हो जाते हैं, संक्रामक और संचारी रोग आसानी से फैल जाते हैं। उदाहरण: तपेदिक (TB) का प्रसार।
- परिवारों की पीड़ा और सामाजिक कलंक:
  - कई बार कैदी का परिवार गरीबी में मजबूर हो जाता है और बच्चे भटक जाते हैं।
  - परिवार को सामाजिक कलंक और सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है, जिससे परिस्थितियाँ परिवार को अपराध और दूसरों द्वारा शोषण की ओर प्रेरित करती हैं।
  - विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अक्सर इस स्थिति का फायदा उठाकर शेष परिवार के सदस्यों का पूरी तरह से शोषण करता है। यह बलात्कार या जबरन वेश्यावृत्ति का रूप ले सकता है।

विचाराधीन कैदियों हेतु संवैधानिक संरक्षण:

- राज्य का विषय:
  - भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4 के तहत 'जेल/उसमें हिरासत में लिये गए व्यक्ति' राज्य का विषय है।
  - जेलों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है।
  - हालाँकि गृह मंत्रालय जेलों और कैदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को नियमित मार्गदर्शन तथा सलाह देता है।
- अनुच्छेद 39A:
  - संविधान का अनुच्छेद 39A राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है और विशेष रूप से उपयुक्त कानून या योजनाओं द्वारा या किसी अन्य तरीके से नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा, ताकि अवसरों को सुनिश्चित किया जा सके। आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाए।
  - नि:शुल्क कानूनी सहायता या नि:शुल्क कानूनी सेवा का अधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत आवश्यक मौलिक अधिकार है।

नोट :

- अनुच्छेद 21:
  - यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण स्वतंत्रता का आधार है, जिसके अनुसार, "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा"।

जेल सुधार संबंधी सिफारिश:

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अमिताभ रॉय समिति ने जेलों में सुधार के लिये निम्नलिखित सिफारिशें की हैं।
- भीड़-भाड़ संबंधी
  - तीव्र ट्रायल: समिति की सिफारिशों में भीड़भाड़ की अवांछित घटनाओं को कम करने के लिये तीव्र ट्रायल को सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना गया है।
  - वकील व कैदी अनुपात: प्रत्येक 30 कैदियों के लिये कम-से-कम एक वकील होना अनिवार्य है, जबकि वर्तमान में ऐसा नहीं है।
  - विशेष न्यायालय: पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित छोटे-मोटे अपराधों से निपटने के लिये विशेष फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिये।
    - इसके अलावा जिन अभियुक्तों पर छोटे-मोटे अपराधों का आरोप लगाया गया है और जिन्हें ज़मानत दी गई है, लेकिन जो ज़मानत की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, उन्हें व्यक्तिगत पहचान (PR) बॉण्ड पर रिहा किया जाना चाहिये।
  - स्थगन से बचाव: उन मामलों में स्थगन नहीं दिया जाना चाहिये, जहाँ गवाह मौजूद हैं और साथ ही प्ली बारगेनिंग की अवधारणा, जिसमें आरोपी कम सज़ा के बदले अपराध स्वीकार करता है, को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - कैदियों के लिये:
    - उदारता: प्रत्येक नए कैदी को जेल में अपने पहले सप्ताह के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को एक दिन नि:शुल्क फोन कॉल करने की अनुमति दी जानी चाहिये।
    - कानूनी सहायता: कैदियों को प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान करना और कैदियों को व्यावसायिक कौशल और शिक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम उठाना।
    - ICT का उपयोग: परीक्षण के लिये वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग।
    - विकल्प: अपराधियों को जेल भेजने के बजाय अदालतों को उनकी "विवेकाधीन शक्तियों" का उपयोग कर "जुर्माना और चेतावनी" भी दी जा सकती है।
    - इसके अलावा, न्यायालयों को पूर्व-परीक्षण चरण में अथवा परिस्थितियों के अनुरूप अपराधियों को परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर रिहा करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- वर्ष 2017 में, भारत के विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि जिन विचाराधीन कैदियों ने सात साल तक के कारावास के अपराधों के लिये अपनी अधिकतम सज़ा का एक तिहाई हिस्सा पूरा कर लिया है, उन्हें ज़मानत पर रिहा कर देना चाहिये।

आगे की राह:

- विचाराधीन कैदी कई प्रकार असफलताओं के शिकार होते हैं जिसकी शुरुआत अनुचित अपराधीकरण से शुरू होती हैं, इसके बाद अंधाधुंध गिरफ्तारियाँ, कमज़ोर जमानत संबंधी अधिकार और लोक अदालतों के माध्यम से अपर्याप्त/अस्पष्ट रूप से मामले का निपटान।
- इस संबंध में एक समग्र विधायी सुधार की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विस्तार करना हो।
- आरोपी विचाराधीन कैदियों के मामले में पुलिस जाँच की समय सीमा के संबंध में CRPC की धारा 167 के प्रावधानों का पुलिस और अदालतों दोनों में सख्ती से पालन किया जाना चाहिये।
- रिमांड की समय सीमा में स्वत: वृद्धि पर नियंत्रण करना होगा जो कि केवल अधिकारियों की सुविधा के लिये दिया जाता है। प्राधिकारियों की सुविधा मात्र हेतु अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक गारंटियों का अधिक्रमण नहीं किया जाना चाहिये।
- संशोधित वैधानिक प्रावधानों को लागू करके, विचाराधीन कैदियों के अधिकारों के बारे में न्यायिक निर्णयों, गिरफ्तारी और ज़मानत देने और जेल सुधारों पर विभिन्न समितियों की सिफारिशों को लागू करके विचाराधीन कैदियों की संख्या कम करने पर ज़ोर दिया जाना चाहिये।
- दोषियों की तुलना में कैदियों को भोजन, कपड़े, पानी, चिकित्सा सुविधाएँ, स्वच्छता, मनोरंजन और रिश्तेदारों तथा वकीलों के साथ मिलने आदि की बेहतर सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिये।

हाथ से मैला ढोने की प्रथा (मैनुअल स्कैवेंजिंग)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJ&E) ने लोकसभा को बताया कि विगत तीन वर्षों (वर्ष 2019 से 2022) में मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है।

- इस अवधि में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय "दुर्घटनाओं" में 233 लोगों की मृत्यु हुई है।

नोट :

हाथ से मैला ढोने की प्रथा/मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging):

- हाथ से मैला ढोने की प्रथा को ''किसी सुरक्षा साधन के बिना और नग्न हाथों से सार्वजनिक सड़कों एवं सूखे शौचालयों से मानव मल को हटाने, सेप्टिक टैंक, गटर एवं सीवर की सफाई करने'' के रूप में परिभाषित किया गया है।
- भारत ने मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (PEMSR) के तहत इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है।
  - यह अधिनियम किसी भी व्यक्ति द्वारा मानव मल को उसके निपटान तक मैन्युअल रूप से साफ करने, ले जाने, निपटाने या अन्यथा किसी भी तरीके से हैंडलिंग पर प्रतिबंध लगाता है।
  - अधिनियम हाथ से मैला ढोने की प्रथा को "अमानवीय प्रथा" के रूप में परिभाषित करता है।

हाथ से मैला ढोने की प्रथा के प्रचलन के कारण:

- उदासीन रवैया:
  - कई स्वतंत्र सर्वेक्षणों ने राज्य सरकारों की ओर से यह स्वीकार करने में निरंतर अनिच्छा के बारे में बात की है कि यह प्रथा उनकी निगरानी में प्रचलित है।
- आउटसोर्सिंग के कारण समस्याएँ:
  - कई बार स्थानीय निकाय निजी ठेकेदारों को सीवर सफाई कार्य आउटसोर्स करते हैं। हालाँकि उनमें से कई फ्लाई-बाय-नाइट ऑपरेटर, सफाई कर्मचारियों के उचित रोल का रखरखाव नहीं करते हैं।
  - श्रमिकों की दम घुटने से मृत्यु होने के मामले में इन ठेकेदारों ने मृतक के साथ किसी भी संबंध से इनकार किया है।
- सामाजिक मुद्दा:
  - यह प्रथा जाति, वर्ग और आय की असमानता आदि से प्रेरित है।
  - मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा भारत की जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है, जहाँ तथाकथित निचली जातियों से ही इस काम को करने की उम्मीद की जाती है।
  - 1993 में, भारत ने मैला ढोने वालों के रूप में लोगों के रोज़गार पर प्रतिबंध लगा दिया (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का रोज़गार और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993), हालाँकि, इससे जुड़ा कलंक और भेदभाव अभी भी बना हुआ है।
    - यह सामाजिक भेदभाव मैनुअल स्कैवेंजिंग को छोड़ चुके श्रमिकों के लिये आजीविका के नए या वैकल्पिक माध्यम प्राप्त करना कठिन बना देता है।

मैला ढोने की समस्या से निपटने के लिये उठाए गए कदम:

- 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020'
- यह सीवर की सफाई को पूरी तरह से मशीनीकृत करने, 'ऑन-साइट' सुरक्षा के तरीके अपनाने और सीवर में होने वाली मौतों के मामले में कर्मियों के परिवार वालों को मुआवज़ा प्रदान करने का प्रस्ताव करता है।
  - यह हाथ से मैला ढोने वालों के रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 में संशोधन होगा।
  - इसे अभी कैबिनेट की मंज़ूरी मिलना शेष है।
- अस्वच्छ शौचालयों का निर्माण और रखरखाव अधिनियम 2013:
  - यह अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण या रखरखाव तथा किसी को भी हाथ से मैला ढोने हेतु काम पर रखने के साथ-साथ सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई को गैरकानूनी घोषित करता है।
  - यह अन्याय और अपमान की क्षतिपूर्ति के रूप में हाथ से मैला ढोने वाले समुदायों को वैकल्पिक रोज़गार तथा अन्य सहायता प्रदान करने के लिये एक संवैधानिक ज़िम्मेदारी भी प्रदान करता है।
- 1989:अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:
  - वर्ष 1989 में अत्याचार निवारण अधिनियम स्वच्छता संबंधी कार्यकर्त्ताओं के लिये एक समन्वित गार्ड बन गया। इस दौरान मैला ढोने वालों के रूप में कार्यरत 90% से अधिक लोग अनुसूचित जाति के थे। यह मैला ढोने वालों को निर्दिष्ट पारंपरिक व्यवसायों से मुक्त करने के लिये यह एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।
- सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती:
  - इसे आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में विश्व शौचालय दिवस (19 नवंबर) पर लॉन्च किया गया था।
  - सरकार द्वारा सभी राज्यों के लिये अप्रैल 2021 तक सीवर-सफाई को मशीनीकृत करने हेतु इसे एक 'चुनौती' के रूप में शुरू किया गया, इसके तहत यदि किसी व्यक्ति को अपरिहार्य आपात स्थिति में सीवर लाइन में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है, तो उसे उचित गियर और ऑक्सीजन टैंक आदि प्रदान किये जाते हैं।
- 'स्वच्छता अभियान एप':
  - इसे अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला ढोने वालों के डेटा की पहचान एवं जियोटैग करने हेतु विकसित किया गया है, ताकि अस्वच्छ शौचालयों को सैनिटरी शौचालयों में बदला जा

नोट :

सके और सभी हाथ से मैला ढोने वालों को जीवन की गरिमा प्रदान करने हेतु उनका पुनर्वास किया जा सके।

- यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan for Mechanised Sanitation Ecosystem- NAMASTE/नमस्ते):
  - NAMASTE योजना आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा MoSJ&E द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की जा रही है और इसका उद्देश्य असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना है।
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश ने सरकार के लिये उन सभी लोगों की पहचान करना अनिवार्य कर दिया था, जो वर्ष 1993 से सीवेज के काम में मारे गए थे और प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को मुआवज़े के रूप में 10 लाख रुपए दिये जाने का भी आदेश दिया गया था।

आगे की राह:

- स्वच्छ भारत मिशन को 15वें वित्त आयोग द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया और स्मार्ट शहरों एवं शहरी विकास के लिये उपलब्ध धन के साथ हाथ से मैला ढोने की समस्या का समाधान करने के लिये एक मज़बूत आधार प्रदान किया गया।
- हाथ से मैला ढोने के पीछे की सामाजिक स्वीकृति को संबोधित करने के लिये पहले यह स्वीकार करना और समझना आवश्यक है कि कैसे और क्यों जाति व्यवस्था के कारण हाथ से मैला ढोना अभी भी जारी है।
- राज्य एवं समाज को इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से रुचि लेने की ज़रूरत है और इस प्रथा का सही आकलन कर इसके उन्मूलन के लिये सभी संभावित विकल्पों पर गौर करने की ज़रूरत है।

दृष्टि The Vision

नोट :

भारतीय इतिहास

66वाँ महापरिनिर्वाण दिवस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के लिये उनकी अनुकरणीय सेवा को याद किया।

परिनिर्वाण दिवस क्या है ?

- परिनिर्वाण जिसे बौद्ध धर्म के लक्ष्यों के साथ-साथ एक प्रमुख सिद्धांत भी माना जाता है, यह एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद मुक्ति अथवा मोक्ष है।
  - बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सुत्त (Mahaparinibbana Sutta) के अनुसार, 80 वर्ष की आयु में हुई भगवान बुद्ध की मृत्यु को मूल महापरिनिर्वाण माना जाता है।
- यह 6 दिसंबर को डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा दिये गए सामाजिक योगदान और उनकी उपलब्धियों को याद करने के लिये मनाया जाता है। बौद्ध नेता के रूप में डॉ. अंबेडकर की सामाजिक स्थिति के कारण उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर:

- परिचय:
  - बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म वर्ष 1891 में महू, मध्य प्रांत (अब मध्य प्रदेश) में हुआ था।
  - उन्हें 'भारतीय संविधान का जनक' माना जाता है और वह भारत के पहले कानून मंत्री थे।
    - वह संविधान निर्माण की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे।
  - डॉ. अंबेडकर एक समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषाविद, मुखर वक्ता, विद्वान और धर्मों के विचारक थे।
  - उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों (Round Table Conferences) में भाग लिया।
  - वर्ष 1932 में डॉ. अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किये, जिससे उन्होंने दलित वर्गों (सांप्रदायिक पंचाट) हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की मांग के विचार को छोड़ दिया।
    - हालाँकि प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिये सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई तथा केंद्रीय विधानमंडल (Central Legislature) में दलित वर्गों की सुरक्षित सीटों की संख्या मंa 18 प्रतिशत की वृद्धि की गई।
  - हिल्टन यंग कमीशन (Hilton Young Commission) के समक्ष प्रस्तुत उनके विचारों ने भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) की नींव रखने का कार्य किया।
    - उन्होंने वर्ष 1951 में हिंदू कोड बिल पर मतभेदों के कारण कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।
    - उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर, 1956 को उनका निधन हो गया। चैत्य भूमि मुंबई में स्थित भीमराव अंबेडकर का स्मारक है।
  - वर्ष 1936 में वे विधायक (MLA) के रूप में बॉम्बे विधानसभा (Bombay Legislative Assembly) के लिये चुने गए।
  - वर्ष 1942 में उन्हें एक कार्यकारी सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया था।
  - वर्ष 1947 में डॉ. अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने हेतु प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण को स्वीकार किया।
  - हिंदू कोड बिल (Hindu Code Bill) पर मतभेद को लेकर उन्होने वर्ष 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।
  - उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तथा 6 दिसंबर, 1956 (महापरिनिर्वाण दिवस) को उनका निधन हो गया।

महत्त्वपूर्ण कार्य:

- पत्रिकाएँ:
  - मूकनायक (1920)
  - बहिष्कृत भारत (1927)
  - समता (1929)
  - जनता (1930)
- पुस्तकें:
  - जाति प्रथा का विनाश
  - बुद्ध या कार्ल मार्क्स
  - अछूत: वे कौन थे और अछूत कैसे बन गए
  - बुद्ध और उनका धम्म
  - हिंदू महिलाओं का उदय और पतन

नोट :

- संगठन:
  - बहिष्कृत हितकारिणी सभा (1923)
  - स्वतंत्र लेबर पार्टी (1936)
  - अनुसूचित जाति फेडरेशन (1942)
- मृत्यु:
  - 6 दिसंबर, 1956 को उनका निधन हुआ।
    - मुंबई में स्थित चैत्य भूमि बी. आर. अंबेडकर का स्मारक है।
- वर्तमान समय में अंबेडकर की प्रासंगिकता:
  - भारत में जाति आधारित असमानता अभी भी कायम है, जबकि दलितों ने आरक्षण के माध्यम से एक राजनीतिक पहचान हासिल कर ली है और अपने स्वयं के राजनीतिक दलों का गठन किया है, किंतु सामाजिक आयामों (स्वास्थ्य और शिक्षा) तथा आर्थिक आयामों का अभी भी अभाव है।
  - सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राजनीति के सांप्रदायिकरण का उदय हुआ है। यह आवश्यक है कि संवैधानिक नैतिकता की अंबेडकर की दृष्टि को भारतीय संविधान में स्थायी क्षति से बचाने के लिये धार्मिक नैतिकता का समर्थन किया जाना चाहिये।

नोट :

श्री अरबिंदो: भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पुडुचेरी में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया।

- प्रधानमंत्री ने श्री अरबिंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया।

श्री अरबिंदो

- परिचय:
  - अरबिंदो घोष का जन्म 15 अगस्त, 1872 को कलकत्ता में हुआ था। वह एक योगी, द्रष्टा, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से संसार को ईश्वरीय अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया अर्थात् नव्य वेदांत दर्शन को प्रतिपादित किया।
  - 5 दिसंबर, 1950 को पुडुचेरी में उनका निधन हो गया।
  - ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाने के लिये अरबिंदो की व्यावहारिक रणनीतियों ने उन्हें "भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर" के रूप में चिह्नित किया।
- शिक्षा:
  - उनकी शिक्षा दार्जिलिंग के एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में शुरू हुई।
  - उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहाँ वे दो शास्त्रीय और कई आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में कुशल हो गए।
  - वर्ष 1892 में उन्होंने बड़ौदा (वडोदरा) और कलकत्ता (कोलकाता) में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया।
  - उन्होंने शास्त्रीय संस्कृत सहित योग और भारतीय भाषाओं का अध्ययन शुरू किया।
- भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन:
  - वर्ष 1902 से 1910 तक उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के संघर्ष में भाग लिया।
  - वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन ने अरबिंदो को बड़ौदा में अपनी नौकरी छोड़ने और राष्ट्रवादी आंदोलन में उतरने के लिये प्रेरित किया। उन्होंने देश भक्ति पत्रिका 'वन्दे मातरम' की शुरुआत की, जो कि याचना के बजाय कट्टरपंथी तरीकों और क्रांतिकारी रणनीति का प्रचार करती थी।
  - अंग्रेजों ने उन्हें तीन बार ने गिरफ्तार किया था, दो बार देशद्रोह के आरोप में और एक बार "युद्ध छेड़ने" की साजिश रचने के आरोप में।
    - उन्हें वर्ष 1908 (अलीपुर बम कांड) में गिरफ्तार किया गया था।
  - दो वर्ष के बाद वे ब्रिटिश भारत से भाग गए और पांडिचेरी (फ्राँसीसी उपनिवेश) में शरण ली तथा राजनीतिक गतिविधियों का त्याग कर दिया और आध्यात्मिक गतिविधियों को अपना लिया ।
    - उन्होंने पुडुचेरी में मीरा अल्फासा से मुलाकात की और उनके आध्यात्मिक सहयोग से "योग समन्वय" हुआ।
    - योग समन्वय का उद्देश्य जीवन से पलायन या सांसारिक अस्तित्व से बचना नहीं है, बल्कि इसके बीच रहते हुए भी हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करना है।
- द्वितीय विश्व युद्ध पर अरबिंदो के विचार:
  - कई भारतीयों ने द्वितीय विश्व युद्ध को औपनिवेशिक कब्जे से छुटकारा पाने हेतु एक उपयुक्त समय के रूप में देखा तथा अरबिंदो ने अपने हमवतन लोगों से मित्र राष्ट्रों का समर्थन करने और हिटलर की हार सुनिश्चित करने के लिये कहा।
- आध्यात्मिक यात्रा:
  - पुडुचेरी में उन्होंने आध्यात्मिक साधकों के एक समुदाय की स्थापना की, जिसने वर्ष 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम के रूप में आकार लिया।
  - उनका मानना था कि पदार्थ, जीवन और मन के मूल सिद्धांतों को स्थलीय विकास के माध्यम से सुपरमाइंड के सिद्धांत द्वारा अनंत और परिमित दो क्षेत्रों के बीच एक मध्यवर्ती शक्ति के रूप में सफल किया जाएगा।
- साहित्यिक रचनाएँ:
  - बंदे मातरम नामक एक अंग्रेज़ी अखबार (वर्ष 1905 में)।
  - योग के आधार
  - भगवतगीता और उसका संदेश
  - मनुष्य का भविष्य विकास
  - पुनर्जन्म और कर्म
  - सावित्री: एक किंवदंती और एक प्रतीक
  - आवर ऑफ गॉड
- मृत्यु:
  - 5 दिसंबर, 1950 को पुडुचेरी में उनका निधन हो गया।

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

ग्रेटर टिपरालैंड की मांग: त्रिपुरा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में त्रिपुरा के इंडिजनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (IPFT) राजनितिक दल के प्रमुख सचिव ने पूरी तरह से अलग राज्य "ग्रेटर टिपरालैंड" की मांग को उठाने के लिये जंतर मंतर, नई दिल्ली में दो दिवसीय धरने का नेतृत्त्व करने का निर्णय लिया है।

- इसका उद्देश्य राज्य में स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित करना है।

प्रमुख बिंदु

- मांग:
  - यह पार्टी पूर्वोत्तर राज्य के मूल समुदायों के लिये 'ग्रेटर तिपरालैंड' के रूप में एक अलग राज्य की मांग कर रही है।

नोट :

- उनकी मांग हैं कि केंद्र संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत अलग राज्य बनाए।
  - त्रिपुरा में 19 अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों में त्रिपुरी (तिप्रा और टिपरास) सबसे बड़ी है।
  - 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य में कम-से-कम 5.92 लाख त्रिपुरी हैं, इसके बाद ब्रू या रियांग (1.88 लाख) और जमातिया (83,000) हैं।
- वह न केवल मूल निवासियों के लिये बल्कि त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त ज़िला परिषद (The Tripura Tribal Areas Autonomous District Council-TTAADC) क्षेत्र में रहने वाले सभी समुदायों के लिये भी एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं।

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
  - त्रिपुरा 13 वीं शताब्दी के अंत से वर्ष 1949 में भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने तक माणिक्य वंश द्वारा शासित एक राज्य था।
  - यह मांग राज्य की जनसांख्यिकी में बदलाव के संबंध में स्थानीय समुदायों की चिंता से उपजी है जिसने उन्हें अल्पसंख्यक बना दिया है।
  - यह वर्ष 1947 से वर्ष 1971 के मध्य तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से बंगालियों के विस्थापन के कारण हुआ।
  - त्रिपुरा में आदिवासियों की जनसंख्या वर्ष 1881 के 63.77% से घटकर वर्ष 2011 तक 31.80% हो गई थी।
  - बीच के दशकों में जातीय संघर्ष और उग्रवाद ने राज्य को जकड़ लिया जो बांग्लादेश के साथ लगभग 860 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है।
  - संयुक्त मंच ने यह भी बताया है कि स्थानीय लोगों को न केवल अल्पसंख्यक में बदल दिया गया है, बल्कि माणिक्य वंश के अंतिम राजा बीर बिक्रम किशोर देबबर्मन द्वारा उनके लिये आरक्षित भूमि से भी उन्हें बेदखल कर दिया गया है।

पूर्वोत्तर की अन्य मांगें:

- ग्रेटर नगालिम (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और म्याँमार के हिस्से)
- बोडोलैंड (असम)
- जनजातीय स्वायत्तता मेघालय

संसद के पास एक नया राज्य बनाने की शक्तियाँ:

- संसद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से एक नया राज्य बनाने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- अनुच्छेद 2:
  - संसद कानून बनाकर नए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की स्थापना ऐसे नियमों और शर्तों पर कर सकती है, जो वह ठीक समझे।
  - हालाँकि संसद कानून पारित करके एक नया केंद्रशासित प्रदेश नहीं बना सकती है, यह कार्य केवल संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता है।
  - अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया।
- अनुच्छेद 3:
  - इसके तहत संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के परिवर्तन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।

इस मुद्दे के समाधान के लिये पहल:

- त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त ज़िला परिषद:
  - त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त ज़िला परिषद (The Tripura Tribal Areas Autonomous District Council- TTAADC) का गठन वर्ष 1985 में संविधान की छठी अनुसूची के तहत आदिवासी समुदायों के अधिकारों एवं सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और विकास सुनिश्चित करने के लिये किया गया था।
    - 'ग्रेटर टिपरालैंड' एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना करता है जिसमें संपूर्ण TTAADC क्षेत्र एक अलग राज्य होगा। यह त्रिपुरा के बाहर रहने वाले लोगों और अन्य आदिवासी समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिये समर्पित निकायों का भी प्रस्ताव करता है।
  - TTAADC, जिसके पास विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ हैं, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग दो-तिहाई हिस्से को कवर करता है।
  - परिषद में 30 सदस्य होते हैं जिनमें से 28 निर्वाचित होते हैं जबकि दो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं।
- आरक्षण:
  - साथ ही राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 20 अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित हैं।

आगे की राह:

- राजनीतिक विचारों के बजाय आर्थिक और सामाजिक व्यवहार्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- निरंकुश मांगों की जाँच के लिये कुछ स्पष्ट मानदंड और सुरक्षा उपाय होने चाहिये।
- धर्म, जाति, भाषा या बोली के बजाय विकास, विकेंद्रीकरण और शासन जैसी लोकतांत्रिक चिंताओं को नए राज्य की मांगों को स्वीकार करने के लिये वैध आधार देना बेहतर है।
- इसके अलावा विकास और शासन की कमी जैसी मूलभूत समस्याओं जैसे- सत्ता का संकेंद्रण, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता आदि का समाधान किया जाना चाहिये।

नोट :

एथिक्स

गैसलाइटिंग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिका के सबसे पुराने शब्दकोश (डिक्शनरी) प्रकाशक मेरियम-वेबस्टर ने "गैसलाइटिंग" को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है।

- कंपनी के अनुसार, 2022 में इस शब्द के लिये वेबसाइट पर सर्चिंग में 1,740% की वृद्धि हुई है।

गैसलाइटिंग

- परिचय:
  - मेरियम-वेबस्टर डिक्शनरी गैसलाइटिंग को "सामान्यत: समय के साथ किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक बदलाव के रूप में परिभाषित करती है, जो पीड़ित को अपने ही विचारों, वास्तविकता की धारणा या यादों की वैधता पर सवाल उठाने का कारण बनती है और सामान्य तौर पर भ्रम, आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की हानि, किसी की भावनात्मक या मानसिक स्थिरता की अनिश्चितता की ओर ले जाती है।
  - गैसलाइटिंग में दुर्व्यवहार करने वाले और जिस व्यक्ति के साथ वे गैसलाइटिंग कर रहे हैं, के बीच शक्ति का असंतुलन शामिल है।
    - दुर्व्यवहार करने वाले अक्सर लिंग, कामुकता, नस्ल, राष्ट्रीयता और/या वर्ग से संबंधित रूढ़िवादिता या कमज़ोरियों का फायदा उठाते हैं।
- शब्द का उद्भव:
  - "गैसलाइटिंग" शब्द पैट्रिक हैमिल्टन द्वारा वर्ष 1938 के नाटक "गैस लाइट" के शीर्षक से आया है, यह उस नाटक पर आधारित फिल्म है, जिसके कथानक में एक व्यक्ति शामिल है जो अपनी पत्नी को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करता है कि वह पागल हो रही है।
- मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:
  - गैसलाइटिंग का मतलब अनिश्चितता और आत्म-संदेह को बढ़ावा देना है, जो अक्सर पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होता है।
    - गैसलाइटिंग से पीड़ित चिंता, अवसाद, भटकाव, कम आत्मसम्मान का अनुभव कर सकता है।

गैसलाइटिंग के कुछ सामान्य संकेत

- "गोधूलि क्षेत्र (Twilight Zone)" प्रभाव:
  - गैसलाइटिंग से पीड़ित अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि यह उनके जीवन के बाकी हिस्सों से अलग स्थिति में हो रहा है।
  - इसके संदर्भ में बताया जा रहा है कि पीड़ित ऐसी स्थिति में अतिशयोक्ति या दिखावा करता है।
  - किसी के साथ संवाद करने के बाद स्वयं को भ्रमित और शक्तिहीन महसूस करना।
- आइसोलेशन (Isolation):
  - कई गैसलाइटर्स पीड़ितों को मित्रों, परिवार और अन्य सहायता नेटवर्क से अलग करने का प्रयास करते हैं।
- टोन पॉलिसिंग (Tone Policing):
  - यदि कोई व्यक्ति उन्हें किसी बात पर चुनौती देता है तो एक गैसलाइटर लहज़े की आलोचना कर सकता है। यह एक युक्ति है जिसका उपयोग स्क्रिप्ट को बदलने के लिये किया जाता है और उन्हें यह महसूस कराया जाता है कि गाली देने वाले के बजाय वे ही दोषी हैं।
- आक्रामक-शांत व्यवहार का एक चक्र:
  - पीड़ित को असंतुलित करने के लिये एक ही संवाद के दौरान गैसलाइटर वैकल्पिक रूप से मौखिक दुर्व्यवहार और प्रशंसा दोनों कर सकता है।

वर्तमान में गैसलाइटिंग का महत्त्व:

- गलत सूचना का गैसलाइटिंग:
  - " फेक न्यूज़," साजिश के सिद्धांतों, ट्विटर ट्रोल और डीपफेक की गलत सूचना के इस युग में, गैसलाइटिंग आधुनिक समय के लिये एक शब्द के रूप में उभरा है।
- गैसलाइटिंग और लिंग:
  - चिकित्सा में गैसलाइटिंग:
    - कुछ महिलाओं को उनके डॉक्टरों द्वारा गैसलाइट किया जाता है, जो इस रूढ़िवादिता का उपयोग कर सकते हैं कि महिलाएँ तर्कहीन हैं और एक महिला रोगी को बताते हैं कि वास्तव में उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है।
  - सार्वजनिक या सामूहिक गैसलाइटिंग:
    - कई महिलाएँ सार्वजनिक गैसलाइटिंग के प्रभावों का अनुभव करती हैं, जिसे सामूहिक गैसलाइटिंग भी कहा जाता है, जब किसी सार्वजनिक हस्ती या एक सामान्य

नोट :

व्यक्ति के बयान जो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जाता है, सामूहिक रूप से महिलाओं को स्वयं दूसरे अनुमान लगाने के लिये प्रेरित कर सकता है।

- ट्रांसजेंडर लोगों की गैसलाइटिंग:
  - एक गैसलाइटर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर सकता है कि उन्हें मानसिक स्वास्थ्य विकार है।
- कानूनी प्रणाली में गैसलाइटिंग:
  - कानूनी प्रणाली गैसलाइटिंग का एक महत्त्वपूर्ण स्थल बन जाती है जब दुर्व्यवहार करने वाले महिलाओं के बारे में तर्कहीन और आक्रामक रूप में रूढ़िवादिता पर चित्रण और 'फ्लिप' कहानियों पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं।

- गैसलाइटिंग और नस्ल:
  - वह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया जो विरोध करने वालों को पथभ्रष्ट करके श्वेतों की वर्चस्ववादी वास्तविकता को सामान्य रूप से बनाए रखती है, गैसलाइटिंग और नस्ल का प्रमुख उदाहरण है।
- कार्यक्षेत्र में गैसलाइटिंग:
  - कोई व्यक्ति गैसलाइटिंग का शिकार हो सकता है यदि ऊँचे पद पर आसीन किसी व्यक्ति की वजह से अन्य को अपनी क्षमता पर संदेह हो रहा है जो उसके आत्मविश्वास को नुकसान पहुँचाता है।
- राजनीति में गैसलाइटिंग:
  - आजकल, किसी राजनेता या राजनीतिक संगठन के लिये सार्वजनिक बातचीत को विषय से भटकाने और किसी विशेष दृष्टिकोण के पक्ष में या उसके खिलाफ राय में हेरफेर करने की रणनीति के रूप में गैसलाइटिंग का उपयोग करना सामान्य बात है।

दृष्टि The Vision

नोट :

प्रिलिम्स फैक्ट्स

ज़ॉम्बी वायरस

यूरोपीय शोधकर्त्ताओं द्वारा रूस में एक जमी हुई झील के नीचे से 48,500 वर्ष पुराने 'ज़ॉम्बी वायरस' के पुनर्जीवित होने और उसके संक्रमण से होने वाली महामारी की संभावना पर चिंता जताई गई है।

- शोधकर्त्ताओं ने चेतावनी दी कि आर्कटिक में स्थायी रूप से स्थाई तुषार भूमि (पर्माफ्रॉस्ट) का जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण पिघलना एक नया सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा पैदा कर सकता है।

ज़ॉम्बी वायरस

- परिचय:
  - 13 नए रोगजनकों(पथोजेन) की पहचान की गई है, जिन्हें 'ज़ॉम्बी वायरस' कहा जाता है, जो पर्माफ्रॉस्ट में कई सहस्राब्दी पुराने होने के बावजूद संक्रामक बने रहे।
  - वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण हुए पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने के परिणामस्वरूप यह अस्तित्व में आया।
  - नया वैरिएंट 13 वायरसों में से एक है, जिनमें से प्रत्येक का अपना जीनोम है।
    - पौराणिक चरित्र पेंडोरा के बाद सबसे पुराना डब्ड पैंडोरावायरस येडोमा 48,500 वर्ष पुराना था, यह जमे हुए वायरस के लिये ऐसी अवधि है जब वह पुन: अन्य जीवों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है।
  - इसने वर्ष 2013 में साइबेरिया में इसी टीम द्वारा खोजे गए 30,000 वर्ष पुराने वायरस द्वारा के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
- कारण:
  - उत्तरी गोलार्द्ध का एक-चौथाई हिस्सा स्थायी रूप से पर्माफ्रॉस्ट से घिरा हुआ है, जिसे पर्माफ्रॉस्ट कहा जाता है।
  - ग्लोबल वार्मिंग के कारण, अपरिवर्तनीय रूप से पिघलने वाले पर्माफ्रॉस्ट से एक मिलियन वर्षों तक जमे हुए कार्बनिक पदार्थ निकल रहे हैं, जिनमें से अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में विघटित हो जाते हैं, जिससे ग्रीनहाउस प्रभाव और बढ़ जाता है।
  - इस कार्बनिक पदार्थ के हिस्से में पुनर्जीवित सेलुलर रोगाणु (प्रोकैरियोट्स, एककोशिकीय यूकेरियोट्स) के साथ-साथ वायरस भी शामिल हैं जो प्रागैतिहासिक काल से निष्क्रिय रहे है।
- संभावित प्रभाव:
  - सभी 'ज़ॉम्बी वायरस' में संक्रामक होने की क्षमता होती है तथा यह "स्वास्थ्य के लिये खतरनाक"" होता है।
  - ऐसा माना जाता है कि भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारियाँ और अधिक आम हो जाएँगी क्योंकि पर्माफ्रॉस्ट पिघलने से माइक्रोबियल कैप्टन अमेरिका जैसे लंबे समय तक निष्क्रिय रहने वाले वायरस फैलते हैं।

भारत का पहला निजी अंतरिक्ष यान लॉन्चपैड

हाल ही में चेन्नई स्थित अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमॉस ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (Satish Dhawan Space Centre- SDSC) में भारत के पहले निजी अंतरिक्ष यान लॉन्चपैड का उद्घाटन किया।

- इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) तथा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र (Indian National Space Promotion and Authorization Center- IN-SPACE) की सहायता से निष्पादित किया गया था।

अग्निकुल लॉन्चपैड:

- परिचय:
  - इस लॉन्चपैड के दो भाग हैं: अग्निकुल लॉन्चपैड और अग्निकुल मिशन नियंत्रण केंद्र, जो एक दूसरे से चार किलोमीटर दूर हैं।
  - लिक्विड स्टेज-कंट्रोल्ड लॉन्च को इस लॉन्चपैड द्वारा पूरा किया जा सकता है।
  - अग्निकुल कॉसमॉस इस लॉन्चपैड से अपने अग्निबाण रॉकेट को लॉन्च करने की योजना बना रहा है।
- महत्त्व:
  - यह लॉन्चपैड विशेष रूप से लॉन्च के दौरान प्रमुख उड़ान सुरक्षा मापदंडों की निगरानी के लिये ISRO की रेंज ऑपरेशंस टीम की आवश्यकता को पूरा करने हेतु बनाया गया है।
  - इसके अतिरिक्त, इसमें इसरो के मिशन नियंत्रण केंद्र के साथ डेटा और अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी साझा करने की क्षमता है।

अग्निबाण:

- अग्निबाण दो चरणों वाला एक प्रक्षेपण यान है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 700 किलोमीटर की निचली पृथ्वी की कक्षा में 100 किलोग्राम तक के पेलोड ले जाने में सक्षम है।
- यह कंपनी के 3डी-प्रिंटेड अग्निलेट इंजन द्वारा संचालित होगी।
  - अग्निलेट दुनिया का पहला 3-डी प्रिंटेड इंजन है जिसे पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन और निर्मित किया गया है तथा वर्ष 2021

नोट :

की शुरुआत में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, जिससे अग्निकुल ISRO में अपने इंजनों का परीक्षण करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई।
  - अग्निलेट रॉकेट एक "सेमी-क्रायोजेनिक" इंजन है जो खुद को आगे बढ़ाने के लिये सुपरकोल्ड तरल ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करता है।
- यह इंजन बहुत जटिल है और यह बहुत उच्च तापमान पर कार्य करता है।

बिंटूरोंग

मणिपुर के उखरूल शहर में पुलिस और वन अधिकारी जंगली जानवरों (मृत या जीवित) जैसे बिंटुरोंग को रैफल ड्रॉ (लॉटरी जिसमें ईनाम में पैसे के बजाय वस्तु प्रदान की जाती हैं।) के लिये ईनाम के रूप में दिये जाने की खबरों के बाद "जुए के अड्डों" की जाँच कर रहे हैं।

- नगालैंड का राजकीय पक्षी बेलीथ ट्रैगोपन है।

बिंटूरोंग

- परिचय:
  - बिंटूरोंग, (Arctictis binturong), जिसे भालू बिल्ली या बिल्ली भालू भी कहा जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में पाए जाने वाले सिवेट परिवार (Viverridae) के बिल्ली के समान सर्वाहारी जंतु है।
  - इसके लंबे बिखरे बाल, गुच्छेदार कान और एक लंबी, झाड़ीदार पूँछ होती है। पूँछ आम तौर पर काले रंग की होती है जिसमें कुछ सफेद बाल होते हैं।।
  - बिंटूरोंग मुख्य रूप से निशाचर(रात में घूमने-फिरने वाले) और क्रेपसकुलर (जो सांध्य के दौरान सक्रिय) होते हैं।
  - यह अक्सर पेड़ों पर पाया जाता है और इसकी झाड़दार पूँछ चढ़ाई में इसकी सहायता करता हैं। यह मुख्यत: अंजीर खाता है, लेकिन अंडे और छोटे जानवर भी खाता है।
  - कुछ क्षेत्रों में बिंटूरोंग को बड़े प्यार से पाला भी जाता है।
- वितरण:
  - यह नेपाल, भारत और भूटान से लेकर दक्षिण की ओर सुमात्रा तथा जावा के इंडोनेशियाई द्वीपों एवं पूर्व की ओर बोर्नियो तक पाए जाते है।
- संरक्षण:
  - IUCN रेड लिस्ट: संकटग्रस्त
  - CITES सूची: परिशिष्ट III
  - भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I

ब्लीथ ट्रैगोपन :

- वितरण:
  - भूटान, चीन, भारत, म्याँमार

राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022

हाल ही में टेबल टेनिस के दिग्गज अचंता शरथ कमल को राष्ट्रमंडल खेलों, 2022 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 के हिस्से के रूप में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- अन्य पुरस्कारों में द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेलों में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिये ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के साथ-साथ तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार:
  - यह पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था। यह चार वर्ष की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में

नोट :

शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है।
  - इसमें 25 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक पदक और सम्मान पत्र दिया जाता है।
- खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 1991-1992 में स्थापित किया गया था और इसके पहले प्राप्तकर्त्ता शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे।

- अर्जुन पुरस्कार:
  - यह वर्ष 1961 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि की पहचान करने के लिये स्थापित किया गया था।
  - यह विगत चार वर्षों की अवधि में अच्छा प्रदर्शन और नेतृत्त्व करने, खेल कौशल और अनुशासन की भावना दर्शाने हेतु दिया जाता है।
  - इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक सम्मान पत्र दिया जाता है।
- द्रोणाचार्य पुरस्कार:
  - यह वर्ष 1985 में भारत सरकार द्वारा खेल संबंधी प्रशिक्षण में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिये स्थापित किया गया था।
  - यह प्रशिक्षकों को निरंतर आधार पर उत्कृष्ट और मेधावी कार्य करने तथा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिये दिया जाता है।
  - इसमें 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा और एक सम्मान पत्र दिया जाता है।
- ध्यानचंद पुरस्कार:
  - यह वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था और इसके अंतर्गत ध्यानचंद की एक प्रतिमा, 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक समारोहिक पोशाक शामिल है।
  - यह खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान देने और सेवानिवृत्ति के बाद खेल आयोजनों को प्रोत्साहित करने वालों को सम्मानित करने के लिये दिया जाता है।
- मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी:
  - यह वर्ष 1956-1957 में स्थापित की गई थी।
  - यह विश्वविद्यालय स्तर के खेल प्रदर्शन के लिये है।
  - यह विगत एक वर्ष की अवधि में "अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन" के लिये विश्वविद्यालय को दी जाती है।
- राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार:
  - यह पुरस्कार कॉर्पोरेट संस्थाओं (निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में), खेल नियंत्रण बोर्डों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकायों सहित गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने खेल को प्रोत्साहित करने और विकसित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार:
  - यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एडवेंचर के क्षेत्र में संबंधित व्यक्तियों की उल्लेखनीय उपलब्धियों को सराहने, युवाओं को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में धीरज, जोखिम लेने, सहकारी टीम वर्क और तुरंत, सक्षम एवं प्रभावकारी कदम उठाने की भावना विकसित करने और युवा लोगों को साहसिक गतिविधियों या कार्यों में शामिल होने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु दिया जाता हैं।

नगालैंड राज्य दिवस

हाल ही में नगालैंड ने 1 दिसंबर, 2022 को अपना 60वाँ स्थापना दिवस मनाया है।

- नगालैंड राज्य दिवस भी नगालैंड में हॉर्नबिल उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है।

नगालैंड:

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
  - वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद 'नगा' क्षेत्र प्रारंभ में असम का हिस्सा बना रहा। हालाँकि मज़बूत राष्ट्रवादी आंदोलन ने नगा जनजातियों के राजनीतिक संघ की मांग को बढ़ावा दिया और कुछ चरमपंथियों ने भारतीय संघ से पूरी तरह से अलग होने की मांग की।

नोट :

- वर्ष 1957 में असम के 'नगा हिल्स क्षेत्र' और उत्तर-पूर्व में 'तुएनसांग फ्रंटियर' डिवीज़न को भारत सरकार द्वारा सीधे प्रशासित एक इकाई के तहत एक साथ लाया गया था।
  - वर्ष 1960 में यह तय किया गया कि नगालैंड को भारतीय संघ का एक घटक राज्य बनना चाहिये। नगालैंड ने वर्ष 1963 में राज्य का दर्जा हासिल किया और वर्ष 1964 में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार ने इसकी सत्ता संभाली।

- भौगोलिक अवस्थिति:
  - यह पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर एवं पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम में असम और पूर्व में म्याँमार (बर्मा) से घिरा है। राज्य की राजधानी 'कोहिमा' है, जो नगालैंड के दक्षिणी भाग में स्थित है।
  - नगालैंड की जलवायु 'मानसूनी' (आर्द्र और शुष्क) है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 70 से 100 इंच के बीच है और यह दक्षिण-पश्चिम मानसून (मई से सितंबर) के महीनों में होती है।
- जैव विविधता:
  - वनस्पति: नगालैंड के लगभग एक-छठे हिस्से में वन हैं। 4,000 फीट से नीचे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मौजूद हैं, जिनमें ताड़, रतन और बाँस के साथ-साथ मूल्यवान लकड़ियों की प्रजातियाँ शामिल हैं। शंकुधारी वन अधिक ऊँचाई पर पाए जाते हैं। 'झूम' खेती (स्थानांतरण खेती) हेतु साफ किये गए क्षेत्रों में घास, नरकट और झाड़ीदार जंगल भी पाए जाते हैं।
  - जीव: हाथी, बाघ, तेंदुए, भालू, कई प्रकार के बंदर, सांभर, हिरण, भैंस, जंगली बैल और गैंडा निचली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। राज्य में साही, पैंगोलिन, जंगली कुत्ते, लोमड़ी, सिवेट बिल्लियाँ और नेवले भी पाए जाते हैं।
    - मिथुन (ग्याल) नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है।
    - 'ब्लीथ ट्रैगोपन' नगालैंड का राज्य पक्षी है।
- जनजाति:
  - 'कोन्याक' यहाँ सबसे बड़ी जनजाति हैं, इसके बाद आओस, तांगखुल, सेमास और अंगमी आते हैं।
  - अन्य जनजातियों में लोथा, संगतम, फॉम, चांग, खिम हंगामा, यिमचुंगर, ज़ेलिआंग, चाखेसांग (चोकरी) और रेंगमा शामिल हैं।
- अर्थव्यवस्था:
  - कृषि क्षेत्र, राज्य की आबादी के लगभग नौवें-दसवें हिस्से को रोज़गार प्रदान करता है। चावल, मक्का, छोटी बाजरा, दालें (फलियाँ), तिलहन, फाइबर, गन्ना, आलू और तंबाकू प्रमुख फसलें हैं।
  - हालाँकि नगालैंड को अभी भी पड़ोसी राज्यों से भोजन के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।
- नगालैंड में संरक्षित क्षेत्र:
  - इन्तानकी राष्ट्रीय उद्यान
  - सिंगफन वन्य जीव अभ्यारण
  - पुली बडज़े वन्यजीव अभयारण्य
  - फकीम वन्यजीव अभयारण्य
- प्रमुख महोत्सव:
  - 'हॉर्नबिल महोत्सव' प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक नगालैंड में आयोजित होने वाला उत्सव है।
  - इस त्योहार का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है जो नगाओं के लिये सबसे पूजनीय और प्रिय पक्षी है।
  - इस त्योहार का महत्त्व इस तथ्य में निहित है कि यह एक प्राचीन त्योहार नहीं है और इसे वर्ष 2000 में नगालैंड को पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाने हेतु शुरू किया गया था।

हॉर्नबिल

- परिचय: हॉर्नबिल (बुसेरोटिडे परिवार) उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अफ्रीका तथा एशिया में पाए जाने वाले पक्षियों का एक परिवार है।
- भारत में: भारत में हॉर्नबिल की नौ प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
  - पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत के भीतर हॉर्नबिल प्रजातियों की विविधता सबसे अधिक है।
  - वे पूर्वोत्तर में कुछ जातीय समुदायों के विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के 'न्याशी' समुदाय का सांस्कृतिक प्रतीक हैं।
  - नगालैंड में मनाए जाने वाले 'हॉर्नबिल उत्सव' का नाम 'हॉर्नबिल' पक्षी के नाम पर रखा गया है। यह नगाओं के लिये सबसे सम्मानित और प्रशंसित पक्षी है।
- खतरे
  - हॉर्नबिल का शिकार उनके 'कास्क' (ऊपरी चोंच) और उनके पंखों के लिये किया जाता है। उनके माँस और उनके शरीर के अंगों के औषधीय महत्त्व के चलते भी उनका अवैध शिकार किया जाता है।
    - असली 'हॉर्नबिल कास्क' के बजाय हेडगियर के लिये फाइबर-ग्लास चोंच के उपयोग को बढ़ावा देने वाले एक संरक्षण कार्यक्रम ने इस खतरे को कम करने में मदद की है।
  - ऐसे वृक्षों, जहाँ हॉर्नबिल पक्षी घोंसला बनाते हैं, की अवैध कटाई से उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं।

नोट :

भारत में हॉर्नबिल की 9 प्रजातियाँ

द ग्रेट हॉर्नबिल

- आवास: पश्चिमी घाट और हिमालय। यह भारत में पाई जाने वाली हॉर्नबिल की सभी प्रजातियों में सबसे बड़ा है तथा अरुणाचल प्रदेश व केरल का राजकीय पक्षी भी है।
- IUCN रेडलिस्ट: सुभेद्य (Vulnerable)
- CITES: परिशिष्ट I
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972: अनुसूची I

रफस-नेक्ड हॉर्नबिल

- आवास: यह भारत की सबसे उत्तरी सीमा तक पाया जाता है। संपूर्ण उत्तर-पूर्वी भारत से लेकर पश्चिम बंगाल में महानंदा वन्यजीव अभयारण्य तक ये पाए जाते हैं।
- IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य (Vulnerable)
- CITES: परिशिष्ट I

रेथ्ड हॉर्नबिल

- आवास: उत्तर-पूर्वी भारत.
- IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य (Vulnerable)
- CITES: परिशिष्ट II

नारकोंडम हॉर्नबिल

- आवास: अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के नारकोंडम द्वीप के स्थानिक
- IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य (Vulnerable)
- CITES: परिशिष्ट II
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972: अनुसूची I

मालाबार पाइड हॉर्नबिल

- आवास: भारत और श्रीलंका में सदाबहार और नम पर्णपाती वन।
- IUCN रेड लिस्ट: संकट-निकट (Near Threatened)
- CITES: परिशिष्ट II

ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल

- आवास: उपोष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय नम तराई वन।
- IUCN रेड लिस्ट: कम चिंतनीय (Least Concern)
- CITES: परिशिष्ट II

ऑस्टेंस ब्राउन हॉर्नबिल

- आवास: उत्तर पूर्व भारत के वन, मुख्य रूप से नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश में।
- IUCN रेड लिस्ट: संकट-निकट (Near Threatened)
- CITES: N/A

मालाबार ग्रे हॉर्नबिल

- आवास: पश्चिमी घात
- IUCN रेडलिस्ट: कम चिंतनीय
- CITES: N/A

नोट :

इंडियन ग्रे हॉर्नबिल

- आवास: दक्षिणी हिमालय की तलहटी
- IUCN रेड लिस्ट: कम चिंतनीय (Least Concern)
- CITES: N/A

एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) MK-III स्क्वाड्रन

हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK-III स्क्वाड्रन को चेन्नई मंश कमीशन किया गया है।

ALH स्क्वाड्रन:

- परिचय:
  - हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा स्वदेश निर्मित ALH MK-III हेलीकॉप्टरों में अत्याधुनिक उपकरण शामिल हैं।
  - इसमें उन्नत रडार के साथ-साथ इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर, शक्ति इंजन, पूर्ण ग्लास कॉकपिट, उच्च तीव्रता वाली सर्चलाइट, उन्नत संचार प्रणाली, स्वचालित पहचान प्रणाली के साथ-साथ खोज और बचाव होमर शामिल हैं।
  - यह सुविधा हेलीकॉप्टर को समुद्री टोह लेने के साथ-साथ दिन और रात दोनों जहाज़ों के विस्तारित रेंज के माध्यम से खोज और बचाव करने में सक्षम है।
- भूमिका:
  - विमान में गंभीर रूप से बीमार रोगियों के स्थानांतरण की सुविधा के लिये एक चिकित्सा गहन देखभाल इकाई ले जाने वाले एक सॉफ्ट उपकरण के साथ ही एक आक्रामक भूमिका में बदलने की क्षमता है।
  - स्क्वाड्रन तमिलनाडु और आंध्र क्षेत्र के सुरक्षा संवेदनशील जल क्षेत्र में भारतीय तटरक्षक बल की क्षमताओं को एक बड़ा प्रोत्साहन देगा।

अग्नि योद्धा अभ्यास का 12वाँ संस्करण

सिंगापुर एवं भारतीय सेना के बीच महाराष्ट्र के फील्ड फायरिंग रेंज में द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि योद्धा के 12वें संस्करण का समापन हुआ।

अग्नि योद्धा अभ्यास:

- अभ्यास अग्नि योद्धा के अंतर्गत दोनों देशों के सेनाओं द्वारा आर्टिलरी शाखा द्वारा नई पीढ़ी के उपकरणों का उपयोग करते हुए संयुक्त रूप से मारक क्षमता नियोजन का प्रदर्शन एवं निष्पादन किया गया।
- इस अभ्यास के अंतर्गत संयुक्त योजना निर्माण के तहत संयुक्त रूप से कंप्यूटर वॉरगेम में दोनों पक्षों द्वारा भागीदारी का भी प्रदर्शन किया गया।
- आर्टिलरी में आधुनिक रुझानों और बेहतर आर्टिलरी योजना प्रक्रिया के विषय पर दोनों देशों के बीच विशेषज्ञ अकादमिक चर्चा का भी आयोजन किया गया।

नोट :

- इस अभ्यास ने ड्रिल्स व प्रक्रियाओं की आपसी समझ बढ़ाने और दोनों सेनाओं के बीच पारस्परिकता को बेहतर करने में योगदान किया।

भारत और सिंगापुर के बीच अन्य अभ्यास:

- बोल्ड कुरुक्षेत्र (सेना)
- संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण (वायु सेना)
- त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास SIMTEX (थाईलैंड के साथ)

डिजियात्रा

हाल ही में सरकार ने हवाई यात्रा को और सुलभ बनाने हेतु चुनिंदा हवाई अड्डों पर पेपरलेस एंट्री की शुरुआत की है।

- पहले चरण में यह पहल सात हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी, जिसमे पहले तीन हवाई अड्डे - दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी के होंगे। इसके बाद मार्च 2023 तक हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा हवाई अड्डों को शामिल किया जाएगा।
- इसके बाद इस तकनीक का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा।

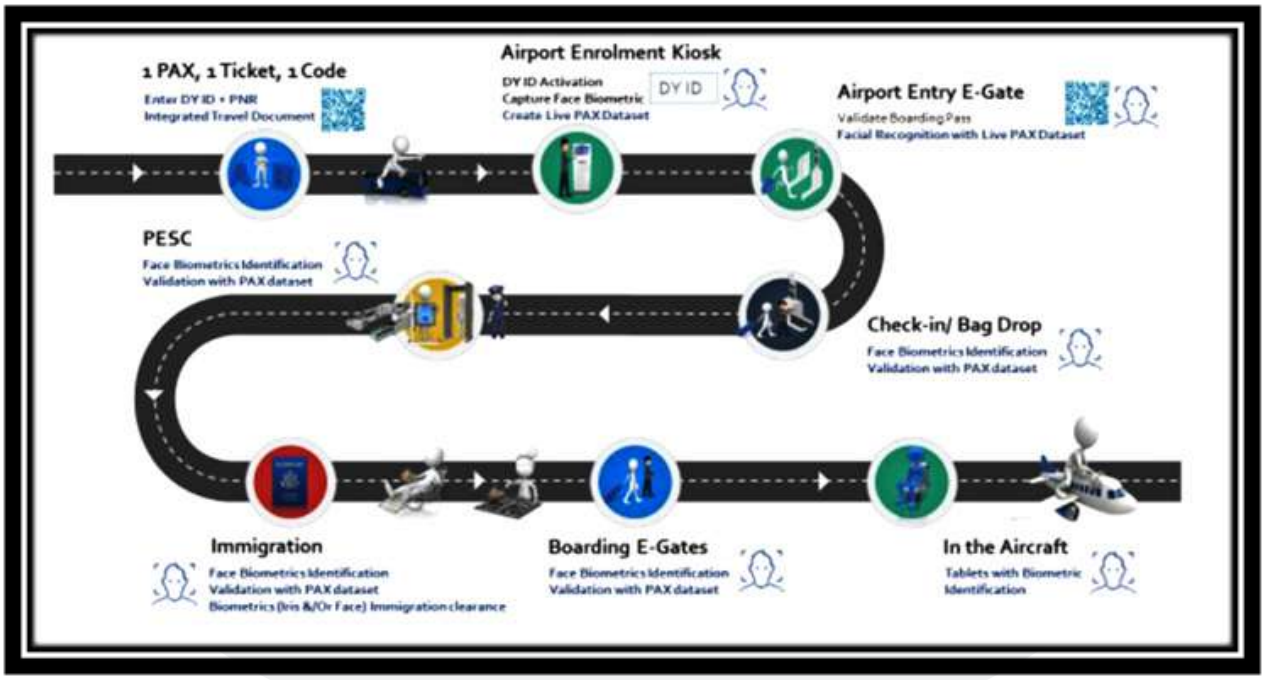

डिजियात्रा:

- परिचय:
  - डिजियात्रा एक परिकल्पना है जिसके तहत यात्री अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिये चेहरे(फेसिअल फीचर्स) का उपयोग करते हुए पेपरलेस और संपर्क रहित (कॉन्टैक्टलेस) प्रक्रिया के माध्यम से हवाई अड्डे पर विभिन्न चेकपॉइंट्स से गुजरते हैं जो उनके बोर्डिंग पास से जुड़ा(लिंक्ड) होगा।
  - इस तकनीक के साथ, हवाईअड्डे, सुरक्षा जाँच क्षेत्रों, विमान बोर्डिंग आदि में प्रवेश सहित सभी चेकपॉइंट्स पर चेहरे की पहचान प्रणाली के आधार पर यात्रियों का प्रवेश को स्वचालित रूप से किया जाएगा।
- कार्यान्वयन:
  - यह परियोजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत डिजीयात्रा फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
    - डिजीयात्रा फाउंडेशन एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसके शेयरधारक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
- महत्त्व:
  - चेहरे की पहचान तकनीक फायदेमंद है क्योंकि यह हवाईयात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाती है और हवाईअड्डों पर भीड़ कम करती है।
    - दुबई, सिंगापुर, अटलांटा और नारिता (जापान) सहित दुनिया भर के विभिन्न हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान प्रणाली ने दक्षता लाने में मदद की है। परिणामस्वरूप ये कम लागत पर संचालित होते हैं।
  - वर्तमान मैनुअल प्रक्रियाओं को डिजिटल स्वरूप प्रदान किया जाता है और बेहतर क्षमता लाने के लिये प्रयास किया जाता है
  - सुरक्षा मानकों को बढ़ाया जाएगाऔर वर्तमान सिस्टम प्रदर्शन में सुधार किया जाएगा

नोट :

- डिजीयात्रा के साथ भारत, हवाई अड्डों पर एक निर्बाध, परेशानी मुक्त और स्वास्थ्य जोखिम मुक्त प्रक्रिया के लिये एक नया वैश्विक बेंचमार्क स्थापित कर रहा है

स्वर धरोहर महोत्सव

हाल ही में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने "स्वर धरोहर फाउंडेशन" के सहयोग से कलांजलि के तहत तीन दिवसीय "स्वर धरोहर महोत्सव" का उद्घाटन किया।

- कलांजलि के तहत सेंट्रल विस्टा में प्रति सप्ताह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

स्वर धरोहर महोत्सव:

- यह भारत की प्रतिष्ठित कला एवं संस्कृति और भारतीय राज्यों की समृद्ध साहित्यिक कला तथा विरासत को प्रदर्शित करने हेतु संगीत, कला और साहित्य महोत्सव है।
- इस कार्यक्रम में आने वाले स्थानीय कलाकार बड़े एवं प्रसिद्ध कलाकारों के साथ एक ही मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
- इसमें कवि सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रीय और स्थानीय कवि अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद

चर्चा में क्यों ?

भारत के राष्ट्रपति द्वारा 3 दिसंबर, 2022 को राष्ट्रपति भवन में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद:

- जन्म:
  - इनका जन्म 3 दिसंबर, 1884 को बिहार के सिवान ज़िले के जीरादेई में हुआ था। इनके पिता महादेव सहाय थे।
- शिक्षा:
  - उन्होंने वर्ष 1902 में प्रसिद्ध कलकत्ता प्रेसीडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया।
  - वर्ष 1915 में प्रसाद ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के विधि विभाग से मास्टर इन लॉ की परीक्षा उत्तीर्ण की और स्वर्ण पदक जीता।
  - वर्ष 1916 में उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में अपना कानूनी कॅरियर शुरू किया। उन्होंने वर्ष 1937 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की।
- स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:
  - गांधीजी के साथ संबंध:
    - जब गांधीजी स्थानीय किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिये बिहार के चंपारण ज़िले में एक तथ्यान्वेषी मिशन पर थे, तब उन्होंने डॉ. राजेंद्र प्रसाद को स्वयंसेवकों के साथ चंपारण आने का आह्वान किया।
    - गांधीजी के प्रभाव ने उनके कई विचारों को परिवर्तित किया, सबसे महत्त्वपूर्ण जाति और अस्पृश्यता संबंधी विचार था।
    - चंपारण सत्याग्रह के दौरान वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए इसके उपरांत उनका संपूर्ण जीवनदर्शन ही बदल गया।
    - वर्ष 1918 के रॉलेट एक्ट और वर्ष 1919 के जलियाँवाला बाग हत्याकांड ने राजेंद्र प्रसाद को गांधीजी के और करीब ला दिया।
  - असहयोग का आह्वान:
    - डॉ. प्रसाद ने गांधीजी के असहयोग आंदोलन के तहत बिहार में असहयोग का आह्वान किया।
  - नेशनल कॉलेज:
    - उन्होंने अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी और वर्ष 1921 में पटना में एक नेशनल कॉलेज शुरु किया।
  - नमक सत्याग्रह:
    - मार्च 1930 में, गांधीजी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। डॉ. प्रसाद के नेतृत्त्व में बिहार के नखास तालाब में नमक सत्याग्रह चलाया गया।
    - नमक बनाते समय स्वयंसेवकों के अनेक दलों की गिरफ्तारी हुई। तब उन्होंने और स्वयंसेवकों को बुलाया।
    - जनमत ने सरकार को पुलिस को वापस लेने और स्वयंसेवकों को नमक बनाने की अनुमति देने के लिये मज़बूर किया।
    - इसके बाद उन्होंने फंड जुटाने के लिये तैयार किये गए नमक बेच दिया था। उन्हें छह महीने के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी।

नोट :

- डॉ. प्रसाद और भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस:
  - वह आधिकारिक तौर पर वर्ष 1911 में कलकत्ता में आयोजित अपने वार्षिक सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस में शामिल हो गए।
  - उन्होंने अक्टूबर 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता की।
  - अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष पद से के इस्तीफे के बाद वे दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए।
  - वर्ष 1946 में, वे पंडित जवाहरलाल नेहरु की अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में शामिल हुए और "अधिक अन्न उगाओ" का नारा दिया।
- डॉ. प्रसाद और संविधान सभा:
  - जुलाई 1946 में, जब भारत के संविधान को बनाने के लिये संविधान सभा की स्थापना की गई, तो उन्हें इसका अध्यक्ष चुना गया।
  - डॉ. प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की समितियों में शामिल हैं:
    - राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति
    - प्रक्रियो नियम समिति
    - वित्त और कर्मचारी समिति
    - संचालन समिति
- आजादी के ढाई साल बाद 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान की पुष्टि हुई और उन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया।
- पुरस्कार और कृतित्त्व:
  - 1962 में, राष्ट्रपति के रूप में 12 वर्ष के बाद, डॉ. प्रसाद सेवानिवृत्त हुए, और बाद में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
  - डॉ प्रसाद ने अपने जीवन और स्वतंत्रता से पहले के दशकों को कई पुस्तकों में दर्ज किया, जिनमें शामिल हैं:
    - चंपारण में सत्याग्रह
    - इंडिया डिवाइडेड
    - उनकी आत्मकथा "आत्मकथा"
    - महात्मा गांधी और बिहार, कुछ यादें
    - बापू के कदमों में
- मृत्यु:
  - डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने सेवानिवृत्ति में अपने जीवन के अंतिम कुछ महीने पटना के सदाकत आश्रम में बिताए।
  - 28 फरवरी, 1963 को उनका निधन हो गया

काज़ीरंगा परियोजना पर भारत- फ्राँस साझेदारी

भारत और फ्रॉन्स काज़ीरंगा परियोजना पर सहयोग कर रहे हैं।

- फ्रॉन्स के एजेन्स फ्रैंकाइस डी डेवेलोपेमेंट (AFD) ने वर्ष 2014-2024 के बीच 10 वर्ष साल की अवधि के लिये 80.2 मिलियन यूरो का वित्त पोषण किया है।

काज़ीरंगा परियोजना:

- काज़ीरंगा परियोजना वन और जैव विविधता संरक्षण (APFBC) इस परियोजना का एक हिस्सा है।
  - असम सरकार ने AFD के समर्थन से वर्ष 2012 में वन पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने, वन्यजीवों की रक्षा करने और वन-निर्भर समुदायों की आजीविका बढ़ाने के लिये APFBC की शुरू किया।
- इस परियोजना ने वर्ष 2024 तक 33,500 हेक्टेयर भूमि के पुनर्वनीकरण और वैकल्पिक आजीविका में 10,000 समुदाय के सदस्यों के प्रशिक्षण की अवधारणा की।

काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रमुख बिंदु:

- अवस्थिति: यह असम राज्य में स्थित है और 42,996 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है।
  - यह ब्रह्मपुत्र घाटी बाढ़ के मैदान में एकमात्र सबसे बड़ा अविभाजित और प्रतिनिधि क्षेत्र है।
- वैधानिक स्थिति:
  - इस उद्यान को वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
  - इसे वर्ष 2007 में टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय स्थिति:
  - इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था।
  - इसे बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है।
- जैव विविधता:
  - विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं।
    - गैंडो की संख्या के मामले में असम के काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद पोबितोरा (Pobitora) वन्यजीव अभयारण्य का दूसरा स्थान है, जबकि पोबितोरा अभयारण्य विश्व में गैंडों की उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला अभयारण्य है।
  - काज़ीरंगा में संरक्षण प्रयासों का अधिकांश ध्यान 'चार बड़ी ' प्रजातियों- राइनो, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई जल भैंस पर केंद्रित है।

नोट :

- वर्ष 2018 की जनगणना में 2,413 गैंडे और लगभग 1,100 हाथी थे।
- वर्ष 2014 में आयोजित बाघ जनगणना के आँकड़ों के अनुसार, काज़ीरंगा में अनुमानित 103 बाघ थे, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान (215) और कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान (120) के बाद भारत में यह तीसरी सबसे बड़ी आबादी है।

- काज़ीरंगा में भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले प्राइमेट्स की 14 प्रजातियों में से 9 का निवास भी है।

- नदियाँ और राजमार्ग:
  - इस उद्यान क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-37 गुज़रता है।
  - उद्यान में लगभग 250 से अधिक मौसमी जल निकाय (Water Bodies) हैं, इसके अलावा डिपहोलू नदी (Dipholu River) इससे होकर गुज़रती है।

जे. सी. बोस: एक सत्याग्रही वैज्ञानिक

हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने जे. सी. बोस: एक सत्याग्रही वैज्ञानिक के योगदान पर उनकी 164 वीं जयंती पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है।

जगदीश चंद्र बोस:

- परिचय:
  - इनका जन्म 30 नवंबर, 1858 को बंगाल में हुआ था। इनकी माता बामा सुंदरी बोस और पिता भगवान चंद्र थे।
  - वह एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट और भौतिक विज्ञानी थे, जिन्होंने पौधों की वृद्धि को मापने के लिये एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। उन्होंने पहली बार यह प्रदर्शित किया कि पौधों में भावनाएँ होती हैं।
- शिक्षा:
  - उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से बीएससी, जो वर्ष 1883 में लंदन विश्वविद्यालय से संबद्ध था और वर्ष 1884 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बीए (प्राकृतिक विज्ञान ट्राइपोस) किया था।
- वैज्ञानिक योगदान:
  - आचार्य जगदीश चंद्र बोस एक जीव-विज्ञानी, भौतिक विज्ञानी, वनस्पतिशास्त्री और साइंस फिक्शन के लेखक थे।
  - बोस ने वायरलेस संचार की खोज की और उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग द्वारा रेडियो साइंस का पिता के रूप में नामित किया गया।
  - वह भारत में प्रयोगात्मक विज्ञान के विस्तार के लिये उत्तरदायी थे।
  - बोस को बंगाली साइंस फिक्शन का जनक माना जाता है। उनके सम्मान में चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम रखा गया है।
  - उन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो भारत का एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है और इसके सबसे पुराने में से एक है। वर्ष 1917 में स्थापित, संस्थान एशिया में पहला अंत:विषय अनुसंधान केंद्र था। उन्होंने बोस संस्थान की स्थापना से लेकर अपनी मृत्यु तक निदेशक के रूप में कार्य किया।
  - अपने शोध को सुविधाजनक बनाने के लिये, उन्होंने स्वचालित रिकॉर्डर का निर्माण किया जो अत्यंत मामूली गति को दर्ज करने में सक्षम थे, इन उपकरणों ने कुछ आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न किये, जैसे कि घायल पौधों का काँपना, जिसे बोस ने पौधों में महसूस करने की शक्ति के रूप में व्याख्यायित किया।
- पुस्तक:
  - उनकी पुस्तकों में रिस्पांस इन द लिविंग एंड नॉन-लिविंग (1902) और द नर्वस मैकेनिज़्म ऑफ प्लांट्स (1926) शामिल हैं।
- मृत्यु:
  - उनका निधन 23 नवंबर 1937 को गिरिडीह, बिहार में हुआ।

नोट :

इंडोनेशिया का सेमेरु ज्वालामुखी

हाल ही में इंडोनेशिया के पूर्वी जावा द्वीप स्थित सेमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ।

सेमेरु ज्वालामुखी

- सेमरू- जिसे "द ग्रेट माउंटेन" के रूप में भी जाना जाता है जावा का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी शिखर है तथा सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है।
- इसमें अंतिम बार दिसंबर, 2019 में विस्फोट हुआ था।
- इंडोनेशिया में विश्व के सक्रिय ज्वालामुखियों की सर्वाधिक संख्या होने के साथ-साथ इसके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर/ परि-प्रशांत अग्नि वलय (Pacific's Ring of Fire) में अवस्थित होने के कारण यहाँ भूकंपीय उथल-पुथल का खतरा भी बना रहता है।
- सेमरू ज्वालामुखी भी सूंडा प्लेट (यूरेशियन प्लेट का हिस्सा) के नीचे स्थित इंडो-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के उप-भाग के रूप में निर्मित द्वीपीय चाप (Island Arcs) का हिस्सा है। यहाँ निर्मित गर्त सुंडा गर्त के नाम से जाना है, जावा गर्त (Java Trench) इसका प्रमुख खंड/भाग है।

पैसिफिक रिंग ऑफ फायर:

- रिंग ऑफ फायर, जिसे परि-प्रशांत अग्नि वलय (Circum-Pacific Belt) के रूप में भी जाना जाता है, सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार आने वाले भूकंपों के कारण प्रशांत महासागर में निर्मित क्षेत्र है।
- यह प्रशांत (Pacific), कोकोस (Cocos), भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई (Indian-Australian), नाज़्का (Nazca), उत्तरी अमेरिकी (North American) और फिलीपीन प्लेट्स (Philippine Plates) सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के मध्य एक सीमा का निर्धारण करती है।

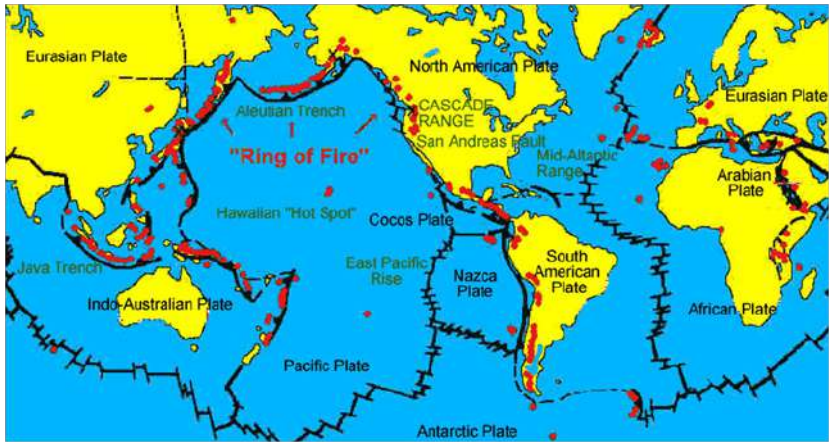

नोट :

द्वीपीय चाप:

- ये तीव्र ज्वालामुखीय और भूकंपीय गतिविधि तथा ओरोजेनिक (पर्वत-निर्माण) प्रक्रियाओं से जुड़े समुद्री द्वीपों की लंबी, घुमावदार शृंखलाएँ हैं।
  - एक द्वीपीय चाप में सामान्यत: एकभू-क्षेत्र/लैंड मास (Land Mass) या आंशिक रूप से संलग्न उथला समुद्र शामिल होता है।
  - उत्तल क्षेत्र के साथ हमेशा एक लंबी, संकीर्ण गहरी गर्त विद्यमान होती है।
  - समुद्र के इन गहरे क्षेत्रों में सबसे बड़ी एवं गहरी महासागरीय गर्त पाई जाती है जिसमें मारियाना (दुनिया की सबसे गहरी गर्त) और टोंगा गर्त शामिल हैं।
- भूगर्भिक विशेषता के इन प्रारंभिक उदाहरणों में अल्यूशियन-अलास्का गर्त (Aleutian-Alaska Arc) और क्यूराइल-कामचटका गर्त (Kuril-Kamchatka Arc) शामिल हैं।

अन्य ज्वालामुखी:

- वे जिनमे हाल ही में विस्फोट हुआ:
  - संगे ज्वालामुखी
  - ताल ज्वालामुखी: फिलीपींस
  - माउंट सिनाबुंग, मेरापी ज्वालामुखी, (इंडोनेशिया)
- भारत में ज्वालामुखी:
  - बैरन द्वीप, अंडमान द्वीप समूह (भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी)
  - नारकोंडम, अंडमान द्वीप समूह
  - बारातंग, अंडमान द्वीप समूह
  - डेक्कन ट्रैप्स, महाराष्ट्र
  - धिनोधर हिल्स, गुजरात
  - धोसी हिल, हरियाणा

अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस

वर्ष 2010 से प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है।

- डॉ. लॉरी मार्कर ने खय्याम (khayam) की याद में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के रूप में नामित किया, इस चीते को उन्होंने विंस्टन, ओरेगन में वाइल्डलाइफ सफारी में एक शावक के रूप में पाला था।

चीता

- चीता बड़ी बिल्ली प्रजातियों में सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है, जिनके पूर्वजों की उत्पत्ति पाँच मिलियन से अधिक वर्षों से मियोसीन युग में हुई थी।
- चीता दुनिया का सबसे तेज़ भूमि स्तनपायी भी है जो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है।
- दुनिया के 7,000 चीतों में से अधिकांश दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में पाए जाते हैं।
- नामीबिया में चीतों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है।
- चीता एकमात्र बड़ा माँसाहारी है जो अधिक शिकार और निवास स्थान के हानि के कारण भारत से पूरी तरह से विलुप्त हो गया है।
- हाल ही में भारत में आठ चीतों को नामीबिया से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है।

क्र.	पैरामीटर	अफ्रीकी चीता	एशियाई चीता
1.	IUCN की रेड लिस्ट	'सुभेद्य' (Vulnerable)	'अति संकटग्रस्त' (Critically Endangered).
2.	CITES की सूची	परिशिष्ट-I	परिशिष्ट-I
3.	वितरण	वन में लगभग 6,500-7,000 अफ्रीकी चीते मौजूद हैं।	केवल ईरान में 40-50 पाए जाते हैं।
4.	भौतिक विशेषताएँ	इसका आकार एशियाई चीता की तुलना में बड़ा होता है।	शरीर पर बहुत अधिक फर, छोटा सिर व लंबी गर्दन, आमतौर पर इनकी आँखें लाल होती हैं और प्राय: बिल्ली के समान दिखते हैं।
5.	चित्र		

किलोनोवा के साथ गामा रे बर्स्ट का बाइनरी मर्जर

हाल ही में, एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखी गयी जो किलोनोवा उत्सर्जन से संबंधित गामा किरण प्रस्फोट (GRB) करने वाले कॉम्पैक्ट बाइनरी ऑब्जेक्ट के टकराव से संबंधित है, इसकी वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत या पुष्टि भारत के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप (DOT) द्वारा भी की गई थी।

- GRB 50 सेकंड से अधिक समय तक चला और इसे GRB211211A के रूप में जाना गया।

नोट :

- किलोनोवा तब बनता है जब दो कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे न्यूट्रॉन स्टार और एक ब्लैक होल आपस में टकराते हैं।

गामा-किरण विस्फोट:

- परिचय:
  - गामा-किरण विस्फोट (Gamma-Ray Bursts– GRBs) बड़े पैमाने पर परंतु अत्यंत प्रकाशमान, उच्च-ऊर्जा वाले लघु गामा विकिरण हैं जो ब्रह्मांड में बड़े सितारों के टकराने या नष्ट होने पर निकलते हैं।
  - ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटनाएँ हैं, जिनकी पहचान अरबों प्रकाश-वर्ष की दूरी से भी की जा सकती है।
    - एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जब प्रकाश की किरण एक पृथ्वी वर्ष या 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की यात्रा करती है।
  - खगोलविद् उन्हें दो सेकंड से अधिक या कम समय तक चलने के आधार पर दीर्घ या लघु के रूप में वर्गीकृत करते हैं।

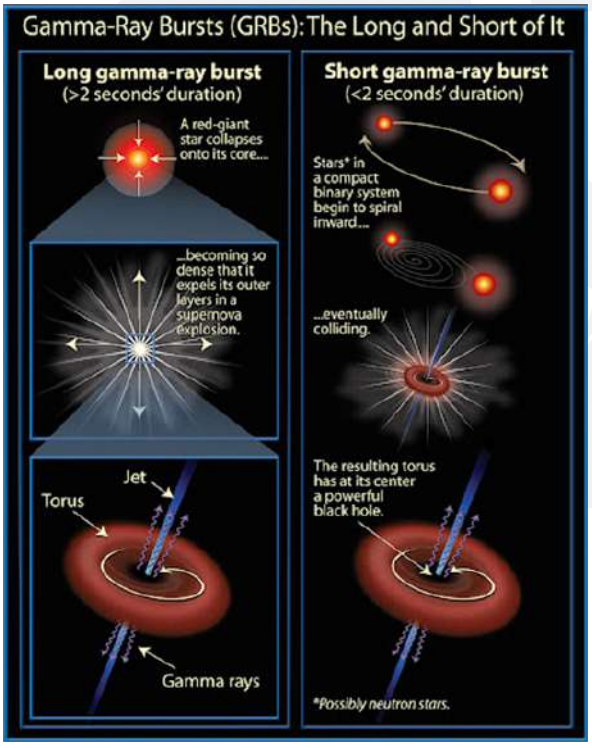

- दीर्घ GRB:
  - वे बड़े सितारों की मृत्यु के समय लंबे समय तक हुए विस्फोट का निरीक्षण करते हैं।
  - जब सूर्य से बहुत अधिक विशाल तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है, तो उसका केंद्रीय भाग (कोर) अचानक ढह जाता है और एक कृष्ण विवर (ब्लैक होल) बन जाता है।
    - ब्लैक होल्स अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे छिद्र हैं जहाँ गुरुत्व बल इतना अधिक होता है कि यहाँ से प्रकाश का पारगमन नहीं होता।
  - जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल की ओर घूमता है, उसमें से कुछ अंश दो शक्तिशाली धाराओं (जेट) के रूप में बाहर की ओर निकल जाते हैं और जो फिर विपरीत दिशाओं में लगभग प्रकाश की गति से बाहर की ओर भागते हैं।
  - खगोलविद् GRB का पता केवल तब लगा पाते हैं जब इनमें से एक प्रवाह लगभग सीधे पृथ्वी की ओर जाने का संकेत दे देता है।
  - तारे के भीतर से प्रस्फुटित प्रत्येक धारा (जेट) से गामा किरणों का एक स्पंदन उत्पन्न होता है, जो प्रकाश का ऐसा उच्चतम-ऊर्जा रूप है जो कई मिनटों तक चल सकता है।
  - विस्फोट के बाद विखंडित तारा फिर तेज़ी से एक सुपरनोवा के रूप में विस्तारित है।
    - सुपरनोवा एक विस्फोट करने वाले तारे को दिया गया नाम है जो अपने जीवन के अंत तक पहुँच गया है।
- लघु GRB:
  - लघु GRB तब बनते हैं जब संघटित (कॉम्पैक्ट) वस्तुओं के जोड़े- जैसे न्यूट्रॉन तारे, जो तारों के टूटने के दौरान भी बनते हैं- अरबों वर्षों में अंदर की ओर सर्पिल रूप में घूर्णन करते रहते हैं और आपस में टकराते हैं।
    - एक न्यूट्रॉन तारा उच्च द्रव्यमान वाले सितारों के संभावित विकासवादी चरण में अंतिम होता है।

स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क: इसरो

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) ने स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क (SpIN) के लॉन्च हेतु मल्टीस्टेज इनोवेशन क्यूरेशन तथा वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म सोशल अल्फा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

SpIN क्या है?

- परिचय:
  - SpIN बढ़ते अंतरिक्ष उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के लिये नवाचार, क्यूरेशन और उद्यम विकास हेतु भारत का पहला समर्पित मंच है।
  - स्पिन/SpIN प्लेटफॉर्म विभिन्न हितधारकों के लिये देश में अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग और योगदान करने हेतु एक समान अवसरों का सृजन करेगा।

नोट :

- SpIN अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उद्यमियों को मुख्य रूप से तीन अलग-अलग नवाचार श्रेणियों में सुविधा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा:
  - भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियाँ एवं डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोग
  - अंतरिक्ष और संचालन हेतु प्रौद्योगिकियों को सक्षम बनाना
  - एयरोस्पेस सामग्री, सेंसर और वैमानिकी/ एवियोनिक्स।
  - Aerospace Materials, Sensors, and Avionics.

- महत्त्व:
  - अभिनव प्रौद्योगिकियों से यह उम्मीद की जा रही है कि वे व्यापक स्तर पर समाज के लिये आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय लाभों को ईष्टतम करने के लिये अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के उपयोग में परिवर्तन लाने में सहायक होंगे।
- नवाचार चुनौती/इनोवेशन चैलेंज:
  - SpIN ने अपने पहले इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत सागरीय एवं भूमि परिवहन, शहरीकरण, मानचित्रण और सर्वेक्षण के क्षेत्रों में समाधान विकसित करने के लिये की है।
  - इस चैलेंज के माध्यम से चयनित स्टार्ट-अप और इनोवेटर्स प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार सोशल अल्फा और इसरो के बुनियादी ढाँचे एवं संसाधनों दोनों तक पहुँच प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
  - उन्हें उत्पाद डिज़ाइन, परीक्षण और सत्यापन बुनियादी ढाँचे और बौद्धिक संपदा प्रबंधन तक पहुँच सहित महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना

हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत अध्यन करने का अवसर प्राप्त करने वाले भारतीयों ने इस छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिये भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना

- परिचय:
  - राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह अनुसूचित जातियों, विमुक्त घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन खेतिहर मज़दूरों और पारंपरिक कारीगर श्रेणी से संबंधित कम आय वाले छात्रों को विदेश में अध्ययन करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
  - यह योजना चयनित उम्मीदवारों को स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम और अध्ययन के किसी भी क्षेत्र में सरकार अथवा उस देश के एक अधिकृत निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों में विदेशों में पीएचडी करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  - प्रत्येक चयन वर्ष में इस योजना के तहत धन की उपलब्धता के अनुरुप 125 नए पुरस्कार दिये जाएंगे।
- कार्यान्वयन एजेंसी:
  - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग।
- आरक्षण:
  - प्रत्येक वर्ष के पुरस्कारों का 30% महिला उम्मीदवारों के लिये निर्धारित किया जाता है।
- पात्रता:
  - योग्यता परीक्षा में कम से कम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड।

सार्क मुद्रा विनिमय ढाँचा

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (Maldives Monetary Authority-MMA) को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा तक विस्तार करने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

मुद्रा विनिमय ढाँचा:

- करेंसी स्वैप अथवा मुद्रा विनिमय का आशय दो देशों के बीच पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं के आदान-प्रदान हेतु किये गए समझौते या अनुबंध से है।
- वर्तमान संदर्भ में, यह सुविधा अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं के लिये वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोत के रूप में स्वैप सुविधा प्रदान करता है।
  - वर्ष 2020 में, RBI ने श्रीलंका के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर हस्ताक्षर किये।
- जब तक कि एक स्थायी व्यवस्था नहीं की जाती है, केंद्रीय बैंक और सरकारों ने अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अथवा भुगतान संतुलन संकट से बचने के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा सुनिश्चित करने हेतु विदेशी समकक्षों के साथ मुद्रा विनिमय का निर्णय लिया है।
- इन विनिमय समझौतों में विनिमय दर या अन्य बाज़ार संबंधी जोखिमों का कोई खतरा नहीं रहता है क्योंकि लेनदेन की शर्तें अग्रिम रूप से निर्धारित होती हैं।
  - विनिमय दर जोखिम, जिसे मुद्रा जोखिम के रूप में भी जाना जाता है, का आशय विदेशी मुद्रा के विरुद्ध मूल मुद्रा के मूल्य में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिम से है।

सार्क के लिये स्वैप सुविधाओं हेतु रिज़र्व बैंक की रूपरेखा:

- सार्क मुद्रा विनिमय सुविधा 15 नवंबर, 2012 को लागू हुई थी।

नोट :

- भारतीय रिज़र्व बैंक 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र कोष के भीतर एक स्वैप व्यवस्था की पेशकश करता है।
- स्वैप व्यवस्था का उपयोग अमेरिकी डॉलर, यूरो या भारतीय रुपए में किया जा सकता है। यह रूपरेखा भारतीय रुपए में स्वैप निकासी के लिये कुछ रियायत भी प्रदान करती है।
- यह सुविधा सभी सार्क सदस्य देशों के लिये उपलब्ध होगी, बशर्ते उन्हें द्विपक्षीय स्वैप समझौतों पर हस्ताक्षर करना होगा।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन

- स्थापना: दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (The South Asian Association for Regional Cooperation-SAARC) की स्थापना 8 दिसंबर,1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी।
- सदस्य देश: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान,श्रीलंका
- सचिवालय: काठमांडू (नेपाल)
- उद्देश्य: इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेज़ी लाना और सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना तथा उनकी क्षमताओं का आकलन करना।

तीन हिमालयी औषधीय पौधे IUCN रेड लिस्ट में शामिल

चर्चा में क्यों ?

हिमालय में पाए जाने वाली तीन औषधीय पादप प्रजातियों (मेइज़ोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलारिया सिरोहोसा, डैक्टाइलोरिज़ा हैटागिरिया) को हाल ही में हुए मूल्यांकन के बाद संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है।

- हिमालयी क्षेत्र में किया गया आकलन दर्शाता है कि वनोन्मूलन , निवास स्थान का नुकसान, वनाग्नि, अवैध व्यापार और जलवायु परिवर्तन कई प्रजातियों के लिये एक गंभीर खतरा हैं। नवीनतम आँकड़ों से इस क्षेत्र में संरक्षण संबंधी प्रयास किये जाने की उम्मीद है।

इन प्रजातियों की मुख्य विशेषताएँ ?

- मेइज़ोट्रोपिस पेलिट (Meizotropis pellita):

  - परिचय:
    - इसे आमतौर पर पटवा के रूप में जाना जाता है, यह वर्ष भर पाई जाने वाली झाड़ी(shrub) है जो विशेष रूप से उत्तराखंड के लिये स्थानिक है।
  - IUCN में सूचीबद्ध:
    - अध्ययन में कहा गया है कि इन प्रजातियों को उनके सीमित क्षेत्र (10 वर्ग किमी से कम) के आधार पर 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
    - वनोन्मूलन , निवास स्थान का नुकसान, वनाग्नि के कारण ये प्रजातियाँ खतरे में है।
  - महत्त्व:
    - प्रजातियों की पत्तियों से निकाले गए आवश्यक तेल में मज़बूत एंटीऑक्सिडेंट होते हैं और यह दवा उद्योगों में सिंथेटिक एंटीऑक्सिडेंट के लिये एक आशाजनक प्राकृतिक विकल्प हो सकता है।
- फ्रिटिलारिया सिरोसा:

  - परिचय:
    - इसे आमतौर पर हिमालयन फ्रिटिलरी के रूप में जाना जाता है यह एक बारहमासी बल्बनुमा जड़ी बूटी है।
  - IUCN में सूचीबद्ध:
    - गिरावट की दर, बहुत पुरानी पीढ़ी, कम अंकुरण क्षमता, उच्च व्यापार मूल्य, व्यापक कटाई दबाव और अवैध व्यापार को ध्यान में रखते हुए प्रजातियों को 'सुभेद्य' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
  - महत्त्व:
    - चीन में प्रजातियों का उपयोग ब्रोन्कियल विकारों और निमोनिया के इलाज़ के लिये किया जाता है। यह पौधा एक मज़बूत कफ निस्सारक और पारंपरिक चीनी चिकित्सा में दवाओं का स्रोत भी है।

नोट :

- डैक्टाइलोरिजा हटागिरिया (Dactylorhiza hatagirea):

- परिचय:
  - यह आमतौर पर सलामपांजा के रूप में जाना जाता है, यह हिंदूकुश और अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, नेपाल और पाकिस्तान के हिमालयी क्षेत्रों के लिये एक बारहमासी कंद प्रजाति है।
- IUCN में सूचीबद्ध:
  - यह निवास स्थान की क्षति, पशुधन चराई, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में है तथा इन प्रजातियों को 'लुप्तप्राय' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- महत्त्व:
  - पेचिश, जठरशोथ, जीर्ण ज्वर, खाँसी और पेट दर्द को ठीक करने के लिये आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और चिकित्सा की अन्य वैकल्पिक प्रणालियों में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।

वायु श्वास प्रणोदन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने एक प्रकार के एयर ब्रीदिंग इंजन, स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया है।

- भारत, स्क्रैमजेट इंजन की उड़ान का परीक्षण का प्रदर्शन करने वाला चौथा देश है।

एयर ब्रीदिंग इंजन:

- परिचय:
  - एयर ब्रीदिंग इंजन एक ऐसा इंजन है जो ईंधन जलाने के लिये अपने परिवेश से वायु ग्रहण करता है।
  - सभी व्यावहारिक एयर ब्रीदिंग इंजन, आंतरिक दहन इंजन होते हैं जो सीधे ईंधन को जलाकर वायु को गर्म करते हैं, परिणामी गर्म गैसों को प्रणोदन नोजल के माध्यम से प्रणोदन के लिये उपयोग किया जाता है।
  - एयर ब्रीदिंग इंजन के माध्यम से सतत वायु प्रवाहित होती है। हवा को संपीड़ित किया जाता है, ईंधन के साथ मिलाया जाता है, प्रज्वलित किया जाता है और निकास गैस के रूप में बाहर निकाला जाता है।
  - एक विशिष्ट वायु-श्वास इंजन द्वारा उत्पन्न बल उसके वजन से लगभग आठ गुना अधिक होता है।
    - निकास नोजल से काम कर रहे गैसों के निष्कासन से बल का परिणाम होता है।
- प्रकार:
  - रैमजेट: एक रैमजेट एयर ब्रीदिंग जेट इंजन का एक रूप है जो बिना घूर्णन कंप्रेसर के दहन से आने वाली वायु को संपीड़ित करने के एयर व्हीकल की आगे की गति का उपयोग करता है।
    - रैमजेट सुपरसोनिक गति पर सबसे अधिक कुशलता से काम करते हैं लेकिन वे हाइपरसोनिक गति पर कुशल नहीं होते हैं।
  - स्क्रैमजेट: एक स्क्रैमजेट इंजन रैमजेट इंजन पर एक सुधार है क्योंकि यह कुशलता से हाइपरसोनिक गति से संचालित होता है और सुपरसोनिक दहन की अनुमति देता है।
  - डुअल मोड रैमजेट (DMRJ): डुअल मोड रैमजेट (DMRJ) एक प्रकार का जेट इंजन है जहाँ एक रैमजेट मैक 4-8 रेंज में स्क्रैमजेट में बदल जाता है, जिसका अर्थ है कि यह सबसोनिक और सुपरसोनिक दहन मोड दोनों में कुशलता से काम कर सकता है।

गति परास	मैक नंबर	V मीटर/सेकंड में वेग
सुपरसोनिक	< 0.8	< 274
ट्रांससोनिक	0.8–1.2	274–412
सुपरसोनिक	1.2–5	412–1715
हाइपरसोनिक	5–10	1715–3430
हाई-हाइपरसोनिक	10–25	3430–8507

- महत्त्व:
  - एयर ब्रीथिंग इंजन कम लागत वाली अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली के वायु एक तकनीकी कुंजी प्रदान करता है।

नोट :

- प्रौद्योगिकी पुन: प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल को विकसित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- मूल रूप से, लॉन्च व्हीकल के कुल द्रव्यमान का 86% लॉन्च वाहन में प्रणोदक द्रव्यमान है। उस प्रणोदक में से 70% ऑक्सीकारक है।
  - ये इंजन व्हीकल में ले जाए जाने वाले प्रणोदक के लगभग 70% को कम कर सकते हैं क्योंकि ये प्रणालियाँ वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, जो पृथ्वी की सतह से 50 किमी. की ऊँचाई तक उपलब्ध है।

HAKUTO-R मून मिशन: जापान

हाल ही में, एक जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप ispace Inc ने अपने HAKUTO-R मिशन के तहत स्पेसएक्स (SpaceX) फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर M1 लॉन्च किया है।

- यह जापान और किसी निजी कंपनी द्वारा अपनी तरह का पहला चंद्र मिशन है।

मिशन के मुख्य बिंदु:

- परिचय:
  - HAKUTO-R नाम उस सफेद खरगोश को संदर्भित करता है जिसका जापानी लोककथाओं से पता चलता है कि वह चंद्रमा पर रहता है।
  - M1 लैंडर में जापान की JAXA अंतरिक्ष एजेंसी से दो रोबोटिक रोवर, दो-पहियों वाले नारंगी के आकार के उपकरण और UAE द्वारा दुबई शाही परिवार के संरक्षक 'राशिद' के नाम पर एक चार-पहिया रोवर तैनात करेगा।
    - यदि रोवर राशिद सफलतापूर्वक उतरता है, तो यह अरब दुनिया का पहला चंद्र मिशन होगा।
    - अभी तक मात्र अमेरिका, रूस और चीन ही चंद्रमा की सतह पर रोबोट पहुँचाने में सफल हुए हैं।
  - इसमें जापानी कंपनी NGK स्पार्क प्लग कंपनी द्वारा बनाई गई एक प्रयोगात्मक सॉलिड-स्टेट बैटरी भी होगी।
- विशेषताएँ:
  - इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह न्यूनतम ईंधन का उपयोग करेगा और कार्गो के लिये अधिक स्थान प्रदान करेगा।
  - यह पृथ्वी से 1.6 मिलियन किलोमीटर (दस लाख मील) की यात्रा कम गति, कम ऊर्जा वाले प्रक्षेपवक्र पर चंद्रमा की ओर कर रहा है, जहाँ यह लूपिंग रिटर्न करने के बाद अप्रैल के अंत तक पहुँच जाएगा।
- उद्देश्य:
  - इसका उद्देश्य एटलस क्रेटर में नीचे उतरने से पहले जल के भंडार की खोज करना है, जो चंद्रमा के निकट के हिस्से के उत्तरपूर्वी क्षेत्र में स्थित है और 87 किमी (54 मील) से अधिक चौड़ा एवं 2 किमी (1.2 मील) से अधिक गहरा है।
  - मिशन की सफलता जापान और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग में ऐसे समय में एक मील का पत्थर साबित होगी जब चीन तेज़ी से प्रतिस्पर्द्धी होता जा रहा है साथ ही इसके कारण अब यूक्रेन पर रूसी रॉकेट आक्रमण नहीं कर पाएंगे।
  - जापान ने नासा के साथ 2025 से चंद्रमा पर पेलोड भेजने के लिये एक अनुबंध किया है जिसका उद्देश्य 2040 तक स्थायी रूप से कर्मचारियों वाली चंद्र कॉलोनी बनाने का लक्ष्य है।

अन्य चंद्र मिशन:

- भारतीय:
  - चंद्रयान 1
  - चंद्रयान -2
  - चंद्रयान-3
- अन्य देश:
  - संयुक्त अरब अमीरात का चंद्र मिशन
  - नासा का आर्टेमिस मिशन (USA)
  - लूनर एवाक्यूसन सिस्टम
  - चांग'ई-5 मिशन (चीन)

मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना- SPEMM

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना (Scheme for Providing Quality Education to Madrasas/Minorities- SPEMM) को जारी रखने के अनुमोदन में विलंब के लिये सरकार से जवाब मांगा है।

- SPEMM मदरसों और अल्पसंख्यक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखता है।

नोट :

SPEMM के बारे में:

- क्रियान्वयन एजेंसी:
  - शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग।
- उप-योजनाएँ:
  - मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (SPQEM): इसका उद्देश्य मदरसों में ऐसा गुणात्मक सुधार लाना है कि वे मुस्लिम बच्चों को औपचारिक शिक्षा-विषयों में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्राप्त करने में सक्षम बनाने में समर्थ बन सकें।
  - अल्पसंख्यक संस्थानों के बुनियादी ढाँचे के विकास की योजना (IDMI): यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा की सुविधाएँ सुलभ कराने के लिये अल्पसंख्यक संस्थानों (प्राथमिक/माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय) में स्कूलों के बुनियादी ढाँचे को बढ़ाकर अल्पसंख्यकों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करने हेतु क्रियान्वित की गई है।
- विशेषताएँ:
  - SPQEM:
    - मदरसा और मकतब जैसे पारंपरिक संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेज़ी को शामिल करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना।
    - राज्य मदरसा बोर्डों को मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की निगरानी करने में सक्षम बनाने के लिये उनकी सहायता करके राज्य मदरसा बोर्डों को मज़बूत करना।
    - मदरसों में गुणवत्ता घटकों जैसे कि उपचारात्मक शिक्षण, मूल्यांकन और सीखने के परिणामों में वृद्धि, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान आदि की व्यवस्था करना।
  - IDMI:
    - अल्पसंख्यकों लड़कियों, विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों और शैक्षिक रूप से सबसे अधिक वंचित बच्चों के लिये शैक्षिक सुविधाओं को प्रोत्साहित करना।

नोट:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक अथवा भाषाई सभी अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
- अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों (धार्मिक या भाषायी) तक ही सीमित है और नागरिकों के किसी भी वर्ग (जैसा कि अनुच्छेद 29 के तहत) तक विस्तारित नहीं किया जा सकता।

संसदीय समितियाँ

- परिचय:
  - संसदीय समिति सांसदों का एक पैनल है जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है या अध्यक्ष/सभापति द्वारा नामित किया जाता है।
  - समिति अध्यक्ष/सभापति के निर्देशन में कार्य करती है और यह अपनी रिपोर्ट सदन या अध्यक्ष/सभापति को प्रस्तुत करती है।
  - संसदीय समितियों की उत्पत्ति ब्रिटिश संसद में हुई है।
  - उन्हें अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 के तहत अधिकार प्राप्त हैं।
    - अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है।
    - अनुच्छेद 118 संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिये नियम बनाने का अधिकार देता है।
- प्रकार:
  - स्थायी समितियाँ:
    - स्थायी समितियाँ स्थायी होती हैं (प्रत्येक वर्ष या समय-समय पर गठित) और निरंतर आधार पर काम करती हैं।
    - स्थायी समितियों को निम्नलिखित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
    - वित्तीय समितियाँ, विभागीय स्थायी समितियाँ, जाँच हेतु समितियाँ, जाँच और नियंत्रण के लिये समितियाँ, सदन के दिन-प्रतिदिन के कार्य से संबंधित समितियाँ, हाउस कीपिंग या सर्विस कमेटी।
  - तदर्थ समितियाँ:
    - जबकि तदर्थ समितियाँ अस्थायी होती हैं और उन्हें सौंपे गए कार्य के पूरा होने पर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
    - उन्हें आगे जाँच समितियों और सलाहकार समितियों में विभाजित किया गया है।
    - प्रमुख तदर्थ समितियाँ विधेयकों पर प्रवर और संयुक्त समितियाँ हैं।

डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता

चर्चा में क्यों ?

पिछले तीन वर्षों में रक्षा और वैमानिकी/एयरोस्पेस के क्षेत्र में नवाचार के लिये व्यक्तिगत और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिये डेयर टू ड्रीम की तीन प्रतियोगिताओं के तहत कुल 5,637 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

प्रतियोगिता के विषय में:

- इसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में शुरू किया गया था।
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) स्टार्ट-अप और अन्वेषकों/इनोवेटर्स को उभरती प्रौद्योगिकियों में कुछ प्रमुख चुनौतियों को हल करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है जो भारत की रक्षा और एयरोस्पेस क्षमताओं को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।

नोट :

- DRDO वर्ष 2019 से हर साल इनोवेटर्स, उद्यमियों, 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और स्टार्ट-अप को एक साथ लाने के लिये इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है।
  - डेयर टू ड्रीम 2.0 और डेयर टू ड्रीम 3.0 को क्रमश: 2020 और 2021 में लॉन्च किया गया था।
- प्रविष्टियों के मूल्यांकन के लिये चयन मानदंड प्रस्ताव की पूर्णता, वैज्ञानिक सुदृढ़ता, डिज़ाइन पूर्णता, योग्यता, प्राप्त तकनीकी तत्परता स्तर और नवाचार हैं।

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना

जनजातीय कार्य मंत्रालय वर्तमान में देश भर में कम-से-कम 50% जनजातीय आबादी वाले 36,428 गाँवों और 500 अनुसूचित जनजातियों को 'आदर्श जनजातीय' गाँवो के रूप में विकसित करने हेतु प्रयासरत है।

- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने मौजूदा विशेष केंद्रीय सहायता योजना को जनजातीय उप-योजना का रूप दिया है और इसका नामकरण 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना' किया गया है। इसके कार्यान्वयन हेतु निर्धारित वर्ष 2021-22 से 2025-26 है।

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना

- परिचय:
  - यह राज्य सरकारों के प्रयासों के पूरक के रूप में जनजातीय उप-योजना (TSP) के अलावा विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान करके जनजातीय लोगों के विकास एवं कल्याण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - इसका उद्देश्य केंद्रीय अनुसूचित जनजाति घटक के तहत योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध फंड का उपयोग करते हुए अधिक जनजातीय आबादी वाले गाँवों में बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराना और विकास संबंधी अंतर को कम करना है।
  - यह योजना भारत सरकार के 100% अनुदान के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- उद्देश्य:
  - आवश्यकताओं, संभावनाओं और आकांक्षाओं के आधार पर ग्राम विकास योजना तैयार करना।
  - केंद्र/राज्य सरकारों की व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभ योजनाओं के दायरे को अधिकतम करना।
  - स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी और आजीविका जैसे क्षेत्रों के लिये बुनियादी ढाँचे मंS सुधार।
  - यह योजना विकास के प्रमुख 8 क्षेत्रों में अंतराल को कम करने के लिये तैयार की गई है।
    - सड़क कनेक्टिविटी (आंतरिक और अंतर गाँव/ब्लॉक)
    - दूरसंचार कनेक्टिविटी (मोबाइल/इंटरनेट)स्कूल
    - आँगनबाडी केंद्र
    - पेयजल सुविधा
    - जलनिकास
    - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

पृथ्वी के निकट क्षुद्रग्रह रयुगु

जापानी अंतरिक्ष एजेंसी के क्षुद्रग्रह नमूना-वापसी मिशन हायाबुसा-2 द्वारा वर्ष 2020 में पृथ्वी पर लाए गए रयुगु नामक एक अंतरिक्ष चट्टान का नमूना पृथ्वी की उत्पत्ति के रहस्य को उद्घाटित कर सकता है।

- यह पहली बार है जब क्षुद्रग्रह के नमूने पृथ्वी पर लाए गए हैं।

क्षुद्रग्रह रयुगु:

- क्षुद्रग्रह रयुगु एक हीरे के आकार की अंतरिक्ष चट्टान है। रयुगु का जापानी में अर्थ है "ड्रैगन पैलेस" जो जापानी लोककथा में एक जादुई जल के नीचे महल को संदर्भित करता है।
- रयुगु की खोज वर्ष 1999 में लिंकन नियर-अर्थ क्षुद्रग्रह अनुसंधान (LINEAR) परियोजना द्वारा की गई थी, जो अंतरिक्ष चट्टानों को सूचीबद्ध करने और ट्रैक करने के लिये एक सहयोगी, अमेरिका-आधारित परियोजना है।
- क्षुद्रग्रह का व्यास लगभग 2,952 फीट (900 मीटर) है।
- रयुगु पृथ्वी और मंगल के बीच सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और कभी-कभी पृथ्वी की कक्षा को पार कर जाता है, इसलिये अंतरिक्ष चट्टान को "संभावित रूप से खतरनाक" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, हालाँकि निकाय हमारी पृथ्वी के लिये कोई आसन्न खतरा नहीं है।

मुख्य बिन्दु:

- उत्पत्ति:
  - सामान्यतया 5% सामग्री, जो 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी के बनने में प्रयोग हुयी थी, उसी से पृथ्वी के निकट पाए गये क्षुद्रग्रह रयुगु का भी निर्माण हुआ है।
  - ये क्षुद्रग्रह के नमूने सौर मंडल में बनने वाले पहले ठोस पदार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब है कि वे पृथ्वी के निर्माण खंड हो सकते हैं।
  - रयुगु में उल्कापिंडों के एक बहुत ही दुर्लभ समूह के समान ताँबे और जस्ता के आइसोटोप का अनुपात हैं जो संभवत: सबसे प्राचीन (सूर्य के निकटतम रचना वाले) हैं।
    - ये साक्ष्य प्राचीन हैं क्योंकि ये संभवत: बाहरी सौर मंडल में बनते हैं, जहाँ वाष्पशील तत्त्व संरक्षित हैं।
    - इसके विपरीत, सूर्य के करीब निर्मित सामग्री वाष्पीकरण के कारण अपघटित हो सकती है।
- महत्त्व:
  - वाष्पशील पदार्थ रयुगु जैसे क्षुद्रग्रहों की भूमिका का मूल्यांकन करने में मदद कर सकते हैं।

नोट :

- माना जाता है कि पृथ्वी जैसी रहने योग्य दुनिया बनाने के लिये हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे वाष्पशील तत्वों ने जटिल कार्बनिक अणुओं को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- यह इस बात का मूल्यांकन करने में भी सहायक हो सकता है कि मंगल ग्रह की उत्पत्ति में रयुगु के समान पदार्थों का योगदान है या नहीं।

क्षुद्रग्रह:

- परिचय:
  - क्षुद्रग्रहों को लघु ग्रह भी कहा जाता है।
  - ये लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल के शुरुआती गठन के पश्चात बचे हुए चट्टानी अवशेष हैं।
  - अधिकांश क्षुद्रग्रह अनियमित आकार के होते हैं और कुछ गोलाकार होते हैं।
  - ऐसा माना जाता है की कई क्षुद्रग्रहों के पास अपना छोटा चंद्रमा होता है (कई के पास दो चंद्रमा होते हैं)।
  - बाइनरी (डबल) क्षुद्रग्रह भी होते हैं, जिनमें लगभग समान आकार के दो चट्टानी पिंड एक-दूसरे की परिक्रमा करते हैं। साथ ही ट्रिपल क्षुद्रग्रह प्रणाली भी होती है।

क्षुद्रग्रहों का वर्गीकरण:

- मुख्य क्षुद्रग्रह पेटी: अधिकांश क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्रग्रह पेटी में पाए जाते हैं।
- ट्रोजंस (Trojans): ये क्षुद्रग्रह एक बड़े ग्रह के साथ कक्षा साझा करते हैं, लेकिन इसके साथ टकराते नहीं हैं क्योंकि वे कक्षा में लगभग दो विशेष स्थानों (L4 और L5 लैग्रैन्जियन पॉइंट्स) के आस-पास एकत्रित होते हैं, जहाँ सूर्य और ग्रहों के बीच संतुलित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है।
  - लैग्रैन्जियन पॉइंट्स अंतरिक्ष में स्थित ऐसे बिंदु हैं, जहाँ सूर्य और पृथ्वी जैसे दो निकायों का गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण के क्षेत्रों का निर्माण करता है। इनका उपयोग अंतरिक्षयान द्वारा समान स्थिति में बने रहने के लिये आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने हेतु किया जा सकता है।
- नियर अर्थ ऑब्जेक्ट: इन ऑब्जेक्ट्स की कक्षाएँ पृथ्वी के करीब होती हैं। क्षुद्रग्रह जो वास्तव में पृथ्वी के कक्षीय पथ को पार करते हैं, उन्हें 'अर्थ-क्रॉसर्स' (Earth-crossers) के रूप में जाना जाता है।

विश्व बंदर दिवस

प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को विश्व बंदर दिवस मनाया जाता है।

विश्व बंदर दिवस:

- बंदर दिवस बंदरों और अन्य गैर-मानव प्राइमेट्स का जश्न मनाने के लिये शुरू किया गया है।
  - प्राइमेट समूह में लेमूर, लोरिस, टार्सियर, बंदर, वानर और मनुष्य जैसे स्तनपायी शामिल हैं।
- विश्व में विभिन्न प्रकार के बंदरों और प्राइमेट्स तथा उनकी परेशानियों में उनकी मदद करने संबंधी जागरूकता बढ़ाने हेतु यह दिवस महत्त्वपूर्ण है।

बंदर के बारे में मुख्य तथ्य:

- परिचय:
  - बंदर जिन्हें सिमियन भी कहा जाता है विश्व भर में पाए जाते हैं।
  - बंदरों की 250 से अधिक प्रजातियाँ अफ्रीका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और एशिया में पाई जाती हैं।
  - बंदरों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- पुरानी दुनिया के बंदर और नई दुनिया के बंदर।
    - पुरानी दुनिया के बंदर अफ्रीका और एशिया के मूल निवासी हैं जबकि नई दुनिया के बंदर अमेरिका के मूल निवासी हैं, लेकिन उनके वर्गीकरण का आधार एकमात्र घर (निवास) ही नहीं हैं।
- शारीरिक विशेषताएँ:
  - वे पिग्मी मा मोंसेट जैसे कुछ औंस से लेकर मैनड्रिल (80 पाउंड भारी) तक के आकर होते हैं।
  - बंदर दो हाथ और दो पैर पर चलते हैं।
  - प्राइमेट परिवार के एक सदस्य के रूप में, उन्हें छोटा वानर माना जाता है।
  - अधिकांश बंदरों की पूँछ होती है।
    - आमतौर पर, नई दुनिया के बंदरों के पास प्रीहेंसाइल पूँछ होती है, जिसका अर्थ है कि वे अपनी पूँछ का प्रयोग वस्तुओं को पकड़ने के लिये करते हैं।
    - दूसरी ओर, पुरानी दुनिया के सभी बंदरों की पूँछ होती थी और उसमें वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता नहीं होती थी।

IUCN स्थिति:

- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) के अनुसार, लगभग 70% एशियाई प्रजातियाँ, 50% अफ्रीकी प्रजातियाँ और 40% नव-उष्णकटिबंधीय प्रजातियाँ लुप्तप्राय हैं। उनमें से कुछ हैं:
  - वेस्टर्न चिंपैंजी: गंभीर रूप से संकटग्रस्त।
  - रोलोवे बंदर: गंभीर रूप से संकटग्रस्त।
  - लॉयन टेल्ड मकॉक: लुप्तप्राय।
  - डायना बंदर: लुप्तप्राय।
  - लंबी पूँछ वाला मकॉक: लुप्तप्राय।
  - जी का गोल्डन लंगूर: लुप्तप्राय।

नोट :

रैपिड फायर

नगालैंड स्थापना दिवस

01 दिसंबर को नगालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नगालैंड 01 दिसंबर, 1963 को भारतीय संघ के 16वें राज्य के रुप में अस्तित्व में आया था। नगालैंड पूर्व में म्याँमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम तथा दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है। नगालैंड तथा म्याँमार के बीच सरामती पर्वत शृंखला प्राकृतिक सीमा बनाती है जो नगालैंड की सबसे ऊँची पहाड़ी भी है। राज्य की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तथा यहाँ की मुख्य खाद्य फसल धान है, इसके अलावा कुल कृषि के 70% भाग पर धान की खेती की जाती है। यहाँ खेती की स्लेश तथा बर्न प्रणाली प्रचलित है जिसे स्थानीय स्तर पर झूम खेती कहा जाता है। राज्य का दीमापुर ज़िला पूरे देश से रेलवे एवं हवाई यातायात से जुड़ा है। नगालैंड में प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह के पहले सप्ताह में 'हॉर्नबिल उत्सव' का आयोजन किया जाता है।

सीमा सुरक्षा बल

प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को 'सीमा सुरक्षा बल' (BSF) का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय सीमाओं की रक्षा करने के विशेष उद्देश्य के मद्देनज़र वर्ष 1965 में सीमा सुरक्षा बल (BSF) की स्थापना की गई थी। यह गृह मंत्रालय (MHA) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के पाँच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में से एक है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) के 2.65 लाख से अधिक रक्षा कर्मी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर तैनात हैं। सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों को नक्सल विरोधी अभियानों, भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा (LoC) पर तैनात किया गया है। इसके अंतर्गत एक एयर विंग, मरीन विंग, एक आर्टिलरी रेजिमेंट और कमांडो यूनिट शामिल है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा अपने अत्याधुनिक जहाज़ों के माध्यम से अरब सागर में सर क्रीक और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा की सुरक्षा की जाती है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल (BSF) आवश्यकता पड़ने पर प्राकृतिक आपदा के दौरान मानवीय जीवन को बचाने का कार्य भी करता है। साथ ही इसके प्रशिक्षित कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भी भेजा जाता है। अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं: केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), सशस्त्र सीमा बल (SSB)।

राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस

भारत में प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को 'राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर जागरूकता फैलाना और औद्योगिक अथवा मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 2-3 दिसंबर, 1984 की रात को भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गँवा दी थी। दरअसल 2 दिसंबर, 1984 की रात को अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (मौजूदा नाम-डाउ केमिकल्स) के प्लांट से 'मिथाइल आइसोसाइनाइट' (Methyl Isocyanate) गैस का रिसाव हुआ था, जिसने भोपाल शहर को एक विशाल गैस चैंबर में परिवर्तित कर दिया था। कम-से-कम 30 टन मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव के कारण तकरीबन 15,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और लाखों लोग इस भयावह त्रासदी से प्रभावित हुए थे। यही कारण है कि भोपाल गैस त्रासदी को विश्व में सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदूषण आपदाओं में से एक माना जाता है। भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के मुताबिक, वायु प्रदूषण के कारण प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर लगभग 7 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु होती है, जिनमें से तकरीबन 4 मिलियन लोगों की मौत घरेलू वायु प्रदूषण के कारण होती है।

जी-20 की अध्यक्षता

1 दिसंबर को भारत ने एक वर्ष के लिये औपचारिक रूप से जी-20 की अध्यक्षता का कार्यभार संभाला। विदेश मंत्रालय के अनुसार इसके द्वारा जी-20 समूह की अध्यक्षता के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष बल जाएगा। नई दिल्ली में इस बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने इसे एक अविस्मरणीय दिवस बताया है। इसके अंतर्गत बताया गया कि भारत की अध्यक्षता का प्रमुख तत्त्व जी-20 को जनता के निकट ले जाना है। इसमें विभिन्न जनभागीदारी कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों की बड़े स्तर पर भागीदारी की योजना बनाई गई है और साथ ही विशेष जी-20 सत्रों में युवाओं और स्कूली छात्रों को शामिल करने के प्रयास किये जाएंगे। अध्यक्षता के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि एक समूह के रूप में विश्व को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सभी को समान राय प्रस्तुत करना आवश्यक है। भारत खाद्य, ईंधन और उरवर्कों समेत विश्व को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस

राष्ट्रीय समुदायों के बीच कंप्यूटर साक्षरता को लेकर जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु प्रतिवर्ष 02 दिसंबर को विश्व भर में 'विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस' मनाया जाता है। यह दिवस तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने पर ज़ोर देता है। इस दिवस का लक्ष्य बच्चों और महिलाओं को अधिक सीखने तथा कंप्यूटर का अधिक-से-अधिक उपयोग करने में सक्षम बनाना है। ज्ञात हो कि मौजूदा आधुनिक युग में तेज़ी से बढ़ती तकनीक और डिजिटल क्रांति के कारण कंप्यूटर

नोट :

मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। कंप्यूटर का ज्ञान वर्तमान समय में काफी महत्त्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह बहुत सटीक, तीव्र है और कई कार्यों को एक साथ आसानी से पूरा करने में सक्षम है। इसके अलावा यह स्वयं में बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहीत कर सकता है और इंटरनेट का उपयोग करके विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करने में भी सहायता करता है।

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस

समाज के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 'अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस' का आयोजन किया जाता है। सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 को 'विकलांगजनों के लिये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' घोषित किया था। इसके पश्चात् वर्ष 1983-92 के दशक को 'विकलांगजनों के लिये अंतर्राष्ट्रीय दशक' घोषित किया गया। वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को 'विश्व दिव्यांगता दिवस' के रूप में मनाने की शुरुआत की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Helath Organisation-WHO) के अनुसार, विश्व की 15.3% आबादी किसी-न-किसी प्रकार की अशक्तता से पीड़ित है। इस प्रकार यह विश्व का सबसे बड़ा 'अदृश्य अल्पसंख्यक समूह' है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या का मात्र 2.21% दिव्यांगता से पीड़ित है। इस दिवस को मनाने का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य अशक्त-जनों की अक्षमता के मुद्दों पर समाज में लोगों की जागरूकता, समझ और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त यह दिव्यांगजनों के आत्म-सम्मान, कल्याण और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी सहायता पर भी ज़ोर देता है।

भोपाल गैस त्रासदी

विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गैस त्रासदी को भले ही 38 साल बीत गए हों, लेकिन इसके जख्म आज भी ताज़ा हैं। भोपाल गैस त्रासदी भारत में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में घटित वह बड़ी दुर्घटना थी, जिसमें हज़ारों लोगों ने अपनी जान गँवा दी थी। 02 और 03 दिसम्बर, 1984 को भोपाल में हुई भयानक औद्योगिक दुर्घटना को "भोपाल गैस कांड" या "भोपाल गैस त्रासदी" के नाम से जाना गया। भोपाल स्थित 'यूनियन कार्बाइड' नामक कंपनी के कारखाने से 'मिथाइल आइसोसाइनेट' (Methyl isocyanate- MIC) नामक एक ज़हरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे कीटनाशक बनाया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी 'यूनियन कार्बाइड' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वारेन एंडरसन ने विश्व के अन्य देशों, प्रांतों, प्रदेशों की तरह भोपाल में भी एक अत्यंत आधुनिक, सुरक्षा और उत्पादन के शीर्ष मायनों पर खरा उतरने वाले रासायनिक कीटनाशक उत्पादन की महत्त्वाकांक्षा वाला एक कारखाना स्थापित किया था। यूनियन कार्बाइड की बेहतरीन कीटनाशक उत्पादन प्रणाली बाज़ार के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाई और इसके कारखाने को अनुमानित अर्थलाभ की अपेक्षा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, जिसका कंपनी की उत्पादन प्राणाली, सुरक्षा मानदंड और उपकरणों के अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से लगभग 15000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के शिकार हुए। भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना मानी जाती है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 189वीं बैठक

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 3 से 4 दिसंबर, 2022 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उद्देश्य 'निर्माण से शक्ति' पहल के तहत इसके बुनियादी ढाँचे का उन्नयन और आधुनिकीकरण करना- को स्पष्ट करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 189वीं बैठक का सफल आयोजन नई दिल्ली में स्थित इसके मुख्यालय में किया गया। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के दायरे में आने वाले बीमाकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए संबद्ध मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम को बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने पर ज़ोर देने का निर्देश दिया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक के दौरान निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कार्यसूची मदों पर विचार किया गया, जो चिकित्सा एवं हितलाभ सेवा वितरण तत्रों को बेहतर बनाने में मदद करेगा और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के दायरे में आने वाले बीमाकृत श्रमिकों की बढ़ती संख्या के प्रबंधन के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करेगा:- कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्यामलीबाजार, अगरतला, त्रिपुरा में 100 बिस्तरों वाला नया अस्पताल और इडुक्की, केरल में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना का निर्णय, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे और वार्षिक रिपोर्ट को मंज़ूरी।

भारतीय नौसेना दिवस

वर्ष 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना के जवाबी हमले को चिह्नित करने के लिये प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को 'भारतीय नौसेना दिवस' मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट वर्ष 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना द्वारा किया गया जवाबी हमला था जिसमे भारत ने पहली बार एंटी-शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी विध्वंसक जहाज़ 'पीएनएस खैबर' को नष्ट कर दिया था।भारतीय नौसेना की स्थापना वर्ष 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के उद्देश्य से की गई थी, जिसे स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1950 में पुनर्गठित किया गया। भारतीय नौसेना की अध्यक्षता सर्वोच्च कमांडर के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। इसका आदर्श वाक्य है- 'शं नो वरुण:' अर्थात् 'जल के देवता वरुण हमारे लिये शुभ हों।' वर्ष 2022 के लिये नौसेना दिवस की थीम "स्वर्णिम विजय वर्ष" है।

नोट :

'इंडिया: द मदर ऑफ डेमोक्रेसी' पुस्तक

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (ICHR) द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'इंडिया: दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी' का विमोचन किया। इस पुस्तक का उद्देश्य प्राचीन काल से भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार को प्रदर्शित करना है, जिसमे 30 विभिन्न लेखकों द्वारा लिखे गए 30 लेख हैं। लेखकों में प्रसिद्ध पुरातत्त्वविद् वसंत शिंदे, पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजीव लोचन, जम्मू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जिगर मोहम्मद और सिक्किम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वीनू पंत शामिल हैं। इस पुस्तक की शुरुआत दुनिया की सबसे पहली लोकतांत्रिक प्रणाली हड़प्पा सभ्यता के लेख से होती है। इस पुस्तक में 6 भाग है: 1. पुरातत्व, साहित्य, मुद्राशास्त्र और पुरालेख। 2. गण, महाजनपद, राज्य। 3. भक्ति और संप्रदाय: लोकतांत्रिक परंपराओं की कल्पना। 4. प्रजातांत्रिक वादों का प्रस्फुटन: जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। 5. लोक: जनजाति और खाप। 6. लोकतंत्र के लोकाचार का पता लगाना: मानवता और उपनिवेशवाद।

विश्व मृदा दिवस

स्वस्थ मृदा के महत्त्व पर ध्यान केंद्रित करने और मृदा संसाधनों के स्थायी प्रबंधन हेतु जागरूकता फैलाने के लिये प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस (World Soil Day) मनाया जाता है। वर्ष 2022 के लिये इसकी थीम- 'मृदा, जिससे अनाज उत्पादित होता है' ("Soils: Where food begins") है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने जून 2013 में विश्व मृदा दिवस का समर्थन किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सम्मेलन में इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया तथा दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 05 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस घोषित किया तथा 05 दिसंबर, 2014 को पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस मनाया गया।

महापरिनिर्वाण दिवस

राष्ट्र 06 दिसंबर, 2022 को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में बाबा साहेब अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 'डॉ. भीमराव अंबेडकर' की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष 'महापरिनिर्वाण दिवस' के रूप में मनाया जाता है। 'परिनिर्वाण', जिसे बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है, एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद 'मुक्ति' अथवा 'मोक्ष'। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बाण सुत्त (Mahaparinibbana Sutta) के अनुसार, 80 वर्ष की आयु में हुई भगवान बुद्ध की मृत्यु को मूल महापरिनिर्वाण माना जाता है। 'डॉ. भीमराव अंबेडकर' का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रांत (अब मध्य प्रदेश) के 'महू' में हुआ था। डॉ. अंबेडकर एक समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक, बहु-भाषाविद और तुलनात्मक धर्म दर्शन के विद्वान थे। उन्हें 'भारतीय संविधान के जनक' के रूप में जाना जाता है। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून/विधि मंत्री थे। वर्ष 1920 में उन्होंने एक पाक्षिक (15 दिन की अवधि में छपने वाला) समाचार पत्र 'मूकनायक' की शुरुआत की जिसने एक मुखर और संगठित दलित राजनीति की नींव रखी। इसके अलावा वर्ष 1923 में उन्होंने 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना की। मार्च 1927 में उन्होंने 'महाड़ सत्याग्रह' (Mahad Satyagraha) का नेतृत्त्व किया। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। वर्ष 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। 6 दिसंबर, 1956 को उनका निधन हो गया।

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन

कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने 5 दिसंबर, 2022 को सतत् कृषि के लिये मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने रासायनिक कृषि और अन्य कारणों से मृदा की उर्वरता कम होने एवं जलवायु परिवर्तन का देश तथा विश्व के लिये एक बड़ी चिंता का विषय बताया। सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से भी काम कर रही है। उनके अनुसार दो चरणों में देश भर के किसानों को 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये जा चुके हैं। सरकार मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के तहत बुनियादी ढाँचा भी विकसित कर रही है। अब तक 499 स्थायी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ, 113 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ, आठ हज़ार 811 मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ और दो हज़ार 395 ग्राम-स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा चुकी हैं।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस

प्रतिवर्ष 07 दिसंबर को भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 7 दिसंबर, 1949 को मनाया गया था। इस दिवस को भारतीय थल सैनिकों, नौ सैनिकों तथा वायु सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है। झंडा दिवस के अवसर पर सशस्त्र बल कर्मियों के कल्याण के लिये लोगों से धन जुटाया जाता है तथा इस धन का उपयोग सेवारत सैन्य कर्मियों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये किया जाता है। झंडा दिवस का उद्देश्य भारत की जनता द्वारा देश की सेना के प्रति सम्मान प्रकट करना है। यह उन जाँबाज सैनिकों के प्रति एकजुटता दिखाने का दिन है जो देश की सुरक्षा में शहीद हुए। जिन्होंने सेना में रहकर जिन्होंने न केवल सीमाओं की रक्षा की, बल्कि आतंकवादियों व उग्रवादियों से मुकाबला कर शांति स्थापित करने हेतु अपनी जान न्यौछावर कर दी।

ड्रोन तकनीक का हब

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत के ड्रोन तकनीक का हब बनने की संभावनाओं पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए भारत को अगले साल तक कम से कम 1 लाख ड्रोन पायलटों की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने 6 दिसंबर को चेन्नई में 'ड्रोन यात्रा 2.0' को झंडी दिखाई। प्रौद्योगिकी वास्तव में विश्व को तीव्र गति से बदल रही है और यह अब

नोट :

से अधिक प्रासंगिक कभी नहीं रही है, क्योंकि इसके अनुप्रयोग विश्व के कुछ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समस्याओं को हल कर रहे हैं। एक अरब से अधिक लोगों के देश के रूप में, भारत आगे रहने के लिये बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की अपार संभावनाएँ हैं।" भारत में ड्रोन तकनीक में हुई प्रगति का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि बीटिंग रिट्रीट के दौरान भारतीय स्टार्ट-अप 'बोटलैब डायनामिक्स' द्वारा 1000 'मेड इन इंडिया' ड्रोन का काफी शानदार प्रदर्शन रहा। 'बोटलैब डायनामिक्स का नेतृत्त्व IIT के पूर्व छात्र कर रहे हैं। स्वामित्त्व योजना के एक भाग के रूप में, (गाँवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण इलाकों में तात्कालिक तकनीक के साथ मानचित्रण) गाँवों में जमीनों और घरों का सर्वेक्षण ड्रोन के जरिये किया जा रहा है। गाँवों के खेतों में कीटनाशकों और नैनो उर्वरकों के छिड़काव के लिये ड्रोन के उपयोग में तेज़ी आ रही है। यह परिकल्पना की गई है कि ये ड्रोन खेतों में कीटनाशकों के उपयोग को सुव्यवस्थित करने में मदद करेंगे, जिससे हमारे किसानों की लाभ-प्राप्ति में और सुधार होगा। प्रभावी नीतियाँ, उद्योग को प्रोत्साहन और 'व्यवसाय करने में आसानी' ड्रोन क्षेत्र को आवश्यक गति प्रदान कर रहे हैं, जो भारत में इसकी अपार संभावनाओं को दर्शाता है। 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप नवाचार और अत्याधुनिक ड्रोन प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम; अमृत काल में एक आत्मनिर्भर न्यू इंडिया सुनिश्चित करेगा।"

जाफना और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान सेवा

जाफना और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान सेवा 12 दिसंबर, 2022 से फिर शुरू हो जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा मिलने से आर्थिक संकट से जूझ रही श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को इससे मदद मिलेगी। 12 दिसंबर से पलाली में जाफना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चेन्नई के बीच शुरू होने वाली अलायंस एयर की सीधी उड़ान सप्ताह में चार दिन उपलब्ध रहेगी। एयरलाइंस की यह सेवा तीन साल के के बाद शुरू हो रही है। मार्च 2020 के बाद से उड्डयन सेवा कोविड महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई थी। श्रीलंका के उड्डयन मंत्री ने बताया कि हवाई अड्डे के रनवे में और सुधार किये जाने की आवश्यकता है। इस समय इसकी क्षमता सीमित है। भारत और श्रीलंका ने वर्ष 2019 में वहाँ के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संयुक्त रूप से आधुनिकीकरण किया था।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस

प्रतिवर्ष 07 दिसंबर को विश्व भर में हवाई यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठनों के महत्त्व के विषय में लोगों को सूचित करने हेतु 'अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस' मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम वैश्विक उड्डयन के विकास के लिये नवाचार को बढ़ावा देना '(Promoting Innovation for the Development of Global Aviation)' है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन परिषद ने वर्ष 2023 तक यही थीम रखने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन(International Civil Aviation Organization- ICAO) परिषद 'अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस' के लिये प्रत्येक पाँच वर्ष की विशेष वर्षगाँठ थीम निर्धारित करती है और। 7 दिसंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस' के रूप में मनाने की आधिकारिक मान्यता संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1996 में दी गई थी। हालाँकि इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1994 में 'अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन' की स्थापना की 50वीं वर्षगाँठ के अवसर पर की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1944 में राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन अभिसमय (शिकागो कन्वेंशन) के संचालन तथा प्रशासन के प्रबंधन हेतु की गई थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना एवं विकास को बढ़ावा देना है ताकि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन की सुरक्षित तथा व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक-2022

वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक-2022, 8 दिसंबर को संसद से पारित हो गया। लोकसभा से पहले ही पारित इस विधेयक पर राज्य सभा ने अपनी मुहर लगा दी है । इस विधेयक का उद्देश्य वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय को लागू करना और इसके द्वारा संरक्षित संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची का विस्तार करना है। इस विधेयक के माध्यम से केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और वन्यजीवों के संरक्षण पर ज़ोर दिया। वर्ष 2004 से 2014 के बीच जहाँ देश में दो लाख 26 हज़ार वर्ग किलोमीटर से अधिक के वन क्षेत्र का उपयोग दूसरे कार्यों के लिये किया गया वहीं वर्ष 2014 से 2022 के बीच केवल एक लाख 30 हज़ार वन क्षेत्र का ही इस्तेमाल अन्य कार्यों के लिये किया गया, और इन प्रयासों की वजह से ही देश के हरित क्षेत्र का विस्तार हुआ है। इस विधेयक में केंद्र सरकार को एक ऐसा प्राधिकरण बनाने का अधिकार दिया जा रहा है, जो संरक्षित प्रजातियों के निर्यात अथवा आयात हेतु लाइसेंस प्रदान कर सकेगा।

अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस

भ्रष्टाचार के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका मुकाबला करने हेतु प्रतिवर्ष 09 दिसंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस' मनाया जाता है। 'अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस-2022' का विषय है भ्रष्टाचार के विरुद्ध विश्व को एकजुट करना (Uniting the world against corruption)।' वर्ष 2022, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) की 20वीं वर्षगाँठ है। वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस में भ्रष्टाचार विरोधी और शांति, सुरक्षा और विकास के बीच महत्त्वपूर्ण कड़ी पर प्रकाश डाला गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 31 अक्तूबर, 2003 को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक

अभिसमय को अपनाया था। इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भ्रष्टाचार को रोकने और अभिसमय के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रतिवर्ष 09 दिसंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस' के रूप में भी नामित किया था। यह अभिसमय दिसंबर 2005 में लागू हुआ। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने से रोज़गार सृजित करने, लैंगिक समानता की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति करने और स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक व्यापक पहुँच हासिल करने में मदद मिल सकती है।

पर्सन ऑफ द ईयर 2022'

यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अर्थात् 'स्पिरिट ऑफ यूक्रेन' को वर्ष 2022 के लिये टाइम मैगज़ीन द्वारा 'पर्सन ऑफ द ईयर' घोषित किया गया है तथा टाइम मैगज़ीन ने हाल ही के अंक में ज़ेलेंस्की को कवर पेज पर जगह दी। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच जेलेंस्की पिछले 10 महीनों से मज़बूती के साथ अपने देश और देशवासियों के साथ खड़े रहे हैं। ज़ेलेंस्की के कीव में रहने और रूसी सेना के खिलाफ लड़ने के फैसले ने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने बार-बार भाषण देकर और फ्रंटलाइन पर दिखाई देकर यूक्रेनी सेना के मनोबल को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगज़ीन का एक वार्षिक प्रकाशन है जिसमें एक व्यक्ति, एक समूह, एक विचार या एक वस्तु को दर्शाया गया है जिसने वर्ष की घटनाओं को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। इसे मैगज़ीन के संपादकों द्वारा चुना जाता है। "पर्सन ऑफ द ईयर" चुनने की परंपरा वर्ष 1927 में शुरू हुई थी। पिछले उल्लेखनीय विजेताओं में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर (1938), रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (2007) और अन्य शामिल हैं। 1930 के संस्करण में महात्मा गांधी को चित्रित किया गया था तथा वर्ष 2021 में टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ 'एलन मस्क' को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था।

गुजरात चुनाव

गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे गुरुवार, दिनाक 08 दिसंबर को घोषित किये गए। एक्ज़िट पोल्स के आकलन अनुसार भारतीय जनता पार्टी (BJP) लगातार 7वीं बार विजयी हुई है। गुजरात में इससे पूर्व कभी भी किसी भी पार्टी को इतने लंबे समय तक शासन करने का अवसर नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में कुल 182 में से 156 सीटों पर जीत दर्ज की, वर्ष 1995 से लगातार ही सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2002 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था , दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) को भी 5 सीटों पर जीत प्राप्त हुई।

IIT दिल्ली द्वारा उद्योग दिवस का आयोजन

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान- IIT दिल्ली द्वारा 10 दिसंबर को उद्योग दिवस मनाया गया। दिनभर चलने वाले इस आयोजन के चौथे संस्करण में IIT दिल्ली में भावी तकनीकों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया जिसे विकसित करने के लिये संस्थान निरंतर काम कर रहा है। इन तकनीकों के माध्यम से उद्योग जगत तथा समाज दोनों लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम में 15 से अधिक बड़े कॉर्पोरेट और व्यावसायिक घरानो ने भाग लिया। IIT दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बैनर्जी ने बताया कि वे उद्योग जगत के साथ अपने संबंधों को और सुदृढ़ करने हेतु उत्सुक हैं और उन्हें भविष्य के लिये तैयार स्नातकों के साथ साथ अपनी शोध के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धी बढ़त दिलाने में भूमिका अदा करना चाहते हैं।

9वीं विश्व आयुर्वेद कॉन्ग्रेस

गोवा में 11 दिसंबर को 9वीं विश्व आयुर्वेद कॉन्ग्रेस के समापन सत्र को प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किया गया। अपने ज्ञान-विज्ञान और सांस्कृतिक अनुभव के माध्यम से विश्व के कल्याण का संकल्प अमृतकाल के लक्ष्यों में से एक है और आयुर्वेद इसके लिये एक ठोस और प्रभावी माध्यम है। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है, जिसका दर्शन, जिसका आदर्श वाक्य - 'सर्वे भवन्तु सुखिन:, सर्वे सन्तु निरामय:' है। विश्व के 30 से ज़्यादा देशों ने आयुर्वेद को पारंपरिक दवाओं की एक प्रणाली के रूप में मान्यता दी हुई है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा देशों तक प्रचारित करना और आयुर्वेद को मान्यता दिलाना इसका लक्ष्य है। इस हेतु आयुष से जुड़े तीन संस्थानों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद-गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन-गाज़ियाबाद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होमियोपैथी-दिल्ली का लोकार्पण भी किया गया जो आयुष हेल्थ केयर सिस्टम को नई गति प्रदान करेगा।

एम्स (AIIMS) नागपुर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 11 दिसंबर 2022 को एम्स नागपुर का उद्घाटन किया गया। पूरे देश में स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु एम्स नागपुर के उदघाटन से राष्ट्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को मज़बूती प्राप्त होगी। एम्स नागपुर, जिसका शिलान्यास जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, की स्थापना केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की गई है। 1575 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित एम्स नागपुर अत्याधुनिक सुविधाओं से पूर्ण है जिसमें ओपीडी, आईपीडी, नैदानिक सेवाएँ, ऑपरेशन थिएटर और 38 विभाग हैं। इस अस्पताल द्वारा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता से लाभ होगा।

वंदे भारत एक्सप्रेस

प्रधानमंत्री ने नागपुर से बिलासपुर के बीच 11 दिसंबर, 2022 को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया। यह स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड, स्व-चालित ट्रेन है जिसे गति तथा यात्री सुविधा के मामले में राजधानी ट्रेनों की शुरुआत के बाद भारतीय रेलवे के अगले कदम के रूप में देखा जाता है। पहली वंदे भारत ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई द्वारा 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। वंदे भारत अलग लोकोमोटिव द्वारा संचालित यात्री कोचों की पारंपरिक

नोट :

प्रणालियों की तुलना में ट्रेन सेट तकनीक (Train Set Technology) के अनुकूलन का भारत का पहला प्रयास था। हालाँकि ट्रेन सेट कॉन्फिगरेशन एक जटिल प्रक्रिया है लेकिन इसे बनाए रखना आसान है, यह कम ऊर्जा खपत के साथ ट्रेन संचालन में अधिक लचीली है। विकास के चरण के दौरान वंदे भारत ट्रेन बिना लोकोमोटिव के संचालित होती हैं जो एक प्रणोदन प्रणाली पर आधारित हैं, इसे डिस्ट्रिब्यूटेड ट्रैक्शन पावर टेक्नोलॉजी (Distributed Traction Power Technology) कहा जाता है, जिसके द्वारा ट्रेन सेट संचालित होता है। यह तेज़ त्वरण के कारण अधिकतम 160 किमी. प्रति घंटे की गति प्राप्त कर सकती है, जिससे यात्रा का समय 25% से 45% तक कम हो जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस

प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस (International Mountain Day) के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2003 में एक प्रस्ताव पारित करके की थी। दुनियाभर में मौजूद पहाड़ प्रकृति के अहम अंग हैं, पहाड़ों का संरक्षण करते हुए सतत् विकास को प्रोत्साहित करना तथा पर्वतों के महत्त्व को रेखांकित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम "Women Move Mountains" है। इस दिवस के लिये संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन द्वारा समन्वय किया जाता है साथ ही पर्वतों के महत्त्व को दर्शाने के लिये विभिन्न किस्म के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। FAO के अनुसार पर्वत ताज़े पानी का एक महत्त्वपूर्ण स्त्रोत है, इनसे विश्व के कुल 60-80% ताज़े पानी की आपूर्ति होती है। यह जैव विविधता के लिये भी अति आवश्यक है। पिछले कुछ समय से जलवायु परिवर्तन, भू-क्षरण तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण पर्वतों को नुकसान हो रहा है।

मारिया टेल्कस

12 दिसंबर को गूगल ने मारिया टेल्कस (Maria Telkes) पर एक डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया। मारिया टेल्क्स शीर्ष वैज्ञानिकों और बायोफिजिसिस्ट थी जिन्हें 'द सन क्वीन' (The Sun Queen) यानि 'सूरज की रानी' के नाम से भी जाना जाता है। मारिया टेल्कस का जन्म 12 दिसंबर, 1900 को बुडापेस्ट के हंगरी शहर में हुआ था और इस वर्ष उनकी 122वीं जयंती है। उनका मानना था कि सूर्य की शक्ति मानव जीवन को बदल सकती है और वह सही थी। वर्ष 1924 में यूनिवर्सिटी ऑफ बुडापेस्ट से पीएचडी की, इसके बाद वह संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं और वहाँ एक बायोफिजिसिस्ट के रूप में पद स्वीकार किया तथा वर्ष 1939 में उन्होंने MIT रिसर्च ग्रुप को ज्वाइन किया, जो सोलर एनर्जी पर केंद्रित था। वर्ष 1948 में आर्किटेक्ट एलेनोर रेमंड के साथ मिलकर ऐसी प्रणाली तैयार की जो सूरज की रोशनी की गर्मी से दीवारों को गर्म रख सकती है। उन्होंने अपने शुरुआती करियर में बायोफिजिक्स पर आधारित एनर्जी पर रिसर्च किया, वह मारिया टेल्कस ही थीं, जिन्होंने सोलर पॉवर्ड डिस्टिलर से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया, ताकी समुद्र में खो जाने वाले सैनिक पानी पी सकें, यह मारिया टेल्कस का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार माना जाता था।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष पूरे भारत में '14 दिसम्बर' को मनाया जाता है। भारत में 'ऊर्जा संरक्षण अधिनियम' वर्ष 2001 में 'ऊर्जा दक्षता ब्यूरो' द्वारा स्थापित किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक संवैधानिक निकाय है, जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है और ऊर्जा उपयोग कम करने के लिये नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करता है। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को लागू करने और ऊर्जा, परियोजनाओं, नीति विश्लेषण, वित्त प्रबंधन में विशेषज्ञ पेशेवर, योग्य प्रबंधकों के साथ ही लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना है। भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का लक्ष्य लोगों में ऊर्जा के महत्त्व के साथ ही साथ बचत और ऊर्जा की बचत के माध्यम से संरक्षण बारे में जागरुक करना है। ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ है- "ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को कम करके कम ऊर्जा का उपयोग कर ऊर्जा की बचत करना।"

स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव

प्रधानमंत्री ने 14 दिसंबर, 2022 को गुजरात के अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रमुख स्वामी महाराज ने असंख्य लोगों के पथ-प्रदर्शक और आध्यात्मिक गुरू के रूप में भारत एवं विश्व को प्रभावित किया। प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष में दुनियाभर में लोग उनके जीवन और कार्यों का जश्न मानते हैं। वर्ष भर चलने वाले इस समारोह का समापन प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में होगा, जिसकी मेज़बानी BAPS स्वामीनारायण मंदिर, शाहीबाग द्वारा की जाएगी। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक अहमदाबाद में शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें दैनिक कार्यक्रम, विषयगत प्रदर्शनियाँ और विचार-विमर्श से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महीने भर का यह कार्यक्रम 14 दिसंबर से शुरू होगा जो 15 जनवरी, 2023 को अहमदाबाद में सम्पन्न होगा।

नोट :